सामाजिक विज्ञान

कक्षा 8 के लिए पाठ्यपुस्तक

राजकीय विद्यालयों में निःशुल्क वितरण हेतु

राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर

प्रकाशक

राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल, जयपुर

संस्करण : 2016

© राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर
© राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल, जयपुर

मूल्य :

पेपर उपयोग : आर. एस. टी. बी. वाटरमार्क
80 जी. एस. एम. पेपर पर मुद्रित

प्रकाशक : राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल
2-2 ए, झालाना डूंगरी, जयपुर

मुद्रक :

मुद्रण संख्या :

सर्वाधिकार सुरक्षित

- प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना इस प्रकाशन के किसी भाग को छापना तथा इलैक्ट्रानिकी, मशीनी, फोटोप्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग अथवा किसी अन्य विधि से पुनः प्रयोग पद्धति द्वारा उसका संग्रहण अथवा प्रसारण वर्जित है।
- इस पुस्तक की बिक्री इस शर्त के साथ की गई है कि प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना यह पुस्तक अपने मूल आवरण अथवा जिल्द के अलावा किसी अन्य प्रकार से व्यापार द्वारा उधारी पर, पुनर्विक्रय या किराए पर न दी जाएगी, न बेची जाऐगी।
- इस प्रकाशन का सही मूल्य इस पृष्ठ पर मुद्रित है। रबड़ की मुहर अथवा चिपकाई गई पर्ची (स्टिकर) या किसी अन्य विधि द्वारा अंकित कोई भी संशोधित मूल्य गलत है तथा मान्य नहीं होगा।
- किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन केवल प्रकाशक द्वारा ही किया जा सकेगा।

पाठ्यपुस्तक निर्माण
वित्तीय सहयोगः
यूनिसेफ राजस्थान, जयपुर

प्राक्कथन

बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप शिक्षा में परिवर्तन होना जरूरी है, तभी विकास की गति तेज होती है। विकास में सहायक कई तत्त्वों के अलावा शिक्षा भी एक प्रमुख तत्त्व है। विद्यालयी शिक्षा को प्रभावशाली बनाने के लिए पाठ्यचर्या को समय–समय पर बदलना एक आवश्यक कदम है। वर्तमान में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 तथा नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के द्वारा यह स्पष्ट है कि समस्त शिक्षण क्रियाओं में 'बालक' केन्द्र के रूप में हैं। हमारी सिखाने की प्रक्रिया इस प्रकार हो कि बालक स्वयं अपने अनुभवों के आधार पर समझ कर ज्ञान का निर्माण करें। उसके सीखने की प्रक्रिया को ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रता दी जाए, इसके लिए शिक्षक एक सहयोगी के रूप में कार्य करे। पाठ्यचर्या को सही रूप में पहुँचाने के लिए पाठ्यपुस्तक महत्त्वपूर्ण साधन है। अतः बदलती पाठ्यचर्या के अनुरूप ही पाठ्यपुस्तकों में परिवर्तन कर राज्य सरकार द्वारा नवीन पाठ्यपुस्तक तैयार कराई गई है।

पाठ्यपुस्तक तैयार करने में यह ध्यान रखा गया है कि पाठ्यपुस्तक सरल, सुगम, सुरुचिपूर्ण, सुग्राह्य एवं आकर्षक हो, जिससे बालक सरल भाषा, चित्रों एवं विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से इनमें उपलब्ध ज्ञान को आत्मसात् कर सके, साथ ही वह अपने सामाजिक एवं स्थानीय परिवेश से जुड़े तथा ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक गौरव, संवैधानिक मूल्यों के प्रति समझ एवं निष्ठा बनाते हुए एक अच्छे नागरिक के रूप में अपने आप को स्थापित कर सके।

शिक्षकों से मेरा विशेष आग्रह है कि इस पुस्तक को पूर्ण कराने तक ही सीमित नहीं रखें, अपितु पाठ्यक्रम एवं अपने अनुभव को आधार बना कर इस प्रकार प्रस्तुत करे कि बालक को सीखने के पर्याप्त अवसर मिले एवं विषय शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके।

राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (एस.आई.ई.आर.टी.) उदयपुर पाठ्यपुस्तक विकास में सहयोग के लिए उन समस्त राजकीय एवं निजी संस्थानों, संगठनों यथा एन. सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली, राज्य सरकार, भारतीय जनगणना विभाग, आहड़ संग्रहालय उदयपुर, जनसंपर्क निदेशालय जयपुर, राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल जयपुर, विद्या भारती, अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान जयपुर, विद्याभवन संदर्भ केन्द्र पुस्तकालय, उदयपुर एवं लेखकों, समाचार पत्र–पत्रिकाओं, प्रकाशकों तथा विभिन्न वेबसाइट्स के प्रति आभार व्यक्त करता है, जिन्होंने पाठ्यपुस्तक निर्माण में सामग्री उपलब्ध कराने एवं चयन में सहयोग दिया है। भूगोल विषय के लेखन कार्य में सहयोग देने के लिए श्री रुपनारायण मालव, प्रधानाचार्य, राउमावि, मादलिया, कोटा एवं श्रीमती हेमलता चौधरी, व्याख्याता, राबाउमावि, धोरीमन्ना, बाड़मेर का भी आभार व्यक्त करता है। हमारे प्रयासों के बावजूद किसी लेखक, प्रकाशक, संस्था, संगठन और वेबसाइट का नाम छूट गया हो तो हम उनके आभारी रहते हुए क्षमा प्रार्थी हैं। उनका नाम पता चलने एवं इस संबंध में जानकारी प्राप्त होने पर आगामी संस्करणों में उनका नाम शामिल कर लिया जाएगा।

पाठ्यपुस्तकों की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु श्री कुंजीलाल मीणा, शासन सचिव, प्रारंभिक शिक्षा, श्री नरेशपाल गंगवार, शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा एवं आयुक्त राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् , श्री बाबूलाल मीणा, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा एवं श्री सुवालाल, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, श्री बी. एल. जाटावत, आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, जयपुर, राजस्थान सरकार से सतत् मार्गदर्शन एवं अमूल्य सुझाव संस्थान को प्राप्त होते रहे हैं। अतः संस्थान हृदय से आभार व्यक्त करता है।

इस पाठ्यपुस्तक का निर्माण यूनीसेफ के वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग से किया गया है। इसमें सेम्युअल एम., चीफ यूनिसेफ राजस्थान जयपुर, सुलग्ना रॉय शिक्षा विशेषज्ञ एवं यूनीसेफ से संबंधित अन्य सभी अधिकारियों के सहयोग के लिए संस्थान आभारी है। संस्थान उन सभी अधिकारियों एवं कार्मिकों का, जिनका प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्य संपादन में सहयोग रहा है, उनकी प्रशंसा करता है।

मुझे इस पुस्तक को प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है, साथ ही यह विश्वास है कि यह पाठ्यपुस्तक विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी और अध्ययन–अध्यापन एवं विद्यार्थी के व्यक्तित्व विकास की एक प्रभावशाली कड़ी के रूप में कार्य करेगी।

विचारों एवं सुझावों को महत्त्व देना लोकतंत्र का गुण है। अतः राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर सदैव इस पुस्तक को और श्रेष्ठ एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए आपके बहुमूल्य सुझावों का स्वागत करेगा।

निदेशक
राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान
एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर

पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति

संरक्षक – विनीता बोहरा, निदेशक राराशैअप्रस, उदयपुर

मुख्य समन्वयक – नारायण लाल प्रजापत, उपनिदेशक तथा विभागाध्यक्ष, शिक्षाक्रम एवं मूल्यांकन विभाग, राराशैअप्रस उदयपुर

समन्वयक –

1. डॉ. देवेन्द्र सिंह चौहान, व्याख्याता, राउमावि, पीलादर, उदयपुर (भूगोल)
2. डॉ. योगेश कुमार शर्मा, व्याख्याता, राराशैअप्रस, उदयपुर (सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन)
3. सूर्यकान्ता पंचाल, वरिष्ठ व्याख्याता, राराशैअप्रस, उदयपुर (इतिहास)

लेखकगण (भूगोल)

1. पन्नालाल शर्मा, व्याख्याता, आदर्श राउमावि महावीर नगर–III, कोटा (संयोजक)
2. डॉ. देवेन्द्र सिंह चौहान, व्याख्याता, राउमावि, पीलादर, उदयपुर
3. रामपद पारीक, अध्यापक, राउप्रावि, बदनपुरा, सांगानेर, जयपुर

लेखकगण (सामाजिक और राजनीतिक जीवन)

1. देवलाल गोचर, शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी, जिशिअ (प्रा.) कोटा (संयोजक)
2. सतीश कुमार गुप्ता, प्रधानाचार्य, राउमावि, बूढ़ादीत, कोटा
3. जयदीप कोठारी, व्याख्याता, राउमावि फलासिया, उदयपुर
4. अब्दुल करीम टाक, व्याख्याता, राउमावि, मुण्डारा, पाली
5. रामावतार यादव, व्याख्याता, राउमावि, सोहेला, टोंक
6. राजेश कुमार वशिष्ठ, अध्यापक, राउमावि द्वारिकापुरी, जयपुर

लेखकगण (इतिहास)

1. ब्रजमोहन रामदेव, सेवानिवृत्त जिला साक्षरता एवं सततशिक्षा अधिकारी, जैसलमेर (संयोजक)
2. डॉ. के. एस. गुप्ता, सेवानिवृत्त प्रोफेसर, मो.ला.सु. विश्वविद्यालय, उदयपुर

3. मनोहर सिंह राजपूत, प्रधानाचार्य, राउमावि, धार, उदयपुर
4. आदर्श पालीवाल, प्रधानाध्यापक रामावि चैनपुरिया, चित्तौड़गढ़
5. दिनेश चंद्र बंसल, व्याख्याता, राउमावि, नाहरमगरा, उदयपुर
6. डॉ. पुनाराम, व. अ. राउमावि, भीमाना, सिरोही
7. सुखदेव चारण, प्रधानाचार्य, आदर्श वि.म.मा.वि, कालन्द्री, सिरोही
8. शैलेजा पुरावत, अध्यापिका, रामावि लोहागल, अजमेर

आवरण एवं सज्जा	–	डॉ. जगदीश कुमावत, व्याख्याता, एस. आई.ई.आर.टी., उदयपुर
चित्रांकन	–	निर्मल कुमार टेलर, उदयपुर
तकनीकी सहयोग	–	हेमन्त आमेटा, व्याख्याता, एस.आई.ई.आर.टी, उदयपुर अभिनव पण्ड्या, क.लि., एस.आई.ई.आर.टी, उदयपुर गोपाल लोहार, उदयपुर
कम्प्यूटर ग्राफिक्स	–	अविनाश कुमावत, शब्द संसार प्रकाशन, उदयपुर

शिक्षकों के लिए

राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर द्वारा सामाजिक विज्ञान शिक्षण हेतु तैयार की गई पाठ्यपुस्तक में उन सभी भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा ऐतिहासिक तथ्यों एवं घटनाओं का समावेश किया गया है, जिनकी वर्तमान में विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए महती आवश्यकता है। इससे बालक का सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन किया जा सकेगा।

पाठ्यपुस्तक को मुख्य रूप से तीन भागों में विभाजित किया गया है। भूगोल, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन तथा इतिहास। साथ ही शिक्षकों से अपेक्षा है कि अध्यायों को इकाई वार विभाजित कर क्रमानुसार सभी भागों को नियमित रूप से सम्मिलित करते हुए अध्ययन कार्य करावें। पाठ्यपुस्तक में सम्मिलित चित्रों, मानचित्रों, घटनाओं का भरपुर उपयोग करें, ताकि छात्रों की तार्किकता में वृद्धि हो सके। यथा संभव बालकों को शैक्षिक भ्रमण पर ले जावें और वहाँ की वस्तु स्थिति से अवगत करावें। भ्रमण के बाद विद्यालय में आकर समूह परिचर्चा करते हुए प्रतिवेदन तैयार करें।

अध्याय में दी गई गतिविधियों को करवाते हुए छात्रों का भरपूर सहयोग लें तथा उन्हें सीखने का अवसर प्रदान करें। बालकों को रटने की प्रवृति की जगह अपने विवेक का प्रयोग करते हुए आगे बढने के अवसर प्रदान करें। अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर भी वह अपने विवेकानुसार लिखने का प्रयास करें। छात्रों को ध्यान में रखते हुए बहुचयनात्मक, रिक्त स्थान पूर्ति, अतिलघुत्त्रात्मक, निबंधात्मक प्रश्नों का समावेश किया गया है।

पाठ्यपुस्तक में वीरपुरुषों एवं वीरांगनाओं की जीवनियों को भी बालक को केंद्र में रखते हुए सम्मिलित किया गया है, साथ ही सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन पद्धति को भी ध्यान में रखा गया है। अध्याय के अंत में शब्दावली दी गई है जिसमें अध्याय में आए कुछ कठिन शब्दों के सरल भाषा में अर्थ दिए गए हैं। शिक्षकों से आशा है कि विद्यार्थियों को इनसे अवगत करावें। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा के कारण पाठ्यपुस्तक में यथा स्थान स्थानीय उदाहरण एवं पर्याप्त गतिविधियाँ दी गई हैं। इससे विद्यार्थी को विषय की कठिन अवधारणाओं को समझने में आसानी रहेगी। अध्ययन–अध्यापन प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थी की समझ को विकसित करना। इसके लिए अध्याय के दौरान दी गई गतिविधियों एवं उदाहरणों के अतिरिक्त शिक्षक अपने विवेक से अन्य गतिविधियों को भी आयोजित करवा सकते हैं। विषयवस्तु को समझने हेतु अन्य स्थानीय उदाहरण भी दिए जा सकते हैं।

शिक्षकों से अपेक्षा है कि शिक्षण कार्य कराने से पूर्व पाठ्यपुस्तक के साथ अन्य संदर्भ पुस्तकों एवं पत्र–पत्रिकाओं का भी सहयोग लें, जिससे विद्यार्थियों को अद्यतन जानकारी दी जा सके। पाठ्यपुस्तक की विषय–वस्तु से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को पुस्तकालय की पुस्तकों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। शिक्षण के साथ–साथ छात्रों से प्रोजेक्ट कार्य भी करवाए जावें, यथा–चित्रों का संग्रह करना, मानचित्र बनाना एवं स्थानों को चिह्नित करना, महापुरुषों की जीवनियाँ लिखवाना, घटनाओं को तिथि क्रम के अनुसार लिखना आदि। इससे विद्यार्थियों में 'करके सीखने' की आदत बनेगी। इसी तरह वाद–विवाद प्रतियोगिताएँ, भाषण, एकांकी, परिचर्चा, क्विज, भ्रमण आदि विधाओं का प्रयोग करने से विद्यार्थियों का सीखना सरल, सुबोध एवं रूचिपूर्ण होगा। अध्याय में आई कुछ गतिविधियों में ऐसे कार्य भी हैं, जिन्हें विद्यार्थी अपने स्तर पर नहीं कर सकेंगे। ऐसी स्थिति में शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को मदद करने की अपेक्षा की गई है। विद्यार्थी परिवार एवं परिवेश से ज्यादा सीखता है अतः शिक्षक का दायित्व बनता है कि उसका विद्यार्थी के परिवार से निकट का संबंध रहे। इससे विद्यालय में कराए गए शिक्षण पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा।

अनुक्रमणिका

अध्याय सं.	अध्याय का नाम	पृष्ठ संख्या
	भाग–1 भूगोल	
1	हमारा भारत	02–11
2	राजस्थान : एक सामान्य परिचय	12–20
3	जल संसाधन	21–29
4	भूमि संसाधन और कृषि	30–36
5	खनिज और ऊर्जा संसाधन	37–45
6	औद्योगिक परिदृश्य	46–52
7	जनसंख्या	53–62
8	पर्यटन और परिवहन	63–71
	भाग–2 सामाजिक और राजनीतिक जीवन	
9	समकालीन भारतीय समाज	73–78
10	सामाजिक न्याय	79–84
11	विकास की अवधारणा	85–89
12	हमारा संविधान	90–94
13	हमारे मौलिक अधिकार एवं कर्त्तव्य	95–98
14	संघीय सरकार	99–107
15	कानून एवं भारतीय न्यायपालिका	108–116
16	राष्ट्रीय सुरक्षा	117–122
	भाग–3 इतिहास	
17	मुगल साम्राज्य का पतन एवं 18वीं सदी का भारत	124–128
18	1857 का स्वतंत्रता संग्राम	129–138
19	आधुनिक भारत में होने वाले वैचारिक परिवर्तन एवं समाज सुधार	139–145
20	भारत की अर्थव्यवस्था पर अंग्रेजी शासन का प्रभाव	146–151
21	ब्रिटिश कालीन भारतीय शासन व्यवस्था	152–156
22	राष्ट्रीय आंदोलन	157–167
23	आजादी के बाद का भारत	168–179
24	हमारे गौरव	180–188

सामाजिक विज्ञान

भाग–I

भूगोल

अध्याय 1

हमारा भारत

भारतीय उपमहाद्वीप

भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित एक अलग ही स्वतंत्र भौगोलिक प्रदेश के रूप में नज़र आता है। इसके उत्तर–पश्चिम में किर्थर, सुलेमान और हिन्दूकुश पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, जहाँ से उत्तर–पूर्व तक हिमालय पर्वत श्रृंखला विद्यमान है। उत्तर–पूर्व में आराकान योमा की पहाड़ियाँ जो पश्चिम म्यांमार में बंगाल की खाड़ी के तट के साथ–साथ दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए हिमालय से मिल जाती है। ये ऊँची और दुर्गम पर्वत श्रृंखलाएँ शेष एशिया से भारतीय उपमहाद्वीप को अलग करती हैं। दक्षिणी भारत एक प्रायद्वीप विस्तार है जिसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिन्द महासागर है। दक्षिण एशिया के इस प्रदेश की हर दिशा अभेद्य और दुर्गम्य होने से इस क्षेत्र को भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। ऐसा सतत् विस्तृत भू–भाग जो प्रायः चारों ओर से विशाल जलराशि से घिरा हो महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। जबकि महाद्वीप में ही स्थित ऐसा प्रदेश जो भौगोलिक, सांस्कृतिक या पर्यावरणीय दृष्टि से स्वतः पूर्ण हो, उपमहाद्वीप कहलाता है। नीचे दिये गए मानचित्र में भारतीय उपमहाद्वीप की पहचान कीजिए।

एशिया महाद्वीप में भारतीय उपमहाद्वीप की स्थिति

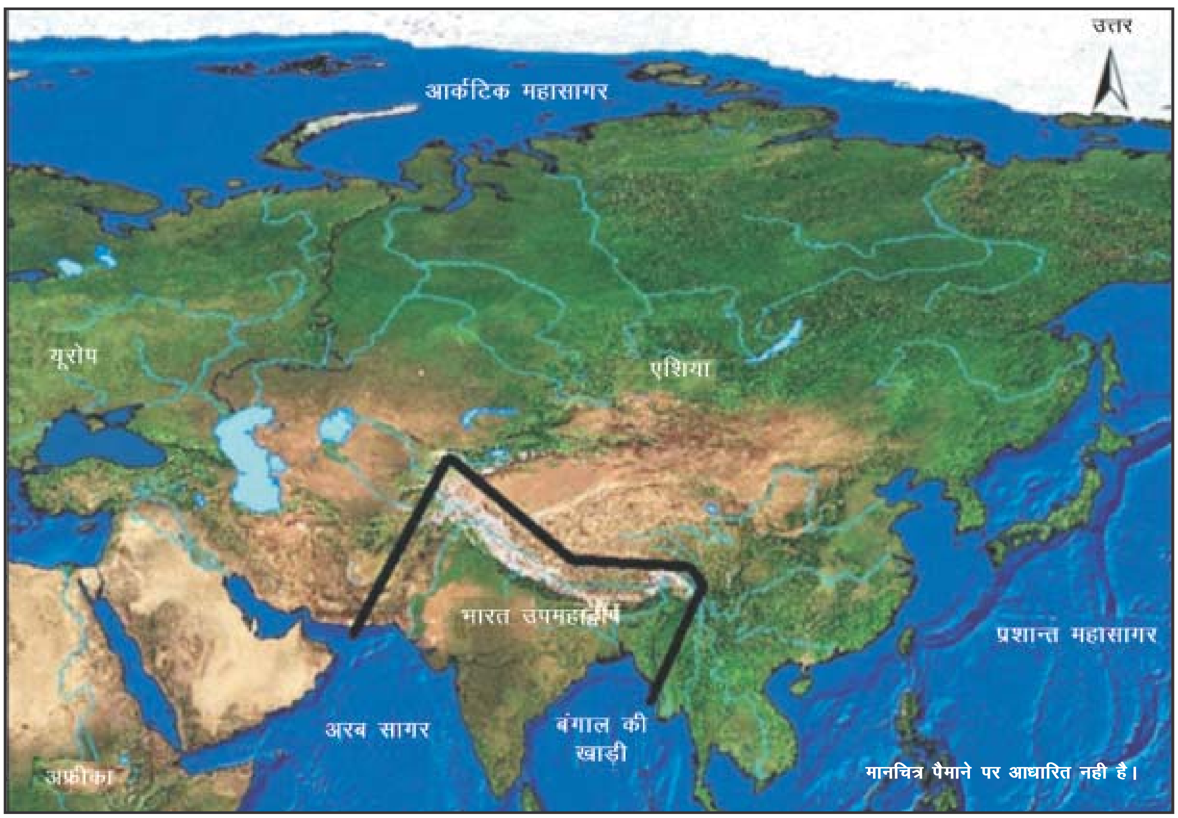

उपर्युक्त मानचित्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप भौगोलिक रुप से एशिया महाद्वीप का एक विशिष्ट प्रदेश है। इसकी भौगोलिक स्थिति और बनावट ने इसे एक विशिष्ट मानसूनी

जलवायु प्रदान की है। इस कारण से इसे 'मानसूनी प्रदेश' भी कहा जा सकता है।

उत्तर में हिमालय की ऊँची पर्वत श्रृंखलाएँ भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा कराने में सहायक है। साथ ही साईबेरिया से आने वाली ठंड़ी हवाओं से हमारी रक्षा करती हैं। हिमालय और हिंदुकुश पर्वत श्रृंखलाओं की अनुपस्थिति में भारतीय उपमहाद्वीप एक विस्तृत मरुस्थल होता। इन्हीं पर्वतों से निकलती नित्यवाही नदियों से गंगा–सिंधु और ब्रह्मपुत्र के विस्तृत मैदानों की रचना हुई हैं, जिनके आँचल में प्राचीन सिंधु और गंगा घाटियों की सभ्यताओं का विकास हुआ।

भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर–पश्चिम और उत्तर–पूर्व में ऊँची पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कई संकरी घाटियाँ या दर्रे मौजूद हैं। इन्हीं दर्रों के रास्ते से विभिन्न कालों में विदेशी मानव भारतीय उपमहाद्वीप पहुँचा। इनमें खैबर व बोलन प्रमुख दर्रे हैं। उत्तर में स्थित दर्रों से तिब्बत के रास्ते खुले। पूर्वोत्तर के दर्रों द्वारा म्यांमार के श्यान पठार से विदेशी मानव उत्तर–पूर्वी क्षेत्रों में आया और बाद में भारत के अन्य क्षेत्रों में फैल गया।

अलग–अलग समय में विभिन्न मानव समुदाय अपनी–अपनी संस्कृतियों के साथ भारतीय उपमहाद्वीप में आते रहे। कुछ अपने से पहले बसे समुदायों के साथ घुल–मिल गए और कुछ दूसरों ने अपनी पहचान अलग से बनाये रखी। अलग–अलग संस्कृतियाँ, बोलियाँ, धार्मिक विश्वास व काम करने के तरीकों का प्रभाव कालांतर में एक दूसरे पर पड़ता रहा। इस तरह भारतीय उपमहाद्वीप में संस्कृतियों के विकास के साथ जहाँ सांस्कृतिक अनेकता का सिलसिला बना, वहीं प्रभावशाली सभ्यताओं ने विभिन्न संस्कृतियों के बीच आदान–प्रदान के द्वारा इन्हें एक सूत्र में बाधंने का काम भी किया।

विश्व मानचित्र पर भारत की स्थिति

भारत विश्व में उत्तरी–पूर्वी गोलार्द्ध में स्थित है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8°4′ उत्तर से 37°6′ उत्तरी अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से पूर्व तक भारत का देशान्तरीय विस्तार 68°7′ पूर्व से 97°25′ पूर्वी देशान्तरों के बीच है। भारत का देशान्तरीय विस्तार लगभग 29° होने के कारण इसके पूर्व व पश्चिमी भाग के स्थानीय समय में लगभग दो घण्टों का अन्तर पड़ता है। आप जानते हैं कि 82°30′ पूर्वी देशान्तर रेखा से भारत का मानक समय माना जाता है जो इलाहाबाद के निकट से गुजरती है।

क्या आप जानते हैं?
जनसंख्या की दृष्टि से भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा बड़ा देश है। जहाँ विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.5 प्रतिशत (लगभग 121.01 करोड़) भाग पाया जाता है।

भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवाँ बडा देश है। हमारे देश का कुल क्षेत्रफल 32.9 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो सम्पूर्ण विश्व के स्थल भाग के 2.47 प्रतिशत भाग पर फैला है। भारत का विस्तार उत्तर में जम्मू–कश्मीर से दक्षिण में कन्याकुमारी (तमिलनाडु) तक 3214 किलोमीटर एवं पूर्व में अरूणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात तक 2933 किलोमीटर है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है जबकि गोवा सबसे छोटा राज्य है।

प्रशासनिक क्रियाकलापों को सुविधाजनक बनाने के लिए देश को 29 राज्यों एवं 7 केन्द्रशासित प्रदेशों में बाँटा गया है। दिल्ली भारत की राजधानी है। 2 जून 2014 को आन्ध्रप्रदेश का विभाजन कर 29 वाँ

आओ करके देखें–

उपर्युक्त भारत के मानचित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

1. भारत के रूपरेखा मानचित्र में सभी राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों सहित दर्शाइए।
2. अपने शिक्षक की सहायता से सभी राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों की राजधानी का पता लगाइए।
3. भारत के तटवर्ती क्षेत्र में स्थित राज्यों की पहचान कर उनकी सूची बनाइए।
4. भारत के पड़ौसी देशों की सूची बनाइए।

राज्य 'तेलंगाना' बनाया गया है। प्रशासनिक कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए राज्यों को पुनः जिलों में विभाजित किया गया है।

भारत के भौतिक प्रदेश

भारत एक विशाल देश होने के कारण इसमें अनेक भौतिक विविधताएँ विद्यमान हैं। कहीं ऊँचे पर्वत तो कहीं समतल मैदान, कहीं असमान पठार तो कहीं तटीय मैदान, कहीं मरुस्थल तो कहीं द्वीप समूह स्थित हैं। अतः भारत को छः प्रमुख भौतिक प्रदेशों में बाँटा जा सकता है, जो निम्नलिखित हैं–

1. उत्तरी और उत्तरी–पूर्वी पर्वतीय प्रदेश (हिमालय पर्वत)
2. गंगा का मैदानी प्रदेश
3. दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार
4. तटीय मैदान
5. थार का मरूस्थल
6. द्वीप समूह

इनमें से तटीय मैदानों का अध्ययन हमनें कक्षा 7 के अध्याय–7 'विभिन्न परिवेशों में मानव जीवन' में किया है तथा थार के मरुस्थल का अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। आइए! अन्य प्रदशों का अध्ययन हम इस अध्याय में करते हैं।

उत्तरी और उत्तरी–पूर्वी पर्वतीय प्रदेश– भारत के उत्तर और उत्तरी–पूर्वी भाग में लगभग 2500 किलोमीटर लम्बी हिमालय पर्वत श्रृंखला स्थित है। यह विश्व की सबसे ऊँची व नवीन पर्वत श्रृंखला है। विश्व का सबसे ऊँचा पर्वत शिखर भी यहीं स्थित है। ऊँचाई के कारण इसका अधिकांश भाग बर्फ से ढका रहता है। इसलिए इसे हिमालय (हिम+आलय अर्थात् बर्फ का घर) कहा जाता है। हिमालय पर्वत दक्षिण से उत्तर की ओर क्रमशः तीन समानांतर श्रेणियों शिवालिक, मध्य हिमालय या हिमाचल और सबसे उत्तर में हिमाद्री या वृहत हिमालय में बँटा हुआ है। उत्तर–पश्चिम से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत हिमालय की श्रेणियाँ दक्षिण दिशा में मुड़कर पूर्वोत्तर की असम–म्यांमार पर्वत श्रेणी की पटकोई और नागा पहाड़ियों में मिल जाती हैं।

> **क्या आप जानते हैं?**
> हिमालय में तिब्बत व नेपाल की सीमा पर स्थित माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊँची पर्वत चोटी है जिसकी ऊँचाई औसत समुद्र तल से 8848 मीटर है।

हमारे देश में कृषि और अन्य आवश्यकताओं हेतु सतत् जलापूर्ति के लिए इन पर्वत श्रेणियों का महत्वपूर्ण योगदान है। हिमालय और पूर्वोत्तर पर्वत श्रृंखलाओं की स्थिति और बनावट हिन्द महासागर से आने वाली आर्द्र मानसूनी पवनों को रोक कर भारत में वर्षा कराने में सहायक है। भारत के अधिकांश भू–भाग पर मानसूनी पवनों से वर्षा होती है। इन पर्वतीय प्रदेशों में उत्तर और पूर्वोत्तर भारत की सभी सदानीर नदियों का उद्गम स्थल है। जल संसाधन से संपन्न ये पर्वतीय प्रदेश कई बहुउद्देशीय नदी–घाटी परियोजनाओं के जनक हैं, जिनसे बिजली, सिंचाई और सघन जनसंख्या वाले शहरों के लिए जल का प्रबंधन होता है। यहाँ की वन सम्पदा अभूतपूर्व जैविक विविधता संजोये हुए है। इनकी ढलानों पर चाय और फलों के विस्तृत बागान हैं तो निम्न घाटियों में फूलों और सब्जियों के खेत हैं। यहाँ पाई जाने वाली ज़ड़ी-बूटियों की मांग समस्त

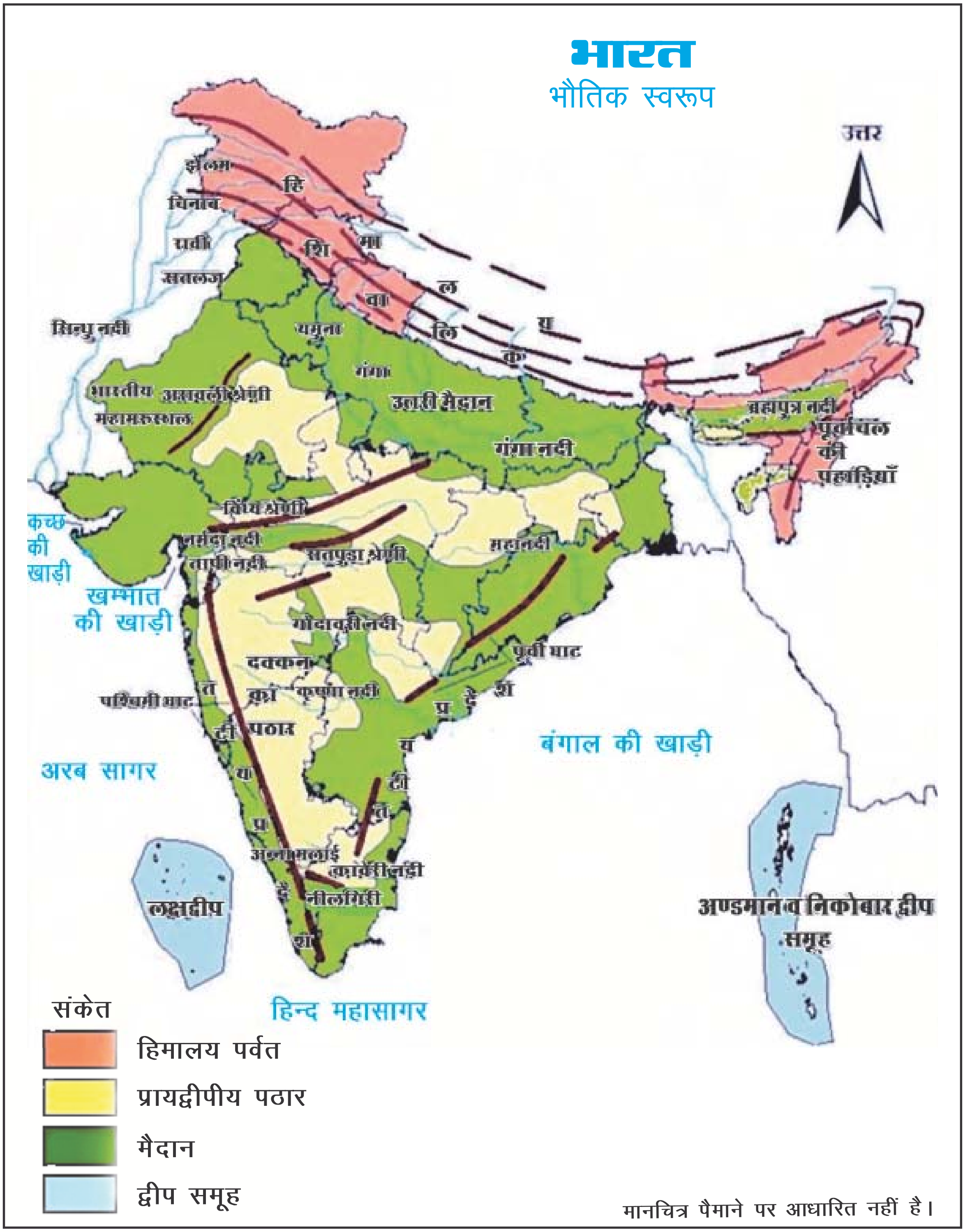

विश्व में है। पर्यटन के प्रमुख केंद्र यहाँ स्थित हैं। इस क्षेत्र के निवासियों की आजीविका यहाँ की जल और वन संपदाओं पर निर्भर है।

इन प्रदेशों में वनों की अंधाधुंध कटाई और अन्य संसाधनों के अतिदोहन के कारण यहाँ भू—स्खलन, मृदा का तीव्र अपरदन आदि से पारिस्थितिकी तन्त्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। प्राकृतिक और मानवीय सम्पदाओं से संपन्न ये प्रदेश अनियोजित और विचारहीन मानवीय क्रियाकलापों के कारण विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक और पर्यावरणीय अवनयन से ग्रसित हैं।

आओ करके देखें—

अपने शिक्षक की सहायता से भारत के भौतिक मानचित्र में देखकर क्रमशः दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय की श्रेणियों को पहचानिए और इन श्रेणियों में से सबसे दक्षिण एवं सबसे उत्तर में स्थित श्रेणियों के नाम लिखिए।

गंगा का मैदानी प्रदेश—हिमालय के समानान्तर दक्षिण में उत्तर का विशाल मैदानी प्रदेश स्थित है। यह गंगा— सतलज व ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों के द्वारा हिमालय से बहाकर लाई गई मिट्टी से बना है। नवीन जलोढ़ मिट्टी के कारण यह भारत का सबसे उपजाऊ भू—भाग है। भारत में सर्वाधिक कृषि इसी मैदान में की जाती है। इसे भारत का 'अन्न भंडार' भी कहा जा सकता है। इस मैदान में स्थित अपेक्षाकृत ऊँचे भाग जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है वहाँ पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, उसे 'बांगर' कहा जाता है। इसके उदाहरण मुख्यतः मैदान के पश्चिमी हिस्से में देखें जा सकते हैं। इसके विपरित ऐसे नीचले भाग जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुँच कर नवीन जलोढ़ मिट्टी बिछाता है, उसे 'खादर' कहा जाता है। इसके उदाहरण मुख्यतः मैदान के पूर्वी हिस्से में हैं। हिमालय के पर्वतपदीय क्षेत्र में कंकड़ पत्थर से निर्मित पतले मैदानों को 'भाबर' एवं दलदली मैदानों को 'तराई' कहा जाता है।

प्राचीन काल में विभिन्न नदी—घाटी सभ्यताओं की उत्पत्ति और विकास इन्हीं मैदानों में हुआ है। समतल, उपजाऊ मिट्टी, अनुकूल और पर्याप्त वृष्टि के कारण भारत की सर्वाधिक जनसंख्या इन मैदानी भागों में रहती है। इस मैदानी भू—भाग में परिवहन व उद्योगों का काफी विकास हुआ है।

दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार—गंगा के मैदान के दक्षिण में त्रिभुजाकार आकृति में दक्षिण का पठार स्थित है जिसे भारत का प्रायद्वीपीय पठार भी कहते हैं। इसकी उत्तरी सीमा पर विन्ध्य पर्वत श्रेणी, उत्तर—पश्चिम में अरावली, पश्चिम में पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ, (सह्याद्री) स्थित हैं। पूर्व में पूर्वी घाट की पहाड़ियों के अपरदित अवशेष हैं। दक्षिण में नीलगिरी और अन्नामलाई पर्वत स्थित हैं। पथरीले व उबड—खाबड़ धरातल वाले इस क्षेत्र में कई छोटे पठार जैसे दक्कन और छोटानागपुर के पठार व पर्वत स्थित हैं। भारत की अधिकांश खनिज सम्पदा इसी पठार में पाई जाती है। दक्कन के लावा पठार की उपजाऊ मिट्टी हमारे देश में कपास के उत्पादन के लिए महत्त्वपूर्ण है।

क्या आप जानते हैं?

दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे बडा, सबसे प्राचीन व सबसे कठोर भौतिक प्रदेश है। विश्व की सबसे पुरानी अरावली पर्वत श्रृंखला इसी पठार का हिस्सा है।

प्रायद्वीप भारत के तटीय इलाकों में दक्षिणी पठारी प्रदेश के दोनों ओर तटीय मैदान स्थित हैं। जिनका निर्माण यहाँ की विभिन्न पर्वत श्रेणियों से निकली नदियों और समुद्री क्रियाओं द्वारा हुआ है। इस क्षेत्र की महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और नर्मदा आदि नदियों ने लगातार अपरदन और निक्षेपण क्रियाओं

द्वारा अपनी घाटियों में विस्तृत मैदानों का निर्माण किया है।

पठार के आंतरिक क्षेत्रों में वर्षा की कमी और अनियमितता के कारण कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। फ़िर भी जल संचयन की पारंपरिक पद्धति, सिंचाई के साधनों के विकास तथा शुष्क कृषि के वैज्ञानिक तकनीक में विस्तार के कारण यहाँ कृषि की वर्षा पर निर्भरता धीरे–धीरे समाप्त हो रही है। फलस्वरूप कृषि उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई है।

प्रदेश के कुछ इलाकों में घनी वन संपदा है। रबड़, चाय, कॉफी के बागान के अलावा यह प्रदेश मसालों के लिये मशहूर है। मध्यकाल से ही भारत के प्रचुर मात्रा में उपलब्ध मसालों ने पश्चिमी एशिया और यूरोप के व्यापारियों को आकर्षित किया है। देश की अधिकतर जनजातीय आबादी विन्ध्यांचल, सतपुड़ा, मैकाल, छोटानागपुर और सह्याद्री की पहाड़ियों तथा वनों में रहती है।

आओ करके देखें–

भारत के गंगा के मैदान एवं प्रायद्वीपीय पठार में स्थित राज्यों की पहचान कर उनकी सूची बनाइए।

द्वीप समूह–अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी में भारत के द्वीप समूह स्थित है। बंगाल की खाडी में स्थित 247 द्वीपों का समूह अंडमान एवं निकोबार कहलाता है। उत्तरी द्वीपों के समूह को अंडमान एवं दक्षिणी द्वीपों के समूह को निकोबार कहा जाता है। अंडमान के बैरन द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। निकोबार में स्थित इंदिरा पॉइन्ट भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप है। अरब सागर में स्थित 36 द्वीपों के समूह को लक्षद्वीप कहते हैं। लक्षद्वीप का अर्थ है एक लाख द्वीप। पर्यटन की दृष्टि से ये द्वीप बहुत प्रसिद्ध हैं।

सांस्कृतिक परिदृश्य

कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक भारत एक अनूठा और विविधताओं से भरा देश है। मानव के जीवन जीने के ढंग को संस्कृति कहा जाता है। सभ्यता मनुष्य के भौतिक क्षेत्र की प्रगति का सूचक है, जबकि संस्कृति मानसिक क्षेत्र की प्रगति का द्योतक। अर्थात् हमारे रहन–सहन, सोच–विचार, पहनावा, खान–पान, नृत्य–संगीत, धार्मिक विश्वास, दर्शन, भाषा एवं साहित्य आदि का मिला–जुला तानाबाना ही संस्कृति है। यह सांस्कृतिक विविधता ही हमारी विरासत है।

भाषा

भारत में 2001 की जनगणना के अनुसार 122 भाषाएँ और 234 मातृभाषाएँ हैं। इनमें से 22 भाषाओं को संवैधानिक दृष्टि से अनुसूचित भाषाओं का दर्ज़ा दिया गया है। प्रायः ये भाषाएँ देश के विभिन्न प्रान्तों और समुदायों की प्रमुख भाषा हैं। मातृभाषा वह भाषा है जिसका उपयोग व्यक्ति की माँ ने व्यक्ति के बचपन में बात करने के लिए किया है।

हमारे देश के अलग–अलग प्रदेशों में अलग–अलग भाषाएँ बोली जाती हैं। जैसे पंजाब में पंजाबी, ओडिशा में उड़िया, तमिलनाडु में तमिल, महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती आदि। कई भाषाएँ बहुत छोटे समुदायों द्वारा बोली जाती हैं। देश में भाषाई विविधता को देखते हुए आज़ादी के बाद अधिकतर राज्यों

भारत

भाषाओं में विविधता

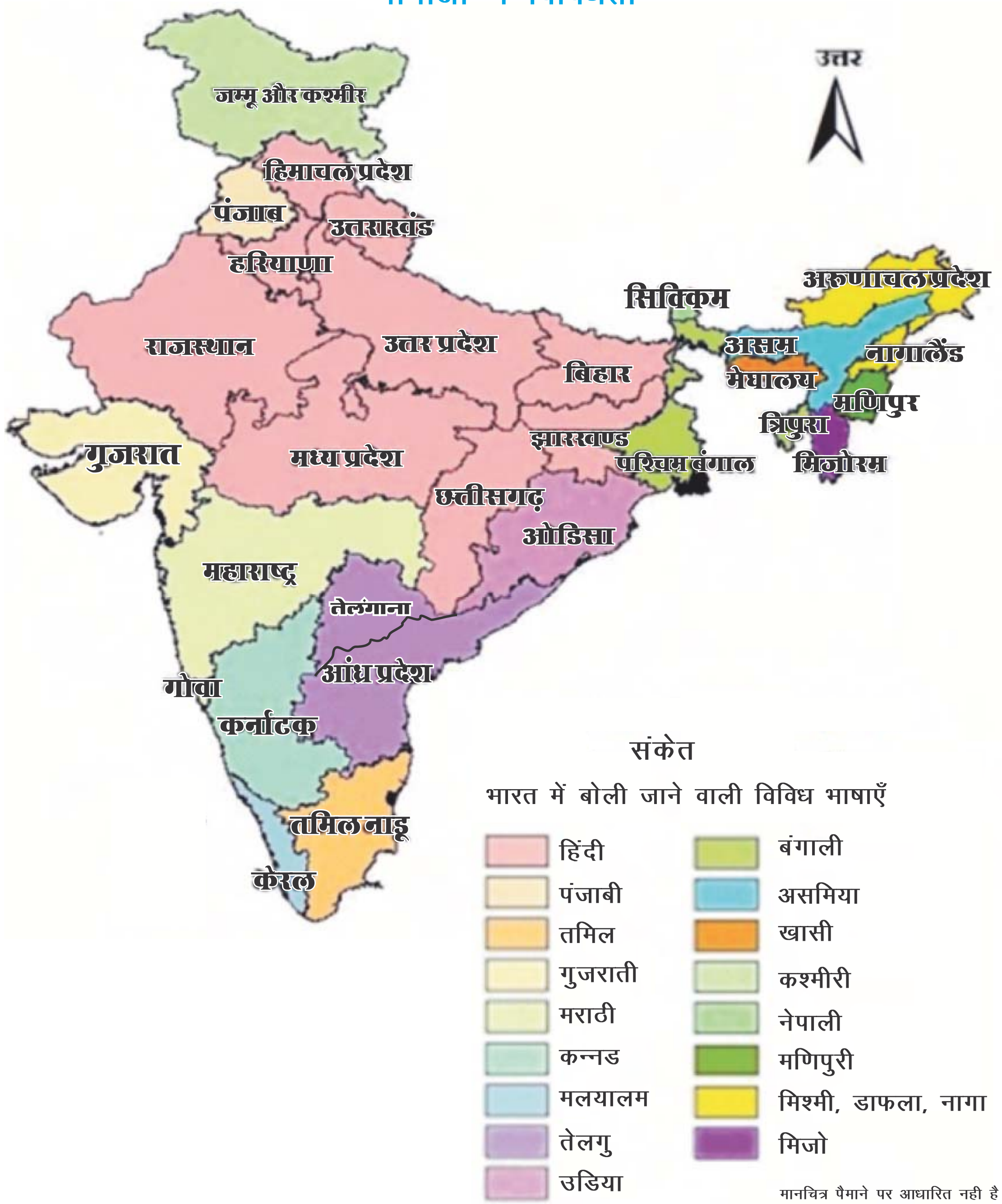

आओ करके देखें–

उपर्युक्त भारत के मानचित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

1. कौनसी भाषा सर्वाधिक राज्यों में बोली जाती है? राज्यों के नाम लिखिए।
2. भारत में बोली जाने वाली भाषाओं की राज्य के अनुसार सूची बनाइए।

को भाषा के आधार पर पुनर्गठित किया गया ताकि हर राज्य अधिकारिक रुप से प्रदेश की आम जनता की भाषा में सरकारी काम–काज कर सकें।

धर्म

भारत में विश्व के प्रायः सभी धर्म और धार्मिक सम्प्रदायों के अनुयायी रहते हैं। इनमें प्रमुख हिंदू (78.8%), मुसलमान (14.2%), ईसाई (2.3%), सिक्ख(1.7%), बौद्ध (0.7%) और जैन (0.4%) हैं। हिंदू, जैन और सिक्ख धर्मों के अनुयायी मुख्यतः भारत में ही निवास करते हैं। विश्व की कुल मुसलमान आबादी का एक बड़ा भाग भारत में रहता है। भारत कई धर्मों का जन्म स्थल भी है जैसे हिंदू, बौद्ध, जैन, सिक्ख आदि। विभिन्न धर्मावलंबियों की उपस्थिति भारत की सांस्कृतिक विविधता को समृद्ध बना देती है।

जनजाति समूह

आदिकाल से जब विभिन्न मानव समुदाय भारतीय उपमहाद्वीप में पहुँचे और धीरे–धीरे समस्त भारत में विसरित हुए तब भारत के विस्तृत और विविध भौगोलिक परिस्थितियों और ऐतिहासिक घटनाक्रमों के कारण कुछ समुदाय दुर्गम स्थानों में जाकर बस गए। ये दुर्गम स्थान पहाड़ और जंगल में स्थित थे। कालांतर में प्राकृतिक दुर्गम्यता के कारण उन पर नदी–घाटियों में विकसित हो रही सभ्यताओं का आंशिक प्रभाव पड़ा। इसके कारण सामाजिक विकास की प्रक्रिया में वे मैदान में बसे कृषक और नगरीय समाज के मुकाबले पिछड़ गए। ऐसे समुदाय जो दुर्गम इलाकों में रहते हैं उन्हें भारत में जनजाति कहते हैं। गोंड, भील, संथाल, ओरांव, सहरिया, नागा, मिरी, आदी, डाफला आदि कई जनजातीय समूह पश्चिम में गुजरात और राजस्थान से लेकर पूर्व में पश्चिमी बंगाल तक तथा पूर्वोत्तर राज्यों में रहते हैं। मैदानी क्षेत्रों में इनकी उपस्थिति नगण्य है। सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से यह देश का सबसे कमज़ोर समुदाय है।

विविधता में एकता

भारत में अनेक सांस्कृतिक विविधताएँ हैं, फिर भी ज़रुरत इस बात की है कि हम चाहे किसी भी मजहब, भाषा, जाति या समुदाय के हों, दूसरों की संस्कृति का सम्मान करें। भारत में इतनी अधिक भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विविधताएँ होने के बावजूद भी यह एकता के सूत्र में पिरोया हुआ है। इसीलिए कहा जाता है कि 'अनेकता में एकता, भारत की विशेषता'।

शब्दावली

प्रदेश	–	समान विशेषताओं वाले विस्तृत क्षेत्र।
दुर्गम्यता	–	जहाँ आसानी से जाया ना जा सके।
धर्मावलंबी	–	किसी धर्म विशेष को मानने वाला।
आजीविका	–	जीवन निर्वाह के लिए किया गया कार्य।
बहुउद्देशीय	–	अनेक उद्देश्यों को पूरा करने वाला।

अभ्यास प्रश्न

1. **सही विकल्प को चुनिए–**

   (i) **निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती है–**

   (क) नेपाल **(ख) भूटान**

   (ग) इरान **(घ) म्यांमार** ( )

   (ii) जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है–

   (क) चीन (ख) भारत (ग) अमेरिका (घ) जापान ( )

2. रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए–

   अ. भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से .... बड़ा देश है।

   ब. सन् 2014 में आन्ध्रप्रदेश का विभाजन कर 29 वाँ राज्य .... बनाया गया है।

   स. अरब सागर में 36 द्वीपों के समूह को .... कहते हैं।

   द. हिमालय विश्व की सबसे ऊँची एवं .... पर्वत श्रृंखला है।

3. भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? कारण बताइए।
4. नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय क्यों कहा जाता है?
5. भारत की जलवायु पर हिमालय के प्रभाव बताइए।
6. भारत के प्रमुख धर्म कौन–कौन से हैं? सूची बनाइए।
7. भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बाँटा गया है? उनकी विशेषताएँ बताइए।
8. भारत को अनेकताओं में एकता वाला देश क्यों कहा जाता है? समझाइए।

अध्याय 2
राजस्थान : एक सामान्य परिचय

हमने पिछले अध्याय में हमारे देश भारत के बारे में पढ़ा। भारत के उत्तरी–पश्चिमी भाग में हमारा राज्य राजस्थान स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में भौतिक प्रदेश कितने हैं? जिलों की संख्या कितनी है? यहाँ की जलवायु कैसी है? आइए हमारे राज्य से सम्बंधित इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस अध्याय में खोजते हैं।

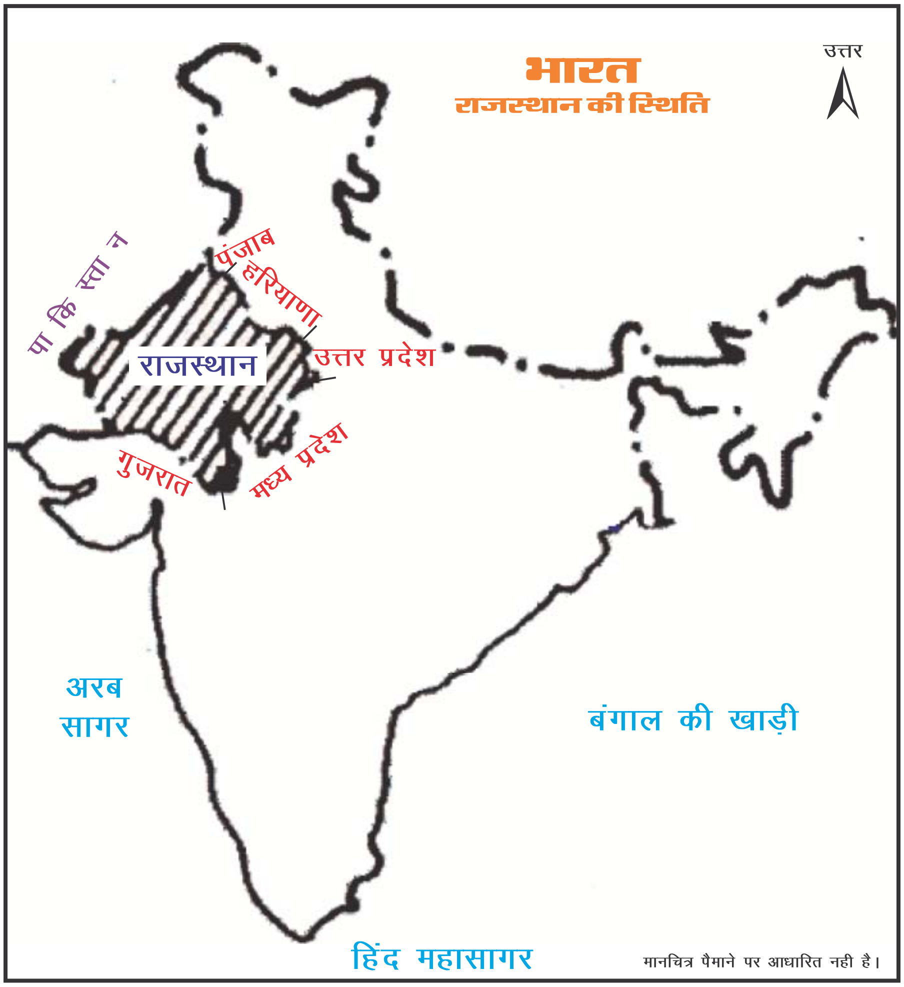

आओ करके देखें–

भारत के उपर्युक्त मानचित्र को देखकर पता लगाइए कि–

1. राजस्थान की सीमा किस एकमात्र देश से मिलती है?
2. राजस्थान के पड़ौसी राज्यों के नाम बताइए –

क. उत्तर में .... ख. पूर्व में ....

ग. दक्षिण–पूर्व में .... घ. दक्षिण में ....

राजस्थान

राजनीतिक मानचित्र

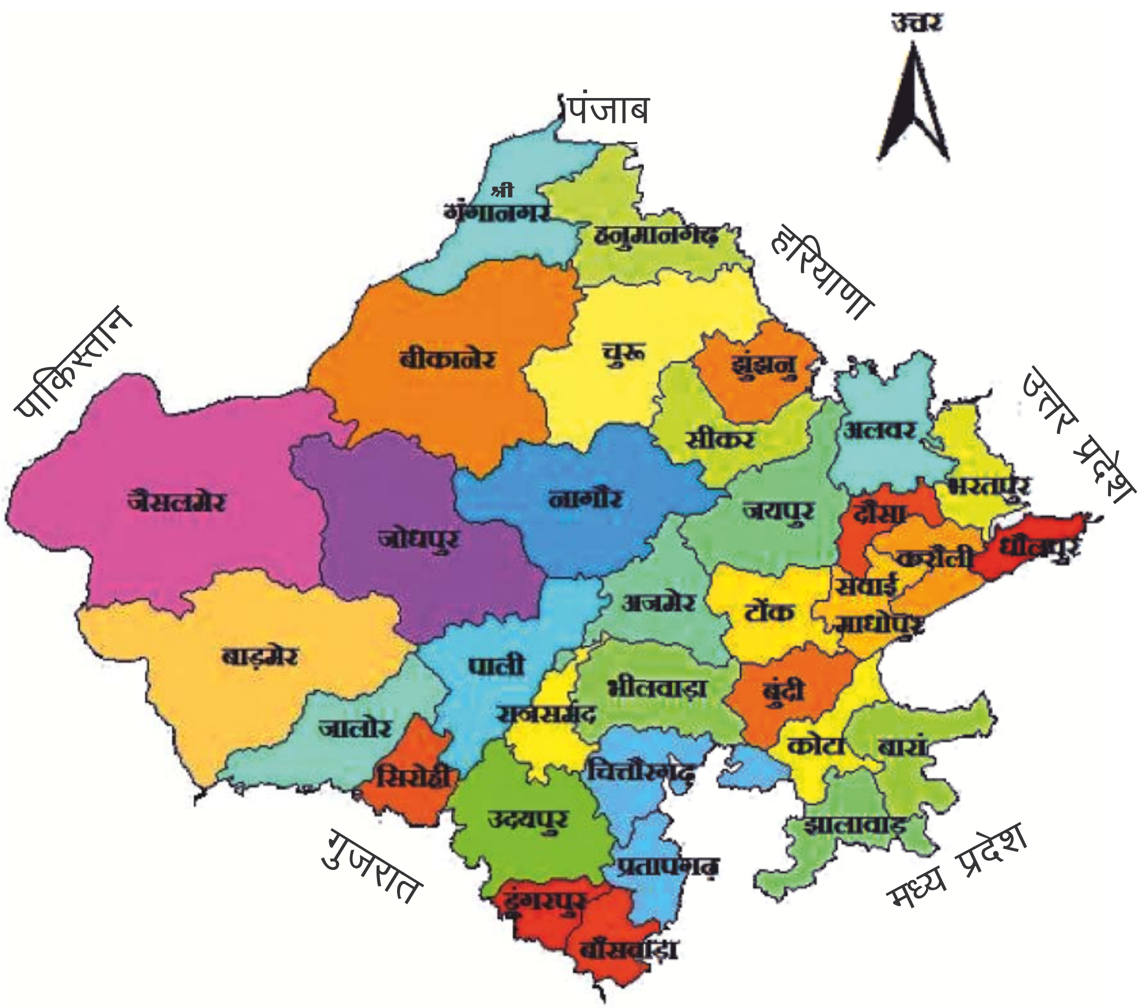

मानचित्र पैमाने पर आधारित नहीं है।

आओ करके देखें–

राजस्थान के उपर्युक्त मानचित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए–

1. राजस्थान के सभी जिलों की सूची बनाइए।
2. राजस्थान के सबसे उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी व पश्चिमी जिलों के नाम लिखिए।
3. राजस्थान के कौन–कौन से जिले पाकिस्तान की सीमा पर स्थित हैं?
4. राजस्थान के पड़ौसी राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिलों की पहचान कीजिए।

वर्तमान राजस्थान स्वतंत्रता से पूर्व 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केन्द्र शासित प्रदेश में विभक्त था। सन् 1948 से 1956 तक राज्य की तत्कालीन सभी रियासतों, ठिकानों एवं केन्द्र शासित प्रदेश का एकीकरण कर आज के राजस्थान राज्य का निर्माण किया गया। इसके विषय में विस्तार से आप इतिहास के अध्यायों में पढ़ेंगे।

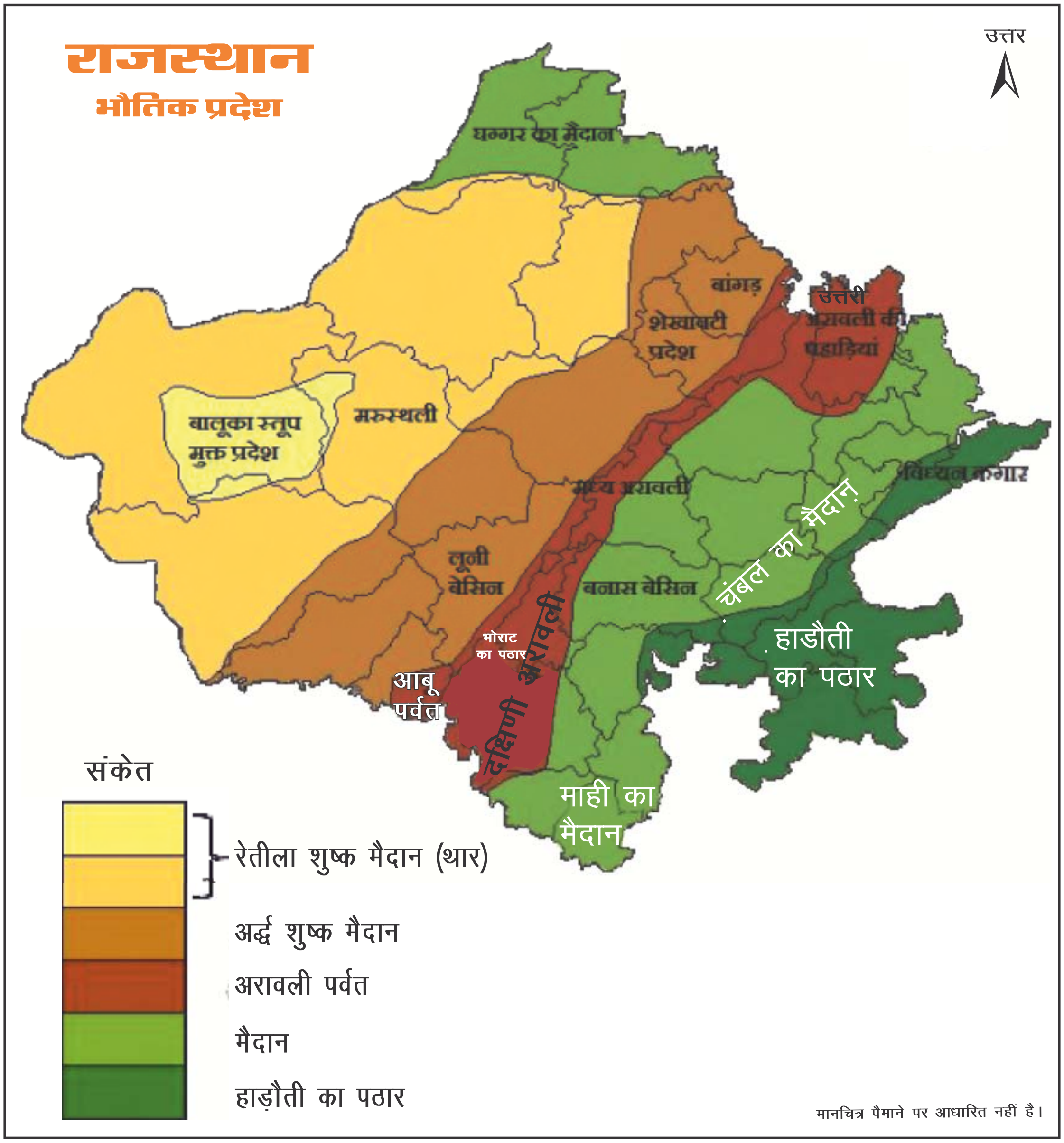

भौतिक स्वरूप

हमारा राज्य देश के एक विस्तृत भू–भाग पर फैला है। राजस्थान का भौतिक स्वरूप अत्यंत विविधता युक्त है। राज्य में स्थित अरावली पर्वत विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है तो वहीं दूसरी ओर उत्तरी–पूर्वी भाग में स्थित चंबल नदी द्वारा निर्मित मैदान नवीनतम भू–भाग है। भू–संरचना के आधार पर

राजस्थान को चार भौतिक भागों में बाँटा जा सकता है, जो निम्न प्रकार से हैं–

थार का मरुस्थल– भारत के पश्चिम में पाकिस्तान की सीमा से लेकर मध्य राजस्थान में अरावली तक राजस्थान के पश्चिमी भाग में विशाल थार का मरुस्थल स्थित है। यह राज्य के 12 जिलों में लगभग 61 प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है। यहाँ राजस्थान की लगभग 40 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। इसका ढाल पश्चिम में पाकिस्तान की ओर है। यह मरुस्थल विश्व के सभी मरुस्थलों की तुलना में अधिक जन घनत्व, पशु घनत्व, वर्षा, खनिज विविधता, वनस्पति, कृषि, सिंचाई के साधन, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है इसलिए इसे विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कहा जाता है।

बाड़मेर, जैसलमेर एवं बीकानेर में स्थित मरुस्थलीय भाग को भारतीय महामरुस्थल (Great Indian Desert) कहा जाता है। इस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी एवं रेत के टीले पाये जाते हैं जो हवा के साथ अपना स्थान बदल देते हैं। इन टीलों को 'बालुका स्तूप' या स्थानीय भाषा में 'धोरे' कहते हैं। यहाँ मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है, जिनकी लम्बाई कम, पत्तियाँ छोटी एवं मोटी, तना छोटा, जड़े गहरी होती हैं। प्रमुख वृक्षों में रोहिडा, (इसका फूल राजस्थान का राज्य पुष्प है) खेजड़ी, (राजस्थान का राज्य वृक्ष है) पीलू आदि हैं। कैर, आक, थोर, लाणा, फोग, आरणा आदि प्रमुख झाड़ियाँ हैं तथा सेवण, धामण, करड़ आदि प्रमुख घासें हैं। थार के मरुस्थल का अधिकांश भूमिगत जल खारा है। इंदिरा गांधी नहर से सतलज नदी के पानी को यहाँ पहुंचा कर क्षेत्र में जल संकट को दूर करने का प्रयास किया गया है।

अरावली पर्वत–राजस्थान के मध्य भाग में दक्षिण–पश्चिम से उत्तर–पूर्व दिशा में राज्य के लगभग 9 प्रतिशत भाग पर अरावली पर्वत फैला है। यह विश्व के सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है, जो दक्षिण में गुजरात के खेडब्रह्मा से उत्तर में दिल्ली तक 692 किलोमीटर लंबा है। अरावली पर्वत राजस्थान को दो प्रमुख भागों में विभाजित करता है–पूर्वी व पश्चिमी राजस्थान। अरावली क्षेत्र ही राजस्थान का सबसे ऊँचा क्षेत्र है।

राज्य के खनिज संसाधन, मरुस्थल के पूर्व की ओर प्रसार को रोकना, अधिकांश नदियों का उद्गम स्थान, सर्वाधिक वनस्पति और अधिकांश वन्य जीव एवं जड़ी–बूटियों की उपस्थिति, मानसून को रोककर पूर्वी एवं दक्षिणी राजस्थान में वर्षा करवाना आदि कारणों से अरावली को राजस्थान की 'जीवन रेखा' कहा जाता है। राजस्थान में अरावली पर्वत की सबसे ऊँची पर्वत चोटी गुरुशिखर (1722 मीटर) है जो सिरोही जिले में स्थित है।

पूर्वी मैदान–राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग चंबल, बनास, बाणगंगा एवं उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है, जो विस्तृत रूप में गंगा के मैदान का ही हिस्सा है। राज्य के लगभग 23 प्रतिशत भाग पर फैले इस मैदान का चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र नाली अपरदन के कारण अत्यधिक उबड़–खाबड़ हो गया है, जिसे चंबल के बीहड़ या डांग या उत्खात भूमि (Bad Land Topography) के नाम से जाना जाता है। ये बीहड़ चंबल नदी के सहारे कोटा से धौलपुर तक विस्तृत है। राजस्थान के सबसे उपजाऊ एवं सर्वाधिक जनघनत्व वाले इस क्षेत्र में राजस्थान की लगभग 40 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है।

राजस्थान के दक्षिणी भाग में बाँसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिलों में माही और सहायक नदियों द्वारा निर्मित कुछ भाग मैदानी हैं जिसे माही का मैदान कहा जाता है। इस मैदानी क्षेत्र में छप्पन गावों एवं छप्पन नदी–नालों का समूह है जिसे 'छप्पन का मैदान' कहा जाता है।

दक्षिणी–पूर्वी पठार या हाडौती का पठार–राजस्थान के दक्षिणी–पूर्वी भाग को प्राचीन काल में हाड़ा वंशी शासकों का क्षेत्र होने के कारण हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। राज्य के लगभग 7 प्रतिशत भाग फैले इस पठारी क्षेत्र की अधिकांश मिट्टी लावा निर्मित मध्यम काली है, जो काफी उपजाऊ मिट्टी है। राजस्थान के अन्य पठारों में उड़िया, आबू, भोराट, मेसा, उपरमाल और लसाड़िया का पठार आदि हैं।

आओ करके देखें–

राजस्थान के मानचित्र को देखकर भौतिक प्रदेशों तथा उनमें स्थित प्रमुख जिलों के नाम लिखिए–

भौतिक प्रदेश का नाम	उसमें स्थित प्रमुख जिलों के नाम
1..	....
2..	....
3..	....
4..	....

जलवायु व ऋतु चक्र

राजस्थान की जलवायु पर भारत की मानसूनी जलवायु का स्पष्ट प्रभाव है। प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति और भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर–पश्चिमी स्थिति, समुद्र से दूरी, अरावली पर्वत की स्थिति और प्रदेश के विस्तार के कारण राजस्थान देश का एकमात्र प्रदेश है जहाँ पाँच प्रकार की जलवायु परिस्थितियाँ पायी जाती हैं। जहाँ राज्य के पश्चिम में लगभग 61 प्रतिशत भाग में शुष्क और अर्द्धशुष्क मरूस्थलीय जलवायु हैं, वहीं अरावली के पूर्व में जयपुर एवं उत्तरी–पूर्वी जिलों में उपआर्द्र जलवायु, सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक आर्द्र जलवायु एवं दक्षिण में बांसवाड़ा व दक्षिण–पूर्व के झालावाड़ जिलों में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है।

राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा लगभग 57.51 सेमी. है, जबकि प्रदेश के मरुस्थलीय क्षेत्र में यह 50 से.मी. से भी कम है। जलवायु की औसत अवस्थाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राजस्थान भारत के अन्य प्रदेशों की तुलना में अधिक शुष्क है।

राजस्थान में वर्षभर मुख्यतः तीन ऋतुएँ ग्रीष्म ऋतु (मार्च से जून), वर्षा ऋतु (जुलाई से सितम्बर) और शीत ऋतु (अक्टूबर से फरवरी) तक होती है।

ग्रीष्म ऋतु–इस ऋतु में तापमान सामान्यतः 30 से 40 डिग्री सेण्टीग्रेड के ऊपर रहता है। पश्चिमी राजस्थान में विशेषकर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, चूरू, आदि जिलों में 40 से 45 डिग्री सेण्टीग्रेड तक तापमान हो जाता है। थार मरुस्थल भारत का अत्यधिक गर्म प्रदेश है, जिसका कारण है

क्या आप जानते है?

राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूलभरी पवनों को 'लू' कहा जाता है। कभी–कभी इनकी गति 140 किमी. प्रति घंटा तक हो जाती है।

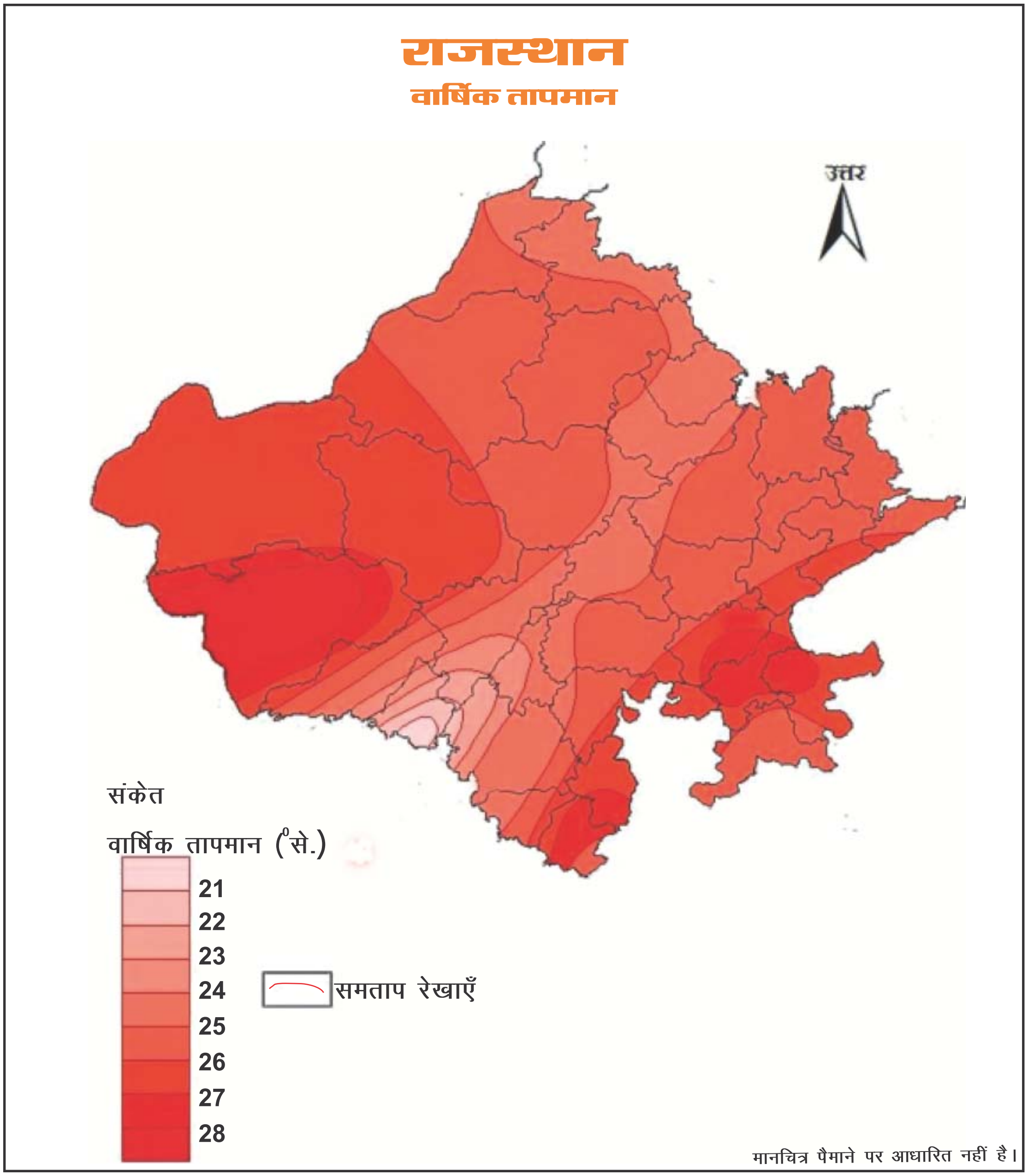

रेत। क्योंकि रेत जल्दी गर्म होती है एवं जल्दी ठण्डी होती है। अतः मरुस्थल में इस ऋतु में दिन का तापमान बहुत बढ़ जाता है और रात में कम हो जाता है। जिससे दैनिक एवं वार्षिक तापान्तर भी अधिक रहता है। इस ऋतु में राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू रहता है क्योंकि इसकी ऊँचाई अधिक है।

वर्षा ऋतु– राजस्थान की 90 से 95 प्रतिशत तक वर्षा इस ऋतु में होती है, जो मानसूनी पवनों से जुलाई से सितम्बर के मध्य होती है। यहाँ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं के मानसून से वर्षा होती है। लेकिन बंगाल की खाडी के मानसून से राजस्थान में अधिक वर्षा होती है जो अधिकांशतः पूर्वी राजस्थान में होती है। अरब सागर के मानसून से अधिकांश वर्षा दक्षिणी राजस्थान में होती है। सर्वाधिक वर्षा

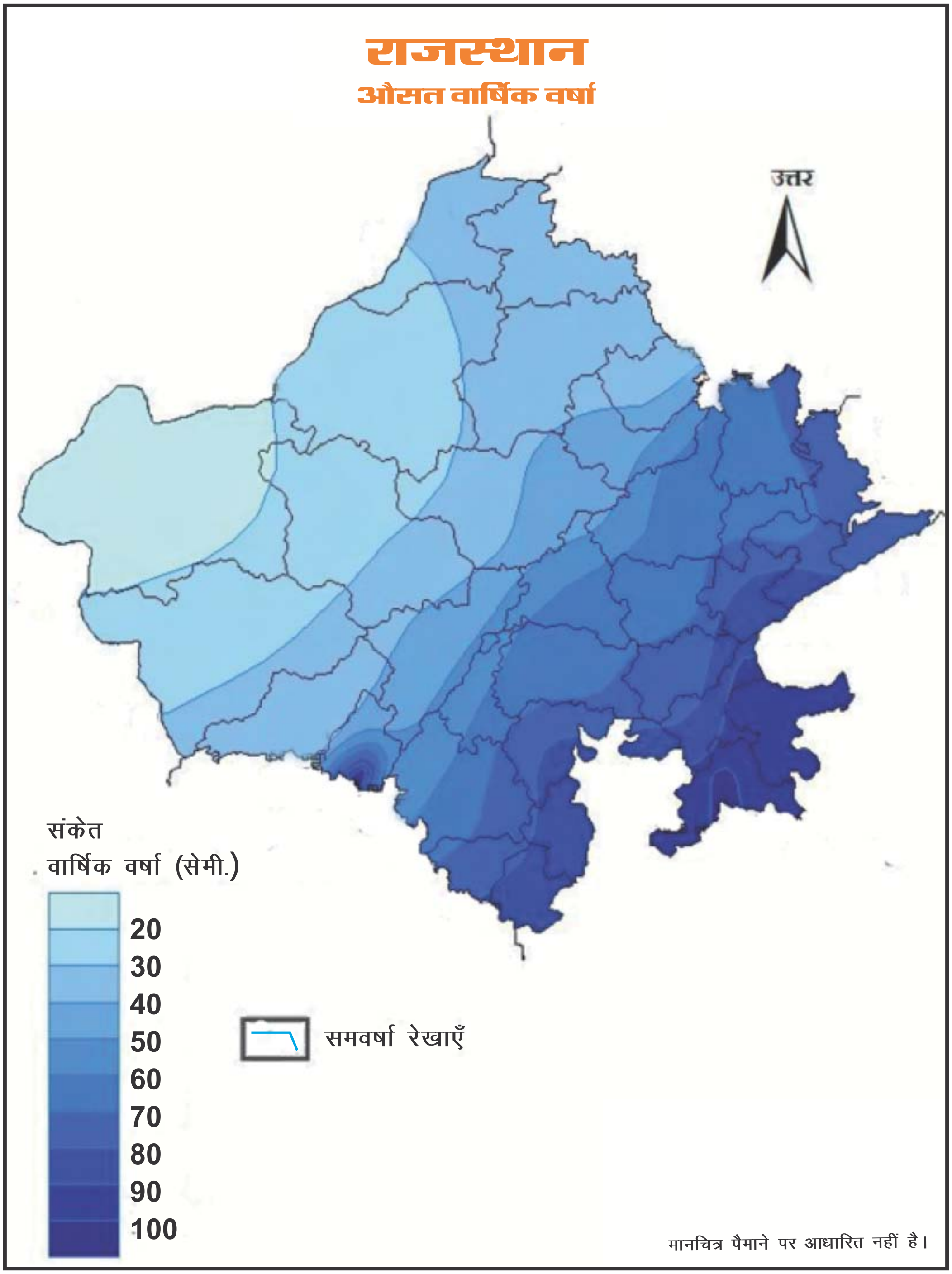

झालावाड़ जिले (लगभग 100 से.मी.) में होती है जिसे राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला माना जाता है। सबसे कम वर्षा जैसलमेर जिले (लगभग 10 से.मी.) में होती है। सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान माउंट आबू है जहाँ औसत वर्षा 150 से.मी. होती है। राजस्थान के दक्षिणी–पूर्वी भाग से उत्तरी–पश्चिमी भाग की ओर वर्षा लगातार कम होती जाती है। अरावली के पूर्व में 50 से.मी. से अधिक और पश्चिम में 50 से.मी. से

कम वर्षा होती है। अतः अरावली के सहारे 50 से.मी. समवर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है।

शीत ऋतु—राजस्थान में शीत ऋतु में तापमान धीरे—धीरे कम होता जाता है। पश्चिमी राजस्थान में रेत के अत्यधिक ठंडी हो जाने से तापमान 0° सेण्टीग्रेड तक चला जाता है। ऊँचाई के कारण ही इस ऋतु में माउंट आबू राजस्थान में अधिक ठंडा रहता है। इस ऋतु में आकाश साफ रहता है और मंद—मंद गति से पवनें चलती हैं। हिमालय कि ओर से आने वाली ठंडी पवनों को 'शीत लहर' कहा जाता है।

क्या आप जानते हैं

भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को 'मावठ' या 'पश्चिमी विक्षोभ' कहा जाता है। ये चक्रवात भूमध्य सागर से आकर राजस्थान सहित उत्तरी—पश्चिमी भारत में वर्षा करते हैं। इस वर्षा से गेहूँ की फसल को लाभ मिलता है।

अकाल और मरूस्थलीकरण

राजस्थान में वर्षा सामयिक, अपर्याप्त, अनिश्चित एवं अनियमित होती है तथा वर्षा का वितरण भी असमान है। अतः राज्य को बार-बार अकाल और सूखे की स्थिति से निपटना पड़ता है। पश्चिमी राजस्थान का अधिकांश क्षेत्र प्रतिवर्ष सूखे का सामना करता है। इसी सूखे के कारण पशु—पक्षियों के लिये चारा, पानी, मनुष्यों के लिए अनाज व पेयजल की कमी की स्थिति हो जाती है जिसे अकाल कहा जाता है। कम वर्षा यहाँ की जलवायु का प्राकृतिक स्वभाव है, लेकिन मानवीय स्वार्थों ने जिस तरह विवेकहीन ढंग से वनों की कटाई की है, भूमिगत जल का अतिदोहन किया है, पारंपरिक जल संसाधन प्रबंधन की उपेक्षा की है उसका प्रतिकूल प्रभाव प्रदेश के पारितंत्र पर पड़ा है।

भौतिक एवं मानवीय कार्यो द्वारा जब उपजाऊ भूमि बंजर एवं रेतीली मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है तो उस क्रिया को मरुस्थलीकरण कहते हैं। राजस्थान के पश्चिमी भाग में लगातार मरूस्थल का विस्तार हो रहा है, फिर भी पंक्तिबद्ध वृक्षारोपण कर वर्तमान में इसे कम करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

आओ करके देखें—

1. आपका जिला किस भौतिक प्रदेश में स्थित है? पहचान कर उस भौतिक प्रदेश की प्रमुख विशेषताओं को लिखिए।
2. अपने शिक्षक की सहायता से राजस्थान के रूपरेखा मानचित्र में समवर्षा रेखाओं द्वारा वर्षा के वितरण को दर्शाइए।

शब्दावली

बंजर — अनुपजाऊ
भू—गर्भिक — पृथ्वी के अन्दर
अतिदोहन — अधिक उपयोग
बीहड़ (उत्खात भूमि) — नदी जल के कटाव से बनी उबड़—खाबड़ भूमि
समवर्षा रेखा — मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएँ

अभ्यास प्रश्न

1. सही विकल्प को चुनिए–

   (i) राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है–

   (क) चार (ख) पाँच (ग) तीन (घ) दो ( )

   (ii) राजस्थान में माउंट आबू के सबसे ठंडा रहने का प्रमुख कारण है–

   (क) पथरीला धरातल (ख) अधिक ऊँचाई

   (ग) अधिक वर्षा (घ) जल स्रोत ( )

2. रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए–

   अ. राजस्थान की जलवायु पर भारत की .... जलवायु का स्पष्ट प्रभाव है।

   ब. बालुका स्तूप को स्थानीय भाषा में ....कहते हैं।

   स. थार के मरुस्थल का अधिकांश भूमिगत जल....................... है।

   द. राजस्थान में अरावली पर्वत की सबसे ऊँची पर्वत चोटी .... है।

3. 'लू' क्या है? समझाइए।
4. मावठ किसे कहते हैं? इससे हमें क्या लाभ है?
5. उत्खात भूमि कहाँ स्थित है? इसकी प्रमुख विशेषताएँ बताइए।
6. मरुस्थलीकरण को रोकने के उपाय बताइए।
7. राजस्थान की ऋतुओं का वर्णन कीजिए।
8. राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के नाम लिखते हुए उनकी प्रमुख विशेषताएँ बताइए।

अध्याय 3

जल संसाधन

प्रकृति में जल से ही जीवन संभव है। जल के कारण ही मानव सहित समस्त जीव–जन्तुओं के क्रियाकलाप संपादित होते हैं। जल का उपयोग पेयजल, घरेलू उपयोग, सिंचाई विद्युत उत्पादन, नौकायन, मनोरंजन, उद्योग आदि कार्यों में किया जाता है। जल के वे स्रोत जो मानव के लिए उपयोगी हो या जिनके उपयोग की संभावना हो, को जल संसाधन कहते हैं। राजस्थान के मुख्य जल स्रोतों में झीलें, नदियाँ और उन पर बने बाँध व नहरें, तालाब, कुएँ एवं नलकूप आदि हैं। आइए हम इस अध्याय में राजस्थान के जल संसाधनों एवं अपवाह तंत्र का विस्तार से अध्ययन करते हैं।

अपवाह तंत्र

किसी मुख्य नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था को अपवाह तंत्र या प्रवाह प्रणाली कहते हैं। यह धरातलीय बनावट और भू–गर्भिक संरचना से प्रभावित होती है। हम जानते हैं कि जल का सामान्य स्वभाव है–ढाल की ओर बहना। विद्वानों के अनुसार यह माना जाता है कि आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व सतलज, यमुना और प्रागैतिहासिक कालीन सरस्वती नदी राजस्थान से होकर बहती हुई गुजरात में भरूच के पास अरब सागर में गिरती थी लेकिन भू–गर्भिक हलचल और जलवायु परिवर्तन के कारण वैदिक संस्कृति की पोषक यह सरस्वती नदी लुप्त हो गई।

क्या आप जानते हैं?
ऐसी छोटी नदियाँ जो अपने क्षेत्र का जल आगे ले जाकर बड़ी नदियों में उड़ेलती है। उन्हें सहायक नदियाँ कहा जाता है।

जल विभाजक रेखा–दो अपवाह क्षेत्रों के मध्य की उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित करती है। उसे **जल विभाजक रेखा** कहते हैं, जैसे–राजस्थान में अरावली पर्वत।

राजस्थान का अपवाह तंत्र

राजस्थान के अपवाह तंत्र को तीन भागों में बाँटा जाता है–

1. **बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र**–अरावली पर्वत से पूर्वी भाग में बहकर अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाने वाली चम्बल, कालीसिंध, पार्वती, बनास, बेड़च एवं इनकी सहायक नदियों को बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र कहते हैं।
2. **अरब सागर का अपवाह तंत्र**–अरावली पर्वत से दक्षिणी–पश्चिमी भाग में बहकर अपना जल अरब सागर में ले जाने वाली माही, लूनी, साबरमती, पश्चिमी बनास एवं इनकी सहायक नदियों को अरब सागर का अपवाह तंत्र कहते हैं।
3. **आंतरिक अपवाह तंत्र**–ऐसी नदी जो किसी समुद्र तक ना पहुँच कर स्थल भाग में ही विलुप्त हो जाए या किसी झील में मिल जाए तो उसे आंतरिक या भूमिगत अपवाह तन्त्र वाली नदी कहते हैं। राजस्थान में बहने वाली घग्घर, बाणगंगा, कांतली, साबी, रूपारेल, मेंढा आदि नदियाँ आंतरिक अपवाह तंत्र के उदाहरण हैं।

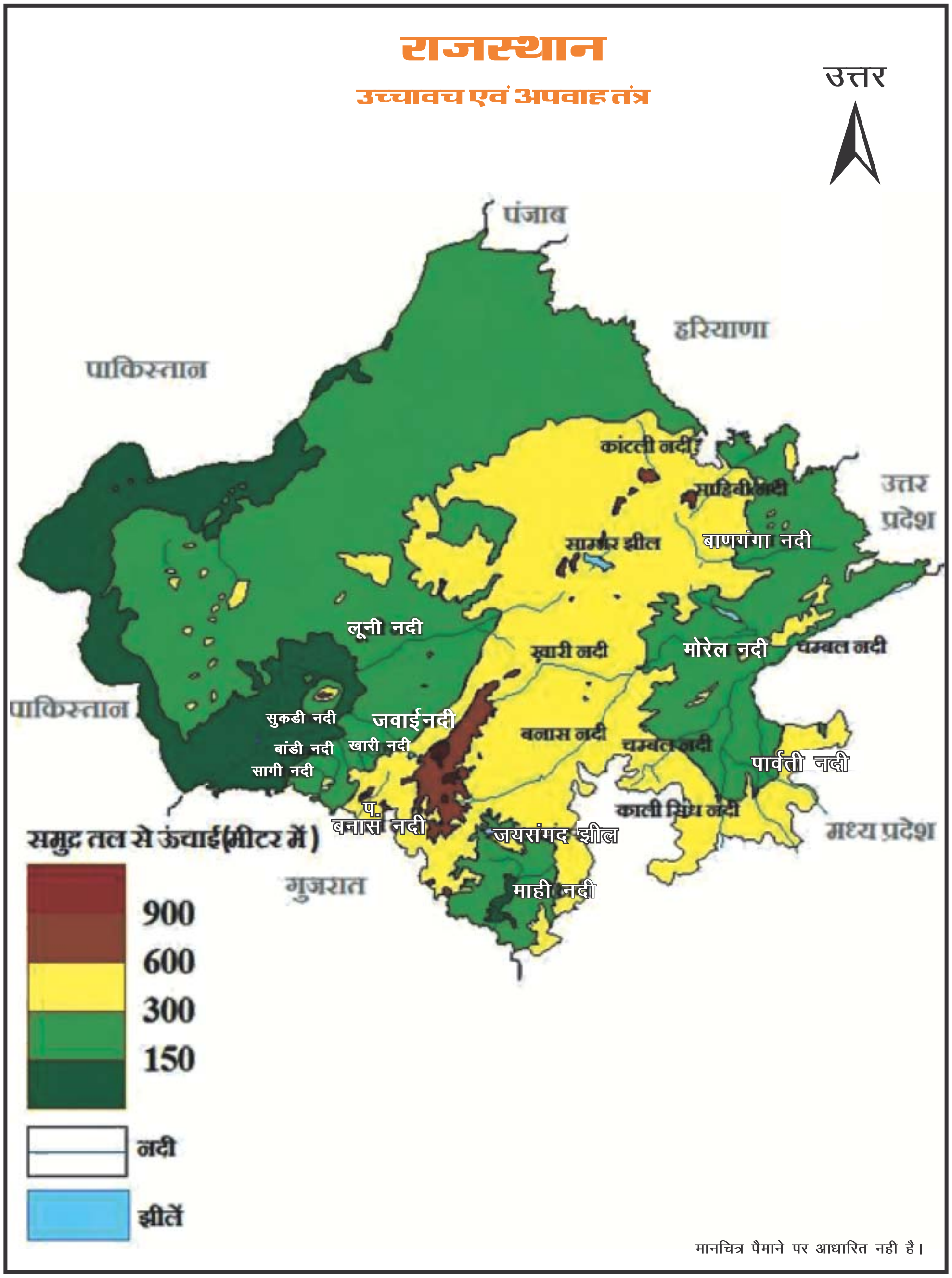

राजस्थान की प्रमुख नदियाँ

चम्बल—इस नदी का उद्गम स्थल मध्यप्रदेश में विंध्यांचल पर्वत के जनापाव से है। यह राजस्थान की सबसे लंबी एवं एकमात्र वर्षभर बहने वाली नदी है। राजस्थान में यह नदी भैंसरोड़गढ़ से प्रवेश कर कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली एवं धौलपुर जिलों में बहने के बाद उत्तरप्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ बनास, बेड़च, कोठारी, कालीसिंध, पार्वती आदि हैं। राजस्थान की 'औद्योगिक नगरी' कोटा इस नदी के किनारे स्थित है।

बनास—यह चम्बल की एक प्रमुख सहायक नदी है। राजसमन्द जिले में खमनौर की पहाड़ियों से निकलती है। यह राजसमन्द, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक जिलों में बहकर सवाई माधोपुर में रामेश्वर के निकट चम्बल नदी में मिल जाती है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र राजस्थान में सर्वाधिक है और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली यह सबसे लम्बी नदी है। इसकी लम्बाई लगभग 480 किलोमीटर है। बनास, बेड़च और मेनाल नदियों का संगम स्थल जिसे त्रिवेणी के नाम से जाना जाता है बीगोद (भीलवाड़ा) के पास स्थित है। टोंक व सवाई माधोपुर बनास नदी के किनारे पर स्थित हैं। बनास की अन्य सहायक नदियाँ कोठारी, गंभीरी, खारी, मोरेल आदि हैं।

लूनी—अजमेर जिले में गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती व सागरमती नामक दो धाराओं के मिलने से इस नदी का उद्गम होता है। अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर जिलों में बहने के बाद यह नदी कच्छ की खाड़ी में मिल जाती है। बाड़मेर जिले के बालोतरा तक इस नदी का जल मीठा होता है इसके बाद जल खारा हो जाता है। इसकी सहायक नदियों में जोजरी, बांडी, जवाई, मीठड़ी, खारी, सूकड़ी, सागी, गूहिया आदि हैं।

माही—मध्यप्रदेश में विंध्यांचल पर्वत में अमरोरू नामक स्थान इस नदी का उद्गम स्थल है। यह नदी राजस्थान में बाँसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ जिलों मे बहने के बाद खंभात की खाड़ी मे मिलती है। बाँसवाड़ा जिले में इस नदी पर माही बजाज सागर बाँध बनाया गया है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ सोम एवं जाखम हैं।

बाणगंगा—इस नदी का उद्गम जयपुर जिले में स्थित अरावली की बैराठ पहाड़ी से होता है। इस नदी का पानी भरतपुर में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में **भू**मिगत होकर नम भूमि का निर्माण करता है। इसे 'अर्जुन की गंगा' भी कहा जाता है।

घग्घर—इस नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी से होता है। उत्तरी राजस्थान में यह नदी हनुमानगढ़ में प्रवेश कर श्रीगंगानगर में भूमिगत हो जाती है। इस नदी को प्राचीन सरस्वती नदी की सहायक माना जाता है। यह राजस्थान की आंतरिक प्रवाह वाली सबसे लंबी नदी है।

राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएँ

नदियों पर बाँध बनाने से जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई, पेयजल, वृक्षारोपण, भूमिगत जल स्तर में वृद्धि, बाढ़ नियन्त्रण, मृदा अपरदन और पर्यटन आदि कई प्रकार के उद्देश्य पूरे होते हैं। इन्हीं कारणों से इन्हें बहूद्देशीय परियोजनाएँ भी कहा जाता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने इन नदी घाटी परियोजनाओं के महत्व को देखते हुए इन्हें **'आधुनिक भारत के मंदिर'**(Temples of Modern India) कहा है। राजस्थान से संबंधित प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार है—

क्या आप जानते हैं?

सिंचाई के उद्देश्य से प्राकृतिक जल बहाव की दिशा को परिवर्तित करने के लिए जल स्रोत में बनाए गए बाँध को बैराज कहा जाता है।

किसी मुख्य नहर का ऐसा हिस्सा जहाँ से पानी का कोई उपयोग नही किया जाता है उसे फीडर कहते हैं।

चम्बल परियोजना—यह परियोजना राजस्थान और मध्यप्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत कुल चार बाँध बनाए गए हैं। इनमें से एक गाँधी सागर बाँध है जो मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले में है। अन्य तीन बाँध राजस्थान में राणा प्रताप सागर बाँध चित्तौड़गढ़ जिले में, जवाहर सागर एवं कोटा बैराज बाँध कोटा जिले में बनाए गए हैं। इस परियोजना से दोनों राज्यों को मुख्यतः जल विद्युत एवं सिंचाई की सुविधाएँ मिलती हैं।

राणा प्रताप सागर बाँध

माही बजाज सागर बाँध

माही बजाज सागर परियोजना—बाँसवाड़ा में माही नदी पर यह परियोजना स्थित है। यह राजस्थान और गुजरात राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। इससे दोनों राज्यों में सिंचाई और पेयजल की सुविधाएँ उपलब्ध हो रही हैं। जल विद्युत का उत्पादन भी इस परियोजना में हो रहा है।

बीसलपुर परियोजना—राजस्थान के टोंक जिले के टोडारायसिंह नगर के पास बीसलपुर गाँव में बनास नदी पर मुख्यतः पेयजल के उद्‌देश्य से इस परियोजना का निर्माण किया गया है। इस परियोजना से राज्य के जयपुर, अजमेर, टोंक सहित कई अन्य क्षेत्रों को पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

सरदार सरोवर परियोजना—गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों की इस संयुक्त परियोजना का निर्माण गुजरात में नर्मदा नदी पर किया गया है। इस परियोजना से राजस्थान के दक्षिण—पश्चिम में एक नहर बनाकर लाए गए जल से बाड़मेर तथा जालोर जिलों में सिंचाई एवं पेयजल सुविधा मिलती है।

इनके अतिरिक्त राज्य में विकसित अन्य नदी घाटी परियोजनाएँ पाली जिले में जवाई नदी पर जवाई परियोजना, डूँगरपुर जिले में सोम नदी पर सोम कमला आम्बा परियोजना, उदयपुर जिले में मानसी वाकल तथा प्रतापगढ़ जिले में जाखम नदी पर जाखम परियोजना आदि हैं।

आओ करके देखें

1. नदी पर बने बाँधों से होने वाले लाभों की सूची बनाइए।
2. क्या आपके जिले में कोई बाँध परियोजना है? यदि हाँ तो उससे सम्बंधित जानकारी एकत्र कीजिए।
3. राजस्थान के रूपरेखा मानचित्र में राजस्थान की प्रमुख नदियों को दर्शाइए।

प्रमुख नहरें

गंगनहर–राजस्थान में नहरों द्वारा जलापूर्ति का कार्य स्वतंत्रता से पहले ही आरंभ हो गया था। बीकानेर के तत्कालीन महाराजा गंगा सिंह जी ने पंजाब में सतलज नदी पर फिरोजपुर के निकट एक बाँध बनवाया और वहाँ से 1927 ई. में एक नहर बनाकर पश्चिमी राजस्थान में पानी लाया गया। यह राजस्थान की पहली नहर है। वर्तमान में इस नहर से श्रीगंगानगर जिले में सिंचाई होती है।

इंदिरा गांधी नहर– राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस नहर को बनाने का सुझाव सर्वप्रथम 1948 ई. में बीकानेर के तत्कालीन सिंचाई इंजीनियर कँवर सेन ने दिया था। केंद्र सरकार की स्वीकृति के बाद 1952 ई. में पंजाब में सतलज एवं व्यास नदी के संगम पर हरिके बैराज नामक बाँध का काम शुरू हुआ। हरिके बैराज से हनुमानगढ़ के मसीतावली तक 204 किमी. फीडर नहर है। मुख्य नहर की लंबाई 649 किमी. तथा वितरिकाओं की लंबाई 8000 किमी. से भी अधिक है, जिनसे लगभग 19 लाख हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई होती है। नहर का अंतिम बिंदु वर्तमान में बाड़मेर के गडरा रोड तक है। यह एशिया की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है जिसे 'मरुगंगा' भी कहा जाता है। यदि इस नहर को आगे बढ़ाकर गुजरात में कांडला बंदरगाह तक जोड़ दिया जाए तो इसमें छोटे जहाजों एवं नावों का संचालन किया जा सकता है।

थार के मरुस्थल का ढाल पश्चिम में होने के कारण पूर्वी भाग में पानी लाने के लिए अब तक कई उत्थापक (लिफ्ट) नहरें बनाई गयी हैं। इंदिरा गांधी नहर के कारण क्षेत्र में कृषि विकास, मरूस्थल प्रसार पर रोक, सूखे एवं अकाल पर नियंत्रण, पेयजल, जलविद्युत उत्पादन, पशुधन विकास, मत्स्य पालन एवं पर्यटन विकास आदि संभव हुआ है।

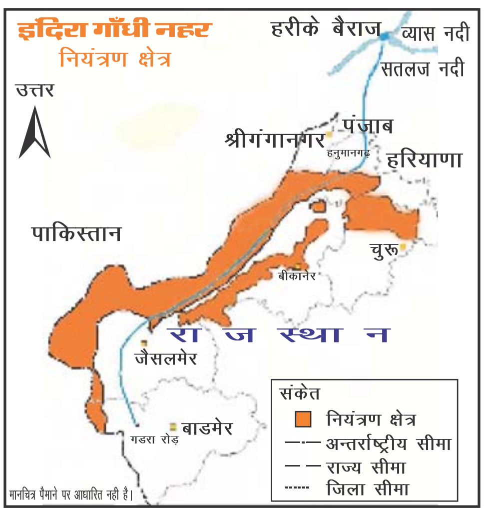

इंदिरा गांधी नहर व कमाण्ड क्षेत्र

इंदिरा गाँधी नहर में जल प्रवाह

आओ करके देखें–

इंदिरा गांधी नहर के मानचित्र को देखकर बताइए–

1. **हरिके बैराज के पास किन दो नदियों का संगम हो रहा है?**
2. **इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान के किन–किन जिलों में सिंचाई सुविधा मिल रही हैं?**
3. राजस्थान के रूपरेखा मानचित्र में इंदिरा गांधी नहर को दर्शाइए।

भरतपुर नहर– पश्चिमी यमुना नहर से इस नहर का निर्माण किया गया है। भरतपुर नहर से राजस्थान के केवल भरतपुर जिले में ही सिंचाई होती है।

इन नहरों के अतिरिक्त विभिन्न छोटे–बड़े बाँधों, एनीकटों, तालाबों, कुओं एवं नलकूपों से भी राजस्थान में सिंचाई होती है। वर्तमान में सिंचाई के लिए फव्वारा एवं बूँद–बूँद सिंचाई प्रणाली का विकास हो रहा है।

आओ करके देखें–

क्या आपके जिले या आसपास के क्षेत्र में कोई नहर है? यदि हाँ तो उसकी जानकारी एकत्र कीजिए एवं उनसे होने वाले लाभों की सूची बनाइए।

जल संरक्षण और प्रबन्धन

साधारण अर्थ में सुरक्षित करके रखना संरक्षण कहलाता है अर्थात् संसाधनों का सावधानीपूर्वक प्रबंधन तथा रखरखाव, जिससे उसके दुरुपयोग अथवा अनावश्यक क्षति को रोका जा सके, संसाधन संरक्षण कहलाता है। जल ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जिस पर न केवल मानव अपितु वनस्पति एवं संपूर्ण जीव जगत निर्भर है। वर्तमान में औद्योगिक आर्थिक वातावरण, बढ़ती उपभोगवादी संस्कृति, अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि, सिंचित भूमि में लगातार वृद्धि होने के कारण जल के विदोहन में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। अतः प्रादेशिक एवं विश्व स्तर पर सभी देशों में स्वच्छ जल की मात्रा को संरक्षित करने की आवश्यकता है ताकि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ जल मिल सके।

जल संरक्षण के उपाय

जल संरक्षण के लिए हर नागरिक, समाज और प्रशासन को एक साथ मिलकर कदम उठाने की आवश्यकता है। मुख्य रूप से जलाशयों में घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट न डालना, पेयजल के स्रोतों के निकट स्नान एवं कपड़े न धोना, जल में उत्पन्न खरपतवारों को हटाना शामिल हैं। जल का पुनर्वितरण करना अर्थात् अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों से जल को नहरों के द्वारा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पहुँचाकर जन–जीवन और उद्योग के लिये अनुकूल परिस्थितियाँ उपलब्ध कराकर क्षेत्रीय और सामाजिक विषमता को कम किया जा सकता है। इनके साथ–साथ जल संचयन, जनसंख्या नियंत्रण, सिंचाई की उन्नत विधियों के प्रयोग, वनावरण में वृद्धि, भूमिगत जल का विवेकपूर्ण उपयोग और जल की पुनरावृत्ति आदि प्रयत्नों से जल की कमी और अवनयन की स्थिति में सुधार लाया जा सकता है।

राजस्थान के लगभग हर क्षेत्र में कई प्रकार के जल स्रोत पाए जाते हैं। प्राचीन काल में इन जल स्रोतों से लोगों को जल उपलब्ध होता था। इनकी अच्छी तरह से देखरेख की जाती थी। राज्य के विभिन्न जिलों में पाए जाने वाले तालाब, झीलें, कुएँ, बावड़ियाँ आदि इसके उदाहरण हैं। तत्कालीन राजा–महाराजाओं ने जल संचयन और जल संरक्षण के लिए कई उपाय किए। इसी तरह के प्रयास उदयपुर के शासकों द्वारा भी किए गए जिनकी संक्षिप्त जानकारी यहाँ दी जा रही है।

उदयपुर में ऐतिहासिक जल प्रबंधन प्रणाली : एक अध्ययन

राजस्थान में जल संरक्षण की विचारधारा बहुत प्राचीन है। यहाँ के राणाओं (शासकों) ने कई झीलों का निर्माण करवाया है। जयसंमद झील इसका अच्छा उदाहरण है जिसका निर्माण मेंवाड़ के महाराणा जय–सिंहजी ने सन् 1687 से 1691 ई. तक गोमती नदी पर करवाया जो विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील मानी जाती है। जल संरक्षण के लिए नदी को मोड़ने एवं जोड़ने तथा झीलों को जोड़ने के विश्व के सबसे पुराने उदाहरण भी मेवाड़ में देखे जा सकते हैं।

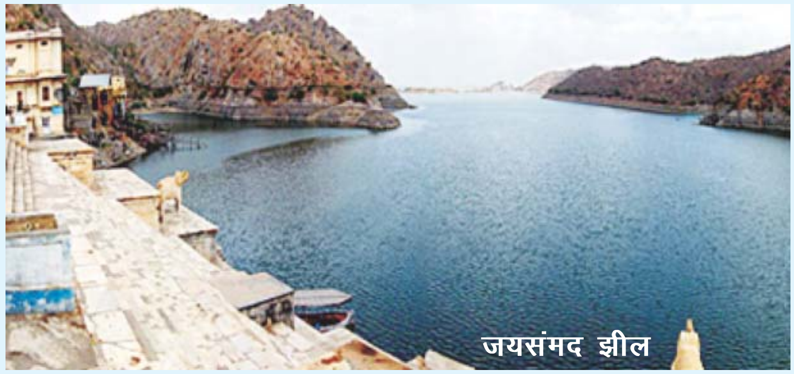
जयसंमद झील

उदयपुर शहर के पश्चिमोत्तर में 6 किलोमीटर दूरी पर स्थित चिकलवास गाँव के समीप आहड़ नदी पर महाराणा फतेहसिंह जी द्वारा एक बाँध बनाकर वर्षा ऋतु में प्रवाहित अतिरिक्त जल को फतहसागर पहुँचाने के लिए चिकलवास नहर का निर्माण किया। इस नहर निर्माण से फतहसागर में आहड़ नदी का पानी 118 वर्ष पहले पहुँचा दिया गया।

470 वर्ग किलोमीटर में फैली घाटी में क्रमबद्ध जलाशयों का निर्माण तथा नदियों को आपस में जोड़कर यहाँ के तत्कालीन शासकों ने स्थानीय स्तर पर उपलब्ध वर्षा जल प्रबन्धन एवं संरक्षण का प्रशंसनीय कार्य जनहित में किया था। जो आज भी सुचारू रूप से चल रहा है।

उदयपुर बेसिन में गोवर्धन सागर, दूध तलाई, पिछोला झील, अमर कुण्ड, कुमारिया तालाब, रंग सागर, स्वरूप सागर तथा फतहसागर जलाशयों का निर्माण जल प्रबन्धन की दृष्टि से विश्व भर में सर्वोच्च उदाहरण है। वर्षा ऋतु में जब जलाशय पानी से भर जाते हैं तो इन सभी जलाशयों का जल स्तर एक समान हो जाता है एवं पानी आपस में मिल जाता है। उदयपुर बेसिन में विभिन्न छोटे–बड़े जलाशय सिंचाई, पेयजल एवं पर्यटन विकास हेतु जल प्रबन्धन के उत्तम उदाहरण हैं।

महाराणा राजसिंहजी प्रथम द्वारा नदी बहाव को कृत्रिम रूप से मोड़ कर उसे स्थायित्व प्रदान किया। मेवाड़ का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल, उभयेश्वर क्षेत्र में वर्षा ऋतु में बहने वाली नदी को मोड़कर मोरवानी नदी में मिला दिया। इस प्रकार उभयेश्वर क्षेत्र के जल को जनासागर तथा फतहसागर में पहुँचा दिया गया। उभयेश्वर के जल को मोरवानी नदी के साथ मिलाने का कार्य सन् 1670–85 के बीच किया गया।

उदयपुर में नदी संगम एवं झील संगम

आओ करके देखें–

क्या आपके जिले में प्राचीन समय के शासकों द्वारा किसी झील, नहर, बावड़ी या अन्य किसी जल स्रोत का निर्माण किया गया है? उनकी वर्तमान स्थिति एवं संबंधित अन्य जानकारियाँ एकत्र कर कक्षा में उसकी चर्चा कीजिए।

शब्दावली

अपवाह	–	नदी जल का बहना (प्रवाह)
अवशेष	–	बचा हुआ
अपशिष्ट	–	अनुपयोगी पदार्थ
संरक्षण	–	सुरक्षित रखना, रखरखाव

अभ्यास प्रश्न

1. सही विकल्प को चुनिए–

   (i) बनास व बेड़च किस नदी की सहायक नदियाँ है ?

   (क) चम्बल (ख) लूनी (ग) बाणगंगा (घ) माही ( )

   (ii) सोम कमला आम्बा परियोजना स्थित है–

   (क) बाड़मेर में (ख) डूँगरपुर में (ग) उदयपुर में (घ) कोटा में ( )

2. रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए।

   अ. ....नदी का पानी भरतपुर में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में नम भूमि का निर्माण करता है।

   ब. .... **एशिया की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है जिसे मरुगंगा भी कहा जाता है।**

   स. **विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील.........................को माना जाता है।**

   द. पंडित जवाहर लाल नेहरू ने नदी घाटी परियाजनाओं को...कहा है।

3. जल विभाजक रेखा से आप क्या समझते हैं?
4. बनास की प्रमुख सहायक नदियों के नाम लिखिए।
5. राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं के नाम लिखिए।
6. चम्बल परियोजना पर लघु निबंध लिखिए।
7. जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं? जल संरक्षण कैसे किया जा सकता है?

अध्याय 4

भूमि संसाधन और कृषि

प्रकृति ने हमें अनेक प्राकृतिक संसाधन निःशुल्क उपलब्ध कराएँ हैं, उनमें से भूमि भी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण संसाधन है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 11 प्रतिशत भाग ही ऐसा है जहाँ कृषि होती है। विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या के वितरण में समानता नहीं है, क्योंकि सभी क्षेत्रों में भूमि और जलवायु में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। उबड़–खाबड़ भू–आकृति, पर्वतीय ढाल, दलदली निम्न भाग, रेतीला क्षेत्र, सघन वन क्षेत्र आदि में जनसंख्या कम निवास करती है, जबकि नदियों द्वारा निर्मित उपजाऊ जलोढ़ मैदानों में कृषि कार्य के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध होने के कारण अधिक जनसंख्या पाई जाती है।

स्वामित्व के आधार पर भूमि को दो भागों में विभाजित किया जाता है–निजी और सामुदायिक भूमि। जनसंख्या वृद्धि के साथ भूमि पर दबाव बढ़ता जाता है, क्योंकि भूमि संसाधन सीमित है। स्थान के अनुरूप भूमि की गुणवत्ता में अन्तर होता है, इसीलिए भूमि के उपयोग में भी अन्तर पाया जाता है। मानव प्राचीन समय में जिस भूमि पर चारागाह, सामुदायिक वन और औषधीय जड़ी–बूटियों को एकत्र करता रहा है। आज इस भूमि पर व्यापारिक गतिविधियाँ, नगरीय क्षेत्र में आवास एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि करने हेतु अनाधिकृत हस्तक्षेप प्रारम्भ हो चुका है। इसे ही हम भूमि उपयोग परिवर्तन कहते हैं।

एक खेत में लहलहाती गेहूँ की फसल

थार रेगिस्तान में बकरियाँ चराता किसान

आओ करके देखें–

ऊपर दिए गए दोनों चित्रों को देखकर इनमें भूमि उपयोग के अंतर को स्पष्ट कीजिए।

भूमि संसाधन की उपयोगिता उस क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी की प्रकृति पर निर्भर करती है। स्थल रूपों के अनुसार मिट्टी का प्रकार भी बदल जाता है। मिट्टी का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों, जैव पदार्थों और भूमि पर पाये जाने वाले कई अन्य तत्त्वों से होता है। यह बड़ी चट्टानों के छोटे–छोटे बारीक टुकडों में बँटने की प्रक्रिया से बनती है। खनिज पदार्थो एवं ह्यूमस का सही मिश्रण मिट्टी को उपजाऊ बनाता है।

क्या आप जानते हैं–

धरातल पर पाई जाने वाली असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत, जिसमें ह्यूमस भी मिला होता है, को मिट्टी कहा जाता है। वनस्पति एवं जीवों के सडें गले अंश को ह्यूमस कहते हैं।

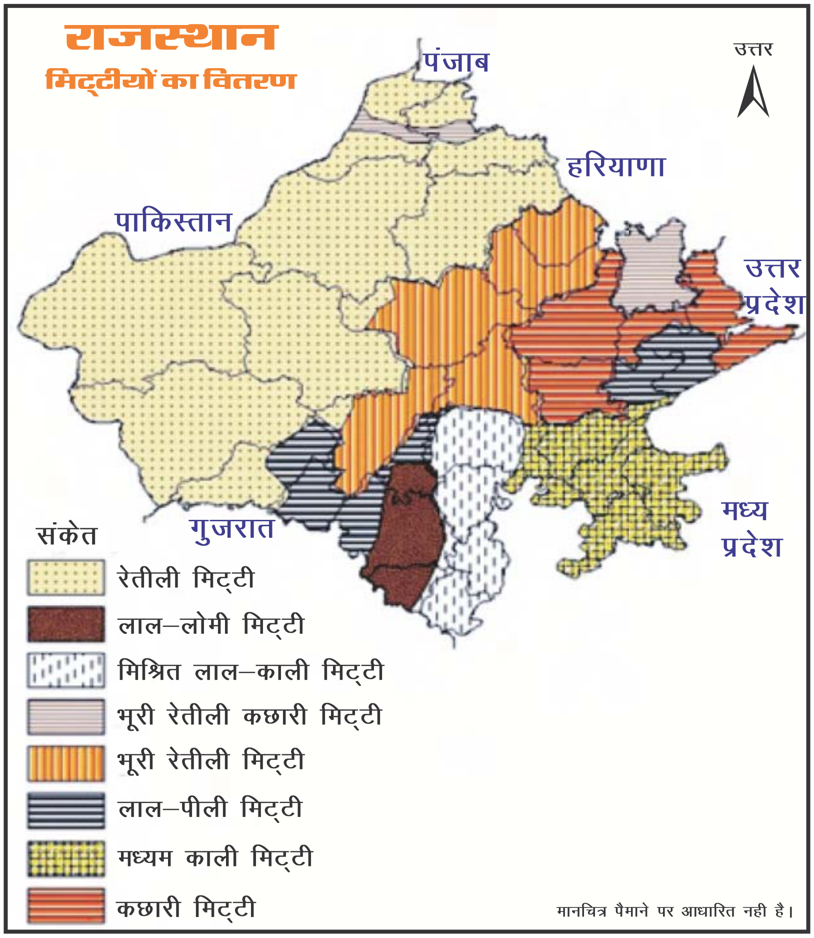

आओ करके देखें–

राजस्थान के उपर्युक्त मिट्टी वितरण मानचित्र का अध्ययन कर बताइए–

1. आपके जिले में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है?
2. रेतीली मिट्टी राजस्थान के किन–किन जिलों में मिलती है?
3. कछारी मिट्टी किन–किन जिलों में पायी जाती हैं?
4. हाड़ौती के पठारी प्रदेश में कौनसी मिट्टी पायी जाती है?

मिट्टी को सामान्यतः दो आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला रंग के आधार पर जैसे–काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, भूरी मिट्टी आदि। दूसरा मिट्टी की प्रकृति के आधार पर जैसे –दोमट (जलोढ़) मिट्टी, रेतीली मिट्टी, लवणीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी आदि।

हमारे राज्य के उत्तरी–पूर्वी मैदान में जलोढ़ मिट्टी का जमाव अधिक है तो वहीं पश्चिमी राजस्थान के थार मरूस्थल में रेतीली मिट्टी पायी जाती है। दक्षिण–पूर्व के हाड़ौती प्रदेश में काली मिट्टी की अधिकता है। अरावली पर्वतीय प्रदेश में लाल–लोमी एवं लाल–काली मिट्टी मिलती है। नहरी क्षेत्रो में क्षारीय मिट्टी की अधिकता है।

मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले तत्व

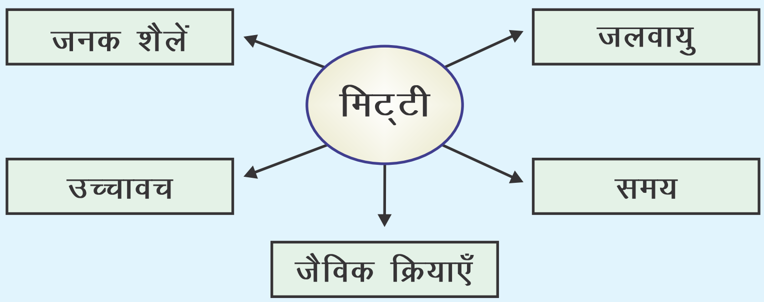

आओ करके देखें–

1. अपने शहर/गाँव के आस–पास के खेतों की अलग–अलग मिट्टी के नमूने एकत्र कर अपने शिक्षक की सहायता से रंग के आधार पर उनमें अन्तर कीजिए।
2. अगर आपको कभी अपने क्षेत्र से बाहर जाने का मौका मिले तो वहाँ की मिट्टी को ध्यान से देखकर उसके रंग की पहचान कीजिए और पता लगाइए कि उसमें कौन–कौन सी फसलें उगाई जाती हैं।

कृषि

मिट्टी में फसल उगाने की कला को कृषि कहा जाता है और जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती है वह कृषि भूमि कहलाती है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था को कृषि प्रधान माना जाता है, क्योंकि राज्य में कृषि सबसे अधिक लोगों के रोज़गार और आजीविका का स्रोत है। जनसंख्या वृद्धि के कारण किसानों के पास कृषि भूमि की जोत का आकार बदल रहा है, जिसका प्रमुख कारण पिता की सम्पत्ति का सभी संतानों में समान बँटवारा है। इससे एक खेत भाइयों की संख्या के अनुसार कई टुकड़ों में बँट जाता है।

कृषि एक प्रकार का प्राथमिक क्रियाकलाप है, क्योंकि प्राथमिक क्रियाओं में उन सभी गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है जिनका सम्बन्ध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और उपभोग से है। कृषि में फसल, फल–फूल एवं सब्जियाँ उगाना और पशुपालन व्यवसाय को सम्मिलित किया जाता है। कृषि उत्पादन के लिए अनुकूल जलवायु, स्थलाकृति और उपजाऊ मिट्टी की आवश्यक होती है।

कृषि के प्रकार

विश्व के विभिन्न भागों में कृषि भिन्न–भिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की माँग, श्रम और तकनीकी के विकास के आधार पर कृषि को दो मुख्य प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है–जीवन निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि।

जीवन निर्वाह कृषि– वह कृषि जो किसान अपने परिवार के भरण–पोषण के उद्देश्य से करता है, उसे जीवन निर्वाह कृषि कहा जाता है। इसमें मानवीय श्रम अधिक एवं मशीनरी का उपयोग कम ही किया जाता है। जीवन निर्वाह कृषि को पुनः आदिम निर्वाह कृषि तथा गहन निर्वाह कृषि में विभाजित किया जाता है। निर्वाह कृषि में स्थानान्तरित कृषि और चलवासी पशुचारण सम्मिलित है।

स्थानान्तरी कृषि– मुख्यतः आदिम जनजातियों द्वारा की जाती है। इसमें किसी स्थान के जंगलों को काटकर खेत बनाया जाता है और कटे हुए जंगलों को जला दिया जाता है, ताकि राख से मिट्‌टी उपजाऊ हो जाती है। ऐसे खेतों में दो या तीन वर्ष तक कृषि की जाती है उसके बाद मिट्‌टी में उर्वरता कम हो जाने पर उस खेत को छोड़कर किसान किसी नए खेत पर कृषि करने लगता है। इस प्रकार की कृषि को दक्षिणी राजस्थान में 'वालरा' एवं उत्तरी–पूर्वी भारत में 'झूम' कहा जाता है।

गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखण्ड पर साधारण औजारों और अधिक परिश्रम से खेती करता है। इसमें वर्ष के दौरान एक ही खेत से दो या तीन फसलें भी उगाई जाती हैं। यह कृषि सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में अधिक प्रचलित है।

चलवासी पशुचारण कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे तथा जल के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं। एक स्थान पर चारा एवं जल के कम हो जाने पर वे अपने पशुओं के साथ दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। पशुचारक मुख्यतः भेड़, बकरी, ऊँट, याक आदि पालते हैं। इन पशुओं से पशुचारकों के परिवारों को दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद मिलते हैं जिनसे वे अपने परिवार का पालन–पोषण करते हैं। यह कृषि सामान्यतः शुष्क एवं अर्द्धशुष्क प्रदेशों में मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे जम्मू–कश्मीर एवं पश्चिमी राजस्थान में प्रचलित है।

वाणिज्यिक कृषि– इस कृषि का मुख्य उद्‌देश्य फसल और पशु उत्पादों को बाजार में बेचना होता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र अर्थात् बड़े–बड़े खेतों में कृषि की जाती है जिसमें अच्छे बीज एवं खाद और अधिक पूँजी का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की कृषि में अधिकांश कार्य नवीन तकनीक एवं मशीनों की सहायता से किया जाता हैं। यह कृषि भी तीन प्रकार की होती है–वाणिज्यिक फसल उत्पादन, मिश्रित कृषि और बागाती कृषि।

वाणिज्यिक फसल कृषि में मुख्यतः ऐसी फसलों को उगाया जाता है जिन पर उद्योग–धंधे निर्भर होते हैं जैसे–कपास, गन्ना, तिलहन, तंबाकू आदि एवं गेहूँ, मक्का, चावल, दालें आदि प्रमुख खाद्यान्न फसलें भी उगाई जाती हैं। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग अनाज एवं चारे की फसलें उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता हैं। बागाती कृषि वाणिज्यिक कृषि का ही एक प्रकार है, इसमें अधिक पूँजी एवं श्रम की सहायता से बड़े–बड़े उद्यानों में एक ही प्रकार की कृषि की जाती है, जैसे–चाय, कॉफी, रबड़ आदि।

मानव अपने भोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अनेक प्रकार की फसलें उगाता हैं। कृषि कई प्रकार के उद्योगों के लिए कच्चा माल भी उपलब्ध कराती है जैसे सूती वस्त्र उद्योग के लिए कपास एवं शक्कर उद्योग के लिए गन्ना आदि। गेहूँ, चावल, बाजरा और मक्का प्रमुख खाद्य फसलें हैं। चना, अरहर, उड़द, मूंग आदि दलहनी फसलें हैं। सरसों, मूंगफली, सोयाबीन आदि तिलहनी फसलें हैं। कपास और जूट रेशेदार फसलें हैं। कहवा और चाय पेय फसलें हैं।

कृषि ऋतुएँ

राजस्थान में मुख्यत : तीन कृषि ऋतुएँ हैं– खरीफ (वर्षा ऋतु), रबी (शीत ऋतु) और जायद (ग्रीष्म ऋतु)। यहाँ जलवायु के अनुसार बाजरा, मक्का, ज्वार, मूंगफली, चावल आदि खरीफ की तथा गेहूँ, जौ, चना, सरसों आदि रबी तथा फल, सब्जी, रजगा, बरसीम आदि जायद की फसलें हैं। राजस्थान की खाद्यान्न फसलों में गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का और दालें हैं।

आओ करके देखें–

आपके क्षेत्र के किसान मुख्य रूप से वर्षा ऋतु, शीत ऋतु एवं ग्रीष्म ऋतु में कौन–कौन सी फसलें उगाते हैं? उनकी सूची बनाकर कक्षा में सहपाठियों की सूची के साथ उसकी तुलना कीजिए।

सिंचाई की सुविधाओं में प्रसार होने के बाद व्यापारिक फसलों पर किसानों का विशेष ध्यान गया है। पिछले दो दशकों में राज्य में खाद्यान्न फसलों का क्षेत्रफल घट गया जबकि तिलहन का क्षेत्रफल बढ़ गया है। व्यावसायिक कारणों से वर्तमान में सोयाबीन की खेती बढ़ रही है।

आज के संदर्भ में फसलों को उपर्युक्त दो हिस्सों में बाँटना सर्वथा उचित नहीं है, क्योंकि वर्तमान में किसान गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, तंबाकू, चना, तिलहन, दलहन आदि, सभी फसलों का उत्पादन करने लगा है। अन्तर सिर्फ इतना है कि किसान अपने उपभोग के लिये अनाज की पैदावार का कुछ भाग रख लेता है और शेष बेच देता है, लेकिन व्यापारिक फसलों जैसे कपास, गन्ना, तम्बाकू और तिलहन की समस्त पैदावार को बेच दिया जाता हैं।

राज्य की प्रमुख फसलें

गेहूँ– यह राज्य की एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है। बोते समय मध्यम तापमान और कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसके लिए जलोढ़ मिट्टी उपयुक्त रहती है। राजस्थान में गेहूँ शीत ऋतु में उगाया जाता है। राजस्थान के प्रमुख गेहूँ उत्पादक जिलें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बाराँ, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, टोंक, पाली, अजमेर, डूँगरपुर, बाँसवाड़ा आदि हैं। भारत में गेहूँ का सर्वाधिक उत्पादन उत्तरप्रदेश से होता है। चीन के बाद विश्व में गेहूँ उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है।

बाजरा– पश्चिमी राजस्थान की शुष्क जलवायु एवं रेतीली मिट्टी बाजरे की कृषि के लिए उपयुक्त है, क्योंकि यह कम वर्षा एवं उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में उगाया जाता हैं। बाजरा राज्य का एक प्रमुख खाद्यान्न भी है। यह राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल है। पश्चिमी राजस्थान एवं जयपुर, दौसा, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर आदि जिलों में बाजरा पैदा किया जाता है। भारत का सर्वाधिक बाजरा उत्पादन राजस्थान से होता है।

चावल– यह विश्व में सर्वाधिक खाया जाने वाला अनाज है, जो उपोष्ण एवं उष्ण कटिबन्धीय प्रदेशों में रहने वाले लोगों द्वारा उगाया जाता है। इसके लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता और वर्षा की आवश्यकता होती है। चीका युक्त जलोढ़ एवं काली मिट्टी जिसमें जल को रोकने की क्षमता हो, सर्वोत्तम मानी जाती है। चीन चावल उत्पादन में अग्रणी देश है उसके पश्चात् भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है। राजस्थान में यह एक खरीफ की फसल हैं। चावल का उत्पादन हनुमानगढ, श्रीगंगानगर, बाँसवाड़ा, डूँगरपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बाराँ, उदयपुर और चित्तौड़गढ आदि जिलों में होता है।

मक्का– मक्का राजस्थान और विशेषकर मेवाड़ का प्रमुख भोजन है, जिसे सर्दी की ऋतु में बड़े चाव से खाया जाता है। इसके लिए अधिक तापमान एवं वर्षा की आवश्यकता होती है तथा उपजाऊ लाल–काली मिट्टी उपयुक्त रहती है। चित्तौडगढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, बाँसवाड़ा, डूँगरपुर आदि प्रमुख मक्का उत्पादक जिले हैं।

चना— यह एक प्रमुख दलहन फसल है। चने के लिये हल्की रेतीली मिट्टी उपयुक्त होती है। चने का सर्वाधिक उत्पादन हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों में होता है। इसके अलावा अलवर, भरतपुर, जयपुर, दौसा, टोंक, करौली, सवाई माधोपुर, उदयपुर, बाँसवाड़ा, कोटा, झालावाड़ आदि जिलों में इसकी कृषि होती हैं। चने के अलावा मूंग, मोठ, उड़द और अरहर अन्य दलहन हैं जो राज्य में उत्पादित होते हैं।

सरसों— राजस्थान देश का सबसे बड़ा सरसों उत्पादक राज्य हैं, इसलिए इसे 'सरसों प्रदेश' भी कहा जाता है। भरतपुर जिले के सेवर में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। प्रमुख उत्पादक जिले भरतपुर, अलवर, धौलपुर, सवाई माधोपुर और करौली हैं। उत्तरी जिलों में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर प्रमुख स्थान रखते हैं।

मूंगफली— मूंगफली एक तिलहनी एवं वाणिज्यिक फसल है, जिसे खरीफ ऋतु में उगाया जाता है। यह फसल अधिकतर वर्षा पर निर्भर है और राज्य के लगभग तीन लाख हैक्टेयर भूमि में इसकी खेती होती है। कुछ वर्षों में बीकानेर में मूंगफली की खेती का काफी प्रसार हुआ हैं अन्य जिले श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़, जयपुर आदि हैं।

कपास— यह एक प्रमुख औद्योगिक फसल है। पारंपरिक सूती वस्त्र उद्योग से लेकर आधुनिक सूती वस्त्र उद्योग के कारखानों में कच्चे माल की आपूर्ति इसी से होती है। यह राज्य के पारंपरिक सूती वस्त्र उद्योग के लिये बहुत लाभदायक है। कपास का उत्पादन मुख्यत : श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के साथ ही मेवाड़ एवं हाड़ौती क्षेत्रों में भी होता है।

आओ करके देखें—

1. आप अपने दैनिक जीवन में किन–किन फसलों का उपयोग करते हैं? सूची बनाइए।
2. राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्न, दलहन एवं तिलहन फसलों एवं उनके उत्पादक जिलों की सूची बनाइए।

कृषि विकास

राजस्थान में कृषि विकास का सम्बन्ध बढ़ती जनसंख्या की मांग की पूर्ति के लिए कृषि उत्पादन में वृद्धि की दिशा में किए जाने वाला प्रयास है। कृषि विकास के लिए उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग, बोये गये क्षेत्र में विस्तार, सिंचाई सुविधाओं का विकास, उर्वरकों एवं कीटनाशक दवाओं का प्रयोग तथा कृषि का मशीनीकरण आदि महत्त्वपूर्ण उपाय हैं। इन उपायों द्वारा कृषि में विकास कर खाद्य सुरक्षा को बढ़ाया जा सकता है। कृषि उपज आधारित विभिन्न उद्योगों का विकास करके रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के प्रयास भी सरकार द्वारा किए जा रहे हैं।

आधुनिक कृषि फार्म : सूरतगढ़

श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ नामक स्थान पर एक मशीनीकृत कृषि फार्म स्थापित किया गया है। यहाँ कृषि फसलों पर नये–नये प्रयोग एवं उन्नत पशु नस्ल विकसित करने का कार्य किया जा रहा है। इस फार्म में कई प्रकार की फसलों एवं फलों का भी उत्पादन किया जाता है। यहाँ सिंचाई की सुविधा इंदिरा गांधी नहर द्वारा उपलब्ध कराई गयी है।

आओं करके देखें–

1. राजस्थान का एक रूपरेखा मानचित्र लेकर उसमें राजस्थान की विभिन्न मिट्टियों के वितरण को दर्शाइए।
2. कृषि पर आधारित उद्योगों की सूची बनाइए।
3. राजस्थान में चलवासी पशुचारण की जानकारी एकत्र कीजिए।

शब्दावली

क्षारीय मिट्टी – खारी मिट्टी
निर्वाह – निर्वहन, जीवन यापन
बरसीम – एक प्रकार की घास

अभ्यास प्रश्न

1. सही विकल्प को चुनिए–

(i) निम्नलिखित में से कौनसी एक खरीफ की फसल है –
(क) गेहूँ (ख) मक्का
(ग) चना (घ) सरसों ( )

(ii) निम्नलिखित में से कौनसी तिलहन फसल है–
(क) मक्का (ख) गेहूँ
(ग) सरसों (घ) चना ( )

2. रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए–

अ. कपास एक प्रमुख .... फसल है।
ब. सर्वाधिक सरसों के उत्पादन के कारण राजस्थान को ....प्रदेश भी कहा जाता है।
स. कृषि के दो मुख्य प्रकार–जीवन निर्वाह कृषि और... कृषि है।
द. खनिज पदार्थो एवं ह्यूमस का सही मिश्रण मिट्टी को................................. बनाता है।

3. वाणिज्यिक कृषि किसे कहते हैं?
4. राजस्थान की प्रमुख कृषि ऋतुओं एवं उनकी प्रमुख फसलों की सूची बनाइए।
5. राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टीयों के नाम लिखिए।
6. राजस्थान की प्रमुख व्यापारिक फसलें कौन–कौनसी हैं ? ये किन–किन जिलों में पैदा होती हैं?
7. मिट्टी निर्माण को प्रभावित करने वाले तत्वों का प्रवाह चार्ट बनाइए।
8. राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्न फसलों के एवं उनके उत्पादक जिलों की सूची बनाइए।

अध्याय 5

खनिज और ऊर्जा संसाधन

मानव जीवन पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर है। हमारे चारों ओर विस्तृत प्रकृति ने हमें प्राकृतिक संसाधनों के रूप में अनेक अमूल्य उपहार दिए हैं। खनिज ऐसा ही एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण उपहार हैं जो हमारी वर्तमान की जीवन शैली का अभिन्न अंग हैं। जरा सोचिए! हमारे घर में कितनी वस्तुएँ ऐसी हैं जिनका निर्माण खनिजों द्वारा हुआ है। क्या हम उन वस्तुओं के बिना हमारा जीवन जी सकते हैं?

आओ करके देखें–

हमारे जीवन में खनिजों के महत्त्व पर पाँच वाक्य लिखिए।

खनिज का अर्थ

हम अपने दैनिक जीवन में ऐसी अनेक वस्तुएँ हमारे आस–पास देखते हैं जो विभिन्न खनिजों से मिलकर बनी है तथा हमारे लिए उपयोगी है। खेतों में फसल उत्पादित करने वाले औजारों से लेकर हमारे घर में दैनिक उपयोग में आने वाले बर्तनों तक सबमें खनिज हैं। अब प्रश्न उठता है कि खनिज क्या है? खनिज प्राकृतिक रूप से उपलब्ध ऐसी वस्तु हैं जिसकी एक निश्चित आंतरिक तथा रासायनिक संरचना होती है। सामान्य अर्थ में हम यह भी कह सकते हैं कि जमीन से खोदकर निकाली जाने वाली वस्तुओं को खनिज कहते हैं। हमारी पृथ्वी का स्थलमंडल एवं उस पर पाई जाने वाली चट्टानें अनेक खनिजों के मिश्रण से बनी हैं। कुछ चट्टानें अनेक खनिजों का मिश्रण तो कुछ चट्टानें एक ही खनिज से बनी हो सकती हैं, जैसे चूना पत्थर। इन्हीं चट्टानों से हम खनिज प्राप्त करते हैं जो हमारे लिए अत्यंत उपयोगी हैं।

क्या आप जानते हैं?

प्राचीन समय से ही हमारी सभ्यताओं के विकास में धातुओं का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। आपने इतिहास कि कक्षा में पढ़ा है कि विभिन्न युगों में हमारे पूर्वजों ने धातुओं का उपयोग प्रारंभ किया एवं अपने जीवन को आरामदायक बनाया। सोचिए! कि हमारे इतिहास को पाषाण युग, कांस्य युग या लौह युगों में क्यों बाँटा जाता हैं? धातु की खोज के बिना भवन, उद्योग–धंधे, कृषि, परिवहन आदि का विकास अत्यंत कठिनाई भरा होता। इन सभी में धातुओं का महत्त्वपूर्ण योगदान है।

खनिजों के प्रकार

अपने गुणों के आधार पर खनिजों को कई भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जरा सोचिए आपकी माँ या किसी अन्य के द्वारा पहने जाने वाले गहने किससे बने हैं? उन धातुओं के नाम बताइए। ये धातु भी हमें खनिजों से ही प्राप्त होती हैं।

धात्विक खनिज वे खनिज होते हैं, जिसमें मूल रूप से धातु विद्यमान रहती है और जो कठोर होते हैं, जैसे– लोह अयस्क, मैंगनीज, सीसा, जस्ता, ताँबा, सोना चाँदी आदि। सामान्यतः ये खनिज हमें अयस्कों के रूप में मिलते हैं, जिनके साथ कई अन्य अवयव भी मिले हुए होते हैं। इन अवयवों में से रासायनिक क्रियाओं

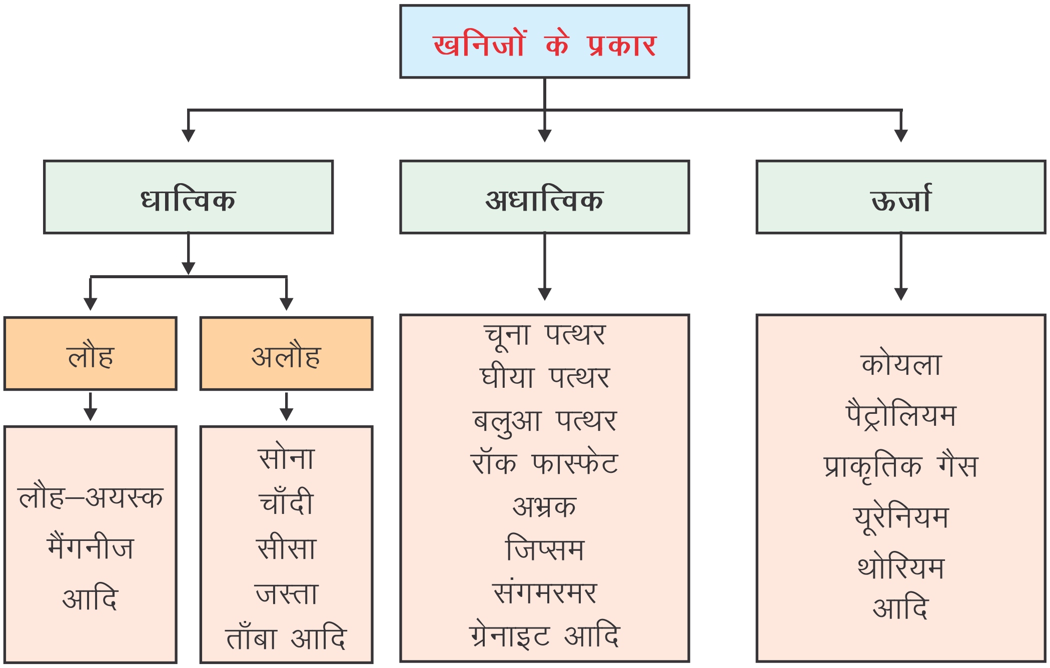

द्वारा धातुओं को अलग किया जाता है। खनिज तथा अन्य अवयवों के इस मिश्रण को ही अयस्क कहते हैं, जैसे हैमेटाइट, मेग्नेटाइट, लिमोनाइट तथा सिडेराइट आदि लोह धातु के अयस्क हैं। इसी प्रकार बॉक्साइट से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। अधात्विक खनिज वे होते हैं जिनमें धातु का अंश बिलकुल नहीं पाया जाता है, जैसे संगमरमर या इमारतों में उपयोग में लाया जाने वाले पत्थर जैसे ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर आदि। अन्य अधात्विक खनिजों में अभ्रक, घीया पत्थर, जिप्सम, चूना पत्थर आदि हैं।

कुछ खनिज ऐसे भी होते हैं, जिन्हें हम ऊर्जा के साधन के रूप में उपयोग में ला सकते हैं। हमारे परिवहन के साधन, घर में जलता चूल्हा या घरों एवं गलियों को रोशन करती ट्यूब लाइट एवं बल्ब सभी ऊर्जा से ही चलते हैं। जिन खनिज़ों से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है वे ऊर्जा खनिज कहलाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, थोरियम आदि।

आओ करके देखें–

1. अपने आसपास की ऐसी वस्तुओं की पहचान कर सूची बनाइए जिनका निर्माण किसी खनिज से हुआ हो।
2. निम्नलिखित में से धात्विक तथा अधात्विक खनिजों को छाँट कर सूची बनाइए। लोहा, अभ्रक, ताँबा, सीसा, जिप्सम, संगमरमर, चूना–पत्थर, जस्ता, सोना, घीया पत्थर, चाँदी, ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर।

खनन की विधियाँ

पृथ्वी पर खनिजों का वितरण असमान है। इनके मिलने की गहराई भी अलग–अलग है। कहीं वे सतह के ऊपर आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, कहीं धरती या समुद्र की गहराई से उन्हें खोदकर कर निकालना

खनिज निष्कर्षण की विधियाँ

- खनन
  - विवृत खनन
  - कूपकी खनन
- प्रवेधन
- आखनन

समुद्र की गहराई से प्रवेधन विधि से पेट्रोल खनन

पड़ता है। इस प्रकार अलग–अलग अवस्था में मिलने वाले खनिजों को भिन्न–भिन्न रूप से निकाला जाता है।

खनिज निकालने की सामान्य प्रक्रिया खनन कहलाती है। कई खनिज सतह से कुछ नीचे ही मिल जाते हैं तो कई खनिज गहराई में स्थित होते हैं, जिन्हें खुदाई करके गहरे कूपों से निकाला जाता हैं। जब खनिज सतह के पास ही मिल जाता है और उसे निकालने के लिए केवल ऊपरी परत को हटाना पड़ता है। खनन की इस विधि को विवृत खनन कहते हैं। इसी प्रकार जब खनिज कुछ गहराई में स्थित हो और उस तक पहुँचने के लिए कूपों का सहारा लेना पड़े तो उसे कूपकी खनन कहते हैं। पेट्रोल तथा प्राकृतिक गैस धरातल की अत्यंत गहराई से प्राप्त होते हैं, इसलिए प्राप्त करने के लिए ड्रिल्लिंग अथवा प्रवेधन विधि का उपयोग किया जाता हैं। वहीं कुछ खनिज जैसे मिट्टी आदि सतह पर ही प्राप्त किये जा सकते हैं, तो इस विधि को आखनन कहते हैं।

किसी स्थान पर खनिज के उपलब्ध होने का अर्थ यह नहीं है कि वहाँ खनन क्रिया होगी। खनन से

आखनन

कूपकी खनन

पहले यह देखा जाता है कि खनन में कितना व्यय आएगा, उसकी गुणवत्ता कैसी है तथा उसका मूल्य क्या है। सामान्यतः खनन लाभदायक स्थिति में ही किया जाता है।

खनिज संसाधन

पृथ्वी पर हजारों खनिज विद्यमान हैं, प्रश्न यह है कि क्या हर खनिज हमारे लिए संसाधन है? संसाधन का अभिप्राय उन वस्तुओं से हैं जो मानव की किसी आवश्यकता की पूर्ति करती हो अर्थात् हमारे लिए उपयोगी हो। कोई खनिज हमारे लिए संसाधन कब बनता है, आइए एक उदाहरण से इसे समझते हैं। पृथ्वी पर कोयला अत्यंत प्राचीनकाल से ही विद्यमान था लेकिन भाप इंजन के आविष्कार के बाद ही यह खनिज संसाधन बन सका। उसके उपरान्त बड़े पैमाने पर कोयले का खनन तथा उपयोग किया जाने लगा। उसी प्रकार जब तक हमारे पास अणुओं को विखंडित कर उनसे ऊर्जा प्राप्त करने की कोई तकनीक नहीं थी। यूरेनियम तथा थोरियम केवल खनिज ही थे, खनिज संसाधन नहीं।

राजस्थान के प्रमुख खनिज

राजस्थान में कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं इसीलिए इस राज्य को 'खनिजो का अजायबघर' कहा जाता है। झारखण्ड के बाद भारत में सर्वाधिक खनिजों का भंडार राजस्थान में ही पाया जाता है। वोलेस्टोनाइट तथा जस्पर खनिजों का उत्पादन तो भारत में केवल राजस्थान से ही होता है।

क्या आप जानते हैं

विश्व के सात आश्चर्यों में से एक 'ताजमहल' का निर्माण राजस्थान के नागौर जिले में स्थित मकराना की खानों से निकले संगमरमर से किया गया था।

सारणी संख्या–1 को देखिए। इसमें राजस्थान में उत्पादित प्रमुख खनिज दिए गए हैं। आप इसे देखकर बता सकते हैं कि ऐसे कौन–कौन से खनिज हैं जिनमें भारत का 90 प्रतिशत या उससे ज्यादा उत्पादन राजस्थान में होता है।

ऊर्जा संसाधन :

सारणी संख्या–1

खनिज का नाम	भारत के कुल उत्पादन का %
वोलेस्टोनाइट	100
जस्पर	100
जस्ता	99
फ्लोराइट	96
जिप्सम	93
मार्बल	90
एसबेस्टस	89
घीया पत्थर	87
सीसा	80
रॉक फॉस्फेट	75

आओ करके देखें–

दी गई सारणी संख्या 1 को देखकर बताइए।

1. राजस्थान के एकाधिकार वाले खनिज कौन–कौन से हैं?
2. राजस्थान में देश के 80 प्रतिशत से अधिक उत्पादन वाले खनिजों के नाम लिखिए।
3. विभिन्न खनिजों के नमूनों अथवा चित्रों का संकलन कर उनकी आपस में तुलना कीजिए।

राज्य के प्रमुख धात्विक एवं अधात्विक खनिज निम्नलिखित हैं–

सारणी संख्या–2

खनिज का नाम	संबंधित प्रमुख जिले
धात्विक खनिज	
सीसा–जस्ता	भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद
ताँबा अयस्क	झुंझुनू, सीकर, अलवर, डूँगरपुर
लोह अयस्क	जयपुर, झुंझुनू, उदयपुर, भीलवाड़ा
टंगस्टन	नागौर, सिरोही
चाँदी	भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद
अधात्विक खनिज	
रॉक फॉस्फेट	उदयपुर, जैसलमेर, जयपुर
चूना पत्थर	चित्तौड़गढ़, सिरोही, नागौर, कोटा, बूंदी, जैसलमेर
अभ्रक	भीलवाड़ा, अजमेर, उदयपुर, जयपुर
जिप्सम	बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, बाड़मेर
घीया पत्थर	उदयपुर, भीलवाड़ा, डूँगरपुर, दौसा
वोलेस्टोनाइट	सिरोही, अजमेर, उदयपुर, पाली
लिग्नाइट (कोयला)	बीकानेर, बाड़मेर, नागौर
संगमरमर	राजसमंद, नागौर, उदयपुर, जयपुर, बाँसवाड़ा
ग्रेनाइट	जालोर, जैसलमेर, पाली, सिरोही
बलुआ पत्थर	जोधपुर, बूंदी, भीलवाड़ा, धौलपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़

आओ करके देखें–

राजस्थान के रूपरेखा मानचित्र पर सारणी संख्या 2 में दिए गए खनिजों के नाम संबंधित जिलों में दर्शाइए।

हम प्रतिदिन देखते हैं कि शाम के बाद अंधेरा हो जाता है, लेकिन हमारे घर में बल्ब/ट्यूबलाइट आदि जलाकर इस अंधेरे को दूर कर देते हैं। गर्मी लगने पर पंखा/कूलर आदि चला लेते हैं। जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं को फ्रीज में रख देते हैं। अब सोचिए की ये सब किससे चलते हैं? इन सब को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसे हम बिजली भी कहते हैं। ठीक इसी तरह खाना बनाने के लिए चूल्हे से लेकर हमारे यातायात के साधन, जैसे–मोटर साईकिलें, बसें, रेल, कार, हवाई जहाज आदि सभी ऊर्जा से ही चलते हैं जिन्होंने हमारे जीवन को बेहद आरामदायक बनाया है। किसी भी स्थिर वस्तु में गति पैदा करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये ऊर्जा हमें इसके विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होती है।

आओ करके देखें–

आपके घर में बिजली से चलने वाले उपकरणों एवं उनके उपयोगों की सूची बनाइए और सोचिए कि उनके अभाव में हमें किन–किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता?

ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण			
नवीनीकरण के आधार पर		परम्परा के आधार पर	
नव्यकरणीय	अनव्यकरणीय	परम्परागत	गैरपरम्परागत
ऐसे ऊर्जा संसाधन जिन्हें मानव प्रकृति में उपलब्ध चीजों द्वारा अपने प्रयासों से बार–बार बना सकता है। अर्थात् जिनकी उपलब्धता पर्याप्त है और जिनका नवीनीकरण हो सके, जैसे–जल विद्युत, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास, ज्वारीय ऊर्जा आदि।	ऐसे ऊर्जा संसाधन जिन्हें मानव अपने जीवन में कभी भी पुनः नहीं बना सकता है। इसमें सभी प्रकार के खनिज सम्मिलित किए जाते हैं, जैसे कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, थोरियम आदि।	ऐसे ऊर्जा संसाधन जिनका उपयोग हम प्राचीन समय से ही कर रहे हैं, परम्परागत ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं, जैसे कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत आदि।	ऐसे ऊर्जा संसाधन जिनका विकास पिछले कुछ दशकों से ही हुआ है या वर्तमान में उनका विकास किया जा रहा है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा आदि।

कोयला खनन

कोयला : इसे चार प्रकारों में बाँटा गया है–एन्थ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट तथा पीट। एन्थ्रेसाइट सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता वाला कोयला होता हैं जिसमें 80 प्रतिशत से अधिक कार्बन होता है तथा ये कम धुआँ छोड़ता है। राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ किस्म का लिग्नाइट पाया जाता है, जिसका खनन बीकानेर के बरसिंहसर एवं पलाना और बाड़मेर के जालीपा, कपुरडी एवं गिरल से किया जाता है। लिग्नाइट का उपयोग विद्युत ऊर्जा तैयार करने में किया जाता है। राजस्थान के प्रमुख तापीय ऊर्जा संयत्र कोटा तथा सूरतगढ़ में स्थित हैं, लेकिन यह पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि इससे अत्यधिक मात्रा में प्रदूषण फैलता है।

पेट्रोलियम या खनिज तेल

इसका उपयोग हमारे यातायात के साधनों को चलाने एवं ऊर्जा उत्पादन मे किया जाता है। लालटेन या स्टोव में जलता केरोसिन भी पेट्रोलियम का ही उप उत्पाद है। यह एक महत्वपूर्ण खनिज है जिसके भंडार

कम स्थानों पर ही हैं। भारत में खनिज तेल सर्वप्रथम असम में खोजा गया था। वर्तमान में भारत का प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र बॉम्बे हाई है जो अरब सागर में स्थित है। राजस्थान में खनिज तेल तथा पेट्रोलियम पश्चिमी भाग में बाड़मेर में मंगला, सरस्वती ऑइल फील्ड, जैसलमेर में घोटारू, तनोट, मनीहारी टिब्बा आदि स्थानों पर तथा बीकानेर, जालोर जिलों में पाया जाता है क्योंकि यहाँ अवसादी चट्टानें पायी जाती हैं। पेट्रोलियम के साथ–साथ प्राकृतिक गैस भी पाई जाती है जिसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। राज्य में प्राकृतिक गैस का खनन जैसलमेर से किया जाता है। ये भी अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले ऊर्जा संसाधन है।

मानव द्वारा किए गए अंधाधुंध खनन और अतिउपयोग के कारण कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस आदि ऊर्जा संसाधन लगातार कम होते जा रहे हैं। यदि हम इसी प्रकार अविवेकपूर्ण तरीके से इनका दोहन करते रहे तो ये संसाधन जल्द ही समाप्त हो जायेंगे। सोचिए, इनके अभाव में हमारा भविष्य कैसा होगा?

जल विद्युत

यह एक अच्छा ऊर्जा संसाधन है, क्योंकि इससे प्रदूषण नहीं फैलता है। साथ ही यह कभी समाप्त होने वाला ऊर्जा संसाधन नहीं है। वर्षा द्वारा नदियों में जल प्रतिवर्ष आता रहता है। भारत में प्रमुख जल ऊर्जा संयत्र भाखड़ा–नाँगल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड परियोजना आदि हैं। राजस्थान की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएँ चम्बल एवं माही बजाज सागर हैं। साथ ही छोटे–बड़े कई बाँधों से जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है।

ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों की सीमितता तथा बढ़ती मानवीय ज़रूरतों ने हमें नए–नए ऊर्जा के स्रोत खोजने पर बाध्य किया है। कुछ ऐसे ही नवीन खोजे गए ऊर्जा संसाधन इस प्रकार हैं–

सौर ऊर्जा

सौर ऊर्जा पैनल

यह एक ऐसा ऊर्जा संसाधन है, जो कभी समाप्त नहीं हो सकता है। हम चाहे जितना भी इसका उपयोग कर लें, अगले दिन हमें उतना ही प्रकाश फिर से मिल जाता है। ऐसे स्थानों पर जहाँ सूर्य की रोशनी तथा ऊष्मा प्रचुर मात्र में उपलब्ध होती है वहाँ सौर ऊर्जा का उपयोग विद्युत निर्माण में भी किया जा सकता है। भारत जैसे उष्ण कटिबंधीय देश में सौर ऊर्जा के विकास की पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध हैं क्योंकि वर्ष के अधिकांश महीनों में यहाँ सूर्य की किरणें मिलती हैं। बिजली के अलावा इसका उपयोग सौर कूकर, सौर तापक आदि के रूप में भी किया जा सकता है। पश्चिमी राजस्थान जहाँ आसमान प्रायः साफ़ रहता है तथा सूर्य की किरणें अधिकांश महीनों में उपलब्ध रहती है, सौर ऊर्जा के विकास की अच्छी संभावना है।

पवन ऊर्जा

पवन ऊर्जा चक्की

पवन ऊर्जा का तात्पर्य है पवन चक्कियों को चलाकर बिजली उत्पादन करना। भारत में मुख्यतः तटीय क्षेत्रों में इसके विकास की संभावनाएँ अधिक हैं। पश्चिमी राजस्थान में पवन चक्कियाँ स्थापित की गयी हैं, जो बिजली उत्पादन में सलंग्न हैं। जैसलमेर एवं प्रतापगढ़ में पवन ऊर्जा के विकास की प्रबल संभावना है। जहाँ सौर ऊर्जा आधारित पावर प्लांट स्थापित किये जा रहे हैं।

परमाणु ऊर्जा

यूरेनियम तथा थोरियम रेडियो सक्रिय खनिज हैं। भारत में यूरेनियम प्रमुख रूप से झारखण्ड तथा राजस्थान में पाया जाता है। साथ ही केरल की मोनोजाईट मिट्टी में भी थोरियम उपलब्ध है। राजस्थान में कोटा के निकट रावत भाटा में एक परमाणु ऊर्जा संयत्र स्थापित हैं।

किसी भी क्षेत्र का औद्योगिक विकास वहाँ पाये जाने वाले खनिज तथा ऊर्जा संसाधनों पर निर्भर करता है। खनिज तथा खनन क्रियाएँ न केवल रोज़गार के अवसर पैदा करती है, बल्कि वे उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध करा के औद्योगिक पृष्ठभूमि को भी सहारा देती हैं। दूसरी तरफ ऊर्जा की निश्चित उपलब्धता विकास के रथ को गति देने में सहायता करती है। अतः हमें समझना होगा कि अधिकांश संसाधन अनव्यकरणीय हैं। एक बार खत्म होने की सूरत में उनका पुनः विकास असंभव है। अतः हमें इनका न्यायसंगत उपयोग करते हुए गैर परंपरागत नवीन संसाधनों की खोज करनी चाहिए।

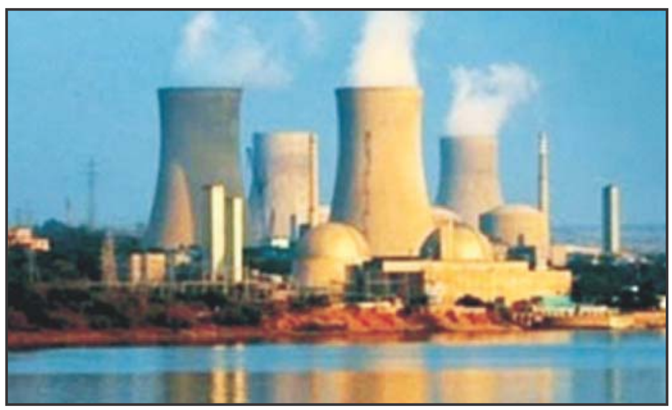

रावतभाटा परमाणु बिजली घर

आओ करके देखें–

1. आप अपने दैनिक जीवन में किस–किस रूप में ऊर्जा का उपयोग करते हैं? ये ऊर्जा हमें कहा से प्राप्त होती है?
2. आपके घर में भोजन पकाने के लिए किस ईंधन का उपयोग किया जाता है? चर्चा कीजिए।

शब्दावली

ऊर्जा	–	शक्ति
आखनन	–	धरातल पर ऊपरी खनन
अयस्क	–	कच्ची धातु
नव्यकरणीय	–	पुनः उपयोग योग्य

अभ्यास प्रश्न

1. **सही विकल्प को चुनिए–**

   (i) निम्नलिखित में से अधात्विक खनिज है–

   (क) संगमरमर (ख) लोहा

   (ग) सोना (घ) तांबा ( )

   (ii) किस राज्य को 'खनिजों का अजायबघर' कहा जाता है–

   (क) झारखण्ड (ख) उड़ीसा (ग) राजस्थान (घ) कर्नाटक ( )

2. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए–

   अ. राजस्थान की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएँ ....एवं .... हैं।

   ब. कोयले के चार प्रकारों के नाम–

   1. .... 2. .... 3. .... 4.........................

   स. किसी भी चलायमान वस्तु को.........................की आवश्यकता होती है।

   द. खनिज निकालने की प्रक्रिया .... कहलाती है।

3. खनिज किसे कहते हैं? उदाहरण सहित इनका वर्गीकरण कीजिए?
4. परम्परागत एवं गैरपम्परागत ऊर्जा संसाधनों में अंतर स्पष्ट कीजिए।
5. खनन की प्रमुख विधियाँ कौन–कौन सी हैं? वर्णन कीजिए।
6. राजस्थान को खनिजों का अजायबघर क्यों कहा जाता है? राजस्थान की खनिज सम्पदा के संदर्भ में संक्षिप्त लेख लिखिए।
7. ऊर्जा संसाधन किसे कहतें हैं? राजस्थान के प्रमुख ऊर्जा संसाधनों को उदाहरण सहित समझाइए।

अध्याय 6

औद्योगिक परिदृश्य

हम प्रातः उठने से लेकर रात को सोने तक प्रतिदिन अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं जैसे– टूथब्रश व टूथपेस्ट, साबुन, कपड़े, पेन, कागज, परिवहन के साधन, सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएँ, कम्प्यूटर, बिस्किुट, बर्तन, घड़ी, कपड़े आदि। अब सोचिए कि इन सब वस्तुओं का निर्माण कहाँ होता है? ये सब वस्तुएँ किसी न किसी औद्योगिक इकाई में ही बनती है।

क्या आप जानते हैं–

आर्थिक क्रियाएँ–वे समस्त क्रिया–कलाप जिनमें मानव अपने और अपने परिवार का भरण–पोषण और जीवनयापन करता है एवं जिनसे उसे धन की प्राप्ति होती है, सामान्यतः आर्थिक क्रियाएँ कहलाती हैं।

कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्यपालन, खनन, विनिर्माण, परिवहन और अन्य कई सेवाएँ, जिनका उद्‌देश्य लाभ प्राप्त करना होता है, आर्थिक क्रियाएँ कहलाती हैं। आखेट, भोजन संग्रहण, पशुपालन, मछली पकड़ना, कृषि, खनन आदि को प्राथमिक व्यवसाय कहा जाता है। उद्योग को द्वितीयक तथा पर्यटन, व्यापार एवं संचार आदि को तृतीयक व्यवसाय कहा जाता है। कच्चे माल की सहायता से हमारे लिए उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करने वाली इकाई को विनिर्माण या उद्योग कहा जाता है। इस प्रक्रिया में कच्चे माल की उपयोगिता एवं कीमत दोनों में वृद्धि होती है। गन्ने से शक्कर बनाना, कपास से कपड़ा बनाना, गेहूँ से बिस्कुट बनाना, लोहे से उपकरण बनाना, सोने से आभूषण बनाना आदि द्वितीयक व्यवसाय के उदाहरण हैं। कृषि एवं खनन का अध्ययन हमने पिछले अध्यायों में किया है। इस अध्याय में हम द्वितीयक व्यवसायों का अध्ययन करेंगे।

राजस्थान में कई प्रकार के उद्योगों का विकास किया गया है। यहाँ विभिन्न प्रकार के वस्त्र निर्माण, कुटीर एवं घरेलू उद्योग बहुत पुराने हैं। यही लघु एवं कुटीर उद्योग अब धीरे–धीरे बड़े उद्योग बन गए हैं, जिनका राजस्थान की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान है।

कौशल विकास

वर्तमान में संपूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी युवक रोजगार की तलाश में भटकते रहते हैं। इस समस्या के समाधान हेतु वर्तमान में विद्यालयी स्तर से ही विभिन्न क्षेत्रों में व्यावसायिक शिक्षा का पाठ्‌यक्रम लागू करने की योजना बनाई है, जिसे कौशल विकास योजना कहा जाता है। इस योजना का मुख्य उद्‌देश्य इस प्रकार की शिक्षा देना है कि युवक को अपनी शिक्षा ग्रहण कर लेने के तुरंत बाद ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके। इस में उद्यमिता कौशल विकास के साथ ही इलेक्ट्रोनिक्स, इलेक्ट्रिकल, खाद्य प्रसंस्करण आदि जैसे व्यवसायों से संबंधित ऐसे विशिष्ट कौशल जो प्रशिक्षणार्थियों को अपना स्वयं का उद्यम प्रारंभ करने एवं रोजगार प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं, पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इसके लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम (EDP), उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम (ESDP), व्यवसायिक कौशल

विकास कार्यक्रम (BSDP), औद्योगिक प्रेरक अभियान (IMC), व्यावसायिक और शैक्षणिक प्रशिक्षण आदि कार्यक्रम चलाए गए हैं।

उद्योगों का वर्गीकरण– उद्योगों का वर्गीकरण आकार, स्वामित्व एवं कच्चामाल के आधार पर किया जा सकता है।

आकार के आधार पर

- कुटीर उद्योग
- लघु उद्योग
- वृहत उद्योग

उद्योगों के आकार का तात्पर्य उसमें लगाई गई पूँजी, श्रमिकों की संख्या, उत्पादन की मात्रा, बिजली का उपभोग आदि से है। **कुटीर या घरेलू उद्योग** छोटे पैमाने के उद्योग हैं, जो अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से अपने घर पर चलाए जाते हैं। जिसमें शिल्पकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से किया जाता है। टोकरी बुनाई, मुर्गीपालन, स्वेटर बनाना, लकड़ी के उपकरण, मिट्‌टी के बर्तन, रस्सी बनाना आदि कुटीर उद्योगों के उदाहरण हैं।

लघु उद्योग वे उद्योग है जिनमें 10 से 100 श्रमिक किसी छोटे कारखाने में उत्पादन कार्य करते हैं। इनमें मशीनें छोटे पैमाने की होती हैं। माचिस उद्योग, ईंट उद्योग, रंगाई–छपाई उद्योग आदि इसके उदाहरण हैं। **वृहत आकार** के उद्योगों में अधिक पूँजी का निवेश, उच्चस्तरीय प्रौद्योगिकी और श्रमिकों की संख्या अधिक होती है। सूती वस्त्र, सीमेंट, लोहा इस्पात, ऑटोमोबाईल्स उद्योग आदि वृहद् उद्योगों के उदाहरण हैं।

स्वामित्व के आधार पर

निजी क्षेत्र	सार्वजनिक क्षेत्र	संयुक्त क्षेत्र	सहकारी क्षेत्र
(स्वामित्व एवं संचालन व्यक्ति एवं व्यक्तियों द्वारा)	(स्वामित्व एवं संचालन) (सरकार द्वारा)	(स्वामित्व एवं संचालन निजी व सरकारी)	(माल की पूर्ति कर्ता व कामगार)

वे सभी उद्योग जिनका स्वामित्व एवं संचालन एक या एक से अधिक व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है, निजी क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। **सार्वजनिक क्षेत्र** के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा होता है जैसे हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड। **संयुक्त क्षेत्र** के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्ति समूहों द्वारा होता है। मारूति उद्योग लिमिटेड़ संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण है। **सहकारी क्षेत्र** के उद्योग का स्वामित्व और संचालन कच्चेमाल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड़ एवं सरस डेयरी सहकारी उपक्रम इसके उदाहरण हैं।

कच्चे माल के आधार पर

कृषि आधारित	समुद्र आधारित	खनिज आधारित	वन आधारित
(सूती वस्त्र एवं शक्कर आदि)	(समुद्र खाद्य प्रसंस्करण, मत्स्य तेल आदि)	(खनिज अयस्क, आभूषण आदि)	(औषधी, कागज, फर्नीचर आदि)

ऐसे सभी उद्योगों को कृषि आधारित उद्योगों में सम्मिलित किया जाता है जिनमें कच्चे माल के रूप में कृषि उत्पादों का उपयोग किया जाता है। जैसे–खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद और चमड़ा उद्योग आदि। समुद्र आधारित उद्योगों में सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। समुद्री खाद्य प्रसंस्करण और मत्स्य तेल निर्माण उद्योग इसके उदाहरण हैं।

खनिज आधारित उद्योगों में खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। अयस्क से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उदाहरण हैं। इसे आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है क्योंकि इस पर कई अन्य उद्योगों का विकास होता है, जैसे भारी मशीनें, भवन निर्माण सामग्री तथा रेल के डिब्बे बनाना आदि प्रमुख हैं। **वन आधारित उद्योगों में** वनों से प्राप्त उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। बाँस का सामान, फर्नीचर, झाडू, बीड़ी, माचिस उद्योग लुगदी एवं कागज, औषधी, कत्था, गोंद आदि वनों से सम्बन्धित उद्योग हैं।

आओ करके देखें –

आप अपने गाँव/शहर या मौहल्ले के विभिन्न उद्योगों की सूची तैयार कीजिए। यह भी पता लगाइए कि इन विभिन्न व्यवसायों/उद्योगों के लिए कच्चा माल क्या है और कहाँ से आता है?

लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास

कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास के लिए राजस्थान लघु उद्योग निगम प्रयासरत है। यह निगम रियायती दरों पर ऋण, तकनीकी सहायता एवं विपणन की सुविधाएँ प्रदान करता है। इन उद्योगों से राज्य के कई लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। जेल के अन्दर भी कैदियों को प्रशिक्षण देकर दरी, गलीचे, निवार, कम्बल आदि वस्तुएँ बनाने में लगाया जाता है। वित्तीय साधनों की कमी, कच्चेमाल की कमी, सीमित बाजार, उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता, ऊर्जा की कमी, अवशिष्ट पदार्थों के उपयोग की सीमित संभावना, अनुसंधान और आधुनिक प्रौद्योगिकी की जानकारी का अभाव आदि लघु व कुटीर उद्योगों की प्रमुख समस्याएँ हैं।

मिट्टी से बर्तन निर्माण चित्र

बाँस से वस्तुओं का निर्माण

राजस्थान के कुटीर एवं लघु उद्योग

हथकरघा उद्योग बहुत कम पूँजी के विनियोग पर भी रोजगार प्रदान करता है। ऊनी शाल, कोटा

की डोरिया साड़ियाँ, दरियाँ, निवार आदि का निर्माण हथकरघा से किया जाता है। प्रायः बुनकर इस कार्य को राजस्थान के अनेक जिलों में करते हैं। अन्य धागों की उपयोगिता निरन्तर बढ़ने से यह उद्योग प्रतिस्पर्धा में पिछड़ गया है। हमारी सरकार हथकरघा उद्योगों के विकास के लिए अनेक योजनाएँ संचालित कर रही हैं। 'एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम' के द्वारा बुनकरों को सहायता प्रदान करता है। गृहविहीन बुनकरों को आवास योजना में मकान एवं अन्य योजनों में औद्योगिक प्रशिक्षण दिया जाता है। राज्य सरकार द्वारा बिक्री कर में छूट, बिक्री केंद्र की स्थापना, कार्यशील पूँजी हेतु ब्याज का अनुदान, यातायात अनुदान के रूप में बुनकरों को सहायता दी जाती हैं।

हाथों से वस्त्र बनाती महिला

सूती, ऊनी, और रेशमी धागों से विभिन्न प्रकार के वस्त्र, दरियाँ, कम्बल, चद्दर, शॉल आदि बनाए जाते हैं। ऊनी खादी में जैसलमेर की बरडी, बीकानेर के कम्बल, जैसलमेर और जोधपुर की मेरिनों खादी प्रसिद्ध हैं। खादी एवं ग्रामोद्योग संस्थाओं के संचालन में सूती, ऊनी ओर रेशमी धागों से बनी वस्तुओं के अलावा मधुमक्खी पालन, अगरबत्ती निर्माण, चर्म उद्योग के अन्तर्गत जूते, चप्पल, पर्स, थेले आदि वस्तुओं का निर्माण किया जाता है।

दलहन फसलों से दालें बनाना भी एक महत्त्वपूर्ण उद्योग है। चना, मूंग, उड़द, चवले आदि की दाल से संबंधित उद्योग राजस्थान के विभिन्न जिलों में पाए जाते हैं। कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा और उदयपुर जिलों में गन्ने के रस से गुड़ और खाँडसारी का निर्माण किया जाता है। इन जिलों में यह उद्योग ग्रामीण स्तर पर अधिक लोकप्रिय है।

राज्य में सरसों तेल की खल, तेल से सम्बन्धित लघु एवं कुटीर उद्योगों का पर्याप्त विकास हुआ है। अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर आदि जिलों में सरसों की अधिक पैदावार के कारण तेल घाणी उद्योग अधिक हैं। अजमेर जिले में मूँगफली के तेल की खल तथा कोटा, बूंदी, बाराँ व पाली जिलों में तिल्ली की खल एवं तेल से सम्बन्धित औद्योगिक इकाइयाँ कार्यरत हैं।

राजस्थान में हाथीदाँत और पीतल के भी आभूषण बनाए जाते हैं। चाँदी से बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ जैसे पायजेब, चेन, अँगूठी, बिछियाँ आदि प्रदेश के विभिन्न नगरों एवं कस्बों में बनाई जाती हैं। पीतल और ताँबे के बर्तन राजस्थान के कई जिलों में बनाए जाते हैं। हजारों लोगों को इससे रोजगार उपलब्ध है, विभिन्न प्रकार के रत्नों की कटाई, घिसाई और पॉलिस भी एक प्रमुख कुटीर उद्योग बन चुका है। जयपुर में जौहरी बाजार सोने चाँदी के आभूषणों एवं रत्नों के लिए एक विश्व विख्यात केंद्र है।

राजस्थान में विभिन्न प्रकार के पत्थर बहुतायत में पाए जाते हैं। यहाँ पत्थरों की कटाई, पॉलिस, एवं पिसाई से सम्बन्धित कई लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास हुआ है। राजसमंद, नागौर, उदयपुर, अजमेर, बाँसवाड़ा आदि जिलों में संगमरमर, धौलपुर में लाल पत्थर, जैसलमेर में पीला पत्थर, कोटा में कोटा स्टोन

तथा जालोर में ग्रेनाइट उद्योग का विकास हुआ है। संगमरमर एवं ग्रेनाईट पत्थरों का निर्यात विदेशों में भी किया जाता है जिससे राज्य में इस उद्योग का बहुत विकास हुआ है।

संगमरमर उद्योग

इनके अतिरिक्त इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रोनिक्स से संबंधित उद्योग, कम्प्यूटर द्वारा प्रिन्टिंग, निमंत्रण पत्र व ग्रीटिंग कार्ड आदि तैयार करने सम्बन्धित उद्योग, छोटी मशीनें और उनसे सम्बंधित उपकरण, लोहे के बोल्ट, कील आदि बनाने के लिए भी कुटीर एवं लघु इकाइयों के रूप में कार्य कर रहे हैं।

वृहद उद्योग

राजस्थान में पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से आधारभूत सुविधाओं का विस्तार जैसे ऊर्जा के साधन, पानी, परिवहन, संचार, बैंकिग व्यवस्था आदि से औद्योगिक परिदृश्य में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन के साथ ही राज्य को औद्योगिक दृष्टि से राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है।

सूती वस्त्र उद्योग

कपड़ा मानव की प्रमुख जरूरतों में से एक है। इसीलिए सूती वस्त्र उद्योग विश्व के प्रमुख एवं प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। 18वीं सदी की औद्योगिक क्रॅाति तक सूतीवस्त्र हस्तकताई तकनीकों एवं हथकरघों से बनाये जाते थे। हमारे देश में उच्च गुणवत्ता के सूतीवस्त्रों का उत्पादन करने की गौरवपूर्ण परम्परा रही है। ब्रिटिश शासन से पूर्व हाथ से कताई और हाथ से बुने हुए वस्त्रों का एक विस्तृत बाजार था। ढाका की मलमल, मसूलीपट्टनम् की छींट, कालीकट के केलिकों तथा बुरहानपुर, सुरत वड़ोदरा के सुनहरी जरी के काम वाले सूती वस्त्र गुणवत्ता और डिजाइनों के लिए विश्वविख्यात थे। वर्तमान में भारत में सूती वस्त्रों का सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों से होता है। मुम्बई को 'सूती वस्त्रों की राजधानी' कहा जाता है।

आधुनिक वस्त्र उद्योग

वस्त्र निर्माण राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है। इसकी पहली मिल अजमेर जिले के ब्यावर में 1889 में स्थापित हुई, लेकिन भीलवाड़ा जिले का राजस्थान में वस्त्र निर्माण में प्रमुख स्थान है। भीलवाड़ा को राजस्थान की 'वस्त्र नगरी' एवं राजस्थान का 'मेनचेस्टर' के नाम से जाना जाता है। वस्त्रों की रंगाई छपाई तथा बँधेज कार्य हेतु जयपुर (सांगानेर, बगरू), जोधपुर, चुरू, बीकानेर, नागौर प्रमुख केंद्र हैं। सिले–सिलाये वस्त्र की दृष्टि से जयपुर एवं जोधपुर प्रमुख है।

सीमेंट उद्योग

यह वर्तमान में प्रमुख भवन निर्माण सामग्री बन गया है। भारत में सर्वप्रथम सन् 1904 ई. में मद्रास (चेन्नई) में समुद्री सीपियों से सीमेंट बनाने का प्रयास किया गया। राजस्थान में इस उद्योग के विकास की पर्याप्त संभावनाएँ हैं। राज्य का पहला सीमेंट कारखाना 1915 ई. में बूंदी जिले के लाखेरी में खोला गया था।

सीमेंट उद्योग

सीमेन्ट उत्पादन के लिए चूना पत्थर, जिप्सम एवं कोयला प्रमुख कच्चा माल है। इनमें से चूना पत्थर तथा जिप्सम राज्य में पर्याप्त मात्रा में मिलता है, लेकिन कोयला मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि अन्य राज्यों से मंगाया जाता है। कच्चे माल की उपलब्धि के कारण चित्तौड़गढ़ जिला सीमेंट उत्पादन के लिए आदर्श जिला माना जाता है। इसके अतिरिक्त जैसलमेर, कोटा, नागौर, पाली, सवाई माधोपुर, उदयपुर, अजमेर, बाँसवाड़ा आदि जिलों में भी सीमेंट इकाइयाँ कार्यरत है।

शक्कर उद्योग

यह एक कृषि आधारित मौसमी उद्योग है जिसका कच्चा माल गन्ना है, जो अधिकांशतः गन्ना उत्पादक क्षेत्र में ही स्थापित किया जाता है। राजस्थान की पहली शक्कर मिल 1932 ई. में चित्तौडगढ़ जिले के भूपालसागर में निजी क्षेत्र स्थापित की हुई थी, जो वर्तमान में बंद है। एक शक्कर मिल श्रीगंगानगर में स्थित है। बूंदी जिले के केशोरायपाटन में भी एक शक्कर मिल है, जो वर्तमान में बंद है।

क्या आप जानते हैं–

तीव्र औद्योगिक विकास एवं रोजगार के साधनों में वृद्धि के उद्देश्य से विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों (Special Economic Zone) का निर्माण किया जाता है, जिन्हें 'सेज' (SEZ) भी कहा जाता है। राज्य का सबसे बड़ा सेज सीतापुरा, जयपुर में स्थापित किया गया है।

अन्य उद्योग

इनके अलावा राज्य में इंजिनियरिंग एवं इंस्ट्रूमेंट्स उद्योग कोटा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, अलवर में सफलतापूर्वक स्थापित किए गए हैं। रासायनिक उद्योग डीडवाना, कोटा, अलवर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में स्थापित हैं। झुंझुनू के खेतडी में खेतड़ी कॉपर कॉम्पलेक्स, उदयपुर में हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड स्थित है। भिवाड़ी, पिलानी, जोधपुर में इलेक्ट्रोनिक्स के कारखानें हैं।

क्या आप जानते हैं–

मेक इन इंडिया–इस शब्द का तात्पर्य है–भारत में बनाओ। इस योजना के माध्यम से भारत सरकार चाहती है कि हमारे जीवन में काम आने वाली सभी प्रकार की आवश्यक वस्तुओं का निर्माण भारत में ही हो। ऐसी सभी वस्तुओं पर 'मेड इन इंडिया' लिखा हुआ हो। यह तभी संभव है, जब वस्तु का निर्माण भारत में हुआ हो। इसका लाभ यह होगा कि देश में बनी वस्तु की कीमत कम होगी तथा वस्तुओं का निर्यात कर राजकीय आय में वृद्धि की जा सकती है।

आओ करके देखें–

अपने शिक्षक की सहायता से आपके जिले में स्थित प्रमुख उद्योगों की सूची बनाकर इनमें से किसी एक से संबंधित जानकारी एकत्र कर कक्षा में अपने साथियों से उसकी चर्चा कीजिए।

शब्दावली

मलमल	–	एक प्रकार का कपड़ा	उद्यम	–	व्यवसाय
अनुदान	–	सरकारी सहायता	बंधेज	–	रंगाई का एक प्रकार
मेरिनो	–	उन्नत किस्म की भेड़ प्रजाति	चवला	–	एक प्रकार का दलहन

अभ्यास प्रश्न

1. **सही विकल्प को चुनिए–**

(i) निम्नलिखित में से कौनसा उद्योग खनिज आधारित है–

(क) सूती वस्त्र उद्योग (ख) सीमेंट उद्योग

(ग) चमड़ा उद्योग (घ) शक्कर उद्योग ( )

(ii) किस उद्योग को मौसमी उद्योग कहा जाता है–

(क) आभूषण उद्योग (ख) ग्रेनाइट उद्योग

(ग) शक्कर उद्योग (घ) डेयरी उद्योग ( )

2. सुमेलित कीजिए–

	कच्चा माल	**उद्योग**
(i)	गन्ना	सूती वस्त्र उद्योग
(ii)	चूना पत्थर	हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड़
(iii)	ताँबा	खाँडसारी उद्योग
(iv)	सरसों	सीमेंट उद्योग
(v)	कपास	कच्ची घाणी उद्योग

3. रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए–

(i) कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास के लिए ....निगम प्रयासरत है।

(ii) राजस्थान में पहला सीमेन्ट कारखाना .... जिले के...................... में खोला गया था।

(iii) जोधपुर की .... खादी प्रसिद्ध हैं।

(iv) जयपुर में .... सोने चाँदी के आभूषणों एवं रत्नों के लिए एक विश्व विख्यात केंद्र है।

4. आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए।

5. राजस्थान की वस्त्र नगरी किसे कहा जाता है? और क्यों?

6. मेक इन इंडिया कार्यक्रम क्यों चलाया गया है?

7. उद्योग को कितने प्रकार में विभाजित किया जा सकता है ? उनके उदाहरणों की सूची बनाइए।

8. कुटीर उद्योग किसे कहते हैं? इनके कुछ उदाहरण दीजिए।

9. राजस्थान के वृहद् उद्योगों का वर्णन कीजिए।

अध्याय 7

जनसंख्या

वर्तमान में तेज गति से सामाजिक–आर्थिक विकास हो रहा है। जरा सोचिए! यह विकास किसने किया है? इसके लिए लोग ही जिम्मेदार हैं। लोगों का शारीरिक श्रम एवं मानसिक क्षमता दोनों मिलकर प्रकृति में उपलब्ध चीजों के द्वारा अपने लिए अनेक संसाधनों का निर्माण करते हैं जो हमें विकास के पथ पर आगे बढ़ाते हैं। अतः किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होती है जिनकी उद्यमशीलता पर विकास निर्भर करता है। जनसंख्या एवं उसके विभिन्न पक्षों का अध्ययन अति आवश्यक है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र का विकास वहाँ की जनसंख्या पर ही निर्भर करता है।

क्या आप जानते हैं–

भारत में पहली जनगणना सन् 1872 में की गई जबकि पहली संपूर्ण जनगणना सन् 1881 में की गई थी। इसके बाद प्रत्येक 10 वर्षों के अन्तराल पर जनगणना का कार्य 'भारतीय जनगणना विभाग' द्वारा किया जाता है।

सन् 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 5.7 प्रतिशत भाग राजस्थान में निवास करता है। कई दूसरे राज्य–जैसे बिहार, बंगाल और केरल की तुलना में यहाँ की आबादी उतनी सघन नहीं है। 6.9 करोड़ जनसंख्या में से लगभग 75 प्रतिशत लोग गाँवों में रहते हैं। राज्य की शहरी आबादी लगभग 25 प्रतिशत है जो छोटे–बड़े शहरों में निवास करती हैं।

जनसंख्या का वितरण और घनत्व

पृथ्वी की सतह पर आबादी के फैलाव को जनसंख्या वितरण कहते हैं। पृथ्वी पर जनसंख्या वितरण असमान है। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ क्षेत्र में जनसंख्या बहुत अधिक पाई जाती है, जिन्हें सघन क्षेत्र तथा वे क्षेत्र जहाँ जनसंख्या कम पाई जाती है, उन्हें विरल क्षेत्र कहते हैं। जैसे राज्य के उत्तरी–पूर्वी भाग के मैदानी क्षेत्र में सघन एवं पश्चिमी भाग में स्थित थार के मरूस्थल में विरल जनसंख्या पाई जाती है। सघन एवं विरल क्षेत्र हमें जनसंख्या घनत्व के बारे में बताते हैं। जनसंख्या घनत्व एक मापक है जो किसी स्थान की जनसंख्या एवं उसके क्षेत्रफल में सम्बन्ध बताता है। अर्थात् एक स्थान के क्षेत्रफल (लम्बाई x चौड़ाई, जिसे हम वर्ग कि.मी. में मापते हैं) पर निवास करने वालों की संख्या बताता है। जैसे राजस्थान में जनसंख्या का घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. है, जबकि बिहार में यह संख्या 1100 से अधिक है।

अतः जनसंख्या घनत्व मापक की इकाई व्यक्ति प्रति वर्ग किमी. होती है। उदाहरण के रूप में यदि किसी एक गाँव की कुल जनसंख्या 1000 है एवं उसका क्षेत्रफल 50 वर्ग किमी. है तो उस गाँव में जनसंख्या का घनत्व (1000 / 50) 20 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. होगा।

आओ करके देखें–

आप अपने गाँव / मौहल्ले की कुल जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के आँकड़े लेकर उसका जनघनत्व ज्ञात कीजिए।

सारणी संख्या–1

क्रस	जिला	कुल जनसंख्या	जन घनत्व	वृद्धि दर	लिंग अनुपात	साक्षरता	पुरुष साक्षरता	महिला साक्षरता
1	श्रीगंगानगर	1969168	179	10.0	887	69.6	78.5	59.7
2	हनुमानगढ़	1774692	184	16.9	906	67.1	77.4	55.8
3	बीकानेर	2363937	78	24.3	905	65.1	75.9	53.2
4	चूरू	2039547	147	20.3	940	66.8	78.8	54.0
5	झुंझुनू	2137045	361	11.7	950	74.1	86.9	61.0
6	अलवर	3674179	438	22.8	895	70.7	83.7	56.3
7	भरतपुर	2548462	503	21.4	880	70.1	84.1	54.2
8	धौलपुर	1206516	398	22.7	846	69.1	81.2	54.7
9	करौली	1458248	264	20.9	861	66.2	81.4	48.6
10	सवाई माधोपुर	1335551	297	19.6	897	65.4	81.5	47.5
11	दौसा	1634409	476	23.5	905	68.2	83.0	51.9
12	जयपुर	6626178	595	26.2	910	75.5	86.1	64.0
13	सीकर	2677333	346	17.0	947	71.9	85.1	58.2
14	नागौर	3307743	187	19.2	950	62.8	77.2	47.8
15	जोधपुर	3687165	161	27.7	916	65.9	79.0	51.8
16	जैसलमेर	0669919	17	31.8	852	57.2	72.0	39.7
17	बाड़मेर	2603751	92	32.5	902	56.5	70.9	40.6
18	जालौर	1828730	172	26.2	952	54.9	70.7	38.5
19	सिरोही	1036346	202	21.8	940	55.3	70.0	39.7
20	पाली	2037573	164	11.9	987	62.4	76.8	48.0
21	अजमेर	2583052	305	18.6	951	69.3	82.4	55.7
22	टोंक	1421326	198	17.3	952	61.6	77.1	45.4
23	बूँदी	1110906	192	15.4	925	61.5	75.4	46.6
24	भीलवाड़ा	2408523	230	19.2	973	61.4	75.3	47.2
25	राजसमंद	1156597	248	17.7	990	63.1	78.4	48.0
26	डूँगरपुर	1388552	368	25.4	994	59.5	72.9	46.2
27	बाँसवाड़ा	1797485	397	26.5	980	56.3	69.5	43.1
28	चित्तौड़गढ़	1544338	197	16.1	972	61.7	76.6	46.5
29	कोटा	1951014	374	24.4	911	76.6	86.3	65.9
30	बाँरा	1222755	175	19.7	929	66.7	80.4	52.0
31	झालावाड़	1411129	227	19.6	946	61.5	75.8	46.5
32	उदयपुर	3068420	262	23.7	958	61.8	74.7	48.4
33	प्रतापगढ़	0867848	195	22.8	983	56.0	69.5	42.4
	राजस्थान	68548437	200	21.3	928	66.1	79.2	52.1

स्रोत–भारतीय जनगणना, 2011

राजस्थान के प्रत्येक जिले में जनसंख्या का वितरण असमान है। पश्चिमी राजस्थान में कम तो पूर्वी राजस्थान में अधिक जनसंख्या पाई जाती है। राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 10 प्रतिशत भाग अकेले जयपुर जिले में रहता है तो वहीं जैसलमेर में राज्य की 1 प्रतिशत से भी कम जनसंख्या पाई जाती है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में राज्य के लगभग 61 प्रतिशत भाग पर लगभग 40 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। यहाँ जन घनत्व सबसे कम औसतन 130 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. है। अलवर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, धौलपुर, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, भीलवाड़ा आदि राज्य के पूर्वी समतल मैदानी क्षेत्र के जिले जिनमें राज्य के केवल 20 प्रतिशत भाग पर राज्य की लगभग 33 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। यहाँ का जन घनत्व 332 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी. है, जो राज्य में सर्वाधिक है। मैदानी भाग में कृषि के अनुकूल परिस्थितियों जैसे–समतल मैदान, पानी की उपलब्धता, देश की राजधानी दिल्ली से समीपता, उद्योग, वाणिज्य और परिवहन की आधारभूत सुविधाओं के कारण विकास अधिक होने से जनसंख्या भी अधिक निवास करती है। अरावली पर्वतीय भाग तथा दक्षिणी–पूर्वी पठारी प्रदेश में राजस्थान का मध्यम जन घनत्व पाया जाता है। पश्चिमी राजस्थान में कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और आधारभूत सुविधाओं की कमी के कारण जनसंख्या कम है। फ़िर भी यह ध्यान देने की बात है की विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में थार मरुस्थल जनसंख्या की दृष्टि से सबसे सघन बसा मरुस्थल है।

आओ करके देखें–

सारणी संख्या 1 को देखकर उत्तर दीजिए।

1. राजस्थान के किन दो जिलों में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है?
2. राजस्थान के किस भाग में जन घनत्व कम पाया जाता है व क्यों?

जनसंख्या वृद्धि

एक अनुमान के अनुसार ईसा सदी के पहले वर्ष में विश्व की कुल आबादी 17 करोड़ के लगभग थी जो वर्तमान में बढ़कर 700 करोड़ से अधिक हो गयी है। अतः पृथ्वी पर जनसंख्या लगातार बढ़ती चली आ रही है। इसी तरह भारत एवं राजस्थान की जनसंख्या भी लगातार बढ़ रही है।

आओ करके देखें :–

सारणी संख्या 1 में देखकर राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर में 30 प्रतिशत से अधिक एवं 15 प्रतिशत से कम वृद्धि दर वाले जिलों की सूची बनाइए।

किसी निश्चित अवधि में जनसंख्या में आए बदलाव को जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। जनसंख्या का बढ़ना और घटना दोनों ही परिवर्तन हैं। जनसंख्या परिवर्तन के आंकलन के लिये जिस मापक का प्रयोग होता है उसे जनसंख्या वृद्धि दर कहा जाता हैं। जनसंख्या वृद्धि दर एक निश्चित अवधि में जनसंख्या में हुए बदलाव या परिवर्तन का आंकलन करता है।

अगर किसी कारण से किसी स्थान की जनसंख्या, किसी एक वर्ष या दशक में पिछले वर्ष या दशक से कम हो जाए तो इसे जनसंख्या पतन या ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं और यदि बढ़ जाए तो उसे धनात्मक वृद्धि कहा जाता है।

जनसंख्या वृद्धि दर ज्ञात करने की विधि–

जनसंख्या वृद्धि दर पता करने के लिये तीन तरह की जानकारियों की आवश्यकता होती है–

(1) किसी स्थान (देश, राज्य, जिला आदि) की किसी एक समय की आबादी, उदाहरण के लिये 2011 में राजस्थान की आबादी को लेते हैं,

(2) राजस्थान की किसी दूसरे समय की आबादी– यहाँ हम 2001 की जनसंख्या ले लें,

(3) इन दो वर्षो में अंतराल कितना है ? अर्थात् हम यह पता करेंगे कि 2001 और 2011 में कितने वर्ष हैं। अब हम जनसंख्या वृद्धि दर निम्नलिखित सूत्र से जान सकते हैं–

$$\text{जनसंख्या वृद्धि दर} = \frac{\text{2011 की जनसंख्या} - \text{2001 की जनसंख्या}}{\text{2001 की जनसंख्या}} \times 100$$

अब हम उपर्युक्त सूत्र का प्रयोग करेंगे :

1. 2011में राजस्थान की जनसंख्या – 68548437
2. 2001 में राजस्थान की जनसंख्या – 56507188
3. 2011 और 2001 का अंतराल – 10 वर्ष

$$\text{जनसंख्या वृद्धि दर} = \frac{68548437 - 56507188}{56507188} \times 100 = 21.31 \text{ प्रतिशत}$$

अतः राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर प्रति दशक (10 सालों में) 21.31 प्रतिशत रही।

जनसंख्या वृद्धि तीन कारको पर निर्भर है–जन्म, मृत्यु और प्रवास। इन तीनों कारणों के समीकरण से जनसंख्या में परिवर्तन होता है। हर प्राणी जो पैदा होता है उसकी मृत्यु भी होती हैं, अतः जन्म और मृत्यु एक जैविक घटना है। हाँ ये हो सकता है कि मृत्यु का कारण अलग–अलग हों। कोई प्राकृतिक रूप से अपनी आयु पूरी कर वृद्धावस्था के बाद मर जाता है तो कोई किसी दुर्घटना के कारण और कोई कुपोषण या बीमारी से। जन्म और मृत्यु की संख्या में अंतर से जनसंख्या में बढ़त या घटत होती है, जिसे प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। जन्म दर अगर मृत्यु दर से अधिक हो तो जनसंख्या में वृद्धि होती हैं। यदि जन्म दर मृत्यु दर से कम हो तो जनसंख्या में कमी आती हैं, और अगर दोनों समान हों तो जनसंख्या में संतुलन बना रहता है। आप्रवास एवं उत्प्रवास के अंतर को जब प्राकृतिक वृद्धि में जोड़ते है तब जनसंख्या वृद्धि का सही अनुमान लग पाता है।

प्रवास का अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा अपना निवास स्थान बदल देना जिसके प्रमुख कारण सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और प्राकृतिक आपदा आदि हो सकते हैं। उदाहरण के लिये जब कोई व्यक्ति गाँव से शहर, एक गाँव से दूसरे गाँव, एक शहर से दूसरे शहर, किसी एक देश या राज्य से किसी दूसरे देश और राज्य में जाकर बस जाता है तो इस प्रक्रिया को प्रवास कहते हैं। एक स्थान से किसी व्यक्ति के जाने को उत्प्रवास तथा आने को आप्रवास कहा जाता है। दो देशों के मध्य होने वाले प्रवास को अन्तर्राष्ट्रीय प्रवास एवं

एक देश की सीमा के अंदर होने वाले आवास स्थानान्तरण को आंतरिक प्रवास कहा जाता है।

अनुकूल जनसंख्या

हमारे देश में जनसंख्या तेजी से बढ़ने के कारण प्रति व्यक्ति संसाधनों की उपलब्धता में कमी आ रही है, जिससे हमें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अतः हमें जनसंख्या वृद्धि दर को घटाना होगा। जिसका सबसे सरल उपाय है हमारा परिवार छोटा रखने के लिए हमें 'हम दो, हमारे दो' की विचारधारा को अपनाना होगा। यदि प्रत्येक माता–पिता की दो ही संताने होगी तो जनसंख्या में वृद्धि होना स्वतः ही रुक जाएगा। परिवार छोटा होने पर सभी सदस्यों में संसाधनों की उपलब्धता अधिक होगी। जनसंख्या स्थिर होने के बाद देश में सामाजिक–आर्थिक विकास तेज गति से होगा।

भारत और राजस्थान में पिछले छह दशाब्दियों में जनसंख्या वृद्धि की तुलना

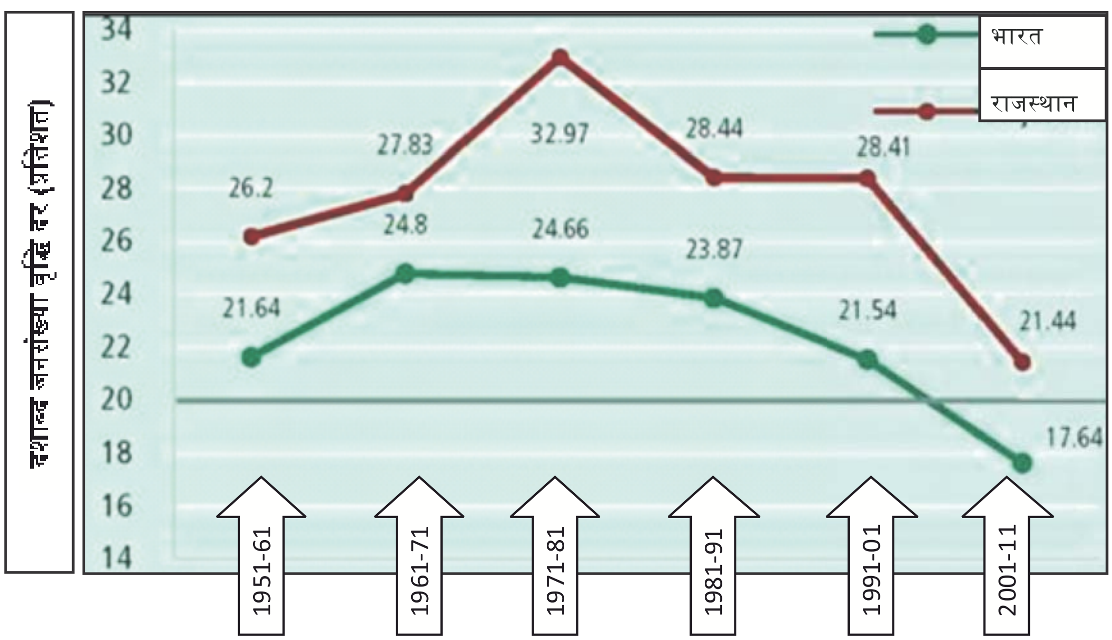

भारत और राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति को ऊपर दिए आरेख से जानने का प्रयत्न कीजिए। आप पाएँगे कि 1951–61 के दशक से 2001–2011 तक राजस्थान में जनसंख्या की वृद्धि दर भारत की तुलना में अधिक रही है। पिछले दशक में जनसंख्या वृद्धि दर में तेजी से कमी आई है। बाड़मेर और जैसलमेर में जनसंख्या में सबसे अधिक तथा गंगानगर में सबसे कम वृद्धि हुई है।

राजस्थान के आठ जिलों में जनसंख्या में वृद्धि भारत (17.6 प्रतिशत) की औसत अंक से कम रही। गंगानगर के अलावा ये जिले हैं –झुंझुनू, पाली, बूँदी, चित्तौड़गढ़, सीकर, हनुमानगढ़ और टोंक।

अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति मानव प्राकृतिक संसाधनों द्वारा ही पूरा करता है, लेकिन समस्या यह है कि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है लेकिन प्राकृतिक संसाधनों में वृद्धि नहीं होती है। अतः संसाधनों में धीरे–धीरे कमी आती जाती है। हमारे देश में भी खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई है लेकिन

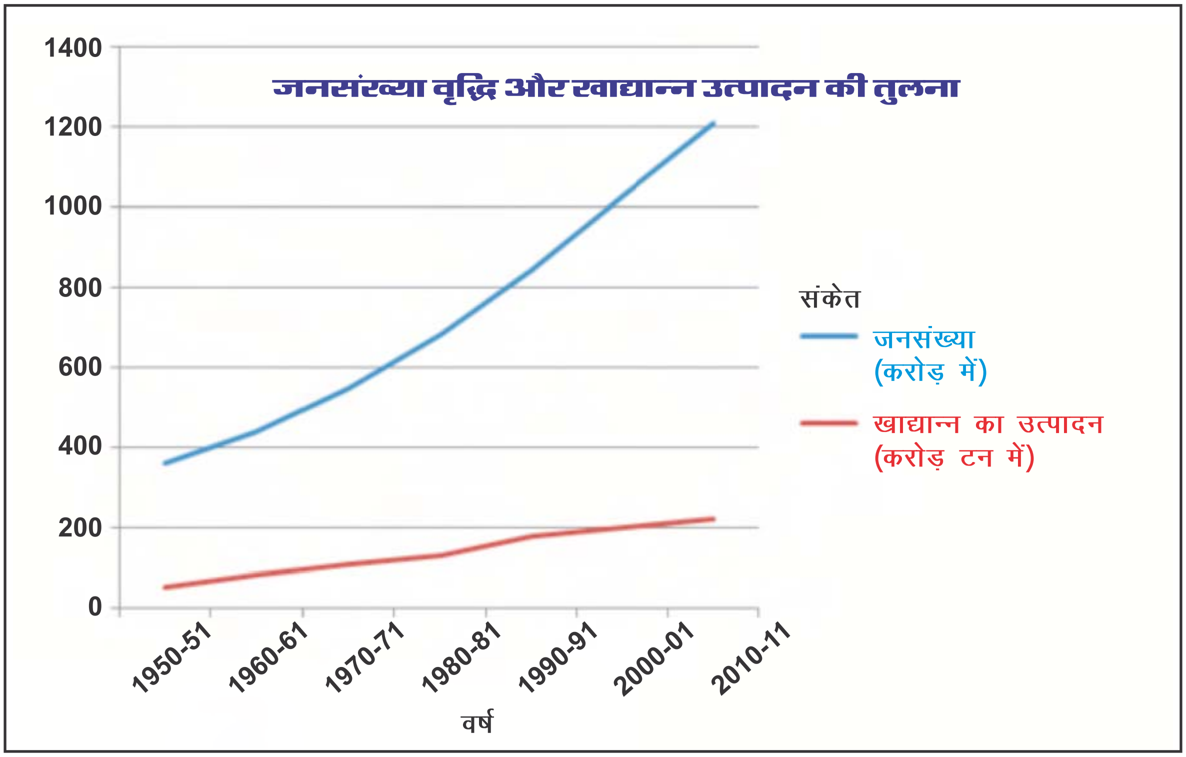

खाद्यान्न की तुलना में जनसंख्या में वृद्धि अधिक हुई जिससे अब भी खाद्यान्न का संकट बना हुआ है। ऐसी स्थिति में कृषि की उत्पादन क्षमता को बढाने के लिए आधुनिक सिंचाई एवं तकनीक का सहारा लिया गया है, क्योंकि जनसंख्या के साथ पृथ्वी के क्षेत्रफल को नहीं बढ़ाया जा सकता है। बढ़ती आबादी के लिये मकान, उसके आवागमन के लिए परिवहन के साधन जैसे सड़क, रेलमार्ग आदि और उसके रोज़गार के लिए भी भूमि की माँग लगातार बढ़ती ही जा रही है। अतः जनसंख्या में हो रही वृद्धि को कम करना अत्यावश्यक है।

लिंगानुपात

प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। भारत में केरल एवं पुडुच्चेरी में ही स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक है। अन्य सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या कम है जो बड़ी चिंता का विषय है। लिंगानुपात से हमें समाज में महिलाओं की स्थिति का पता चलता है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात 928 है जबकि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों में लिंगानुपात केवल 888 है, जो अत्यंत कम है। इसके क्या कारण हो सकते हैं और यह आगे क्या समस्या पैदा कर सकता है? यदि समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी होगी एवं उनका सम्मान होगा तो उस समाज या प्रदेश में लिंगानुपात उच्च होगा और जिस समाज में महिलाओं की स्थिति निम्न होगी उस समाज में लिंगानुपात भी निम्न होगा।

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ

भारत सरकार द्वारा देश में महिला सशक्तीकरण एवं बेटियों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए जनवरी, 2015 को देश में 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना शुरू की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेटियों को शिक्षा द्वारा सामाजिक–आर्थिक आधार पर आत्मनिर्भर बनाना है।

आधुनिक तकनीकी द्वारा गर्भ में बच्चे के लिंग का पता लग जाने से कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, महिलाओं के प्रति हिंसा, बाल विवाह, पुरुष प्रधान समाज, प्रवास के कारण नगरों में पुरुषों का अधिक होना, शिक्षा एवं कार्य संबंधी भेदभाव आदि कारणों से वर्तमान में बेटियाँ अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। इसलिए सरकार ने यह योजना बेटियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की है। यह योजना हमारे देश एवं समाज के लिए एक वरदान है। यदि बेटियों को सुरक्षा प्रदान नहीं की गई तो निकट भविष्य में इनकी संख्या कम होने से लिंगानुपात घट जाएगा। इसका समाज पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा एवं शादी के लिए बेटियों की कमी और महिलाओं के प्रति अपराध जैसी कई समस्याओं का जन्म होगा।

'हम माँ चाहते हैं, बहन चाहते हैं, बहू चाहते हैं, फिर बेटी क्यों नहीं?'

आओ करके देखें–

सारणी संख्या 1 को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

1. राजस्थान में सर्वाधिक व सबसे कम लिंगानुपात वाले दो–दो जिलों के नाम लिखिए।

साक्षरता

जनसंख्या दर से किसी भी क्षेत्र की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। यह जनांकिकी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है। सन् 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल साक्षरता 66.10 प्रतिशत है। 76.6 प्रतिशत के साथ कोटा राज्य में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है जबकि सबसे कम साक्षरता जालोर में 54.9 प्रतिशत है। पुरुष व महिला साक्षरता क्रमशः झुंझुनू एवं कोटा में सर्वाधिक तथा क्रमशः प्रतापगढ़ व जालोर में न्यूनतम है।

धार्मिक संरचना

भारत की तरह हमारा राज्य भी एक धर्म निरपेक्ष राज्य है, अर्थात् यहाँ सभी प्रकार के धर्मों को मानने वाले लोग रह सकते हैं। यह राज्य हिंदू, मुसलमान, सिक्ख, ईसाई, जैन, बौद्ध और इन मुख्य धर्मो के कई संप्रदायों जैसे शैव, वैष्णव, शिया, सुन्नी, मेव, पठान की जन्म और कर्म भूमि है। यहाँ हिंदुओं का तीर्थ पुष्कर, जैनों का दिलवाड़ा एवं इस्लाम का अजमेर शरीफ हैं। सन् 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू धर्मावलंबियों की आबादी 88.5 प्रतिशत हैं। मुसलमान 9.1 प्रतिशत और शेष जनसंख्या सिक्ख, जैन एवं अन्य धर्मों के अनुयायियों की है।

आओ करके देखें–

सारणी संख्या 1 को देखकर नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए–

1. राजस्थान में कुल जनंसख्या............................ जन घनत्व...................... वृद्धि दर......................... . लिंगानुपात...................... साक्षरता...................... पुरुष साक्षरता..................... एवं महिला साक्षरता.............................. है।
2. आपके जिले (.......................) की पहचान कर नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कुल जनंसख्या............................ जनघनत्व....................... वृद्धि दर............................ लिंगानुपात.....................साक्षरता.................पुरुष साक्षरता............एवं महिला साक्षरता.............है।

भाषाई परिदृश्य

राजस्थान की आधिकारिक भाषा हिंदी है, लेकिन आम बोल–चाल और लोक साहित्य में राजस्थानी और उसकी सहयोगी भाषाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। राजस्थानी आर्यभाषा परिवार का एक भाषा समूह है जिसमें कई बोलियाँ जैसे मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी, ढूँढाड़ी, शेखावाटी आदि प्रमुख हैं। इनके अलावा यहाँ भीली, मेवाती, गुजराती, उर्दू और ब्रज भाषा भी बोली जाती है। ये भाषाएँ राज्य के अलग–अलग प्रदेशों में अवश्य बोली जाती है, लेकिन उन्होंने एक लम्बे समय से एक–दूसरे के साथ सामाजिक और व्यापारिक लेन–देन के माध्यम से लगातार संबंध बनाए रखा है।

अनुसूचित जनजातियाँ

राजस्थान के सतरंगी सांस्कृतिक परिवेश को राज्य की जनजातियाँ और भी आकर्षक बनाती है। अनुसूचित जनजातियाँ अधिकतर गाँव में, पहाड़ों, पठारों और जंगलों में निवास करती हैं। अधिकांश खेती,

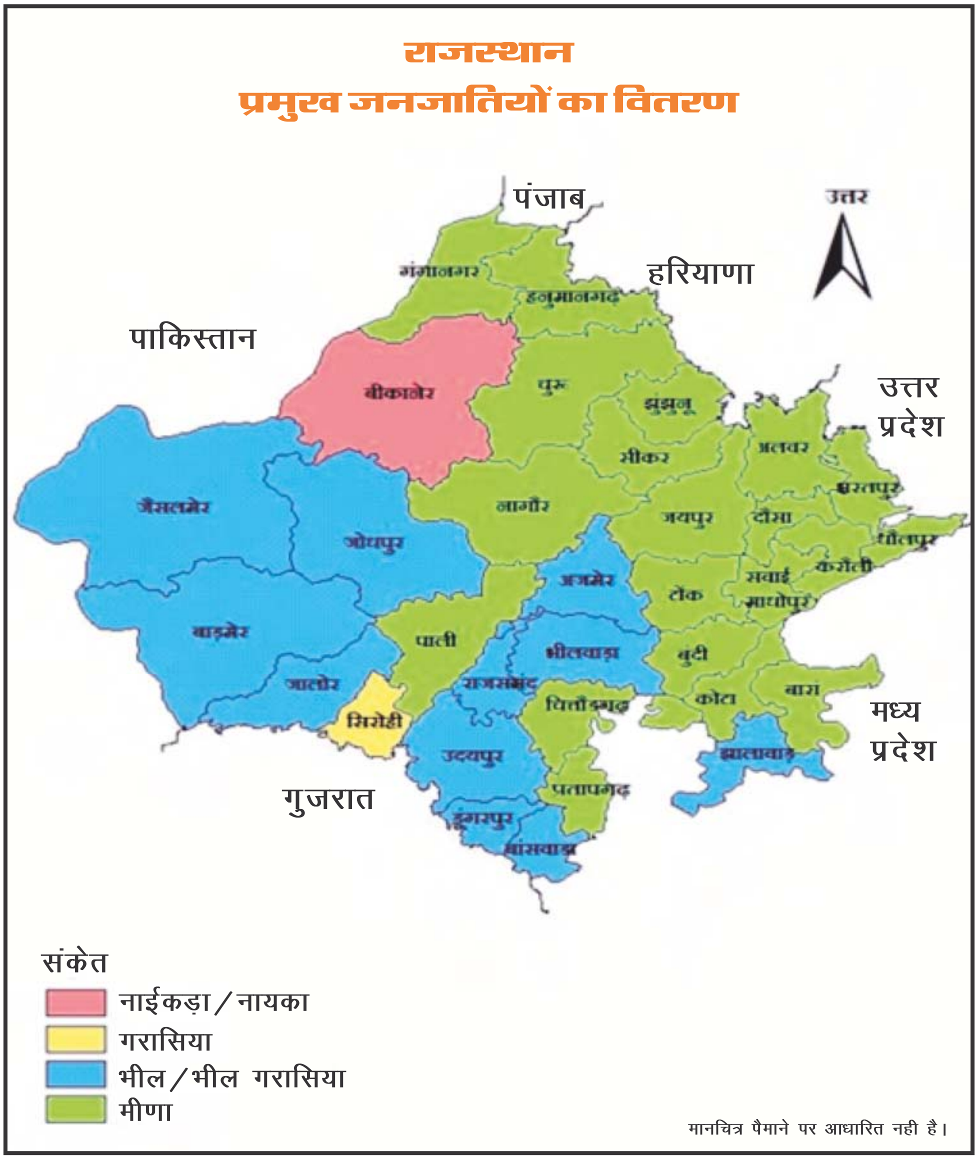

मजदूरी, जंगल के उत्पाद को एकत्र कर अपना जीवन व्यतीत करती हैं। राजस्थान में जनजातीय आबादी सिरोही से प्रारम्भ होकर उदयपुर, डूँगरपुर, चित्तौड़गढ़ तथा बाँसवाड़ा जिलों से होते हुए बूँदी, कोटा, सवाईमाधोपुर, टोंक तथा जयपुर जिलों के बीच निवास करती है।

राज्य की प्रमुख जनजातियाँ भील, गरासिया, मीणा और सहरिया हैं। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या मीणा जनजाति की है। इसके अतिरिक्त भील, गरासिया एवं सहरिया जनजातियाँ भी प्रमुख हैं। सहरिया राजस्थान की एकमात्र जनजाति है जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची मे शामिल किया है।

राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति भील है। भीलों की भाषा में द्रविड़ या मुण्डा भाषा के शब्द पाए जाते हैं। दक्षिणी राजस्थान में इसे''वागड़ी'' या ''भीली'' कहते हैं। इनकी मुख्य आजीविका कृषि एवं वनोपज है। मीणा जनजाति की लगभग आधी से अधिक जनसंख्या जयपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर, करौली एवं उदयपुर जिलों मे निवास करती हैं। सहरिया शब्द की उत्पत्ति फारसी शब्द ''सहर'' से हुई है, जिसका अर्थ जंगल या वन में निवास करने वाले लोग है। राजस्थान के बाँरा जिले के शाहबाद एवं किशनगंज तहसीलों में सहरिया सर्वाधिक है। कृषि, मजदूरी, लकड़ी एवं वनोपज एकत्र करना इनकी आजीविका के मुख्य साधन हैं।

आओ करके देखें—

1. राजस्थान की प्रमुख बोलियों और धर्मो की सूची बनाइए।
2. जनजातियों के वितरण मानचित्र को देखकर प्रमुख जनजातियों एवं उनके जिलों को पहचानिए एवं नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए—

जनजाति	**उनके प्रमुख जिले**
नाईकड़ा/नायक	....
गरासिया	....
भील/भील गरासिया	....
मीणा	....

3. क्या आपके जिलें में मानचित्र में दी गई जनजाति के अतिरिक्त कोई अन्य जनजाति पाई जाती है? यदि हाँ तो अपने शिक्षक एवं परिवार के सदस्यों की सहायता से उनके बारे में जानकारी एकत्र कीजिए।

शब्दावली

वनोपज	—	वनों से प्राप्त उपज
प्रवास	—	किसी स्थान को स्थाई रूप से छोड़कर जाना
आप्रवास	—	किसी स्थान को स्थाई रुप से छोड़कर आना

अभ्यास प्रश्न

1. **सही विकल्प को चुनिए–**

(i) राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है–

(क) भील (ख) मीणा (ग) गरासिया (घ) सहरिया ( )

(ii) राजस्थान के किस भौतिक विभाग में जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाया जाता है।

(क) पूर्वी मैदान (ख) मरुस्थल प्रदेश

(ग) हाड़ौती का पठार (घ) अरावली पर्वतमाला ( )

2. रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए–

अ. राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या .... जनजाति की है।

ब. सन् 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल साक्षरता .... प्रतिशत है।

स. राजस्थान में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों में लिंगानुपात .... है।

द. हमारा राज्य भी एक .... निरपेक्ष राज्य है।

3. जनसंख्या वृद्धि के तीन कारक कौन–कौन से हैं?

4. 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना क्यों चलाई गई है?

5. जनसंख्या परिवर्तन किसे कहते हैं?

6. जनसंख्या वृद्धि दर ज्ञात करने का सूत्र को एक उदाहरण द्वारा समझाइए।

7. राजस्थान में जनसंख्या के प्रादेशिक वितरण को समझाइए।

8. लिंगानुपात किसे कहते हैं? राजस्थान के परिपेक्ष्य में समझाइए।

9. राजस्थान की जनजातियों पर एक लेख लिखिए।

अध्याय 8

पर्यटन और परिवहन

वर्तमान में विकास की दौड़ के कारण हमारा जीवन बहुत ही अस्थिर हो गया है। ऐसे अनेक कारण हैं जिनकी वजह से मानव को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना–जाना पड़ता है। जैसे–मनोरंजन, प्राकृतिक दृश्यों का आनंद, ऐतिहासिक स्थलों को देखना, संस्कृति संबंधी तथ्यों का अवलोकन, धार्मिक यात्रा, अध्ययन, खेलकूद, स्वास्थ्य, कार्यालय कार्य, व्यापार, सम्मेलन, अभियान, पारिवारिक कार्य आदि के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर की गयी यात्रा पर्यटन कहलाती है, अर्थात् हम कह सकते हैं कि पर्यटक एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने सामान्य दैनिक जीवन के माहौल से अलग किसी अन्य स्थान पर कुछ समय के लिए अस्थाई रूप से रहता है। अपना उद्देश्य पूरा होने के बाद वह पुनः अपने मूल स्थान पर लौट आता है।

हमारा राजस्थान पर्यटन के क्षेत्र में ना केवल भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व में विख्यात है। इसीलिए ऐसा अनुमान है कि भारत में आने वाला हर तीसरा विदेशी पर्यटक राजस्थान में आता है। राजस्थान में मरुस्थल एवं अरावली जैसे भौतिक स्वरूप, वन्य जीव, ऐतिहासिक घटनाओं का गौरवमयी इतिहास, स्थापत्य कला, मेले, सांस्कृतिक विविधताएँ आदि पर्यटकों को आकर्षित करते रहे हैं। यही कारण है कि यह राज्य भारत का एक प्रमुख पर्यटक राज्य है। लोक संगीत, नृत्य, कला आदि राजस्थान की सांस्कृतिक विविधताओं के बारे में जानने और सीखने के उद्देश्य से भी यहाँ काफी पर्यटक आते हैं।

हम एक ही स्थान पर रहकर प्रतिदिन एक जैसे कार्य करते हैं जिससे हमारा जीवन उबाऊ एवं तनाव ग्रस्त हो जाता है। इससे छुटकारा पाने एवं अपने जीवन में फिर से जोश भरने के लिए मनुष्य अपने मूल निवास स्थान से दूर किसी अन्य स्थान पर जाना पसंद करता है। अपनी मानसिक संतुष्टि एवं मनोरंजन के लिए घूमना, प्रकृति के सुहावने स्थानों की खूबसूरत छवियों को निहारना, खेलना, नए लोगों से मिलना एवं उनकी संस्कृति, रहन–सहन, खान–पान को जानना आदि हमारे तनाव भरे जीवन को आनंद में बदल देता है। किसी अन्य स्थान पर जाने से पहले कई प्रश्न हमारे सामने आ जाते हैं कि हम नए स्थान पर जाने के लिए यात्रा कैसे करेंगे? नए स्थान पर कहाँ रहेंगे? वहाँ हमारी मदद कौन करेगा? लेकिन इन प्रश्नों को लेकर घबराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि परिवहन के साधन, गाइड, होटल, रेस्तराँ आदि हमारी मदद करते हैं और पर्यटन को आनंददायक बना देते हैं।

पर्यटन से हमें अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। पर्यटन हमारी आय को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, इसलिए हम देशी–विदेशी मुद्रा कमाने के लिए पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। होटल तथा रेस्तराँ के मालिक एवं कर्मचारी, गाइड, वाहनों के ड्राइवर, परिवहन एजेंट, व्यापारी, उद्योग और इनसे संबंधित अन्य क्षेत्रों में रोजगार बढ़ना भी पर्यटन का एक प्रमुख लाभ है। साथ ही पर्यटन जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है उसको भी संरक्षण मिलता है और प्रचार–प्रसार होता है। विदेशी पर्यटकों को भारत की ओर आकर्षित करने के लिए सरकार ने **'अतुल्य भारत'** नामक एक कार्यक्रम तैयार किया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में सन् 1979 में राजस्थान पर्यटन विकास निगम (R.T.D.C.) की स्थापना की गयी है। साथ ही 'पधारो म्हारे

राजस्थान
प्रमुख पर्यटन स्थल

मानचित्र पैमाने पर आधारित नही है।

देश', 'राजस्थान पधारिये', 'रंगीलो राजस्थान', 'सुरंगा राजस्थान' आदि नारे दिये गये हैं। 'भारत का अतुल्य राज्य' (The Incredible State of India) राजस्थान का पर्यटन प्रतीक है।

पर्यटकों की सुविधा के लिए राजस्थान को अलग–अलग पर्यटक मंडलों (सर्किट) में बाँट दिया है। जिनमें से जयपुर–आमेर सर्किट, मरु सर्किट एवं मेवाड़ सर्किट अधिक महत्वपूर्ण हैं, जहाँ देशी व विदेशी पर्यटक अधिक आते हैं। राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों को तीन भागों में बाँटा जा सकता है–ऐतिहासिक, भौगोलिक एवं धार्मिक पर्यटन स्थल।

पर्यटन प्रतीक
(Logo)

ऐतिहासिक पर्यटन स्थल

विजय स्तंभ

राजस्थान का इतिहास अत्यंत गौरवपूर्ण रहा है इसीलिए राज्य के लगभग सभी क्षेत्रों में ऐतिहासिक महत्व के पर्यटक स्थल पाए जाते हैं। पुरातात्विक पर्यटन स्थलों के रूप में हनुमानगढ़ में कालीबंगा एवं पीलीबंगा, उदयपुर में आहड़, जयपुर में बैराठ और सीकर में गणेश्वर प्रसिद्ध हैं। जयपुर में हवामहल, आमेर का किला, जंतर–मंतर, चित्तौड़गढ़ का विजयस्तम्भ एवं कीर्तिस्तम्भ, राजसमन्द स्थित कुम्भलगढ़ का किला, उदयपुर का सज्जनगढ़ किला और सिटी पैलेस, जोधपुर में मेहरानगढ़ किला, जैसलमेर का सोनारगढ़ किला आदि प्रमुख ऐतिहासिक पर्यटन स्थल हैं। इनका विस्तृत अध्ययन इतिहास की पाठ्यपुस्तकों में किया गया है।

आओ करके देखें–

आपके जिले में स्थित ऐतिहासिक स्थलों की सूची बनाकर उनसे सम्बंधित जानकारी एकत्र कीजिए।

प्राकृतिक पर्यटन स्थल

राजस्थान की भौगोलिक बनावट एवं प्राकृतिक छटाओं के बीच जैसलमेर में मनमोहक रेत के टीले (धोरे), झीलों की नगरी उदयपुर में जयसमंद, फतेहसागर, पिछोला, उदयसागर आदि झीलें एवं शिल्पग्राम, सिरोही का प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल माउण्ट आबू एवं नक्की झील, अजमेर की पुष्कर झील, राजसमंद में स्थित राजसमंद झील, चित्तौडगढ़ में चुलिया एवं मेनाल जल प्रपात, सवाईमाधोपुर का रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान, अलवर का सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर का केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी विहार, जैसलमेर एवं बाड़मेर में स्थित राष्ट्रीय मरु उद्यान, कोटा में चम्बल नदी के किनारे घड़ियाल तथा मगरमच्छों के संरक्षण के लिए चम्बल अभयारण्य प्रमुख है।

आओ करके देखें–

आपके जिले में स्थित भौगोलिक पर्यटक स्थलों की सूची बनाकर उनसे सम्बंधित जानकारी एकत्र कीजिए।

रणथम्भौर अभयारण्य में बैठे बाघ

केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान

धार्मिक पर्यटन स्थल

राजस्थान के रीति–रिवाजों व लोक संस्कृति में धर्म का बहुत महत्व है। यहाँ के तीर्थ स्थल पर्यटन के प्रमुख केन्द्र माने जाते हैं। राज्य में ब्रह्माजी का मंदिर (पुष्कर), ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह (अजमेर), कोलायत (बीकानेर), रामदेवरा (जैसलमेर), नाथद्वारा में श्रीनाथ जी (राजसमन्द), एकलिंग जी (उदयपुर), गोविन्ददेवजी (जयपुर), करणीमाता देशनोक (बीकानेर), श्री महावीर जी (सवाईमाधोपुर), त्रिपुरा सुंदरी (बाँसवाड़ा) आदि मुख्य धार्मिक पर्यटन स्थल हैं। ऋषभदेव (उदयपुर), रणकपुर (पाली) और देलवाड़ा (सिरोही) के जैन मन्दिर भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। पर्यटन व्यवसाय राज्य में रोजगार का प्रमुख स्रोत है।

रामदेवजी मंदिर

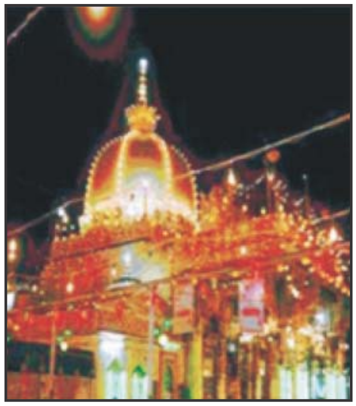
अजमेर दरगाह

रणकपुर का जैन मंदिर

आओ करके देखें–

आपके जिले में स्थित धार्मिक पर्यटक स्थलों की सूची बनाकर उनसे सम्बंधित जानकारी एकत्र कीजिए।

पर्यटन का विकास

राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना के अतिरिक्त राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 1989 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। पर्यटन एक सेवा उद्योग है। पर्यटन के विकास के लिए राज्य में होटल निर्माण एवं पेईंग गेस्ट योजना संचालित है। परिवहन के लिए आरक्षण, गाइड, टैक्सी, प्रमुख पर्यटन स्थलों की जानकारी आदि इन्टरनेट पर उपलब्ध है, ताकि पर्यटक इन सब की जानकारी जुटा सके। प्रमुख दर्शनीय स्थानों को सड़क मार्ग, रेल मार्ग एवं हवाई मार्गों से जोड़ने का प्रयास किया गया है। 'रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स' जैसी शाही रेलगाड़ी जो प्रमुख पर्यटक स्थलों की सैर करवाती हैं। सभी तरह की अत्याधुनिक सुविधाओं से सम्पन्न यह शाही रेलगाड़ी देशी–विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करती है। दिल्ली से शुरू होने वाली यह रेलगाड़ी राजस्थान में जोधपुर, चित्तौडगढ़, उदयुपर, जयपुर एवं रणथंभौर से होकर आगे मध्यप्रदेश एवं उत्तरप्रदेश में चली जाती है। राज्य में उपलब्ध यात्रा की सुविधा, लोककला, लोकनृत्य, लोकगीत, पारम्परिक वेशभूषा आदि ने पर्यटन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स रेलगाड़ी

आओ करके देखें–

राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए महोत्सव आयोजित किए जाते हैं। अपने शिक्षक एवं पत्र–पत्रिकाओं की सहायता से इनकी जानकारी एकत्र कीजिए।

परिवहन का अर्थ एवं प्रकार

किसी भी क्षेत्र के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए आधारभूत संरचनात्मक ढाँचे (उद्योग, दूर संचार, विद्युत, परिवहन एवं अन्य आर्थिक गतिविधियाँ आदि) का विकास होना अत्यंत आवश्यक है। अतः विकास के लिए परिवहन भी एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है। आधुनिक समय में परिवहन के साधनों के विस्तार को ही आर्थिक विकास एवं समृद्धि का सूचक माना जाता है।

क्या आप जानते हैं

राजस्थान रोड विजन 2025 के अनुसार इस सदी के पहले 25 सालों में सड़कों का विस्तार एवं उचित देखभाल कर सड़कों की गुणवत्ता को बनाए रखा जायेगा। इस के अन्तर्गत राज्य में एक्सप्रेस हाईवे बनाना, फ्लाई ओवर बनाना, राज्य के प्रमुख शहरों को रिंग रोड द्वारा जोड़ना एवं सभी गाँवों को सड़को से जोड़ने की योजना हैं।

अब प्रश्न यह उठता है कि परिवहन है क्या? एक स्थान से दूसरे स्थान तक मानव, वस्तुओं एवं विचारों के आदान–प्रदान को परिवहन कहा जाता है। परिवहन का महत्त्व हम इस बात से समझ सकते हैं कि इसे क्षेत्र की 'रक्त वाहिनियाँ' कहा जाता है। परिवहन के अभाव में मनुष्य अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है। कल कारखानों तक कच्चा माल और उत्पादित वस्तु को उपभोक्ता तक पहुँचाना परिवहन के बिना संभव नहीं है। शीघ्र खराब होने वाली सामग्री परिवहन के बिना खराब हो जाएगी और उसकी उपयुक्त कीमत नहीं मिल पाएगी। अतः परिवहन एक ऐसी सेवा है जिसे आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था की 'जीवन रेखा' कहा जा सकता है।

राजस्थान में परिवहन के मुख्य साधन सड़क, रेल एवं हवाई यातायात हैं। साथ ही पाइप परिवहन द्वारा तरल एवं गैसीय वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। हमारे घर पर पाइप लाइन द्वारा नल से आने वाला पानी इसका उदाहरण है। राज्य में जल परिवहन के विकास की संभावनाएँ अत्यंत कम हैं, क्योंकि राज्य की सीमा समुद्रों से नही मिलती है और नदियाँ छोटी व अनित्यवाही है। अतः इनमें जहाज चलाना कठिन है।

सड़क परिवहन

राजस्थान में सड़क परिवहन का ही सर्वाधिक विकास हुआ है। राज्य का अधिकांश परिवहन सड़कों के माध्यम से ही पूरा होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो सड़क परिवहन ही सबसे महत्वपूर्ण है। सरकार के द्वारा पिछलें कुछ दशकों में सड़कों का तेजी से विकास किया गया है जो वर्तमान में भी जारी है। राज्य में स्थित सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यीय राजमार्ग, जिला सड़के, ग्रामीण सडकें आदि में वर्गीकृत किया जाता है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण परियोजना द्वारा विभिन्न गाँवों को सड़कों से जोड़ दिया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग का दृश्य

राज्य से होकर कई राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 राज्य का सबसे व्यस्ततम एवं महत्वपूर्ण राजमार्ग है। राज्य के मध्य से गुजरने वाला यह राजमार्ग दिल्ली से मुम्बई को जोड़ता है। राज्य में सर्वाधिक लंबाई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 की है जो पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 एवं 15 राज्य को गुजरात के कांडला बंदरगाह से जोड़ते हैं।

आओ करके देखें–

1. राजस्थान के अन्य प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग कौन–कौन से हैं? अपने शिक्षक एवं परिवहन मानचित्र की सहायता से पता लगाकर रूपरेखा मानचित्र में दर्शाइए।
2. आपके जिले से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग/राजमार्गो की सूची बनाकर उनके बारे में जानकारी एकत्र कीजिए।

सड़क सुरक्षा

प्रातःकाल चाय के प्याले के साथ अखबार पढ़ते ही पता लगता है कि सड़क पर दुर्घटना हो गई जिससे कुछ व्यक्ति मारे गए। इसका तात्पर्य है हमसे गाड़ी चलाने में कहीं न कहीं चूक हुई है। आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि 'सावधानी हटी, दुर्घटना घटी'। अतः हमें सड़क पर अत्यंत सावधानी पूर्वक चलना चाहिए तथा सड़क पर लगे हुए सड़क सुरक्षा संबंधी चिह्नों एवं यातायात नियमों का ध्यान रखना चाहिए–

1. सड़क पार करते समय जेबरा क्रासिंग का प्रयोग करना।
2. गाड़ी निर्धारित गति से चलाना।
3. शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाना।
4. यातायात बत्ती का पालन करना।
5. वाहन अपनी कतार (Lane) में चलाना।
6. सड़क पर मुड़ने के लिए संकेतक का उपयोग करना।
7. दुपहिया वाहन पर हेलमेट एवं चौपहिया वाहन में सीट बेल्ट का उपयोग करना।

8. ओवर टेक दाहिनी तरफ से सावधानीपूर्वक करना।
9. वाहन चलाते समय मोबाइल पर एवं अन्य व्यक्ति से बात नहीं करना।
10. रात्रि में वाहन चलाते समय संकेतकों (Indicator and Dipper) का प्रयोग करना।
11. वाहन में तेज आवाज में संगीत नहीं बजाना।
12. वाहन चलाते समय दूसरे वाहन से पर्याप्त दूरी रखना, आदि।

भारतमाला परियोजना

भारत सरकार द्वारा देश में सड़कों के विकास के लिए एक नवीन 'भारतमाला' परियोजना की घोषणा की है। इस परियोजना में लगभग हजारों किलोमीटर लंबी सड़कों का विकास करने की योजना है जो राजस्थान सहित भारत के सभी सीमावर्ती राज्यों, पंजाब, जम्मू–कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश, बिहार, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर होते हुए मिजोरम आदि में बनाई जाएगी। सामरिक महत्त्व को देखते हुए इस परियोजना का लगभग 1500 किलोमीटर का हिस्सा राजस्थान के सीमावर्ती (पाकिस्तान) भाग से होकर गुजरेगा।

आओ करके देखें–
भारत के राजनीतिक रूपरेखा मानचित्र में भारतमाला सड़क गुजरने वाले राज्यों को दर्शाइए।

रेल परिवहन

स्थल पर लंबी दूरी तक अधिक मात्रा में तथा भारी वस्तुओं के परिवहन के लिए रेल परिवहन सबसे अच्छा एवं सस्ता परिवहन का साधन है। भारत में पहली रेल सन् 1853 में महाराष्ट्र के मुम्बई एवं थाणे के बीच चलाई गई थी। उसके बाद अन्य राज्यों में इसका धीरे–धीरे विकास होता गया। राजस्थान में पहली रेल सन् 1874 में बांदीकुई (दौसा) से आगरा फोर्ट (उत्तर प्रदेश) के बीच चलाई गई थी। तब से राज्य में लगातार रेल परिवहन का विकास हो रहा है। राज्य में रेलमार्ग की कुल लम्बाई लगभग 6000 कि.मी. है। राजस्थान का रेल परिवहन भारत के उत्तरी–पश्चिमी रेलवे मंडल में सम्मिलित है, जिसका मुख्यालय जयपुर है। राजधानी होने के कारण राज्य में रेलवे परिवहन का सबसे बड़ा केंद्र भी जयपुर ही है। जयपुर में उत्तम शहरी यातायात के लिए मेट्रो रेल की शुरूआत जून 2015 से की गई है।

राजस्थान का अधिकांश भाग मरुस्थलीय एवं पर्वतीय होने के कारण यहाँ रेल परिवहन का विकास अपेक्षाकृत कम ही हुआ है। लेकिन खनिजों की उपलब्धता और बढ़ते औद्योगिक विकास के कारण रेल परिवहन के विकास की राज्य में अच्छी संभावनाएँ मौजूद हैं।

आओ करके देखें–
आपके जिले में स्थित रेलमार्गों एवं रेलवे स्टेशनों की सूची बनाइए।

वायु परिवहन

यह सबसे मँहगा तथा तीव्र परिवहन का साधन है जो शीघ्र खराब होने वाली एवं मूल्यवान वस्तुओं के लिए परिवहन की अच्छा साधन है। लागत अधिक होने के कारण राज्य में इसका विकास अपेक्षाकृत कम ही

हुआ है। वर्तमान में औद्योगीकरण और विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे विकास के लिए राजस्थान में वायु परिवहन की सुविधाओं को विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जयपुर अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा साँगानेर में स्थित है जो राज्य का सबसे व्यस्ततम व पहला अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। उदयपुर के डबोक में महाराणा प्रताप हवाई अड्डा स्थित है। सैनिक एवं नागरीक महत्व का एक हवाई अड्डा जोधपुर के रातानाडा में भी है। जैसलमेर एवं अजमेर में भी हवाई अड्ड़े बन रहे हैं।

जयपुर अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा

शब्दावली

अभ्यारण्य	–	वन्य जीवों का उन्मुक्त आवास क्षेत्र
स्थापत्य कला	–	भवन निर्माण कला
राष्ट्रीय राजमार्ग	–	केन्द्र सरकार के अधीन सड़कें
राज्यीय राजमार्ग	–	राज्य सरकार के अधीन वाली सड़कें
मैट्रो रेल	–	महानगरों में स्थानीय परिवहन के लिए उपयोगी रेल

अभ्यास प्रश्न

1. सही विकल्प को चुनिए–

(i) राजस्थान में ब्रह्माजी का मन्दिर स्थित है–

(क) अजमेर (ख) पुष्कर

(ग) पाली (घ) करौली ( )

(ii) जयसंमद झील कौनसे जिले में स्थित है।

(क) उदयपुर (ख) चित्तौड़गढ

(ग) बाड़मेर (घ) जालौर ( )

2. रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए–

   अ. जयपुर में उत्तम शहरी यातायात के लिए .... की शुरूआत जून 2015 से की गई है।

   ब. सड़क पार करते समय .... क्रॉसिंग का प्रयोग करना।

   स. पर्यटन एक .... उद्योग है।

   द. केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी विहार ....जिले में स्थित है।

3. राजस्थान का प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है?

4. राजस्थान में प्रथम रेल कब व कहाँ चली थी?

5. भारतमाला योजना क्या है? समझाइए।

6. पर्यटन किसे कहते हैं ? आर्थिक दृष्टि से पर्यटन का क्या महत्व है?

7. राजस्थान में प्रमुख पर्यटन स्थान कौन–कौन से हैं?

8. राजस्थान में सड़क परिवहन पर एक लेख लिखिए।

सामाजिक विज्ञान

भाग–II

सामाजिक और राजनीतिक जीवन

अध्याय 9

समकालीन भारतीय समाज

भारतीय समाज एक विविधतायुक्त समाज है। हम पढ़ चुके हैं कि विविधताओं के होते हुए भी भारत में विभिन्न लोगों, जातियों और समुदायों के बीच एक अनोखी समानता एवं एकता सदैव विद्यमान रही है। भारतीय समाज एवं संस्कृति का इतिहास अति प्राचीन है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और इस नियम के अनुसार भारतीय समाज भी अछूता नहीं रहा है। भारतीय समाज एक जीवन्त व गतिशील समाज है। यहाँ समाज में परिवर्तनशीलता के साथ–साथ निरन्तरता भी देखने को मिलती है। भारतीय जनमानस आधुनिकता के साथ–साथ ही अनेक परम्परागत संस्थाओं एवं मूल्यों में विश्वास करता है। इस अध्याय में हम विभिन्न बिंदुओं के अंतर्गत भारतीय समाज की समकालीन स्थिति पर चर्चा करेंगे।

विवाह, परिवार और नातेदारी

भारतीय सामाजिक व्यवस्था में विवाह एक पवित्र संस्कार माना जाता रहा है। किन्तु वर्तमान में इसकी प्रकृति एवं स्वरूप में परिवर्तन आ रहा है। विवाह एक पवित्र संस्कार से समझौते की स्थिति में आ गया है। विवाह संबंधों के स्थायित्व में कमी देखी जा रही है। हिन्दू समाज में भी तलाक का चलन प्रारम्भ होने के साथ–साथ बढ़ भी रहा है, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में। इन परिवर्तनों के पीछे पाश्चात्य शिक्षा एवं संस्कृति का बढ़ता प्रभाव, बिखरते संयुक्त परिवार, नगरीयकरण, औद्योगिकीकरण आदि कारण माने जा सकते हैं।

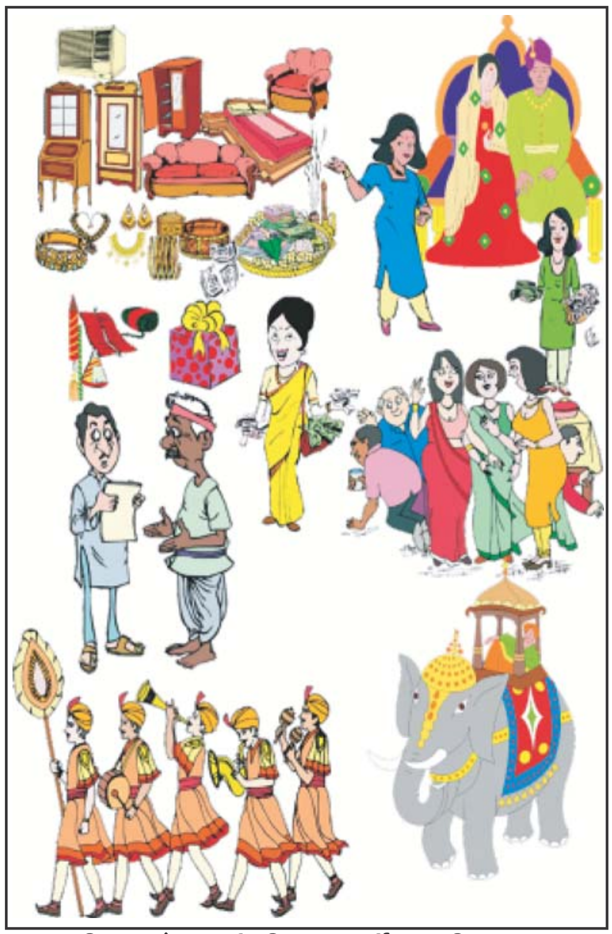

विवाह में बढ़ती फिजूलखर्ची एवं दिखावा

वर्तमान में शहरी जीवन शैली की प्रधानता बढ़ रही है। शहरी रहन–सहन ने संयुक्त परिवार के स्वरूप को कमजोर किया है। एकल और छोटे परिवारों का जोर बढ़ता जा रहा है। रिश्तेदारी संबंध सीमित होते जा रहे हैं, हालाँकि ग्रामीण क्षेत्रों में ये संबंध अब भी शहरी क्षेत्रों के मुकाबले अधिक निकट के बने हुए हैं। परिवार के परम्परागत कार्यों में परिवर्तन होता जा रहा है। परम्परागत व्यवसाय के स्थान पर नये काम–धन्धे अपनाये जाने लगे हैं, जैसे किसान का बेटा अब खेती से अलग कार्य करने लगा है। शिक्षा प्राप्त अनेक युवक नया व्यवसाय करते हैं, जिसके अवसर प्रायः उनके पैतृक स्थानों पर उपलब्ध नहीं होते हैं। फलस्वरूप वे अपने पैतृक परिवार से अलग हो

जाते हैं। बहुत से ग्रामीण युवा गाँव से शहरों में और छोटे शहरों के अनेक युवा बडे शहरों में चले जाते हैं। सामान्यतः एक बात अब भी देखी जा सकती है, वह यह है कि परिवार चाहे अलग–अलग स्थानों पर रह रहे हों, परन्तु माता–पिता तथा सगे संबंधियों के प्रति सामाजिक कर्त्तव्यों को आज भी निभाने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार कार्यात्मक रूप से संयुक्त परिवार व्यवस्था प्रचलित है।

अब परिवार में वरिष्ठ सदस्य के स्थान पर स्वयं निर्णय लेने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। परिवार के सदस्य अपने पेशे, शिक्षा, मनोरंजन और राजनीतिक जीवन में अलग–अलग रूचियों के अनुसार लगे रहते हैं। शहरों में विभिन्न अवसरों पर सामाजिक और आर्थिक सहायता के लिए लोग जाति और रिश्तेदारी की अपेक्षा पडोसियों, परिचितों और दफ्तर के सहयोगियों पर अधिक निर्भर देखे जाते हैं।

सामाजिक प्रथाएँ

समाज से सती प्रथा का उन्मूलन हो चुका है। कानूनी प्रतिबन्ध के बावजूद दहेज प्रथा और कुछ मात्रा में बाल–विवाह प्रथा आज भी समाज में मौजूद हैं। विवाह आदि समारोहों में फिजूल–खर्ची और दिखावा बढ़ता जा रहा है, किन्तु साथ ही दूसरी ओर सामूहिक विवाह सम्मेलनों का चलन भी चल पड़ा है। अनेक परम्परावादी विश्वासों और विकार्यवादी प्रथाओं को त्याग दिया गया है। आज अनेक परम्परागत सामाजिक निषेधों को उपेक्षित किया जा रहा है। बाजार और आधुनिकता के दबाव में सामाजिक प्रथाओं ,त्योहारों और रिवाजों के तौर तरीके बदलते जा रहे हैं।

गतिविधि :

1. अपने गाँव या शहर में प्रचलित सामाजिक कुप्रथाओं की सूची बनाइए।
2. परिवार या मोहल्ले के बड़े–बुजुर्गों से उनके बचपन से लेकर वर्तमान समय तक सामाजिक परम्पराओं में हुए बदलावों पर चर्चा करके एक चार्ट तैयार कीजिए।

शिक्षा, बाजारीकरण एवं उपभोक्तावाद का प्रभाव

शिक्षा ने देश के लोगों का दृष्टिकोण विस्तृत किया है। अपने अधिकारों एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विचार बढ़ा है। वैज्ञानिक नवाचारों की सामाजिक स्वीकृति ने रहन–सहन के स्तर को उठाने और लोगों में भौतिक कल्याण प्राप्त करने की आकांक्षाओं को बढ़ावा दिया है। औद्योगिकीकरण और मध्यम वर्ग के उदय से समाज के मूल्यों में परिवर्तन हुए हैं। तर्कसंगत भावना का विकास हुआ है। व्यक्तिवादिता, समानता और न्याय की विचारधाराओं का महत्त्व बढ़ा है। महिलाएँ शिक्षा और रोजगार प्राप्त करके स्वतंत्रता अर्जित कर रही हैं।

बढ़ता उपभोक्तावाद

'बाजारीकरण' विस्तृत होता जा रहा है। उदाहरण के लिए अब विवाह जैसे पारिवारिक व सामाजिक कार्य भी व्यावसायिक 'विवाह ब्यूरो' द्वारा फीस लेकर तय एवं सम्पन्न करवाने में भूमिका निभाने लगे हैं। जहाँ पहले सामाजिक कौशल और शिष्टाचार जैसे आचरण व्यक्ति को परिवार के लोगों द्वारा सिखाए जाते थे, वहीं अब व्यावसायिक संस्थान 'व्यक्तित्व सँवारने' के पाठ्यक्रम चला रहे हैं। करीब चार दशक पूर्व लोग पानी के बाजारीकरण की सोचते भी नहीं थे, वहीं अब गाँवों तक में पानी की बोतल बिक्री के लिए उपलब्ध होना कोई आश्चर्य नहीं है।

समाज में बाजारवाद के दबाव में उपभोक्तावाद बढ़ता जा रहा है। उपभोक्तावादी जीवन शैली में आप अपने घर को किस तरह सजाते हैं, किस तरह के कपड़े पहनते हैं, किस तरह के मनोरंजन को पसन्द करते हैं, शादी आदि समारोह किस तरह आयोजित करते हैं, वस्तु का कौनसा मॉडल उपयोग करते हैं– ये सब बातें लोगों की समाज में उनकी प्रस्थिति और प्रतिष्ठा से जुड़ गयी हैं। अधिक से अधिक वस्तुओं को खरीदना , उनका उपभोग व प्रदर्शन करना– यह लोगों की जीवन शैली बन चुकी है। संस्कृति भी बाजार का हिस्सा बन चुकी है। भारतीय संस्कृति के गौरव– योग, आयुर्वेद और पुष्कर जैसे मेलों पर बाजारीकरण के प्रभाव परिलक्षित होना इसके उदाहरण हैं।

जाति प्रथा

जाति के धार्मिक आधार समाप्त हो रहे हैं, किन्तु सामाजिक संस्था के रूप में जाति मजबूत हो रही है। राजनीतिक रूप से जातिवाद में बढ़ोतरी हुई है। जातीय संगठन मजबूत हुए हैं। वर्चस्व स्थापित करने की होड़ ने जातीय सद्भाव को ठेस पहुँचाई है। जाति चुनावी राजनीति का आधार बन गई है, जबकि प्रारम्भ में जातीय भाईचारे की भूमिका चुनाव जीतने में निर्णायक रहती थी। सार्वभौम वयस्क मताधिकार पर आधारित चुनावी लोकतंत्र ने उन जातियों को राजनीतिक शक्ति प्रदान कर दी है, जिनकी जनसंख्या काफी बड़ी है। ये जातियाँ राजनीति और खेतिहर व्यवस्था में निर्णायक भूमिका अदा कर रही हैं।

देश की विकासात्मक नीतियों से लाभान्वित शहरी उच्च वर्ग व उच्च मध्यम वर्ग के लिए जातीयता का महत्त्व कम हो गया प्रतीत होता है। इन्हें किसी गंभीर प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करना पड़ता। ये समाज में विशेषाधिकार प्राप्त प्रस्थिति में आ गए हैं। शिक्षित वर्ग ने अतिवादी जातीय व्यवहारों को छोड़ना प्रारम्भ कर दिया है। वे व्यक्तिवाद और योग्यता को अधिक महत्त्व देते हैं। नगरीकरण और शहरों में सामूहिक रहन–सहन की परिस्थितियों ने जाति–बंधन के परम्परागत स्वरूपों को दुर्बल बनाया है। अंतर्जातीय विवाह बढ़ते जा रहे हैं। अब एक जाति विशेष में जन्मा व्यक्ति आसानी से व्यवसाय परिवर्तन कर सकता है। आधुनिक उद्योगों व तकनीकी ने नए–नए रोजगार के अवसर तैयार किए हैं, जिनके लिए इस प्रकार के कोई परम्परागत जातीय व सामाजिक नियम नहीं हैं कि फलां कार्य केवल फलां जाति वाले व्यक्ति ही करेंगे। अमीरी और गरीबी का संबंध सामान्यतः जाति से नहीं रह गया है। आज हर जाति में अमीर भी हैं, तो गरीब भी हैं। समान आर्थिक और सामाजिक आधार वाली जातियों में नजदीकियाँ आ गई हैं। अन्तर्जातीय खान–पान के निषेध कमजोर हो रहे हैं।

आधुनिक नीतियों और क्रिया–कलापों का प्रभाव जनजातीय संस्कृति, समाज और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। जहाँ तक आरक्षण व अन्य संरक्षण प्राप्त जाति वर्गों की बात है, उनमें भी एक शिक्षित एवं

शक्तिशाली मध्यम वर्ग का उद्‌भव हो चुका है। आरक्षण की माँग बढ़ती जा रही है और इसने राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया प्रतीत होता है।

गतिविधि :
अपने परिवार के बुजुर्ग सदस्यों से चर्चा करके आज से लगभग 30 वर्ष पूर्व से वर्तमान समय तक विवाह समारोहों के आयोजन में आये परिवर्तनों की सूची बनाइए।

बढ़ता शहरीकरण एवं शहरी जीवन शैली

20वीं शताब्दी के आरम्भिक काल में भारत की कुल जनसंख्या का मात्र 11 प्रतिशत आबादी शहरों में रहती थी, किन्तु 21 वीं शताब्दी (जनगणना–2011) में भारत की 31.16 प्रतिशत जनसंख्या शहरों में रहने लग गई। इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि कृषि आधारित ग्रामीण जीवन शैली का आर्थिक और सामाजिक महत्त्व घटता जा रहा है, वहीं उद्योग आधारित नगरीय जीवन शैली का प्रभाव समाज में बढ़ता जा रहा है। सकल घरेलु उत्पाद में कृषि का योगदान जहाँ पहले आधे से अधिक रहता था, वहीं अब यह घटकर एक–चौथाई रह गया है। अब गाँवों में रहने वाले अधिक से अधिक लोग खेती नहीं करके परिवहन–सेवा, व्यवसाय या शिल्प निर्माण जैसे खेती से भिन्न व्यवसायों को अपनाते जा रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग गाँव में रहते हुए भी रोजाना काम करने के लिए गाँव के नजदीकी कस्बे या शहर में जाते हैं। नकद आमदनी कमाने के अवसर गाँवों में घटते जा रहे हैं।

आधुनिक जीवन शैली से प्रभावित युवक

रेडियो, टेलीविजन, समाचार–पत्र जैसे जनसंपर्क एवं जनसंचार के साधनों के जरिये ग्रामीण लोग नगरीय तड़क–भड़क और सुख–सुविधाओं से सुपरिचित हो जाते हैं। उनमें भी वैसा ही जीवन जीने की लालसा उत्पन्न हो जाती है। बाजार की ताकतें ग्रामीण क्षेत्रों पर भी छा गई हैं। छोटे गाँव से बडे गाँव या कस्बे तथा शहर की ओर बढ़ते हुए जनसंक्रमण और टेलीविजन आदि जनसंचार के साधन निरन्तर ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के बीच की खाई को पाटते जा रहे हैं। भारतीय समाज का स्वरूप अब ग्रामीण की बजाय नगरीय होता जा रहा है।

साक्षरता संबंधी विषमता

साक्षरता शक्ति संपन्न होने का महत्त्वपूर्ण साधन है। साक्षर व्यक्तियों में आजीविका के विकल्पों के बारे में जागरूकता अधिक होती है और वे ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में भाग लेते हैं। साक्षरता से स्वास्थ्य के

प्रति जागरूकता आती है और समुदाय के सदस्यों की सांस्कृतिक और आर्थिक कल्याण के कार्यों में सहभागिता बढ़ती है।

भारत में विभिन्न सामाजिक समूहों में साक्षरता संबंधी स्थिति में बहुत भिन्नता पाई जाती है। देश में जहाँ पुरुष साक्षरता 82.14 प्रतिशत है, वहीं महिला साक्षरता 65.46 प्रतिशत ही है। जब बात राजस्थान की करें, तो यहाँ के 79.02 प्रतिशत पुरुष साक्षर है, वहीं मात्र 52.10 प्रतिशत महिलाएँ ही साक्षर हैं, यानी लगभग आधी महिलाएँ निरक्षर हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग की महिलाएँ साक्षरता में अधिक पिछडी हुई हैं।

गिरता लिंगानुपात

भारत इस समय विश्वभर में सबसे युवा देशों में से एक है क्योंकि भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 60.29 प्रतिशत भाग कार्यशील जनसंख्या (15 से 59 वर्ष) का है। अतः भारत के पास काफी बडा और बढ़ता हुआ श्रमिक बल है, जो समृद्धि की दृष्टि से लाभ प्रदान करता है। किन्तु दूसरी ओर विषमता की स्थिति यह है कि भारत में लिंगानुपात में भारी विषमता है। सन् 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति एक हजार पुरुषों की आबादी पर 943 महिलाएँ हैं, वहीं राजस्थान में मात्र 928 ही हैं। यह स्थिति बालिकाओं के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार को प्रदर्शित करती है। हालाँकि इस स्थिति के लिए उत्तरदायी एक कारण– भ्रूण के लिंग परीक्षण पर नियंत्रण व रोक लगाने के लिए कानून बनाकर इसे दण्डात्मक अपराध घोषित कर दिया गया है और लिंगानुपात में सुधार के लिए अनेक प्रयास किये जा रहे हैं। 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना एक ऐसा ही अभियान है। परन्तु इसके लिए समाज की मानसिकता में परिवर्तन आवश्यक है।

यह था भारतीय समाज की समकालीन प्रवृतियों का एक विवेचन। पश्चिमी प्रभाव और विभिन्न व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण के बाद भी भारतीय संस्कृति जीवन्तता के साथ बनी रहेगी। हम अपने अतीत के प्रति गौरव का भाव लेकर, वर्तमान का यथार्थवादी आकलन कर और भविष्य की महत्वाकांक्षा को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे।

शब्दावली

शहरीकरण	–	गाँवों में रोजगार और सुविधाओं की कमी तथा शहरी जीवन शैली के आकर्षण में गाँवों से आकर शहरों में बसने की प्रक्रिया।
विकार्यवादी	–	अप्रकार्यात्मक / व्याधिकीय / नुकसानदायक।
नातेदारी	–	रक्त एवं विवाहमूलक संबंधों की व्यवस्था, रिश्तेदारी।
बाजारीकरण	–	किसी वस्तु का एक उत्पाद के रूप में रूपांतरण करना, ऐसी सेवा या क्रिया–कलाप जिसका आर्थिक मूल्य हो और जिसका बाजार में व्यापार हो सकता हो।

अभ्यास प्रश्न

1. सही विकल्प को चुनिए–

(i) भारत की कुल जनसंख्या का कार्यशील भाग है –

(अ) 60.29 प्रतिशत (ब) 50.21 प्रतिशत

(स) 45.01 प्रतिशत (द) 30 प्रतिशत ( )

(ii) राजस्थान की पुरुष साक्षरता दर है –

(अ) 79.02 (ब) 62.15

(स) 40.12 (द) 34.12 ( )

2. स्तम्भ 'अ' को स्तम्भ 'ब' से सुमेलित कीजिए–

	स्तम्भ 'अ'	स्तम्भ 'ब'
(i)	पैतृक कार्यों से अलग होना	शिक्षित वर्ग
(ii)	सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन होना	बाजारीकरण का दबाव
(iii)	उपभोक्तावाद बढ़ने का कारण	परम्परागत व्यवसाय छोड़ना
(iv)	अतिवादी जातीय व्यवहारों को छोड़ना	शिक्षा और औद्योगिकरण का प्रभाव

3. पारिवारिक एवं नातेदारी सम्बन्धों में बदलाव के कारणों पर प्रकाश डालिए।

4. ''बाजारीकरण के प्रभाव से भारतीय लोगों के रहन–सहन और जीवन शैली में परिवर्तन आ रहा है।''–स्पष्ट कीजिए।

5. ''भारतीय समाज का स्वरूप अब ग्रामीण की बजाय नगरीय होता जा रहा है।''–उदाहरण सहित समझाइए।

अध्याय 10

सामाजिक न्याय

आठवीं कक्षा में पढ़ने वाला राजू अपने गाँव से शहर में अपनी बुआ के घर आया। वहाँ उसने पडोस के एक मकान में अपनी उम्र के एक लड़के को देखा, जो कि उस घर के बाकी बच्चों से अलग नजर आता था। वह उदास–उदास सा रहता था और कभी खेलता भी नहीं था। न ही वह विद्यालय में जाया करता था। वह घर के बाकी सदस्यों के काम करने में ही लगा रहता था। सभी उस पर हुक्म चलाते रहते थे और डाँटते–फटकारते भी रहते थे। वह घर के लोगों के जूते पॉलिश करता, उनका नाश्ता लगाता और जब घर के बाकी बच्चों के विद्यालय जाने का समय होता, तो बाहर गाड़ी में उनके बस्ते रखवाता और उनके लौटने पर बस्ते वापस कमरे में लाकर रखता। राजू उसे ध्यान से देखता था। वह समझ गया कि वह उस घर में घरेलू नौकर था। राजू ने उस लड़के के बारे में अपनी बुआ से पूछा तो उसने बताया कि उस लड़के का नाम रामू था। वह गाँव में रहने वाले अपने गरीब माता–पिता से दूर यहाँ शहर में काम करने आया था।

हम रामू जैसे उन लाखों बच्चों की बात करें, तो हम उन्हें सड़क किनारे बने ढाबों, चाय की दुकानों, ऑटोमोबाईल वर्कशॉपों आदि स्थानों पर काम करते हुए पाते हैं। अनेक बच्चों को हम शहरों में ट्रेफिक लाइट के इर्द–गिर्द भीख माँगते हुए भी देखते हैं। रोजमर्रा के जीवन में इन बातों का इस प्रकार घटित होना इन्हें सामान्य बना देता है और लगता है कि जैसे ये सब एकदम सामान्य बातें हैं। इसे इनका भाग्य मान लिया जाता है। यह महसूस नहीं होता कि इस प्रकार के लाखों बच्चों का बचपन गरीबी में पिसता जा रहा है और ये बच्चे या तो शिक्षा से वंचित हो रहे हैं या फिर काम–काजी होने के कारण भली–भाँति शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं।

गतिविधि :
अपने गाँव या मोहल्ले के उन बच्चों के नाम व पता सहित एक सूची बनाइए जो विद्यालय नहीं जाते हैं। शिक्षकों की मदद से उन्हें विद्यालय से जोड़ने का प्रयास करें।

आर्थिक असमानता

विश्व के सभी समाजों में कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिनके पास धन–संपदा, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शक्ति जैसे मूल्यवान संसाधन समाज के अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक होते हैं। ये संसाधन समाज के विभिन्न वर्गों में असमान रूप से बँटे हुए हैं। इस कारण से समाज में अमीरी और गरीबी होती है। समाज के कुछ वर्ग कई पीढ़ियों से साधनहीन और गरीब हैं, तो कुछ साधन–सम्पन्न और अमीर हैं। अमेरिकी समाज के अश्वेत लोगों की स्थिति इस बात का उदाहरण है कि तकनीकी रूप से उन्नत समाजों में भी यह स्थिति मौजूद है। एक अनुमान के अनुसार विश्व के 20 प्रतिशत धनी लोग दुनिया के 80 प्रतिशत संसाधनों के मालिक हैं, तो 80 प्रतिशत गरीब लोग 20 प्रतिशत संसाधनों के सहारे अपना जीवन बिताते हैं।

इस स्थिति को उचित या न्यायसंगत मानने वाले इस प्रकार की विचारधारा रखते हैं कि समाज में गरीब अथवा वंचित इसलिए होते हैं कि उनमें या तो योग्यता नहीं होती है या फिर वे अपनी स्थिति को सुधारने के लिए परिश्रम नहीं करते। उनके अनुसार यदि वे अधिक परिश्रम करते या बुद्धिमान होते तो वहाँ

नहीं होते, जहाँ आज वे हैं। कुछ भाग्यवादी लोग इस स्थिति को उनके पूर्व जन्म के बुरे कर्मों का फल करार देते हैं। ऐसा मानते हुए उन्हें ही उनकी परिस्थितियों के लिए दोषी ठहराया जाता है। जबकि सत्यता यह है कि पर्याप्त अवसर उपलब्ध होने पर ये वंचित लोग भी अपनी योग्यता का श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं।

अवसरों की समानता और प्रयासों की सफलता

गौर करने पर हम पाते हैं कि जो लोग समाज में गरीब हैं, वे भी कठोर परिश्रम द्वारा ही अपना जीवन बिताते हैं। संपूर्ण विश्व में पत्थर तोड़ना, खुदाई करना, भारी वजन ढ़ोना, रिक्शा या ठेला खींचना जैसे कठिन परिश्रम के काम गरीब लोग ही करते हैं। फिर भी वे अपना जीवन शायद ही सुधार पाते हैं। समाज में निम्न समझे जाने वाले काम उनके हिस्से में आते हैं।

एक दक्षिण अमेरिकी कहावत है, ''यदि केवल परिश्रम ही इतनी अच्छी चीज होती, तो अमीर लोग इसे अपने लिए ही बचा कर रखते।'' इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि जीवन में परिश्रम का महत्त्व नहीं है। कठोर परिश्रम और व्यक्तिगत योग्यता महत्त्वपूर्ण है, किन्तु जब अन्य पहलु बराबर हों, तब जाकर व्यक्ति के व्यक्तिगत प्रयास एवं योग्यता संबंधी अभावों को गरीबी और अमीरी जैसी असमानता के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। समाज में विद्यमान अवसरों की असमानता समाज में हाशिये पर मौजूद व्यक्तियों के परिश्रम और योग्यता को निरर्थक कर देती हैं। सच यह है कि समाज में सभी चीजें समाज के सभी व्यक्तियों या समूहों के लिए एक समान नहीं हैं।

सामाजिक असमानता

सामान्य रूप से सामाजिक असमानता व्यक्तियों के बीच होने वाली सहज भिन्नता के कारण नहीं होती है। व्यक्तिगत क्षमता से इसका कोई लेना–देना नहीं होता है। यह असमानता सामाजिक है, क्योंकि यह समाज द्वारा ही उत्पन्न की जाती है। बच्चे अपने माता–पिता की जो सामाजिक प्रस्थिति (status) होती है, उसी को पाते हैं। समाज में जो अधिकार सम्पन्न होते हैं, वे दूसरों को अयोग्य घोषित करते हुए उन्हें अवसरों से वंचित करते हैं। इस प्रकार सामाजिक असमानता पीढ़ी–दर–पीढी कायम रहती है। यद्यपि आर्थिक और सामाजिक असमानताओं में एक मजबूत सम्बन्ध होता है। समाज में निचले क्रम में मौजूद वर्ग ही सबसे गरीब होते हैं। तथापि सामाजिक असमानता आर्थिक नहीं है। यह एक सामाजिक बहिष्कार है।

'सामाजिक बहिष्कार' वे तौर–तरीके हैं जिनके जरिए किसी व्यक्ति या समूह को समाज में पूरी तरह से घुलने मिलने से रोका जाता है। उन्हें समाज में हाशिये पर रखा जाता है। ये तौर–तरीके व्यक्ति या समूह को उन अवसरों से वंचित करते हैं, जो अन्य व्यक्ति या समूहों के लिए खुले होते हैं। इस प्रकार उस व्यक्ति या समूह को समाज में हाशिये पर धकेल दिया जाता है। इस प्रकार से भेदभाव अथवा अपमानजनक व्यवहार का लंबा अनुभव प्राप्त व्यक्ति या समूह अन्ततः इसे अपनी नियति मान लेते हैं और वे समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित होने का प्रयास बंद कर देते हैं। इस स्थिति में जहाँ एक ओर उन व्यक्तियों को व्यक्तित्त्व के विकास के अवसर नहीं मिल पाते हैं, तो दूसरी ओर समाज उनकी प्रतिभा के लाभ से वंचित रह जाता है। वस्तुतः यह पूरे समाज की हानि है।

गतिविधि :

अपने गाँव या मोहल्ले तथा अन्य स्थानों पर असमानता के विभिन्न रूपों का अवलोकन करें।

पूर्वाग्रह, रूढ़िबद्धता एवं भेदभाव

'पूर्वाग्रह' एक ऐसी धारणा है जो बिना विषय को जाने और बिना उसके तथ्यों की जाँच–परख किए केवल और केवल सुनी–सुनाई बातों पर आधारित होती है। पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति नई जानकारी प्राप्त हो जाने के बावजूद भी अपनी पूर्व कल्पित धारणा को बदलने से इंकार करते हैं।

'रुढ़िबद्ध धारणा' व्यक्तियों के पूरे समूह को एक समान श्रेणी में स्थापित कर देती है। रूढ़िबद्ध समाज में लोग दूसरे सामाजिक समूहों के बारे में ऐसे पूर्वाग्रहों से ग्रस्त होते हैं जो कि अपरिवर्तनीय और कठोर होते हैं, जैसे कि भारत में ब्रिटिश शासनकाल में कुछ जातियों को जरायमपेशा जातियाँ घोषित कर दिया गया था। ऐसी पूरी जाति को अपराधियों का समूह मानकर उन पर कई प्रकार की पाबन्दियाँ लगा दी गई थीं। लेकिन ऐसा सोचना कुछ व्यक्तियों के बारे में तो सच हो सकता है, परन्तु उस पूरी जाति या समूह के लिए यह सच नहीं हो सकता।

'भेदभाव' दूसरे समूह अथवा व्यक्ति के प्रति किया गया व्यवहार है, जिसके तहत एक समूह के सदस्य उन अवसरों के लिए अयोग्य करार दिए जाते हैं, जो दूसरों के लिए खुले होते हैं। भेदभाव को न्यायोचित ठहराने के लिए भेदभाव के पीछे के मूल कारण की बजाय उसे अन्य दूसरे कारणों द्वारा प्रेरित बताने का व्यवहार भी देखा जाता है।

गतिविधि :
क्या आपने कभी अपने सामाजिक परिवेश में पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार देखे हैं ? यदि हाँ तो उनकी सूची बनाइए।

सामाजिक असमानता से ग्रस्त वर्ग

भारतीय समाज में जो सबसे बड़ी चिंता का विषय रहा है, वह है– असमानता के विभिन्न स्वरूप और उसकी बहिष्कार उत्पन्न करने की क्षमता। भारत जैसे देश में रूढ़िबद्ध विचार औपनिवेशिक काल में ओर अधिक बलवती हुए। विश्व के अधिकांश समाजों की तरह भारत में भी सामाजिक भेदभाव तथा उसके बहिष्कार के विभिन्न रूप पाए जाते है।

1. भारत में जातिप्रथा का जो स्वरूप प्रचलित है, वह कुछ वर्गों के लिए अपमानजनक, बहिष्कारी तथा शोषणकारी है। अस्पृश्यता इसका अतिवादी रूप है। जाति–व्यवस्था व्यक्तियों का उनके व्यवसाय तथा प्रस्थिति (status) के आधार पर वर्गीकरण करती है। हालाँकि 19वीं शताब्दी से जातिप्रथा तथा व्यवसाय के बीच के संबंध काफी ढीले हुए हैं। अब व्यक्ति के लिए व्यवसाय परिवर्तन करना आसान हो गया है, क्योंकि अब परम्परागत व्यवसाय के स्थान पर अन्य व्यवसाय अपनाने के अवसर भी उपलब्ध हैं।
2. महिलाओं के खिलाफ हिंसा व भेदभाव की खबरें हम आए दिन पढ़ते रहते हैं। पुरुष प्रधान समाज में महिलाएँ अवसर की असमानता का शिकार रही हैं।
3. मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त, दृष्टि बाधित और शारीरिक रूप से बाधित 'विशेष योग्य जन' या 'अन्यथा सक्षम व्यक्तियों 'को भी समाज में संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि समाज कुछ इस रीति से

बना है कि वह उनकी जरुरतों को पूरा नहीं करता।

4. भारत सहित पूरे विश्व में धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव की खबरें भी यदा–कदा मिलती हैं।

5. सभी तबकों के आर्थिक रूप से पिछड़े लोग भी समाज में हाशिये पर होते हैं।

इतिहास की विभिन्न अवधियों में जाति, लिंग आदि पर आधारित भेदभावों के विरुद्ध आंदोलन हुए हैं, किन्तु इसके बावजूद समाज में कुछ वर्गों के प्रति पूर्वाग्रह बने रहते हैं। साथ ही अनेक नए पूर्वाग्रह भी उत्पन्न हो जाते हैं।

गतिविधि–
अपने परिवेश में असमानता व हाशियाकरण के शिकार समूहों की पहचान करके उनकी सूची बनाइए।

सामाजिक न्याय की स्थापना हेतु प्रयास

समाज में जो सुविधाएँ और अवसर हम अपने लिए चाहते हैं, वही दूसरों को भी दें, यही सामाजिक न्याय है। ऐसा होने पर समतामूलक समाज बनेगा और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रतिभा के विकास का अवसर मिल पाएगा। तभी समूचे समाज की प्रगति हो पाएगी। सरकार सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की स्थापना हेतु कार्य कर रही है। भारत सरकार ने देश में वंचित व पिछड़े समुदायों की पहचान कर तीन तरह की सूचियाँ बना रखी हैं। पहली सूची 'अनुसूचित जाति' की है जिसमें समाज की वंचित वर्ग की अति निम्न समझी जाती रहीं जातियाँ सम्मिलित हैं। दूसरी सूची 'अनुसूचित जनजाति' की है, जिसमें आदिवासी जातियाँ सम्मिलित हैं। तीसरी सूची 'अन्य पिछड़ा वर्ग' की है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी वे जातियाँ सम्मिलित हैं जो कि प्रथम व द्वितीय सूचियों में सम्मिलित नहीं हैं। इन वर्गों को विशेष बर्ताव का पात्र माना गया है। सार्वजनिक जीवन के विभिन्न पक्षों में इनके लिए कुछ स्थान या सीटें निर्धारित कर दी गई हैं।

1. केन्द्रीय व राज्यों के विधानमण्डलों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए तथा स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के लिए भी कुछ स्थान या सीटें निर्धारित कर दी गई हैं। साथ ही इनके लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में भी स्थान आरक्षित कर दिये गए हैं। इसी सिद्धान्त को सरकार के अन्य विकास कार्यक्रमों और योजनाओं पर भी लागू किया गया है। इनमें से कुछ कार्यक्रम तो विशेष रूप से इन्हीं वर्गों के उत्थान के लिए लागू किए गये हैं, जबकि कुछ अन्य कार्यक्रमों में उन्हें प्राथमिकता दी जाती है।

2. समाज में जातीय भेदभाव व अस्पृश्यता को समाप्त करने और इन्हें रोकने के लिए कानून बनाए गए हैं। 'अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम' में सन् 1989 में संशोधन कर इन वर्गों के विरुद्ध हिंसा और अपमानजनक कार्यों के लिए दंडात्मक प्रावधानों को और अधिक मजबूत किया गया है।

3. महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा और छेड़छाड़ की रोकथाम के लिए भी कानून बनाकर कठोर

दण्डात्मक प्रावधान किए गए हैं। संविधान महिलाओं और पुरुषों को समान रूप से जीविका प्रदान करने और उन्हें समान कार्य के लिए समान वेतन देने का निर्देश देता है।

4. बालश्रम को गैरकानूनी घोषित कर प्रारम्भिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क कर दिया गया है।

5. विशेष योग्यजनों के लिए भी नौकरियों में स्थान आरक्षित किए गए हैं और उनके कल्याण के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

6. धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यकों को अपनी विशिष्ट संस्कृति , भाषा व लिपि को बनाए रखने का संवैधानिक अधिकार है। इसके लिए वे अपने शैक्षिक संस्थान भी खोल सकते हैं।

कानून अकेले अपने बूते पर समाज को रूपांतरित करने अथवा स्थायी सामाजिक परिवर्तन लाने में असमर्थ है। इसके लिए जागरूकता एवं संवेदनशीलता युक्त सतत् सामाजिक अभियान की आवश्यकता है।

शब्दावली

औपनिवेशिक काल – वह समय जब भारत को दूसरे देश से आए हुए लोगों (ब्रिटिश) ने अपने अधीन करके शासन किया।

अस्पृश्यता – छुआछूत

अल्पसंख्यक – जनसंख्या में धार्मिक व भाषायी रूप से छोटा समूह

हाशिया – मुख्य धारा से अलग–थलग, समाज का वह भाग जो सत्ता और संसाधनों की पहुँच से दूर है।

अभ्यास प्रश्न

1. सही विकल्प को चुनिए–

(i) समाज में आर्थिक असमानता का प्रमुख कारण है–

(अ) परिश्रम का अन्तर (ब) योग्यता का अन्तर

(स) अवसरों की असमानता (द) प्रयासों का अन्तर ( )

(ii) अवसरों की असमानता के पीछे प्रमुख कारण है–

(अ) पूर्वाग्रह (ब) रूढ़िबद्धता

(स) भेदभाव (द) उपर्युक्त सभी ( )

(iii) सामाजिक परिवर्तन लाने की जिम्मेदारी है–

(अ) व्यक्ति की (ब) समाज की

(स) सरकार की (द) उपर्युक्त सभी की ( )

2. स्तम्भ 'अ' को स्तम्भ 'ब' से सुमेलित कीजिए–

	स्तम्भ 'अ'	स्तम्भ 'ब'
(i)	वंचित वर्ग की जातियाँ	अन्य पिछड़ा वर्ग
(ii)	आदिवासी जातियाँ	अल्पसंख्यक
(iii)	सामाजिक,आर्थिक व शैक्षिक रूप से पिछड़ी अन्य जातियाँ	अनुसूचित जन जाति
(iv)	जनसंख्या में धार्मिक व भाषायी रूप से छोटा समूह	अनुसूचित जाति

3. निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए–
   (i) ....जाति प्रथा का अतिवादी रूप है।
   (ii) अपरिवर्तनीय, कठोर और रूढ़िबद्ध धारणाओं को .... .कहते हैं।
   (iii) विश्व के 80 प्रतिशत गरीब लोग केवल...................... प्रतिशत संसाधनों के सहारे अपना जीवन बिताते हैं।
4. समाज में आर्थिक असमानता के प्रमुख कारणों पर प्रकाश डालिए।
5. सामाजिक बहिष्कार क्या है ? इसके क्या प्रभाव होते हैं ?
6. भारत में सामाजिक असमानता से ग्रस्त वर्गों की जानकारी दीजिए।
7. सामाजिक न्याय की स्थापना हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए।

अध्याय 11

विकास की अवधारणा

शॉपिंग मॉल

रजत आज बड़ा प्रसन्न दिखाई दे रहा है क्योंकि वह आज अपने मित्रों के साथ जयपुर घूमने जा रहा है। जयपुर में उसके बचपन का मित्र रवि भी रहता है जिससे वह बहुत दिनों बाद मिलने वाला है। जयपुर आकर रजत शहर की चकाचौंध देख अवाक् रह गया।

जयपुर की चौड़ी–चौड़ी सुन्दर सड़कें, बिजली की रोशनी से जगमग ऊँची गगनचुम्बी इमारतें, परिवहन हेतु सिटी बसों की उत्तम व्यवस्था, खेलकूद के लिए सवाई मानसिंह स्टेडियम, हवामहल की भव्यता, साँगानेर एयरपोर्ट , सिटी मॉल , मेट्रो ट्रेन आदि को देखकर रजत अचम्भित हो गया। उसके मित्र रवि ने बताया कि वर्ल्ड ट्रेड पार्क को देखने शाम को चलना है।

रजत गहरी सोच में डूब गया, रवि के झिंझोड़ने पर उसने बताया कि उसके गाँव की सड़क तो टूटी–फूटी है, जिसमें बड़े–बड़े गड्डे हैं, बिजली कभी–कभी ही आती है, पानी के लिये नल नहीं लगे हुए हैं, बल्कि कुँओं से खींचकर पानी लाना पड़ता है। शहर जाने हेतु एकमात्र बस है। गाँव के एकमात्र विद्यालय का भवन पुराना व जर्जर है। स्वास्थ्य केन्द्र पर मात्र एक नर्स उपलब्ध है। उसके मन में बार –बार यह प्रश्न कौंध रहा था कि आखिर गाँव व शहर में यह भारी अन्तर क्यों है ?

रवि के पिता, जो कि जयपुर के एक विद्यालय में प्रधानाचार्य है, उन्होंने दोनों को समझाया कि इस अन्तर का कारण विकास है। शहरी क्षेत्रों में विकास तीव्र गति से हुआ है, शहर के नजदीक स्थित गाँवों में भी विकास हुआ है, जबकि दूरदराज के गाँव में विकास की गति धीमी है। विकास के स्तर में यह अन्तर गाँव व शहर के बीच खाई पैदा कर देता है। यह अन्तर देश के विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न महानगरों , विभिन्न राज्यों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक स्तर पर विभिन्न राष्ट्रों के बीच भी विकास सम्बन्धी अन्तर दिखाई देता है।

आज विश्व के देशों को आर्थिक दृष्टि से दो भागों में बाँटा जाता है– विकसित देश और विकासशील देश। विकसित देशों की श्रेणी में वे देश आते हैं जहाँ आर्थिक विकास तेजी से हुआ है। यहाँ औद्योगिक विकास तीव्रगति से होने के कारण लोगों की आय में वृद्धि हुई है और भौतिक सुख–सुविधाएँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। इंग्लैण्ड, अमेरिका, स्विट्जरलैण्ड, जापान आदि देश इस श्रेणी में आते हैं।

विकासशील देशों में इसके विपरीत अवस्था दिखाई देती है। इन देशों में जनसंख्या बहुत अधिक है, विकास की गति धीमी है, आवश्यक वस्तुओं का अभाव दिखाई देता है, अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है और प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। इनमें से अधिकतर देश पहले किसी विकसित देश के अधीन रहे हैं। विदेशी शासन के दौरान हुए शोषण से इन देशों में आर्थिक पिछड़ापन विद्यमान है। अपने पिछड़ेपन से उबरने

के लिये ये देश प्रयत्नशील हैं, इसलिए इन्हें विकासशील देश कहा जाता है। भारत, ब्राजील, इन्डोनेशिया आदि देश इस श्रेणी में आते हैं।

गतिविधि–
अपने शिक्षक की सहायता से विकसित एवं विकासशील देशों के 5–5 नामों की सूची बनाइए।

आर्थिक विकास

विकसित और विकासशील देशों के अन्तर से हम आर्थिक विकास के अर्थ को समझ सकते हैं। परम्परागत धारणा में आर्थिक विकास एक ऐसी स्थिति है जिसमें कुल सकल राष्ट्रीय उत्पाद 5 से 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बढ़ता रहे। इसके साथ ही उत्पादन व रोजगार संरचना में इस प्रकार परिवर्तन हो कि उसमें कृषि का हिस्सा कम हो जाये और विनिर्माण क्षेत्र तथा सेवा क्षेत्र का हिस्सा बढ़ता जाये। अर्थात् कृषि के स्थान पर औद्योगिकीकरण की गति को तेज किया जा सके।

वर्ल्ड ट्रेड पार्क,जयपुर

किन्तु समय के अनुसार आर्थिक विकास की संकल्पना को पुनः परिभाषित किया गया है। विकास की नवीन अवधारणा में आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य गरीबी, बेरोजगारी और असमानता का निवारण रखा गया है। अतः अब यह माना जाने लगा है कि यदि देश में गरीबी के स्तर में कमी आ रही हो, बेरोजगारी का स्तर कम हो रहा हो तथा आर्थिक असमानताएँ कम हो रही हों, तो निश्चित ही देश का आर्थिक विकास हो रहा है।

यहाँ आर्थिक विकास की भारतीय अवधारणा को समझना भी आवश्यक है। विकास की भारतीय अवधारणा के अनुसार देश में उपलब्ध सभी संसाधनों का आवश्यकतानुसार दोहन करते हुए और राष्ट्रहित में उनको उपयोग में लाते हुए देश की आर्थिक संरचना और प्रौद्योगिकी में आवश्यक परिवर्तन लाना जिससे उत्पादन, आय और रोजगार में वृद्धि हो तथा लोगों को उपयुक्त व उत्तम जीवन स्तर प्रदान किया जा सके। प्रकृति से प्राप्त निःशुल्क संसाधनों का अविवेकपूर्ण और अमर्यादित उपयोग करना राष्ट्रहित में नहीं है। प्रकृति को ईश्वर का अमूल्य उपहार मानकर उससे आवश्यकतानुसार वस्तुएँ प्राप्त कर संयमित उपयोग द्वारा जीवनयापन करते हुए राष्ट्र को वैभव सम्पन्न बनाना ही राष्ट्रहित है।

आर्थिक विकास को सफल बनाने के लिये आज हर देश प्रयास कर रहा है। विश्व के विकसित और विकासशील देशों में आर्थिक विकास की होड़ लगी हुई है। विकासशील देशों में व्याप्त निर्धनता, बेरोजगारी व आर्थिक असमानता को समाप्त करने के लिये आर्थिक विकास आवश्यक भी है। दुनिया से भय, भूख और भेदभाव की समाप्ति और अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा की दृष्टि से भी आर्थिक विकास आधुनिक युग की

सबसे महत्त्वपूर्ण आवश्यकता है। आर्थिक विकास का सम्बन्ध पिछड़े हुये देशों से भी है, जहाँ पर साधनों का विकास एवं उपयोग नहीं हुआ है।

विकास के आर्थिक सूचक

किसी राष्ट्र के विकास को मापने के लिए निम्नलिखित तीन आर्थिक सूचक काम में लिए जाते रहे हैं– स्वास्थ्य, शिक्षा एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। वर्तमान में विकास को 'मानव विकास सूचकांक' द्वारा मापा जाने लगा है। मानव विकास सूचकांक में शिक्षा, जीवन प्रत्याशा एवं व्यक्ति की क्रय शक्ति को प्रमुखता दी जाती है, अर्थात् लम्बा एवं स्वस्थ जीवन, शिक्षा एवं शैक्षिक योग्यताओं में अभिवृद्धि तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि किसी भी देश के मानव विकास को दर्शाते हैं।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) सन् 1990 से प्रति वर्ष इन मानव विकास सूचकांकों के आधार पर वार्षिक मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है जो वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों की मानवीय विकास की स्थिति को प्रकट करती है।

मानव विकास सूचकांक 2014

मानव विकास सूचकांक वरीयता (Rank)	देश का नाम	मानव विकास सूचकांक मूल्य (Value)
1	नार्वे	0.944
2	ऑस्ट्रेलिया	0.933
3	स्विट्जरलैण्ड	0.917
4	नीदरलैण्ड	0.915
5	संयुक्त राज्य अमेरिका	0.914
135	भारत	0.586

समावेशी विकास

समावेशी विकास में समाज के सभी वर्गों को विशेष कर वंचित, पिछड़े एवं सीमान्त वर्गों को साथ लेकर विकास किये जाने पर बल दिया जाता है। विकास का होना तभी माना जायेगा जब उसका लाभ सभी वर्गों तक समान रूप से पहुँचे। समावेशी विकास में गरीबी की दर को नियंत्रित एवं विकास की गति को तेज कर विकास प्रक्रिया में सभी वर्गों को लाभ पहुँचाने का प्रयास किया जाता है। सरकार की योजनाओं का मुख्य लक्ष्य समावेशी विकास ही होता है।

सतत या धारक विकास

सतत विकास

आर्थिक विकास एक विस्तृत व सतत धारणा है। यह आर्थिक आवश्यकताओं, वस्तुओं, प्रेरणाओं और संस्थाओं में गुणात्मक परिवर्तनों से सम्बन्धित है। सतत विकास से तात्पर्य

विकास की उस प्रक्रिया से है जिस में भावी पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जाता है। सतत विकास को 'धारक विकास' भी कहा जाता है।

सतत विकास की अवधारणा के विकसित होने के पीछे अनेक कारण हैं। आज विकास के परिणामस्वरूप हुए पर्यावरण प्रदूषण ने भी हमें विकास की परिभाषाओं को बदलने पर मजबूर कर दिया है। विकास के लिये प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन ने आज हमारे सामने बड़ी भारी समस्या खड़ी कर दी है। यदि हम अपने राज्य में देखें तो खनिजों व भूमि के लालच में अरावली व वन क्षेत्रों को काफी नुकसान पहुँचाया गया है। परिवहन मार्ग बनाने के नाम पर पर्वतों को काटा जा रहा है जिसका परिणाम हमें घटते खनिज संसाधन और मानसून की अनियमितता के रूप में भुगतना पड़ रहा है।

धरती से अधिक अन्न उपजाने हेतु हमने उसमें रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों के रूप में जहर घोल दिया है जिससे कई क्षेत्रों में भूमि बंजर व दूषित हो गई है। इससे भूमि से उत्पन्न खाद्य पदार्थ प्रदूषित हो जाते हैं। उनके उपभोग से मानवीय स्वास्थ्य पर तथा पशुओं पर बुरा असर पड़ता है। वे कई प्रकार के रोगों के शिकार हो जाते हैं।

जल के अंधाधुंध प्रयोग ने कई क्षेत्रों, विशेषकर राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में भूमिगत जल के घटते स्तर व लवणीय जल जैसी गम्भीर समस्याओं को जन्म दिया है। परिवहन साधनों, रेफ्रीजरेटर एवं एयरकण्डीशनर के अत्यधिक प्रयोग से हानिकारक गैसों के अत्यधिक उत्सर्जन ने वायुमण्डलीय प्रदूषण व ओजोन परत में छेद जैसी मुसीबतें खड़ी कर दी है।

अतः आवश्यकता आज की इस उपभोगवादी संस्कृति पर अंकुश लगाने और संसाधनों के कुशल व अनुकूल दोहन की है ताकि विकास की प्रक्रिया अनवरत चल सके। विकास मानव के लिये खुशहाली व समृद्धि लाये जिसका लाभ वर्तमान ही नहीं भावी पीढ़ियों को भी मिल सके। यही सतत विकास है।

विकासशील देशों के विकास में बाधाएँ

पूँजी की कमी, जनसंख्या की बहुलता, उत्पादन की पिछड़ी हुई तकनीक का प्रयोग, गरीबी का दुश्चक्र, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, आर्थिक असमानता, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का निम्नस्तर तथा परिवहन, संचार एवं मूलभूत संसाधनों का अभाव– ये सब स्थितियाँ विकासशील देशों को विकसित बनने में बड़ी बाधाएँ हैं।

जहाँ तक बात भारत की है तो भारत का अतीत वैभवशाली रहा है। धन–धान्य की प्रचुरता के कारण सम्पन्न एवं समर्थ राष्ट्र के रूप में भारत की प्रतिष्ठा विश्व में रही है। उच्च श्रेणी के वस्त्रों से लेकर लौह–निर्मित वस्तुओं के निर्माण में भारत विश्व विख्यात था।

भारत आज पुनः विश्व में आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित हो रहा है। हमारे इन्जीनियर, डॉक्टर ,चार्टेड अकाउण्टेंट, मुख्य प्रबन्धक, व्यवसायी एवं प्रशासनिक अधिकारी अपनी योग्यता व श्रम से विश्व के अधिकांश देशों में प्रतिष्ठित स्थानों पर कार्यरत हैं। वर्तमान में न केवल भारतीय वस्तुओं की माँग विश्व में बढ़ी है, बल्कि हमारे अन्तरिक्ष अनुसंधान, प्रौद्योगिकी एवं विशेषज्ञों की माँग बढ़ना भी विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ने का द्योतक है। आवश्यकता आज इस बात की है कि विश्व की आर्थिक शक्ति के रूप में भारत पुनः प्रतिस्थापित हो और 'सोने की चिड़िया' की पहले जैसी स्थिति प्राप्त हो।

शब्दावली

प्रति व्यक्ति आय	–	राष्ट्रीय आय में देश की जनसंख्या का भाग देकर प्राप्त आय।
जीवन प्रत्याशा	–	किसी देश के नागरिकों की औसत आयु।

अभ्यास प्रश्न

1. सही विकल्प को चुनिए –

   (i) निम्नलिखित में से विकसित देश है–

   (अ) भारत (ब) ब्राजील

   (स) इण्डोनेशिया (द) अमेरिका ( )

   (ii) भावी पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कहलाता है–

   (अ) मानव विकास (ब) आर्थिक विकास

   (स) औद्योगिक विकास (द) सतत विकास ( )

2. किन्हीं तीन विकसित देशों के नाम बताइए।
3. विकासशील देशों के विकास में कौनसी बाधाएँ हैं ?
4. मानव विकास सूचकांक से क्या तात्पर्य है ?
5. आर्थिक विकास की नवीन अवधारणा को समझाइए।
6. समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं ?
7. विकसित एवं विकासशील देशों का आर्थिक दृष्टि से अन्तर समझाइए।
8. आधुनिक विकास के परिणामस्वरूप हुए पर्यावरण प्रदूषण पर प्रकाश डालिए।

अध्याय 12

हमारा संविधान

पिछली कक्षाओं में हम सरकार के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। हमने यह भी जाना है कि सरकार किन्हीं निश्चित नियमों के अनुसार कार्य करती है। सरकार चलाने वाले लोग यह कार्य अपनी व्यक्तिगत इच्छा से नहीं कर सकते। अब प्रश्न यह उठता है कि ये लोग किस आधार पर नियम बनाते हैं ? और इनका संग्रह कहाँ होता है ? इस अध्याय में हम संविधान के बारे में अध्ययन करेंगे।

संविधान क्या है ?

जिस प्रकार हमें अपने परिवार संचालन के लिए कुछ नियम और व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार किसी देश की शासन–व्यवस्था के संचालन के लिए भी नियमों तथा कार्य विधि की आवश्यकता होती है। सरकार के गठन, नागरिकों के अधिकार एवं कर्त्तव्य आदि की रूपरेखा इन्हीं नियमों के द्वारा निश्चित की जाती है। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि सरकार नागरिकों के लिए कानून बनाने, उन्हें लागू करने और उनकी रक्षा करने जैसे महत्त्वपूर्ण कार्य करती है। शासन करने के लिए कुछ निश्चित नियमों और कानूनों की जरूरत होती है। यदि ये नियम और कानून न हों तो पूरे देश में व्यवस्थाएँ बिगड़ जाएँगी और समाज में अशांति एवं अराजकता का वातावरण बन जाएगा। अतः ऐसी स्थिति से बचने के लिए कानूनों के द्वारा सरकार को उत्तरदायी बनाया जाता है। इन नियमों एवं कानूनों के द्वारा सरकार और जनता के बीच संबंध तथा जनता में भी आपसी संबंध तय किये जाते हैं। किसी राज्य में शासन, व्यक्ति और उनके आपसी सम्बन्धों को निर्देशित करने वाले सभी नियमों और कानूनों का संग्रह 'संविधान' कहलाता है।

संविधान के प्रायः दो प्रकार हो सकते हैं, जैसे–

1. लिखित संविधान : जिस संविधान के प्रावधान लिखित रूप में होते हैं, वे लिखित संविधान कहलाते हैं, जैसे– भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान।
2. अलिखित संविधान : जिस संविधान के प्रावधान लिखे नहीं जाते बल्कि परम्पराओं के रूप में रहते हैं, उन्हें अलिखित संविधान कहा जाता है, जैसे– ब्रिटेन का संविधान।

आइए, अब हम हमारे संविधान की बात करते हैं ।

भारत के संविधान का निर्माण

हमारे संविधान के निर्माण का विचार आजादी के बाद प्रकट नहीं हुआ, बल्कि स्वतन्त्रता आन्दोलन के साथ–साथ विकसित हुआ था। महात्मा गांधी ने 1922 में यह माँग की थी कि ''भारत का राजनीतिक भविष्य भारतीय स्वयं बनाएंगे।'' स्वतन्त्रता आन्दोलन के समय भारत के लोगों की इस माँग ने जोर पकड़ा कि वे बाहरी हस्तक्षेप के बिना संविधान बनाना चाहते हैं और यह संविधान ऐसी संविधान सभा द्वारा बनाया जाए जो वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित हो। अन्ततः ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय जनता की

संविधान सभा की माँग को स्वीकार कर लिया गया। ब्रिटिश मंत्रीमण्डल का एक दल, जिसे 'केबिनेट मिशन' कहा गया, भारत आया। 'केबिनेट मिशन' ने अपनी रिपोर्ट में देश में संविधान सभा के गठन की सिफारिश की। जुलाई 1946 में ब्रिटिश भारत में संविधान सभा के 296 जन प्रतिनिधियों के लिए चुनाव हुए तथा 93 सदस्य देशी रियासतों के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ के शासकों द्वारा मनोनीत किए गए। राजस्थान से भी संविधान सभा में 14 सदस्य सम्मिलित थे।

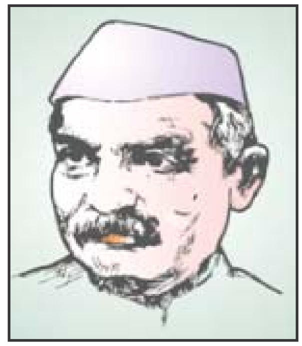
डॉ. राजेन्द्र प्रसाद

9 दिसम्बर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। बाद में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए। संविधान सभा में पं. जवाहर लाल नेहरू ने 13 दिसम्बर 1946 को संविधान के उद्देश्यों को तय करने वाला एक ''उद्देश्य प्रस्ताव'' रखा जो 22 जनवरी, 1947 को सभी की सहमति से पारित हुआ। संविधान सभा में एक प्रारूप समिति बनाई गई जिसके अध्यक्ष डॉ. भीमराव अम्बेड़कर थे। संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में कुल 114 दिन बैठकों के बाद हमारे संविधान को तैयार किया। 26 नवम्बर, 1949 को संविधान सभा ने इसे पारित किया और 26 जनवरी 1950 को इसे देश में लागू किया गया है। भारत सरकार ने 26 नवम्बर को 'संविधान दिवस' घोषित किया है। पूरे देश में 26 नवम्बर 2015 को प्रथम संविधान दिवस मनाया गया।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर

गतिविधि–

शिक्षक के निर्देशन में अपनी कक्षा में संविधान सभा की मॉक बैठक आयोजित करके अपनी कक्षा के संविधान का निर्माण कीजिए।

भारत के संविधान की विशेषताएँ

हमारे संविधान की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं –

1. **सबसे लम्बा एवं लिखित संविधान**–हमारा संविधान विश्व का सबसे लंबा एवं लिखित संविधान है। यह एक विस्तृत दस्तावेज है। मूल रूप से संविधान में एक प्रस्तावना, कुल 395 अनुच्छेद हैं जो कि 22 भागों में विभक्त हैं और 8 अनुसूचियाँ हैं। विभिन्न परिवर्धनों के बाद वर्तमान (सन् 2013) में इसमें 465 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। विश्व का कोई भी संविधान इतना बड़ा नहीं है।
2. **प्रस्तावना**–हमारे संविधान में प्रस्तावना को भी सम्मिलित किया गया है। यह प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना संविधान का परिचय एवं भूमिका है। इसमें संविधान का सार है।
3. **विभिन्न स्रोतों से प्रेरणा**–दुनिया के दूसरे देशों के संविधानों से भी अनेक बातों को लेकर और उनमें हमारी आवश्यकताओं के हिसाब से परिवर्तन करके उन्हें हमारे संविधान में शामिल किया गया है, जैसे– मौलिक अधिकार एवं स्वतन्त्र न्यायपालिका की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका के

संविधान से, राज्य के नीति निदेशक तत्त्व आयरलैण्ड से, संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन से प्रेरित हैं।

4. **पंथ निरपेक्षता**–संविधान में पंथ निरपेक्ष राज्य का आदर्श रखा गया है। इसका अर्थ है कि राज्य सभी पंथों की समान रूप से रक्षा करेगा और स्वयं किसी भी पंथ को राज्य के धर्म के रूप में नहीं मानेगा। भारत में रहने वाले लोगों को अपने–अपने विश्वास के अनुसार पंथ/मत/धर्म का पालन करने की आजादी है।

5. **समाजवाद**– संविधान सभी भारतीय नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समानता की बात करता है। इन क्षेत्रों में किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके लिए हमारे संविधान द्वारा ऐसे अनेक संरक्षणात्मक प्रावधान किए गए हैं जिनसे सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को समान और विशेष अवसर प्राप्त हो सके।

6. **लोकतांत्रिक गणतंत्र**– संविधान के अनुसार भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। सरकार का चुनाव जनता करती है। चुनी हुई सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी रहते हुए ही कार्य करती है। हमारे शासन का सर्वोच्च पदाधिकारी राष्ट्रपति होता है। यह पद वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है। अतः हमारा देश गणतन्त्र कहलाता है।

7. **मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्त्तव्य**– हमारे संविधान द्वारा नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास और शोषण से मुक्ति के लिए छह मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। इन अधिकारों के साथ ही नागरिकों के ग्यारह मौलिक कर्त्तव्य भी निश्चित किये गए हैं, जिनका नागरिकों से पालन करने की अपेक्षा की गई है।

8. **नीति निदेशक तत्त्व**– जनता के हित को ध्यान में रख कर कानून तथा नीति बनाने और आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए संविधान में सरकारों को निर्देश दिए गए हैं, जिन्हें संविधान में नीति निदेशक तत्त्व कहा गया है। नीति निदेशक तत्त्वों का कार्य सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। इनका उद्देश्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। अतः सरकार का कर्त्तव्य है कि वह इनका पालन कर अपनी नीतियों का इस प्रकार निर्माण करे जिससे प्रत्येक देशवासी का कल्याण हो सके। हालाँकि मौलिक अधिकारों की तरह इन्हें कानून के द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता।

9. **संघात्मक शासन व्यवस्था**– हमारा संविधान संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना करता है। इसमें संघात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण, जैसे–संघीय एवं प्रांतीय स्तरों की सरकारें, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, स्वतन्त्र न्यायपालिका आदि शामिल हैं। हमारे संविधान में भारत को 'राज्यों के संघ' के रूप में बताया गया है। परन्तु भारतीय संघ न तो राज्यों के आपसी समझौते का परिणाम है और न ही किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार है।

10. **संसदीय शासन व्यवस्था**– संविधान के द्वारा देश में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहती है। इस व्यवस्था में राष्ट्रपति संवैधानिक

अध्यक्ष है और शासन की वास्तविक शक्तियाँ मंत्रिपरिषद् में निहित होती हैं, जो की अपने कार्यों के लिए संसद के सीधे जनता द्वारा चुने गये सदन 'लोकसभा' के प्रति जिम्मेदार होती है।

11. **स्वतंत्र न्यायपालिका**— देश में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है ताकि जनता को न्याय मिल सके और उनके अधिकारों की रक्षा हो सके तथा संविधान के अनुसार ही शासन चलता रहे। न्यायपालिका को व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों से स्वतन्त्र रखा गया है।

12. **कठोर एवं लचीला**— हमारे संविधान में बदलाव न तो आसानी से होता है, न ही कठोरता से। संविधान के कुछ महत्त्वपूर्ण प्रावधानों को बदलने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, तो कुछ प्रावधानों को साधारण बहुमत से ही बदल लिया जाता है।

13. **इकहरी नागरिकता**— वैसे तो हमारे देश में संघात्मक शासन व्यवस्था है, किन्तु भारतीय नागरिकों को उनके अपने राज्य की नागरिकता नहीं दी गई है। वे केवल भारत के ही नागरिक हैं। इकहरी नागरिकता देश की एकता को बढ़ावा देती है।

14. **सार्वभौम वयस्क मताधिकार**— हमारे संविधान में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मताधिकार का प्रावधान है।

इन सभी विशेषताओं से हमें यह ज्ञात होता है कि संविधान सभा ने भारत के लिए एक उत्कृष्ट संविधान बनाने का प्रयास किया है। इस संविधान में अनेक विशिष्टताओं और अवधारणाओं को सम्मिलित करते हुए इसे जन आकांक्षाओं का प्रतीक एवं विश्व का अद्वितीय संविधान बनाया है।

शब्दावली

संविधान	–	किसी राज्य में शासन, व्यक्ति और उनके आपसी सम्बन्धों को निर्देशित करने वाले कानूनों का संग्रह।
व्यवस्थापिका	–	सरकार का वह अंग जो कानून बनाता है, जैसे कि हमारी संसद।

अभ्यास प्रश्न

1. सही विकल्प को चुनिए—

 (i) भारत गणराज्य है, क्योंकि—

 (अ) भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है

 (ब) भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है

 (स) राष्ट्रपति वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है

 (द) प्रधानमंत्री सर्वोच्च पदाधिकारी है ( )

(ii) भारत का संविधान लागू हुआ–

(अ) 28 नवम्बर 1949 (ब) 26 जनवरी 1930

(स) 26 जनवरी 1950 (द) 28 जुलाई 1950 ( )

2. संविधान के प्रकार बताइए।
3. प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे ?
4. संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे ?
5. हमारे संविधान का निर्माण कितनी अवधि में हुआ ?
6. भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य क्यों कहा जाता है?
7. हमारे संविधान की निर्माण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए।
8. हमारे संविधान की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं ? संक्षेप में वर्णन कीजिए।

अध्याय 13

हमारे मौलिक अधिकार एवं कर्त्तव्य

इस अध्याय में हम हमारे संविधान में वर्णित अधिकारों एवं कर्त्तव्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। इन अधिकारों के प्रयोग एवं इनके संरक्षण से सम्बन्धित प्रावधानों की जानकारी भी प्राप्त करेंगे। हमने संविधान की विशेषताओं को पिछले अध्याय में पढ़ा। हमारा संविधान लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। हम जानते हैं कि व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज और समाज से देश बनता है यानी देश के केन्द्र में व्यक्ति है। देश का विकास तभी सम्भव है जब व्यक्ति का विकास भी हो। हमारे संविधान में व्यक्ति के भौतिक, बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक रूप से चहुँमुखी विकास के लिए अधिकारों की व्यवस्था की गई है। ये अधिकार सरकार के कठोर नियमों के विरूद्ध नागरिकों की आजादी की सुरक्षा करते हैं।

'अधिकार' संविधान के अन्तर्गत नागरिकों को प्राप्त होने वाली वे अनुकूल परिस्थितियाँ और अवसर हैं जिनसे वे अपना सर्वांगीण विकास कर सके। अधिकार इस बात का प्रमाण भी है कि राज्य में व्यक्ति के महत्त्व और उसकी गरिमा को स्वीकार किया जाता है। हमारे संविधान में नागरिकों को छह मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए न्यायालय की शरण ली जा सकती है।

हमारे मौलिक अधिकार

स्वतन्त्रता से पूर्व हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ ही जीवन की सुरक्षा का भी अधिकार नहीं था। जनता को ब्रिटिश सरकार के जन–विरोधी कार्यों एवं कानूनों का विरोध करने का भी अधिकार नहीं था। हमारे स्वतन्त्रता सेनानियों द्वारा लड़ी गई आजादी की लड़ाई इन मौलिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए किए गए संघर्ष की कहानी है। इसके लिए स्वतन्त्रता सेनानियों को कई बार जेल भी जाना पड़ा था और हजारों को अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ी थी। सन् 1928 में 'नेहरू रिपोर्ट' में भी मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया था।

हमारी संविधान सभा ने अपने 'उद्देश्य–प्रस्ताव' के अनुरूप ही संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास एवं जीवन की सुरक्षा मौलिक अधिकारों पर निर्भर है। व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर वह उच्च न्यायालयों या उच्चतम न्यायालय में सीधे शिकायत कर सकता है।

आइए, अब हम हमारे मौलिक अधिकारों की विस्तार से चर्चा करें–

1. **समानता का अधिकार–** समानता लोकतंत्र का आधार है। अतः देश के प्रत्येक नागरिक को संविधान में कानून के समक्ष समान माना गया है तथा सभी को कानून का समान संरक्षण मिलता है। संविधान के अनुसार राज्य अर्थात् सरकार किसी भी व्यक्ति से धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। समाज में छुआछूत को दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है। इस अधिकार द्वारा सामाजिक उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है। केवल शिक्षा एवं सेना के क्षेत्र में व्यक्ति द्वारा स्वयं की योग्यता से अर्जित उपाधियाँ दी जाती रहेंगी।

2. **स्वतंत्रता का अधिकार–** संविधान के द्वारा भारत के प्रत्येक नागरिक को विविध प्रकार की स्वतन्त्रताएँ प्राप्त हैं। इनमें प्रमुख हैं– (i) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (ii) शांतिपूर्वक तरीके से सम्मेलन या सभा करने की स्वतंत्रता (iii) राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक संगठन या संघ बनाने की स्वतन्त्रता (iv) भारत में अबाध भ्रमण और निवास की स्वतंत्रता (v) व्यापार, व्यवसाय तथा रोजगार करने की स्वतन्त्रता और (vi) व्यक्ति को अपनी जीवन रक्षा तथा बचाव करने की कानूनी स्वतंत्रता। 86 वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 2002 में शिक्षा को कानूनी अधिकार घोषित करके 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है।

3. **शोषण के विरूद्ध अधिकार–** हमारे संविधान में सामाजिक असमानता, दासता एवं बेगारी से मुक्ति के लिए सभी नागरिकों को अधिकार दिया गया है। इसके अन्तर्गत मानव व्यापार यानी स्त्री पुरुषों का क्रय–विक्रय, जबरदस्ती किसी से काम लेना या बेगार लेना एवं 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को जोखिम भरे कार्यों में लगाना दण्डनीय अपराध है।

4. **धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार–** हमारा देश एक पंथनिरपेक्ष राज्य है। प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छानुसार किसी भी धर्म को मानने, उस पर आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार है। सभी धर्म एवं सम्प्रदायों को अपनी संस्थाओं की स्थापना एवं उनका प्रबन्धन करने की स्वतन्त्रता है। किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या सम्प्रदाय के विकास के लिए 'कर' देने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने के लिए किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता। राज्य का अपना कोई धर्म या पंथ नहीं है और वह सभी धर्मो या पंथों को बराबर का सम्मान देता है।

5. **संस्कृति एवं शिक्षा सम्बन्धी अधिकार–** इस अधिकार में नागरिकों को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति बनाये रखने का अधिकार है। भाषायी एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा और संस्कृति को बनाए रखने के साथ–साथ उनके संवर्धन के लिए शिक्षण संस्थाएँ स्थापित करने एवं उनकी देखभाल करने का अधिकार दिया गया है।

6. **संवैधानिक उपचारों का अधिकार–** इस अधिकार को डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने 'संविधान की 'आत्मा और हृदय' कहा है, क्योंकि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की घोषणा तब तक व्यर्थ है जब तक कि उसे प्रभावी बनाने का कोई साधन न दिया गया हो। यह अधिकार अन्य मौलिक अधिकारों

को प्रभावी बनाने का एक साधन है। मौलिक अधिकारों की रक्षा का दायित्व सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालयों को दिया गया है। जब नागरिकों के अपने मौलिक अधिकारों का हनन होता है या फिर उनके उपयोग में बाधा आती है तो वे इस अधिकार के अन्तर्गत न्यायालय की शरण ले सकते हैं।

विशेष परिस्थितियों (आपातकाल) में इन मौलिक अधिकारों को सीमित या निलम्बित भी किया जा सकता है।

गतिविधि–
मौलिक अधिकारों का रंगीन चार्ट बनाकर कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। विद्यार्थियों के समूह बनाकर प्रत्येक समूह से अलग–अलग अधिकार पर शिक्षक की सहायता से चर्चा कीजिए।

हमारे मौलिक कर्त्तव्य

अधिकार एवं कर्त्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। जब हम अधिकारों की मांग करते हैं तो हमें अपने कर्त्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। कर्त्तव्यों के बिना हमारे अधिकार खोखले हैं। जैसे वन, नदी, जल इत्यादि हमारे समाज की प्राकृतिक धरोहर हैं, हमें इनकी रक्षा अवश्य ही करनी चाहिए। इसी प्रकार शिक्षा प्राप्त करना हमारे बच्चों का मौलिक अधिकार है तो उनके अभिभावकों का भी कर्त्तव्य है कि वे अपने बच्चों को अनिवार्य रूप से स्कूल भेजें।

हमारे संविधान द्वारा नागरिकों के 11 मौलिक कर्त्तव्य निर्धारित किए गए हैं, जो निम्नानुसार हैं–

भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह–

1. संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे।
2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे।
3. भारत की संप्रभुता, एकता और अखण्डता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे।
4. देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे।
5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो कि पंथ, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरूद्ध हों।
6. हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्त्व समझे और उसका परिरक्षण करे।
7. प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अन्तर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, की रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे।
8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे।
9. सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे।

10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की ऊँचाईयों को छू सके।

11. छः से चौदह वर्ष तक के बच्चों को उनके अभिभावक अथवा संरक्षक या प्रतिपालक जैसी भी स्थिति हो, शिक्षा के अवसर प्रदान करे।

इस प्रकार भारतीय संविधान नागरिकों को कुछ अधिकार देता है तो उनसे कुछ कर्त्तव्यों का पालन करके एक जिम्मेदार नागरिक बनने की अपेक्षा भी करता है।

गतिविधि–

विद्यालय एवं परिवार के प्रति आपके कर्त्तव्यों की पहचान करके उनकी अलग–अलग सूची बनाइए।

शब्दावली

अधिकार	–	वे आवश्यकताएँ जो व्यक्तित्त्व के विकास के लिए नैतिक एवं कानूनी रूप से आवश्यक हो।
कर	–	सरकार द्वारा लिया जाने वाला अनिवार्य अंशदान।
समानता	–	बराबरी ।
शोषण	–	खुद के लाभ के लिए दूसरों से जबरदस्ती करवाया गया काम।

अभ्यास प्रश्न

1. सही विकल्प को चुनिए –

   (i) मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर न्यायालय में शरण लेने का अधिकार है–
   (अ) समानता का अधिकार (ब) शोषण के विरुद्ध अधिकार
   (स) स्वतंत्रता का अधिकार (द) संवैधानिक उपचारों का अधिकार ( )

   (ii) 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से खतरनाक कार्य नहीं कराया जा सकता है, इसका संबंध है–
   (अ) स्वतन्त्रता के अधिकार से (ब) शोषण के विरुद्ध अधिकार से
   (स) संवैधानिक उपचारों के अधिकार से (द) समानता के अधिकार से ( )

2. निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कौनसे मौलिक अधिकार से सम्बन्धित है ?
3. कौनसे मौलिक अधिकार के अन्तर्गत बालश्रम और बेगारी पर रोक लगाई गई है ?
4. अधिकारों और कर्त्तव्यों में क्या संबंध है?
5. 'समानता का अधिकार' का वर्णन कीजिए।
6. संविधान में वर्णित किन्हीं पाँच मौलिक कर्त्तव्यों का उल्लेख कीजिए।
7. संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन कीजिए।

अध्याय 14

संघीय सरकार

संघीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रीय सरकार को संघ सरकार या संघीय सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार के नाम से जाना जाता है, जो कि हमारे देश में भारत सरकार है। क्षेत्रीय सरकार को राज्य सरकार या प्रान्तीय सरकार के नाम से जाना जाता है, जैसे कि हमारी राजस्थान सरकार। संघीय शासन व्यवस्था में शक्तियाँ संविधान द्वारा केन्द्र सरकार एवं क्षेत्रीय सरकारों में विभाजित कर दी जाती है। वर्तमान में भारत में 29 राज्य और 7 केन्द्र शासित प्रदेश हैं। हम राज्य सरकार के बारे में पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। यहाँ अब हम संघीय सरकार के बारे में अध्ययन करेंगे।

मानचित्र पैमाने पर आधारित नहीं है।

source : hindi.mapsofindia.com

संघीय शासन व्यवस्था

सामान्यतः जब किसी देश में शासन की सारी शक्तियाँ एक स्तर पर ही केन्द्रित हों, तो उसे 'एकात्मक शासन व्यवस्था' कहते हैं। इसके विपरीत जब किसी देश में शासन की शक्तियाँ केन्द्र एवं राज्यों के बीच स्पष्ट रूप से विभाजित हों, तो उसे 'संघीय शासन व्यवस्था' कहते हैं।

संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएँ या लक्षण–

- संविधान की सर्वोच्चता ।
- द्विसदनात्मक विधायिका।
- लिखित संविधान।
- शासन की शक्तियों का केन्द्र और राज्यों के मध्य स्पष्ट विभाजन।
- द्विस्तरीय शासन व्यवस्था अर्थात् केन्द्र और राज्य में दोनों जगह अलग–अलग सरकारें होना।
- स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की मौजूदगी।

हमारे देश की शासन व्यवस्था एक संघीय शासन व्यवस्था है, क्योंकि संघीय शासन व्यवस्था की उपर्युक्त वर्णित सभी विशेषताएँ हमारे देश की शासन व्यवस्था में भी विद्यमान हैं। संविधान द्वारा संघ, राज्य तथा समवर्ती सूची के तहत केन्द्र और राज्यों के मध्य में उनके कार्यों के विषयों का स्पष्ट विभाजन कर दिया गया है। संघीय सरकार को शक्तियों के मामले में राज्य सरकारों से अधिक अधिकार प्राप्त हैं। किन्तु संघीय शासन व्यवस्था होने के बावजूद भी भारत में इकहरी नागरिकता का प्रावधान है।

गतिविधि :

अपने शिक्षक की सहायता से केन्द्र और राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन के अनुसार संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में शामिल प्रमुख विषयों को लिखिए।

संसदीय शासन प्रणाली

संघीय शासन व्यवस्था के अन्तर्गत हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, क्योंकि उत्तरदायित्व के मामले में संसदीय शासन प्रणाली अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर है। इसमें कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। इस व्यवस्था में शासन का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, किन्तु वास्तव में राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग कार्यपालिका अर्थात् मंत्रिपरिषद् के द्वारा किया जाता है। इसमें कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के बीच में समन्वय भी बना रहता है।

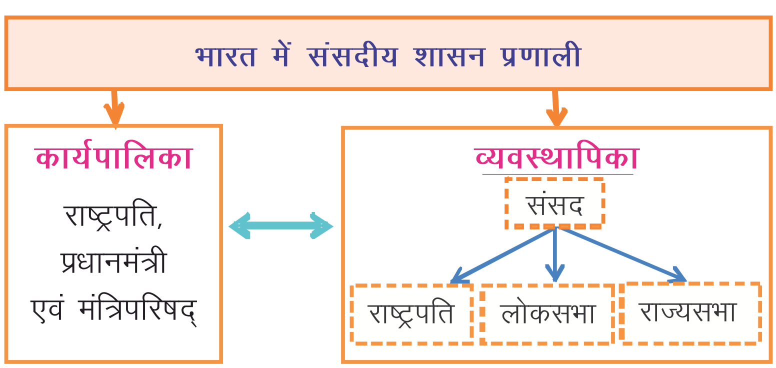

संलग्न रेखाचित्र को देखने से पता चलता हैं कि राष्ट्रपति कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों ही अंगों में सम्मिलित है, क्योंकि संसद जो भी विधेयक पारित करती है वह राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कानून बनता है। राष्ट्रपति पद को ही संविधान ने कार्यपालिका की शक्तियाँ सौंपी हैं। राष्ट्रपति ही संसद की बैठक आहूत करता है तथा प्रथम बैठक को सम्बोधित करता है। इसीलिए वह व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों का भाग है।

भारतीय संसद भवन

संसद हमारी संघीय व्यवस्थापिका है, जो कि संघ सूची एवं समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है। संसद द्वारा बनाये गये कानूनों को लागू करने का कार्य संघीय कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद् शामिल हैं।

भारतीय संसद

हमारी संघीय व्यवस्थापिका या विधायिका का नाम 'संसद' है। देश में संघसूची एवं समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है। हालाँकि समवर्ती सूची के विषयों पर राज्य विधायिका भी कानून बना सकती है परन्तु एक ही विषय पर राज्य विधायिका और संसद दोनों ने कानून बना लिया है तो संसद द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। इस प्रकार कानून बनाने के मामले में संसद को ज्यादा शक्ति प्राप्त है। संसद का गठन राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा से मिल कर होता है। हमारी संसद द्विसदनात्मक है, अर्थात् हमारी संसद के दो सदन हैं–लोकसभा और राज्यसभा।

लोकसभा

लोकसभा संसद का जनता द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि सदन है, जिसे निम्न सदन भी कहते हैं। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं जिनमें से 530 राज्यों से, 13 केन्द्र शासित प्रदेशों से एवं 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य हैं। लोक सभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन मंत्रिपरिषद् उसे समय से पहले भी भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकती है। इसीलिए इसे अस्थायी सदन भी कहा जाता है।

लोकसभा का सदस्य वही व्यक्ति बन सकता है, जो–

- भारत का नागरिक हो।
- कम से कम 25 वर्ष की आयु का हो।
- किसी लाभ के पद पर न हो।
- घोषित दिवालिया एवं विकृत चित्त का नहीं हो।

लोकसभा के सदस्यों द्वारा अपने में से ही किसी एक सदस्य को अध्यक्ष व एक को उपाध्यक्ष चुना जाता है। लोकसभा की बैठकों का संचालन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है।

राज्यसभा

संसद का दूसरा सदन राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे उच्च सदन भी कहा जाता है। इस सदन के सदस्यों का चुनाव राज्यों एवं संघ शासित राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम सख्या 250 है। इसमें 238 सदस्यों का निर्वाचन होता है एवं 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। मनोनीत सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेषज्ञ और अनुभवी होते हैं। राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि उसे लोकसभा की भाँति भंग नहीं किया जा सकता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। परन्तु प्रत्येक दो वर्ष बाद एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं एवं उनके स्थान पर पुनः एक तिहाई सदस्यों को चुना जाता है। राज्य सभा का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति का भारत का नागरिक एवं कम से कम 30 वर्ष की आयु का होना जरूरी होता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी लाभ के पद पर न हो। विकृत चित्त का और घोषित दिवालिया व्यक्ति भी राज्य सभा का सदस्य नहीं बन सकता।

राज्यसभा की बैठकों का संचालन उपराष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा के सदस्य अपने में से ही किसी एक सदस्य को उपसभापति निर्वाचित करते हैं।

संसद, अर्थात् लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य सांसद (एम.पी.) कहलाते हैं।

गतिविधि : अपने शिक्षक की सहायता से निम्नलिखित सारणी की पूर्ति कीजिए–

क्र.सं.	विवरण	लोकसभा	राज्यसभा
1.	अधिकतम सदस्य संख्या		
2.	वर्तमान सदस्य संख्या		
3.	सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु		
4.	राजस्थान से सदस्यों की संख्या		
5.	कार्यकाल		
6.	वर्तमान अध्यक्ष / सभापति		
7.	वर्तमान उपाध्यक्ष / उपसभापति		

संसद के कार्य एवं शक्तियाँ

1. संसद का प्राथमिक कार्य कानून बनाना है।
2. संसद कार्यपालिका पर पूर्ण नियंत्रण रखती है। इसके लिए वह प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव आदि माध्यमों का सहारा लेती है।
3. संसद की सहमति के बिना कार्यपालिका न तो किसी प्रकार का कर लगा सकती है और न ही किसी

प्रकार का व्यय कर सकती। कार्यपालिका द्वारा बजट को संसद के समक्ष रखा जाता है। बजट के माध्यम से संसद सरकार को आय और व्यय की अनुमति प्रदान करती है।

4. संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद के पास है।
5. संसद को निर्वाचक शक्तियाँ प्राप्त है। वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं अपने पदाधिकारियों के चुनाव संबंधी कार्य करती है।
6. संसद महाभियोग के माध्यम से राष्ट्रपति, उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरूद्ध कार्यवाही कर सकती है।

गतिविधि :
कक्षा में संसद का मॉक सत्र का आयोजन करके भारत में बढ़ते प्रदूषण पर चर्चा कीजिए।

संघीय कार्यपालिका

संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद् सम्मिलित होते हैं। संघीय कार्यपालिका संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने का काम करती है।

राष्ट्रपति का निर्वाचन

राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है। वह भारत का प्रथम नागरिक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती, बल्कि एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इस निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं।

राष्ट्रपति भवन

राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार वह व्यक्ति बन सकता है जो–

- भारत का नागरिक हो।
- 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
- लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो।
- किसी लाभ के पद पर आसीन नहीं हो ।

कार्यकाल

राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा ही संसद कार्यकाल समाप्ति से पूर्व राष्ट्रपति को पद से हटा सकती है।

केवल पढ़ने के लिए

राष्ट्रपति–निर्वाचन की प्रणाली

राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से गुप्त मतदान द्वारा होता है। वैध मत–पत्रों का मूल्य निकाला जाता है। किसी उम्मीदवार को राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना होता है। निश्चित भाग का निर्धारण वैध मतों में निर्वाचित होने वाले उम्मीदवार (यहाँ केवल एक ही उम्मीदवार राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होता है) की संख्या में एक जोड़ कर भाग देने पर प्राप्त भागफल में एक जोड़ कर किया जाता है।

(क) राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित सूत्रों का प्रयोग करके विधानसभा एवं संसद के निर्वाचित सदस्यों के मतों का मूल्य ज्ञात किया जाता है–

$$\text{विधानसभा के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य} = \frac{\text{राज्य या संघीय क्षेत्र की जनसंख्या}}{\text{विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या}} \div 1000$$

$$\text{संसद के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य} = \frac{\text{समस्त विधानसभा सदस्यों के मतों का मूल्य}}{\text{संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या}}$$

(ख) राष्ट्रपति उम्मीदवार को प्राप्त कुल वैध मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त होना आवश्यक है, जो इस प्रकार सुनिश्चित किया जाता है :

$$\text{मतों का निश्चित भाग} = \frac{\text{वैध मत}}{\text{राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित उम्मीदवार की संख्या} + 1} + 1$$

राष्ट्रपति की शक्तियाँ

राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों एवं कार्यों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है– सामान्यकालीन शक्तियाँ एवं आपातकालीन शक्तियाँ।

सामान्यकालीन शक्तियाँ

1. राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुलाता है और उसके प्रथम अधिवेशन को सम्बोधित करता है।
2. संसद द्वारा पारित विधेयक पर हस्ताक्षर करता है।
3. जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तब आवश्यकता होने पर अध्यादेश जारी करता है।

4. प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद् के सदस्यों, राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों सहित कई महत्त्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियाँ करता है।
5. अन्तर्राष्ट्रीय संधियाँ व समझौते राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं।
6. केन्द्रीय बजट को संसद के समक्ष रखवाता है।
7. वह भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। वह थल, जल एवं वायु सेना के प्रमुखों की नियुक्ति करता है तथा युद्ध व उसकी समाप्ति की घोषणा करता है।
8. अपराधियों की सजा को माफ, कम या स्थगित करता है। मृत्युदण्ड के मामले में क्षमादान करने का प्राधिकार केवल राष्ट्रपति को है।

आपातकालीन शक्तियाँ

1. युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल लागू करना। (अनुच्छेद 352)
2. किसी राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न होने पर वहाँ आपातकाल लगाना । (अनुच्छेद 356)
3. राष्ट्र में वित्तीय संकट आने पर वित्तीय आपातकाल लगाना। (अनुच्छेद 360)

गतिविधि–

भारत के प्रथम राष्ट्रपति से वर्तमान तक के राष्ट्रपति के चित्रों का संग्रह करके उनके कार्यकाल सहित एक चार्ट पर चिपका कर कक्षा में प्रदर्शित कीजिए।

उपराष्ट्रपति

उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए निम्नलिखित योग्यताएँ होनी चाहिए–

- वह भारत का नागरिक हो।
- वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो।
- वह राज्यसभा सदस्य बनने के लिए योग्य हो।

उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचक मण्डल द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की तरह उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी एकल संक्रमणीय मत प्रणाली एवं आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा गुप्त मतदान से होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। जब राष्ट्रपति का पद त्यागपत्र, पदच्युत, मृत्यु तथा अन्य कारणों से रिक्त होता है तब वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। संसद उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा करने से पूर्व भी पद से हटा सकती है।

प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद्

संविधान द्वारा दी गई सरकार की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख होता है तथा वास्तविक कार्यपालिका शक्तियाँ प्रधानमंत्री में निहित है। राष्ट्रपति की सभी शक्तियों का प्रयोग वास्तव में प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या दलों के गठबन्धन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद् के मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है।

केबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री व उप मंत्रियों को सम्मिलित रूप से मंत्रिपरिषद् कहा जाता है, जबकि मंत्रिमण्डल के सदस्य केवल केबिनेट मंत्री ही होते हैं। अतः मंत्रिमण्डल, मंत्रिपरिषद् का ही एक भाग है। लोकसभा में बहुमत प्राप्त रहने तक मंत्रिपरिषद् अपने पद पर बनी रहती है।

प्रधानमंत्री के प्रमुख कार्य

केन्द्रीय मंत्रिपरिषद् के प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री की शक्तियाँ निम्नलिखित हैं–

1. मंत्रियों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को परामर्श देता है।
2. मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय आवंटित करता है एवं उनमें फेरबदल करता है।
3. मंत्रिपरिषद् की बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा सभी मंत्रियों के कार्यों को नियंत्रित, निर्देशित एवं उनमें समन्वय स्थापित करता है।
4. बहुमत दल का नेता होने के कारण सदन के नेता के रूप में कार्य करता है।
5. वह राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद् के बीच सम्पर्क कड़ी के रूप में कार्य करता है।
6. समय–समय पर राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण वैधानिक मामलों और कार्यपालिका के निर्णयों के बारे में जानकारी देता है।

प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद् का मुखिया होता है, अतः प्रधानमंत्री की मृत्यु या उसके त्यागपत्र की स्थिति में मंत्रिपरिषद् स्वतः ही विघटित हो जाती है।

इस अध्याय में हमने भारत की संघीय सरकार और संसदीय व्यवस्था के बारे में पढ़ा। साथ ही संघीय व्यवस्थापिका के रूप में संसद के दोनों सदनों के गठन, कार्यकाल और शक्तियों के बारे में भी जाना। केन्द्रीय कार्यपालिका के रूप में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद् के बारे में भी जानकारियाँ प्राप्त की गई ।

शब्दावली

महाभियोग	–	संसद द्वारा राष्ट्रपति, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि
इकहरी नागरिकता	–	भारत में नागरिकों को संघ व्यवस्था के बावजूद केवल संघ की नागरिकता ही प्राप्त है, राज्य की नहीं
अध्यादेश	–	जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो तब आवश्यक विषय पर राष्ट्रपति कानून बनाने के लिए जो आदेश जारी करता है।
आनुपातिक प्रतिनिधित्व	–	एक निश्चित अनुपात के आधार पर प्रतिनिधित्व करना।
एकल संक्रमणीय	–	मतदान की वह प्रणाली जिसमें निर्धारित मत प्राप्त करने के लिए विभिन्न उम्मीदवारों में मतों का संक्रमण (विभाजन) किया जाता है

अभ्यास प्रश्न

1. सही विकल्प को चुनिए –
   (i) संघात्मक व्यवस्था की विशेषता है :
   (अ) शक्तियों का विभाजन
   (ब) शक्तियों का केंद्रीयकरण
   (स) न्यायालय की स्वतंत्रता का अभाव
   (द) सर्वाधिकारवादी शासन ( )
   (ii) संसद का अंग नहीं है :
   (अ) राज्यसभा (ब) लोकसभा
   (स) राष्ट्रपति (द) राज्यपाल ( )
2. भारत संघ में कितने राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश हैं ?
3. राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है ?
4. संघीय मंत्रिपरिषद् किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है ?
5. राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है ?
6. लोकसभा के गठन को स्पष्ट कीजिए।
7. भारत में संसदीय प्रणाली अपनाने के दो कारण लिखिए।
8. राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन कीजिए।
9. प्रधानमंत्री की शक्तियों का वर्णन कीजिए।

अध्याय 15

कानून एवं भारतीय न्यायपालिका

अब तक आप संघीय सरकार के विषय में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आपने यह जान लिया है कि संघीय सरकार कानून बनाती है। कानून क्या होते हैं ? और इन कानूनों को बनाना क्यों आवश्यक है ? क्या इन कानूनों की जानकारी हमें भी होनी चाहिए ? हमारे देश में इन कानूनों की व्याख्या कौन करता है ? इन कानूनों के आधार पर न्याय की व्यवस्था किस प्रकार की गई है ? हम इन सभी बातों का अध्ययन इस अध्याय में करेंगे।

यातायात नियम को तोड़ने पर पुलिस द्वारा चालान

राम एवं उसके पिताजी बस में सवार होकर शहर के किसी चौराहे से गुजर रहे थे। राम ने देखा कि एक ही मोटर साईकिल पर सवार तीन युवकों को यातायात पुलिस ने रोक रखा है। उसने अपने पिताजी से पूछा, ''पापा! इन लोगों को पुलिस ने क्यों रोक रखा है ?'' उसके पापा ने कहा, ''इन युवकों ने हेलमेट नहीं पहन रखा है तथा एक ही मोटर साईकिल पर दो की जगह तीन लोग सवार हैं, जो कि सीधा–सीधा यातायात कानूनों का उल्लंघन है, इसीलिए यातायात पुलिस इन युवकों से जुर्माना वसूल कर रही है।'' राम ने उत्सुकता से पूछा, ''पापा! यातायात कानून क्या होते हैं ?'' उसके पापा ने बताया कि सड़क सुरक्षा से संबंधित ऐसे नियम–कायदे जो हमें वाहनों के सड़क पर सही एवं सुरक्षित रूप से चलने की वर्तमान प्रणाली से परिचित कराते हैं, उन्हें यातायात कानून कहा जाता है। इन नियमों का सही तरीके से पालन किया जाए तो जीवन को सुरक्षित रखने में मदद मिलती है। सड़क पर होने वाली अधिकांश दुर्घटनाओं का कारण यातायात के नियमों का पालन नहीं करना ही होता है। सड़क दुर्घटना में शराब का सेवन एक महत्वपूर्ण कारक है जो वाहनों की भिड़न्त एवं गंभीर चोट का खतरा बढ़ाती है जिससे मृत्यु तक हो सकती है। शराब कार्य करने की निष्पादन क्षमता को घटाती है और शारीरिक गतिशीलता एवं दिमाग द्वारा नियन्त्रण की क्षमता को प्रभावित करती है। यह गति एवं दूरी को समझने की क्षमता को भी बाधित करती है। शराब का प्रभाव गुस्से को बढ़ाता है, अतः

वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग

झगड़े की सम्भावना भी बढ़ जाती है। शराब पीकर वाहन चलाना एक दण्डनीय अपराध है।

राम की उत्सुकता को देखकर उसके पिताजी ने आगे उसे और जानकारी दी कि वाहन चलाने के लिए कम से कम 18 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। बच्चों को इस नियम को नहीं तोड़ना चाहिए। वाहन चलाने के लिए वाहन–चालन का प्रशिक्षण भली–भाँति प्राप्त कर लेना चाहिए और यातायात के नियमों की जानकारी भी प्राप्त कर लेनी चाहिए।

राम ने फिर प्रश्न पूछा, 'क्या मैं 18 वर्ष का हो जाऊँगा तब वाहन चला सकता हूँ ?' उसके पिताजी ने बताया कि सिर्फ 18 वर्ष की आयु हो जाने से ही वाहन चलाने के लिए हम योग्य नहीं हो जाते हैं, हमें वाहन चलाने के लिए 'ड्राइविंग लाइसेन्स' प्राप्त करना पड़ता है जो चालक की वाहन चलाने की योग्यता की पूरी जाँच करके फिर जारी किया जाता है। यह ड्राइविंग लाइसेन्स हमें वाहन चलाते समय हमेशा अपने पास रखना चाहिए, अन्यथा जुर्माना हो सकता है। यदि कोई अवयस्क वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर 300 / –रुपये जुर्माना एवं वाहन मालिक पर 1000 / – का जुर्माना हो सकता है। अवयस्क द्वारा कोई दुर्घटना करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 या 337 के तहत मुकदमा दर्ज होता है तथा उसे बाल सुधार गृह भेजा जा सकता है।

सीट बेल्ट का प्रयोग

कार, जीप इत्यादि मोटर वाहन चलाते समय हमें सीट बेल्ट और दुपहिया वाहन चलाते समय हमें हेलमेट जरूर पहनना चाहिए तभी हम अपने जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं। इस नियम का उल्लंघन करने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 138 (3) सी.एम.वी.आर. 177 के तहत वाहन चालक से 100 / –रुपये का जुर्माना लिया जा सकता है।

इस तरह राम के पिताजी ने राम को यातायात नियमों और कानूनों की जानकारी देकर यातायात कानून के बारे में उसकी समझ बनाने का प्रयास किया।

गतिविधि :

1. ऐसी पाँच परिस्थितियाँ के अनुभव को अपने कक्षा के बच्चों से साझा करें जब आपने वाहन चालकों को यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हुए देखा हो।
2. अपने शिक्षक से ड्राइविंग लाइसेन्स प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में चर्चा कीजिए।

कानून

बच्चो ! आपने यातायात कानून के बारे में समझा। इसी तरह विभिन्न बातों को लेकर अनेक अन्य कानून बनाये गये हैं। व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम एवं कानून जरूरी होते हैं। कानून

क्या होता है ? कानून का मतलब सरकार द्वारा निर्मित ऐसे बाध्यकारी नियमों से है, जो समाज में व्यक्ति के व्यवहार एवं कार्यों को संचालित करते हैं। प्रायः कानून हमारे जीवन को सहज एवं सरल बनाते हैं। कानून का उल्लंघन करने पर दण्ड मिलता है। कानून के उल्लंघन से बचने के लिए हमें कानून की जानकारी होना जरूरी है। हमें कानून का अनिवार्य रूप से पालन करना चाहिए, क्योंकि कानून हमारी भलाई के लिए होते हैं।

आप सोचिए कि हम कानून का पालन नहीं करें तो क्या होगा ? यदि –

1. हम भी यातायात नियमों का उल्लंघन करें ।
2. कोई व्यापारी पूरे पैसे लेकर भी कम सामान देवे।
3. बिना टिकट के रेल या बस में यात्रा करें।
4. कोई चिकित्सक अस्पताल में लिंग परीक्षण करके कन्या भ्रूण हत्या करे या करने में सहयोग करे।
5. कोई भी परीक्षार्थी अनुचित साधनों का प्रयोग करके परीक्षा उत्तीर्ण करने की कोशिश करे।

उपर्युक्त उदाहरणों के अनुसार ऐसे गलत कार्यों पर यदि कोई नियंत्रण नहीं हो तो इन सभी बातों से हमारा जीवन जीना कठिन हो जाएगा। लेकिन कानून ऐसा होने से रोकता है। अतः नियत्रंण कानून का आधार है। कानून की भावना केवल नकारात्मक ही नहीं होती वरन् सकारात्मक भी होती है क्योंकि नियंत्रण के साथ–साथ कानून हमें अधिकार और सुविधाएँ भी प्रदान करता है। कानून सभी के ऊपर समान रूप से लागू होते हैं। हमारा कानून धर्म, जाति या लिंग के आधार पर लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता। चाहे कोई भी व्यक्ति हो यदि वह कानून तोड़ता है तो उसे सजा मिलती है।

कानून का पालन करना इसलिए आवश्यक नहीं है कि ये सरकार ने बनाये हैं। यदि इस आधार पर कानूनों को माना जाये कि इन्हें सरकार ने बनाया है तो इसका स्वरूप कभी–कभी दमनात्मक भी हो सकता है। ऐसी स्थिति अधिनायकवाद को जन्म दे सकती है। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहाँ कानून बनाते समय न्याय की अवधारणा को महत्त्व दिया जाना बहुत जरूरी है, तभी लोकतंत्र का विकास होगा और सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय प्राप्त होगा। हमारे स्वतंत्रता आन्दोलन में ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाये गये कई कानूनों का हमारे द्वारा विरोध किया गया था, क्योंकि वे कानून समानता और न्याय का उल्लंघन कर रहे थे।

गतिविधि :
अपने शिक्षक की सहायता से उन कानूनों पर चर्चा कीजिए, जिनका स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान जनता द्वारा विरोध किया गया था।

कानून के प्रकार

1. वर्तमान समय में भी कुछ कानून परम्पराओं, रीति–रिवाजों और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित होते हैं। ये 'सामाजिक कानून' कहलाते हैं।
2. आधुनिक राज्यों में कानून का निर्माण विधायिका द्वारा किया जाता है, जैसे– हमारी संसद, इंग्लैण्ड की पार्लियामेंट या अमेरिका की काँग्रेस द्वारा कानून बनाना। इस प्रकार के कानून 'राष्ट्रीय कानून' होते हैं। राष्ट्रीय कानून उस देश के नागरिकों और संस्थाओं पर लागू होते हैं।

3. कानून राष्ट्रीय ही नहीं वरन् अंतर्राष्ट्रीय भी होते हैं। 'अंतर्राष्ट्रीय कानून' संप्रभु राष्ट्रों के आपसी सम्बन्धों को संचालित करते हैं।

कानून के स्रोत

1. राज्य में शान्ति एवं व्यवस्था बनाये रखना सरकार का मुख्य कर्त्तव्य है, इसी कर्त्तव्य को पूरा करने के लिए सरकार स्वयं आगे बढ़ कर कानून बनाती है। जैसे किसी ने कोई अपराध किया तो उसके लिए दण्ड की प्रक्रिया निर्धारण के लिए भारतीय दंड संहिता को बनाया गया।
2. कई बार समाज के विभिन्न वर्गों एवं जन संगठनों से किसी खास कानून को बनाने के लिए माँग उठाई जाती है। इन माँगों के प्रति संवेदनशील रहते हुए सरकार कानून बनाती है। इसी आधार पर सरकार ने महिलाओं के प्रति हिंसा को रोकने के लिए घरेलु हिंसा विरोधी कानून बनाया। राजस्थान के राजसमंद जिले की भीम तहसील के गाँव देव डूंगरी में मजदूरों एवं किसानों ने अपनी मजदूरी से सम्बन्धित सरकारी रिकॉर्ड, जैसे– हाजरी और भुगतान रजिस्टर की प्रतियाँ माँगने के लिए संघर्ष किया। धीरे–धीरे उनका यह संघर्ष आंदोलन के रूप में परिवर्तित होकर राष्ट्रव्यापी हो गया। सरकार ने अन्त में जनता की इस भावना को स्वीकार कर एक क्रांतिकारी एवं महत्त्वपूर्ण कानून 'सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005' बनाया, जो कि सरकारी स्तर पर जन–भागीदारी एवं पारदर्शिता को बढ़ाने का शक्तिशाली कदम साबित हुआ है।
3. कभी–कभी देश में ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो जाती हैं, जिनमें कानून बनाना जरूरी हो जाता है। आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार ने तुरन्त कानून बनाया था।

हमारी न्यायपालिका

राज्य की सत्ता कानूनों को वैधानिक आधार प्रदान करती है, परन्तु न्याय की अवधारणा प्रत्येक कानून को सामाजिक मूल्यों से परिपूर्ण करती है। हमारे देश में कानूनों की व्याख्या एवं संविधान के अनुसार न्यायप्रदान करने के लिए स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की गई है। पूर्व में हमने जाना कि सरकार के तीन अंग होते हैं– 1. व्यवस्थापिका 2. कार्यपालिका एवं 3. न्यायपालिका।

हम जानते हैं कि हमारे देश में संघीय शासन व्यवस्था है। वैसे तो केन्द्र और राज्य सरकारें संविधान द्वारा निर्धारित अपने–अपने कार्य क्षेत्र में काम करती है, लेकिन फिर भी इनमें किसी भी विषय पर आपस में मतभेद हो सकता है। संविधान के अनुसार उन मतभेदों को दूर करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है, जो नई दिल्ली में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय अन्य कार्यों के अलावा कानून तथा संविधान की व्याख्या करता है।

आइये! अब हम हमारी न्यायपालिका पर विस्तार से विचार करें–

भारत में न्यायपालिका की संरचना

हमारे देश में एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था है, जिसमें सबसे नीचे के स्तर पर स्थानीय एवं जिला अदालतें होती है। राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय या कुछ राज्यों में संयुक्त रूप से उच्च न्यायालय हैं। सबसे ऊपर राष्ट्रीय स्तर पर एक सर्वोच्च या उच्चतम न्यायालय है।

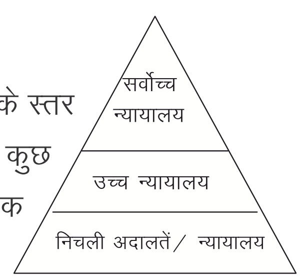

गतिविधि–
शिक्षक की सहायता से जानकारी करो कि किन–किन राज्यों में संयुक्त रूप से उच्च न्यायालय हैं ?

सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय हमारी न्यायपालिका का सबसे बड़ा न्यायालय है। हमारे संविधान का रक्षक है। उसको संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। यह नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करता है। यह देश के समस्त न्यायालयों से ऊपर है, इसलिए यह अंतिम अपीलीय न्यायालय है।

सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायाधीश की सलाह से ही राष्ट्रपति द्वारा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति में निम्नांकित योग्यताएँ होनी चाहिए–

- वह भारत का नागरिक हो।
- वह उच्च न्यायालय में लगातार 5 वर्ष तक न्यायाधीश का कार्य कर चुका हो अथवा उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक वकालात कर चुका हो अथवा
- राष्ट्रपति की राय में वह प्रसिद्ध कानूनविज्ञ हो।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं। स्वयं के त्यागपत्र से या महाभियोग द्वारा इन्हें समय से पूर्व भी हटाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते भारत की संचित निधि से प्राप्त होते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार निम्नानुसार है –

1. **प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार–** (i) नागरिकों के मूल अधिकार सम्बन्धी विवाद (ii) केन्द्र एवं राज्य सरकार तथा (iii) राज्य सरकारों के मध्य के विवादों की सुनवाई प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आते हैं।
2. **अपीलीय क्षेत्राधिकार–** उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, ऐसे तीन प्रकार के मामले हो सकते हैं–

   क. **संवैधानिक मामले**– ऐसे विवाद जिसमें संविधान की व्याख्या सम्बन्धी कोई प्रश्न विचारणीय हो।

   ख. **दीवानी मामले**– जमीन जायदाद, चीजों की खरीददारी, विवाह, तलाक, किराया, संविदा आदि से सम्बन्धित मामले।

   ग. **फौजदारी मामले**– ऐसे विवाद जो चोरी, अपराध, हत्या, डकैती, मारपीट आदि से सम्बन्धित हो।

3. **संविधान एवं मौलिक अधिकारों का रक्षक**– (i) सरकार द्वारा बनाया गया कोई भी ऐसा कानून जो संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत हो तो सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकता है इसे 'न्यायिक पुनरावलोकन' भी कहते हैं। (ii) नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन होने पर सर्वोच्च न्यायालय उनकी रक्षा करता है। (iii) सर्वोच्च न्यायालय अभिलेखीय न्यायालय भी है। इसके सभी निर्णय प्रकाशित किये जाते हैं। इन निर्णयों का प्रयोग आगे आने वाले मुकदमों में कानून की तरह किया जाता है।

उच्च न्यायालय

राज्य में सबसे बड़ा न्यायालय उच्च न्यायालय होता है। राजस्थान का उच्च न्यायालय जोधपुर में है। इसकी एक पीठ (बैंच) जयपुर में स्थित है। इसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सम्बन्धित राज्यपाल एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सलाह से राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं।

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति में निम्नलिखित आवश्यक योग्यताएँ होनी चाहिए–

- वह भारत का नागरिक हो।
- वह भारत के किसी राज्य में कम से कम 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर रहा हो अथवा उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष या उससे अधिक समय तक वकालात की हो।

उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार–

1. **प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार**– ऐसे मामले जो सीधे ही उच्च न्यायालयों में प्रारम्भ किये जा सकते है, जैसे– मौलिक अधिकार सम्बन्धी याचिकाएँ/मामले।
2. **अपीलीय क्षेत्राधिकार**– उच्च न्यायालय में राज्य के अधीनस्थ जिला एवं सत्र न्यायालयों के आदेशों के विरुद्ध अपील की जा सकती है।
3. **पर्यवेक्षणीय क्षेत्राधिकार**– उच्च न्यायालय को राज्य के समस्त न्यायालयों का निरीक्षण करने, सूचना प्राप्त करने, उनकी कार्य प्रणाली एवं कार्यवाहियों के संचालन सम्बन्धी सामान्य नियम बनाने का अधिकार है। अधीनस्थ न्यायालयों के प्रकरणों की कानूनी व्याख्या करने के लिए उन्हें अपने पास मँगवाने का भी अधिकार है।

न्यायपालिका की स्वतन्त्रता

हमारे संविधान ने न्यायपालिका को बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका प्रदान की है। न्याय करने का कार्य बिना

किसी दबाव एवं हस्तक्षेप से तभी हो सकता है जब न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य करे। हमारे संविधान ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाये रखने के लिए इसे व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका से अलग रखा है। न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया, उनके कार्यकाल की सुरक्षा, न्यायाधीशों की सेवा शर्तें आदि में व्यवस्थापिका का कोई हस्तक्षेप नहीं है। न्यायपालिका को वित्तीय रूप से स्वतंत्रता प्रदान की गई है। न्यायाधीशों के कार्य, आचरण और निर्णयों को व्यक्तिगत आलोचना से मुक्त रखा गया है। इन सभी प्रावधानों से न्यायापालिका की स्वतंत्रता बनाये रखने का पूर्ण प्रयास किया गया है।

गतिविधि–
विद्यार्थी अपने शिक्षक की सहायता से दीवानी व फौजदारी कानून से जुड़े हुए मुकदमों के उदाहरणों की सूची तैयार करें।

न्याय तक सबकी पहुँच हो और न्याय शीघ्र, सुलभ एवं सस्ता हो इसके लिए हमारे देश में कुछ महत्त्वपूर्ण उपाय किए गए हैं। उनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं–

लोक अदालत

प्राचीन समय से ही जिस तरह गाँव के लोग अपने विवादों का निपटारा आपसी समझाइश और राजीनामा से करते हैं, उसी तरह का कार्य वर्तमान में लोक अदालत करती है। इससे लोगों में आपसी सद्भाव बनाये रखने में मदद मिलती है। यह आपसी समझौते के द्वारा विवादों का निपटारा कर लोगों के धन और समय का अपव्यय रोकती है। लोक अदालत के फैसले सभी पक्षों को अनिवार्य रूप से मान्य होते हैं। ऐसे फैसले के विरुद्ध कोई भी पक्ष किसी भी न्यायालय में अपील नहीं कर सकता है। हमारे राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर स्थाई रूप से लोक अदालतें काम करती है। यह नियमित अदालतों से अलग है।

लोक अदालत का दृश्य

त्वरित न्यायालय (फ़ास्ट ट्रेक कोर्ट)

न्यायालयों में मुकदमों की बढ़ती हुई संख्या के कारण कई वर्षों तक मुकदमों का निर्णय नहीं हो पाता है। न्याय में देरी का अर्थ है, न्याय न मिलना। गम्भीर किस्म के कुछ विशेष प्रकरणों में लोगों को शीघ्र न्याय दिलाने के उद्देश्य से त्वरित न्यायालयों की स्थापना की गई है। इन न्यायालयों में मुकदमों की दिन–प्रतिदिन सुनवाई कर त्वरित निर्णय किए जाते हैं।

जनहित याचिका

नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर वे न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। कई बार लोगों को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं होती, जिससे सरकार या लोगों द्वारा उनके अधिकारों का हनन किया जाता रहता है और वे जानकारी के अभाव में उनके उल्लंघन के विरुद्ध अदालत में भी नहीं जाते। ऐसे लोग जो किसी प्रतिकूल परिस्थिति जैसे–अशिक्षा, अज्ञानता या गरीबी के कारण न्याय

प्राप्ति के लिए स्वयं न्यायालय में नहीं जा सकते, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए किसी अन्य व्यक्ति या संस्था द्वारा न्यायालय में जो मुकदमा दायर किया जाता है, उसे जनहित याचिका कहते हैं। जनहित याचिका उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में दायर की जा सकती है। किसी भी सार्वजनिक महत्त्व के मुद्दे पर न्यायालय स्वयं भी प्रसंज्ञान ले सकता है। जनहित याचिका के माध्यम से वंचित व्यक्तियों और समूहों को न्याय सुलभ हुआ है। ऐसी ही एक जनहित याचिका के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने 28 मार्च 2001 को सभी राज्य सरकारों को राजकीय और राज्य सहायता प्राप्त विद्यालयों में प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को छः माह के भीतर पके हुए मध्याह्न भोजन की व्यवस्था के आदेश प्रदान किये। न्यायालय के इस आदेश की क्रियान्विति राज्य सरकारों द्वारा की जा रही है। राजस्थान में राजकीय और राज्य सहायता प्राप्त विद्यालयों के उच्च प्राथमिक स्तर के सभी विद्यार्थियों को पका हुआ मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इस उदाहरण से स्पष्ट है कि जनहित याचिका से कार्यपालिका की जवाबदेही और व्यवस्थापिका की सजगता में वृद्धि हुई है।

विधिक सहायता सेवा

समाज के कमजोर वर्गों को सरकार की ओर से विधिक सहायता सेवा का प्रावधान किया गया है। इस सेवा के अन्तर्गत मुकदमें की पैरवी करने हेतु सरकार द्वारा वकील की निःशुल्क सेवा उपलब्ध कराई जाती है। ऐसे नागरिक जिनकी वार्षिक आय 125000/—रुपये तक हों, या वे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्य हों, तो उन्हें यह सेवा प्रदान की जाती है। महिला, बालक, निराश्रित, बंदी एवं आपदाग्रस्त व्यक्तियों को भी यह सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है।

विधिक साक्षरता

कानूनों की जानकारी के अभाव में किसी कानून का उल्लंघन हो जाने की स्थिति, उस उल्लंघन के अपराध के दण्ड से विमुक्ति का आधार नहीं हो सकता है। अतः हमें कानूनों से परिचित होना आवश्यक है। विधिक साक्षरता के तहत नागरिकों को अपने मूल अधिकारों की रक्षा करने व अन्य आवश्यक कानूनों की सामान्य जानकारी दी जाती है। कानून की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी, वकील व कानून विशेषज्ञ समय—समय पर विधिक साक्षरता शिविर, मेले, जनसभाएँ इत्यादि के द्वारा लोगों को कानूनों की जानकारी देते रहते हैं। विद्यालयों में भी विद्यार्थियों से सम्बन्धित कानूनी अधिकार एवं जानकारियों के बारे में बताया जाता है। विधिक साक्षरता से समाज में भाईचारे को बढ़ावा मिलता है और अपराधों में भी कमी आती है। इनसे नागरिकों में उत्तरदायित्व का बोध विकसित होता है और वे सजगता से व्यवहार करते हैं।

राजस्थान में ग्राम न्यायालय

ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर शीघ्र एवं सुलभ न्याय दिलाने हेतु 'ग्राम न्यायालय एक्ट, 2008' के तहत ग्राम न्यायालयों की स्थापना की गई है। राजस्थान में भी ग्राम न्यायालयों की स्थापना की गई है। राजस्थान में पहला ग्राम न्यायालय जयपुर जिले के बस्सी में खोला गया।

इन ग्राम न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है।

इस अध्याय में हमने कानूनों की जानकारी एवं न्याय के महत्त्व को समझा और साथ ही साथ हमारे देश की न्यायपालिका के संगठन और उसके कार्यों को जाना। हम वंचित लोगों को न्याय उपलब्ध कराने के नवीन प्रयासों से भी परिचित हुए।

शब्दावली

मुकदमा – न्यायालय के विचाराधीन विवाद का मामला

अपील – निचली अदालत के फैसले के विरुद्ध पुनः विचार के लिए किसी पक्ष का ऊपरी अदालत में जाना

याचिका – अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय में प्रार्थना करना।

वकील – कानून के सिद्धान्तों और कानूनों के आधार पर अदालत में किसी मुकदमें में पैरवी करने वाला कानून का विद्वान।

अभ्यास प्रश्न

1. निम्नांकित प्रश्नों के सही विकल्प को चुनते हुए कोष्ठक में अंकित कीजिए –
   (i) निम्नांकित में से कौनसा मामला फौजदारी कानून से संबंधित है :
   (अ) डकैती (ब) सम्पत्ति का बँटवारा
   (स) किराया (द) विवाह पंजीकरण ( )
   (ii) विधिक साक्षरता शिविरों का उद्देश्य है, जनता को :
   (अ) कानूनी जानकारी देना (ब) अक्षर ज्ञान देना
   (स) प्रौढ़ शिक्षा देना (द) वकील बनाना ( )
2. निचली अदालत के फैसले के विरूद्ध जब कोई पक्ष ऊपरी अदालत में जाता है, तो उसे क्या कहते हैं ?
3. राजस्थान उच्च न्यायालय तथा इसकी पीठ कहाँ स्थित है ?
4. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताएँ लिखिए।
5. लोक अदालत से क्या अभिप्राय है ?
6. जनहित याचिका किसे कहते हैं ?
7. न्यायिक पुनरावलोकन से आप क्या समझते हैं ?
8. सरकार किन–किन बातों को ध्यान में रखकर कानूनों का निर्माण करती है ?
9. सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए।
10. यातायात कानूनों का उद्देश्य क्या है ?
11. हमारे देश के वर्तमान यातायात नियमों का संक्षेप में वर्णन कीजिए।
12. शराब के दुष्प्रभाव लिखिए।
13. ''यदि मैं एक यातायात पुलिस का सिपाही होता''– इस विषय पर अपनी नोटबुक में एक पृष्ठ लिखिए।

अध्याय 16

राष्ट्रीय सुरक्षा

एक अवधारणा के अनुसार किसी राष्ट्र के निर्माण में ये चार तत्त्व अनिवार्यतः शामिल होते हैं– भूमि, जनसंख्या, सम्प्रभुता और सरकार। राष्ट्र की अखण्डता को बनाए रखने अर्थात् देश की सीमाओं की रक्षा के लिए सेना भी राष्ट्र का एक अनिवार्य अंग है। भारत की सेना देश का गौरव और हमारा विश्वास है। भारतीय सैनिकों ने अपने शौर्य और बलिदान से विश्व में ख्याति अर्जित की है।

राष्ट्र के समक्ष सुरक्षा चुनौतियाँ

सीमा पर निगरानी रखते हुए सीमा सुरक्षा बल के जवान

भारत के समक्ष सुरक्षा चुनौतियाँ निरन्तर उपस्थित रही हैं। ये चुनौतियाँ विभिन्न स्तरों पर विद्यमान हैं। शत्रु का खतरा न केवल देश की सीमाओं पर विद्यमान रहता है, अपितु देश के सुरक्षा–चक्र को भेदकर आतंकवादी गतिविधियों के द्वारा वह देश के आन्तरिक भागों में भी चुनौतियाँ प्रस्तुत करने का प्रयास करता रहता है। तीसरी तरफ वह देश की एकता के ताने–बाने पर भी प्रहार करने का प्रयास करता रहता है। इन विभिन्न तरह की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए देश में विभिन्न स्तरों वाली सुरक्षा–व्यवस्था स्थापित है।

भारत पश्चिम में पाकिस्तान से, तो उत्तर में चीन से घिरा हुआ है। ये देश भारत पर आक्रमण कर चुके हैं। इन देशों के साथ भारत का सीमा–विवाद भी है। पाकिस्तान आंतकवादी गतिविधियों का सहारा लेकर भारत से परोक्ष रूप से युद्ध छेड़े हुए है। भारत की उत्तरी सीमा पर आए दिन गोलीबारी होती रहती है। उत्तरी–पूर्वी सीमा पर चीन आए दिन सीमा का उल्लंघन करता रहता है। सीमाओं पर घुसपैठ का खतरा भी लगातार बना रहता है। देश में कुछ क्षेत्र अलगाववादी और नक्सलवादी हिंसा से ग्रस्त हैं।

गतिविधि –
विगत 15 दिवस के समाचार–पत्रों से भारत की सीमाओं पर होने वाली हलचल और आंतरिक सुरक्षा संबंधी समाचार संकलित कीजिए।

राष्ट्रीय सुरक्षा को हम दो प्रकार से देखते हैं–

1. बाह्य सुरक्षा और 2. आन्तरिक सुरक्षा

बाह्य सुरक्षा

बाह्य सुरक्षा से आशय देश की सीमाओं की सुरक्षा से है। 'प्रथम सुरक्षा पंक्ति' के रूप में देश की सेनाएँ शत्रु से मुकाबला कर उसे परास्त करती हैं। जब युद्ध नहीं होता और शांतिकाल होता है, तब सेनाएँ सीमा से कुछ दूर रहती हैं। उस समय 'दूसरी सुरक्षा पंक्ति' के रूप में सीमा सुरक्षा बल, तट रक्षक बल,

भारत–तिब्बत सीमा पुलिस व अन्य सुरक्षा बल देश की सीमाओं पर गश्त करते हुए निगरानी रखते हैं। वे आंतकवादियों, घुसपैठियों और तस्करों को सीमा पार करने से रोकते हैं। युद्ध की आशंका होने पर सेनाएँ सीमा पर आ डटती हैं और शत्रु का मुकाबला करने के लिए मोर्चा सम्भाल लेती हैं।

भारतीय सेना

भारतीय सेना के तीन अंग हैं– 1. थल–सेना (आर्मी) जमीन पर युद्ध करती है। 2. जल–सेना (नेवी) समुद्री सीमाओं पर युद्ध करती है। 3. वायु–सेना (एयर फोर्स) आकाशीय सीमाओं की निगरानी रखती है और युद्ध में आकाश–मार्ग से शत्रु के आक्रमण का मुकाबला कर थल–सेना और जल–सेना की मदद करती है।

तीनों सेनाओं के अपने–अपने सेना अध्यक्ष होते हैं। भारतीय सेना केन्द्र सरकार के नियंत्रण में कार्य करती है। भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का 'सर्वोच्च सेनापति' होता है।

थल सेना

जल सेना

वायु सेना

तीनों सेनाओं के प्रतीक चिह्न

गतिविधि–
भारत की तीनों सेनाओं के वर्तमान अध्यक्षों का नाम मालूम कीजिए।

भारतीय सेना उच्च प्रशिक्षित तथा परमाणु हथियार और शक्तिशाली आधुनिकतम् हथियारों से युक्त विश्व की एक अनुशासित और शक्तिशाली सेना है। भारतीय सेना ने सन् 1962, 1965, 1971 व 1999 में दुश्मन के आक्रमणों का मुँहतोड़ जवाब देकर दुश्मन के दाँत खट्टे कर दिये थे। विश्व के अनेक युद्धग्रस्त देशों में युद्धों को रोकने के लिए भारतीय सेना ने 'संयुक्त राष्ट्र संघ' के तत्वाधान में 'शांति–सेना' के रूप में कार्य करते हुए विश्व में शांति की स्थापना में भी अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। तूफान, बाढ़, भूकम्प, दंगे आदि विपत्तियों के समय सेना 'नागरिक प्रशासन' की मदद भी करती है।

प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त मेजर सोमनाथ शर्मा(1947)

गतिविधि–
अपने शिक्षक से स्वतंत्रता के बाद भारत व उसके पड़ोसी देशों के मध्य हुए युद्धों की जानकारी प्राप्त करें।

विश्व की दूसरी शक्तिशाली सेनाओं की बराबरी पर बने रहने के लिए भारतीय सेना को आवश्यकता अनुसार आधुनिकतम हथियार, सैन्य तकनीक और प्रशिक्षण उपलब्ध कराते रहना आवश्यक है। भारत काफी सैन्य सामग्री और तकनीक विदेशों से खरीदता रहा है, परन्तु अब भारतीय रक्षा वैज्ञानिकों ने पर्याप्त मात्रा में स्वदेशी उन्नत तकनीक विकसित करने में सफलता प्राप्त कर ली है। देश के 'रक्षा एवं अनुसंधान संगठन' जैसे अनुसंधान संस्थानों में भारतीय रक्षा वैज्ञानिक इसी प्रयास में लगे रहते हैं। भारत सैन्य सामग्री के उत्पादन में आत्म–निर्भरता की ओर अग्रसर है। अब तो 'अग्नि' व 'पृथ्वी' जैसे शक्तिशाली प्रक्षेपास्त्र, टैंक, लड़ाकू विमान व जहाज तथा अन्य हथियारों का उत्पादन देश में ही हो रहा है।

भारत के सुरक्षा कवच

1. **सुखोई–30 MKi :** यह भारत की आवश्यकता के अनुरूप रूस में निर्मित दो शक्तिशाली इंजन वाला लड़ाकू विमान है। इस पर ब्रह्मोस एवं निर्भय जैसी क्रूज मिसाइलें लगाई जा सकती है। यह प्रतिकूल मौसम में भी उड़ान भर सकता है।

2. **ब्रह्मोस मिसाइल :** इसका निर्माण रूस एवं भारत के संयुक्त उपक्रम द्वारा किया गया है। इसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर है। यह जमीन, समुद्र, उपसमुद्र और आकाश से समुद्र और जमीन पर स्थित लक्ष्य पर हमला करने में सक्षम है। यह मिसाइल पहाड़ी क्षेत्रों में पीछे छिपे लक्ष्य पर भी निशाना लगाने में सक्षम है।
3. **आई.एन.एस. विक्रमादित्य :** यह भारत का विशाल क्षेत्रफल वाला विमान वाहक युद्धपोत है। इसका क्षेत्रफल तीन फुटबाल के मैदान के बराबर है। यह 'मिग–29' जैसे कुल 24 विमानों को जाने में सक्षम हैं। इस पर विमान पट्टी भी मौजूद है।
4. **टी–90 एस भीष्म टैंक :** इससे 5 किमी के दायरे में प्रहार किया जा सकता है। इस टैंक पर किसी भी प्रकार के रासायनिक, जैविक और रेडियो एक्टिव हमले का असर नहीं होता। इसके अंदर बैठ

युद्धक टैंक : भीष्म (टी–90 एस)

विमान वाहक पोत : विक्रमादित्य

कर इसे रिमोट से भी नियंत्रित किया जा सकता है। इसका डिजाइन इस तरह का है कि हमला होने पर बम इस टैंक से टकराकर कमजोर पड़ जाता है तथा उससे निकलने वाले विकिरण टैंक के अंदर बैठे जवानों को हानि नहीं पहुँचा सकते हैं।

5. **आई.एन.एस.चक्र–2 :** यह एक परमाणु संयंत्र युक्त पनडुब्बी है, जो पानी के भीतर 600 मीटर गहराई पर रह सकती है। यह लगातार तीन माह तक समुद्र के अन्दर रह सकती है।

गतिविधि–

शिक्षक की सहायता से हमारे देश में विकसित प्रमुख सुरक्षा हथियार, जैसे– टैंक, मिसाइल, लड़ाकू विमान इत्यादि की जानकारी प्राप्त कर सूची बनाइए और उनके चित्र एकत्रित कीजिए।

अर्द्ध सैनिक बल और सीमा सुरक्षा

भारत की थल–सीमा की लम्बाई 15,200 किलोमीटर और जल–सीमा की लम्बाई 7516 किलोमीटर है। शांतिकाल में विभिन्न अर्द्ध सैनिक बल सीमा की निगरानी रखते हैं। सीमा सुरक्षा बल (बी.एस.एफ.) के जवान भारत की पाकिस्तान व बांग्लादेश से लगने वाली थल सीमा पर तैनात रहते हैं। उत्तर–पूर्व के पर्वतीय इलाके में चीन से लगी सीमा पर भारत–तिब्बत सीमा पुलिस (आई.टी.बी.पी) के जवान निगरानी रखते हैं, तो वहीं समुद्री सीमा की निगरानी तट रक्षक बल (कोस्ट गार्ड) के जवान रखते हैं। सीमाओं पर गश्त करते हुए निगरानी रखने वाले ये अर्द्धसैनिक बल आतंकवादियों, तस्करों और घुसपैठियों को देश में घुसने से रोकते हैं। सीमाओं की निगरानी के लिए देश में अन्य सुरक्षा बल भी मौजूद हैं।

भारत की सशस्त्र सेनाओं के सहयोग के लिए इन अर्द्धसैनिक बलों के अलावा प्रादेशिक सेना, नेशनल कैडेट कोर (एन.सी.सी.), नागरिक सुरक्षा दल (सिविल डिफेन्स) आदि संगठन सेना के सहयोग के लिए तैयार किए गए हैं। सैन्य–शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी अपने स्कूल व कॉलेज में चलने वाले एन. सी.सी. से जुड़ सकते हैं। देश के सामान्य नागरिक 'प्रादेशिक सेना' और 'नागरिक सुरक्षा दल' से जुड़कर सहयोग कर सकते हैं। प्रसिद्ध क्रिकेटर कपिल देव और महेन्द्र सिंह धोनी प्रादेशिक सेना से जुड़े हुए हैं। वैसे अनेक देशों में नागरिकों को सैनिक शिक्षा और नागरिक सुरक्षा का प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है।

आन्तरिक सुरक्षा

देश में आन्तरिक सुरक्षा के लिए पुलिस एवं अन्य विशिष्ट अर्द्धसैनिक बल व आरक्षित बल होते हैं। आन्तरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी मुख्यतः राज्यों की होती है। प्रत्येक राज्य का अपना स्वयं का पुलिस संगठन होता है। पुलिस अपने राज्य में अपराधिक एवं समाज विरोधी गतिविधियों से निपटती है और अपराधियों को सजा दिलाती है। आन्तरिक सुरक्षा से जुड़े हुए अन्य अनेक सुरक्षा बलों में से प्रमुख निम्नलिखित हैं–

1. राजकीय रेलवे पुलिस (जी.आर.पी.) और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (आर.पी.एफ.) रेलवे की सम्पत्ति की रक्षा करते हुए ट्रेन व रेलवे स्टेशनों पर अपराधों की रोकथाम करते हैं।

2. केन्द्रीय आरक्षित पुलिस बल (सी.आर.पी.एफ.) आवश्यकता के समय उपद्रव ग्रस्त क्षेत्रों में राज्य की पुलिस की सहायता करता है।

3. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी.आई.एस.एफ.) देश के महत्त्वपूर्ण औद्योगिक प्रतिष्ठानों और हवाई अड्डों की सुरक्षा करता है।
4. स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (एस.पी.जी.) राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे अति महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों (वी.वी. आई.पी.) की सुरक्षा में लगा रहता है।

देश की सुरक्षा हेतु नागरिकों के कर्त्तव्य–

देश की सुरक्षा की जितनी जिम्मेदारी सेना की है, उतनी ही जिम्मेदारी प्रत्येक नागरिक की भी है। देश की रक्षा करना हमारा कर्त्तव्य है। इस कर्त्तव्य का पालन करने के लिए हमें–

1. युवाओं को सेना एवं अर्द्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए प्रेरित करना चाहिए।
2. देश का कोई भी गोपनीय दस्तावेज या सूचना विदेशियों को न दें। जासूसी जैसी संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी पुलिस प्रशासन को देनी चाहिए।
3. जब हमारे सैनिक मोर्चे पर लड़ रहे हों, तो उन्हें समय पर खाद्य सामग्री, दवाईयाँ तथा आवश्यक वस्तुएँ उपलब्ध करानी चाहिए और सेना का मनोबल बनाए रखना चाहिए।
4. युद्ध के अवसर पर जनता का हौसला किसी भी प्रकार से कम ना होने दें।
5. सेना और प्रशासन की पूरी मदद करें और उनके निर्देशों का पालन करें।
6. नागरिक सुरक्षा व्यवस्था, जैसे– ब्लैक आऊट, प्राथमिक उपचार, अग्निशमन आदि में प्रशासन का सहयोग करें।
7. आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी तथा अनावश्यक रूप से संग्रह न करें। इस प्रकार का काम करने वाले व्यक्तियों के बारे में पुलिस को सूचित करें।

हमें तन–मन–धन से राष्ट्र की सुरक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए।

शब्दावली

शांति काल – वह काल जब सेना युद्धरत न हो।

शांति सेना – दो युद्धरत देशों को युद्ध से रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में निगरानी रखने वाली अन्य देशों की सेना।

ब्लैक आऊट – युद्ध के दौरान प्रशासन एवं नागरिकों द्वारा कार्यालयों, सार्वजनिक स्थानों और घरों में अंधेरा रखना।

अभ्यास प्रश्न

1. सही विकल्प को चुनिए –

   (i) देश के निर्माण के लिए आवश्यक है –

   (अ) सरकार (ब) भूमि

   (स) जनसंख्या (द) उपर्युक्त सभी ( )

   (ii) 'अग्नि' नामक हथियार है –

   (अ) टेंक (ब) लड़ाकू विमान

   (स) विमान वाहक पोत (द) प्रक्षेपास्त्र ( )

   (iii) सैन्य शिक्षा हेतु विद्यार्थी जुड़ सकते हैं–

   (अ) प्रादेशिक सेना से (ब) अर्द्धसैनिक बल से

   (स) स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप से (द) एन.सी.सी.से ( )

2. स्तम्भ 'अ' को स्तम्भ 'ब' से सुमेलित कीजिए–

	स्तम्भ 'अ'	**स्तम्भ 'ब'**
i.	राजकीय रेलवे पुलिस	औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा
ii.	केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा
iii.	केन्द्रीय आरक्षित पुलिस बल	ट्रेन व रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा
iv.	स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप	उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में राज्य पुलिस की सहायता

3. निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें–

   i- भारतीय............................सेना आकाशीय सीमाओं की निगरानी रखती है।

   ii- भारत का .... तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है।

   iii- प्रथम परमवीर चक्र...को प्रदान किया गया।

4. राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखतः कौनसे दो भागों में विभाजित है ?

5. भारतीय सेना के तीन अंग कौन–कौन से हैं ?

6. थल सीमा की निगरानी कौन सा बल रखता है ?

7. उत्तर पूर्व के पर्वतीय इलाकों में सीमाओं की निगरानी कौन सा बल करता है ?

8. जल सीमा की निगरानी कौनसा बल रखता है ?

9. देश की सुरक्षा हेतु नागरिकों के कम से कम पाँच कर्त्तव्य लिखिए।

सामाजिक विज्ञान

भाग–III

इतिहास

अध्याय 17

मुगल साम्राज्य का पतन और 18वीं शताब्दी का भारत

अठारहवीं शताब्दी के पूर्व में ही मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ई. में हुई। इससे पूर्व अधिकांश भारत पर उसका शासन था। परन्तु 1730 ई. तक मुगलों का प्रभाव केवल दिल्ली शहर और उसके आस–पास तक रह गया था। इलाहाबाद में हुई संधि में मुगल शासक शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों के प्रभुत्व को मान लिया। इस साम्राज्य का पतन इतने कम समय में होगा, यह एक विचारणीय प्रसंग है।

मुगल साम्राज्य के पतन को समझने के दौरान कई तरह के सवाल उठते हैं। क्या औरंगजेब के उत्तराधिकारी योग्य नहीं थे, जिसके कारण व्यवस्था नहीं चली? क्या मुगल शासन व्यवस्था में कमी थी? जिसके कारण यह साम्राज्य टूट गया?क्या मुगल साम्राज्य में रहने वाले लोगों ने ही मुगल शासन का अंदर से विरोध करके उसे खोखला बना दिया था? क्या ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी शक्तिशाली बन चुकी थी, उसकी सेना इतनी सुसज्जित एवं अनुशासित थी कि उन्होंने मुगलों को हरा दिया।

वैसे मुगल साम्राज्य का विघटन इसके पूर्व ही प्रारंभ हो गया था। औरंगजेब की धार्मिक, राजपूत, मराठा आदि नीतियों ने साम्राज्य के पतन का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। उसकी मृत्यु के उपरांत पतन की गति तीव्र हो गई। मुगल साम्राज्य के पतन के निम्नलिखित प्रमुख कारण थे–

पतन के मुख्य कारण

औरंगजेब की धार्मिक नीति

औरंगजेब की हिन्दू, सिख, शिया मुसलमानों आदि के प्रति अनुदार नीति के परिणाम बहुत घातक सिद्व हुए। इस नीति ने मुगल साम्राज्य को प्राप्त होने वाली हिन्दू शासकों की सहायता को कम कर दिया, जिसके बल पर पूर्व में मुगलों ने अपना साम्राज्य विस्तार किया था। इस नीति के कारण जाट, सतनामियों तथा सिखों ने भी मुगलों का विरोध किया तथा मराठों ने स्थानीय शक्तियों को संगठित कर विशाल साम्राज्य को स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। शिवाजी ने मराठों में राष्ट्रीय भावना इस प्रकार भरी थी कि औरंगजेब अपनी समस्त शक्ति लगा देने पर भी उन्हे दबा नहीं सका। मराठों से प्रेरणा लेकर उत्तर भारत के शासकों ने भी मुगलों का प्रतिरोध किया। पेशवाओं के समय में तो मराठों की शक्ति इतनी बढ गई थी कि उन्होने दिल्ली के मुगल बादशाह को अपने हाथ की कठपुतली बना दिया। मराठों की शक्ति के उद्भव को मुगलों के पतन का प्रमुख कारण माना जाता है। साथ ही आगरा तथा भरतपुर के इलाकों में जाटों ने मुगल सरकार को मानने से इंकार कर दिया। पंजाब में बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। बंदा बहादुर ने तो अलग से सिक्का भी चलाया था। मुगल शासकों का इतना प्रभाव नहीं था कि इन विद्रोही शासकों को स्वतंत्र होने से रोक पाये।

मुगल शासकों की अयोग्यता

औरंगजेब के बाद के समस्त मुगल शासक निकम्मे और विलासी थे। उनकी अय्याशियों ने उन्हें अकर्मण्य बना दिया। इसी से उनकी वीरता एवं साहस में कमी आई। यह नैतिक पतन उनकी पराजय का कारण बना।

अमीरों (सरदारों) का पतन

शाही परिवार के सदस्यों के साथ–साथ उनके अमीरों का भी पतन हो गया था। वे विलासी जीवन व्यतीत करने लगे थे, और अपने स्वार्थ के लिए आपस में गुटबाजी कर लड़ने लगे थे। अमीर अयोग्य और चरित्रहीन हो गये थे । उन्हें अपने राज्य की किसी भी प्रकार की चिंता नहीं थी।

आर्थिक पतन

शाहजहाँ ने अपनी शान शौकत युक्त तथा खर्चीली इमारतों का निर्माण किया तथा औरंगजेब लम्बे समय तक युद्ध करता रहा, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी। बाद के शासकों के विलासी होने तथा अहमदशाह अब्दाली एवं नादिर शाह की लूटों से मुगलों के खजाने खाली हो गए थे। साथ ही इस लूट के सामान के साथ बहुमूल्य हीरा कोहिनूर एवं तख्ते–ताऊस (मुगलों का मयूर सिंहासन) भी साथ लेकर गया। मुगल साम्राज्य की आर्थिक स्थिति ऐसी बिगड़ गई थी कि एक अवसर ऐसा आया कि मुगलों के शाही भोजन शाला में तीन दिनों तक चूल्हों में आग तक नहीं जली। जब शहजादियाँ भूख सहन न कर सकी तो उन्होंने पर्दा फेंककर बगावत कर दी। बड़ी कठिनाई से उन्हें अपने रनिवास में लौटने के लिये मनाना पड़ा। यह घटना 1755 ई. की हैं। मुगल साम्राज्य में व्याप्त अशांति एवं असुरक्षा के कारण व्यापार में गिरावट आई। इससे राजकीय आय पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा। दस्तक प्रणाली से आय में कमी ने राज्य की आर्थिक दशा को और अधिक विकृत कर दिया। इसका ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों ने अनुचित ढंग से उपयोग शुरू किया, जिसने मुगल साम्राज्य को पतन की ओर धकेल दिया।

उत्तराधिकारी नियमों का अभाव

मुगल साम्राज्य में उत्तराधिकार के लिये नियमों का अभाव था। यहां कोई निश्चित नियम नहीं था कि शासक की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र ही शासक बनेगा (गद्दी पर बैठेगा)। इसका निर्णय तलवार के बल पर होता था, इससे राज्य को बहुत हानि पहुँचती थी।

बाह्य आक्रमण

दुर्बल मुगल साम्राज्य के कारण विदेशी आक्रमणकारियों ने स्थिति का लाभ उठाया। अहमदशाह अब्दाली एवं नादिरशाह के आक्रमणों ने साम्राज्य को बहुत हानि पहुँचाई थी। इससे मुगलों की सैनिक शक्ति क्षीण हो गई थी। अवसर का लाभ उठाकर अनेक सूबों के सूबेदार स्वतंत्र हो गये थे।

राष्ट्रीयता का अभाव

मुगल काल में अधिकतर शासक राष्ट्रीय दृष्टिकोण के शासक नहीं हुए। उन्होंने विभिन्न पंथो को मानने वाले लोगों में एकता की भावना का संचार नहीं किया। औरंगजेब हिन्दुओं तथा शिया मुसलमानों से नफरत करता था। यह शासक अपनी प्रजा एवं सूबों के पदाधिकारियों में राष्ट्रीयता की भावना नहीं भर सका।

यूरोपीय जातियों का आगमन

मुगल काल में पुर्तगाली, अंग्रेज, फ्रांसीसी एवं डच समुद्र के मार्ग से भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। उन्होंने धीरे–धीरे मुगल साम्राज्य की कमजोरियों का लाभ उठाना आरंभ किया। कुछ समय बाद अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों में, राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के लिए संघर्ष हुआ। जिसमें अपनी सामुद्रिक

शक्ति के बल पर अंग्रेजों ने विजय प्राप्त की। अर्थात् मुगलों के पतन का अंतिम कारण अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो भारत में व्यापार के लिए बनी थी। लेकिन अवसर पाकर उसने अपना साम्राज्य स्थापित किया।

गतिविधि–

परिचर्चा करें–मुगल साम्राज्य का पतन किन–किन कारणों से हुआ ?

18वीं सदी का भारत

दक्षिणी भारत में मराठा तथा उत्तरी भारत में सिख एवं जाट शक्ति से हुए संघर्ष ने मुगल साम्राज्य को कमजोर एवं विखण्डित कर दिया। 18 वीं सदी में भारत के विभिन्न भागों में प्रमुख राजनीतिक शक्तियाँ निम्नानुसार थी–

मराठा–मराठा साम्राज्य की स्थापना महाराष्ट्र में शिवाजी ने की थी। शिवाजी एवं उनके उत्तराधिकारियों ने औरंगजेब के विरुद्ध निरन्तर संघर्ष किया। 18 वीं सदी के पूर्वार्द्ध में मराठा साम्राज्य में छत्रपति के स्थान पर पेशवा अधिक शक्तिशाली हो गए। पेशवा बाजीराव ने मराठा शक्ति का प्रसार भारत के अन्य प्रान्तों यथा मालवा, गुजरात, बुन्देलखण्ड आदि में कर दिया। बालाजी बाजीराव के समय में मराठों ने भारत के अधिकांश भागों पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। 1752 ई. तक आते–आते मुगल सम्राट व वजीर भी मराठों के नियंत्रण में आ गए। 1761 ई. में पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा शक्ति को आघात लगा, इसके बावजूद उस समय भारत की सबसे प्रबल शक्ति मराठा ही थे। अंग्रेजों ने मराठों के साथ तीन बार युद्ध करके उनको अपने अधीन कर लिया ।

जाट–मथुरा में जाटों ने गोकुल के नेतृत्व में औरंगजेब की धार्मिक नीतियों के विरोध में विद्रोह कर दिया। कालान्तर में बदन सिंह के नेतृत्व में जाट साम्राज्य की स्थापना हुई थी। जाटों की शक्ति का विकास महाराजा सूरजमल के नेतृत्व में हुआ। उन्होंने भरतपुर को अपनी राजधानी बनाया। जाटों ने मथुरा, अलीगढ़, दोआब क्षेत्र पर भी अधिकार कर लिया। भरतपुर के शासक रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के विरूद्ध मराठा यशवंतराव होल्कर की सहायता की थी। बाद में भरतपुर के शासकों ने अंग्रेजों से संधि कर ली।

हैदराबाद–18 वीं सदी के पूर्वार्द्ध में मुगलों के मनसबदार निज़ाम चिनकिलिच खाँ ने दक्षिण के छह मुगल सूबों को मिलाकर हैदराबाद राज्य की स्थापना की। निज़ाम पर मुगल सत्ता का प्रभाव नाम मात्र का था। अब वह एक स्वतंत्र शासक बन गया था। उसके साम्राज्य विस्तार की योजना को मराठा पेशवा ने तोड़ दिया। मराठों ने उसे पालखेद के युद्ध में पराजित किया। पराजित होने के बावजूद भी हैदराबाद का निज़ाम शक्तिशाली था। बाद में हैदराबाद के निज़ाम ने अंग्रेजों से सहायक संधि कर ली थी।

अवध–अवध में मुगल सूबेदार सआदत खाँ ने स्वतन्त्र व्यवहार आरम्भ कर दिया। इसने नादिरशाह के आक्रमण के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कालान्तर में अवध का शासक शुजाउद्दौला बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से हार गया तथा अवध पर भी अंग्रेजों का नियन्त्रण हो गया।

बंगाल–बंगाल राज्य की स्थापना मुर्शीद कुली खाँ ने की थी और बंगाल, बिहार व उड़ीसा के क्षेत्र

पर अपना अधिकार कायम कर लिया। उसके उत्तराधिकारियों के शासन काल में मराठों ने बंगाल से उड़ीसा को छीन लिया। 1757 ई. में हुए प्लासी के युद्व में अंग्रेज सेनापति क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित कर बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव डाली।

मैसूर—मैसूर पर वाडियार वंश के राजाओं का राज्य था। 18वीं सदी के मध्य काल में उसके सेनापति हैदरअली ने उस पर अधिकार कर लिया। हैदरअली और उसके पुत्र टीपू सुल्तान का अंग्रेजों से निरन्तर संघर्ष हुआ। चार युद्धों के पश्चात् 18 वीं सदी के अन्तिम दशक में अंग्रेजों ने मैसूर पर अपना नियन्त्रण स्थापित कर लिया।

18वीं सदी में राजस्थान के राजपूत राज्य

उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य की कमजोरी का लाभ उठाकर राजपूत शासकों ने भी अपना प्रभाव बढ़ाना आरम्भ किया किन्तु ये राज्य गृह युद्व में उलझ गये एवं मराठों की विस्तारवादी नीति ने स्थिति को और बिगाड़ दिया।

आमेर (जयपुर)—18वीं सदी के पूर्वार्द्ध में जयपुर के सवाई जयसिंह ने मालवा की सूबेदारी प्राप्त की थी। सवाई जयसिंह के द्वारा बून्दी के उत्तराधिकार युद्व में हस्तक्षेप करने के कारण मराठों का राजस्थान में प्रवेश हुआ। मराठों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए सवाई जयसिंह एवं अन्य शासकों ने 1734 ई. में राजपूत राजाओं का हुरडा नामक स्थान पर एक सम्मेलन बुलाया। उन्होंने हुरडा सम्मेलन के द्वारा राजपूतों की एकता का प्रयास किया था। जयसिंह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र ईश्वर सिंह व माधोसिंह में संघर्ष हुआ। बाद के सभी शासकों को मराठों के आक्रमण भी झेलने पड़े। जयपुर राज्य की अन्तिम प्रमुख सफलता सवाई प्रतापसिंह द्वारा तुंगा के युद्व में मराठों को पराजित करना था।

जोधपुर—जोधपुर के अजीत सिंह ने जोधपुर को मुगलों से छीन लिया और उस पर अपना अधिकार कर लिया। बाद में मुगल दरबार में अपना प्रभाव बढाया व गुजरात का सूबेदार बना। मुगल सम्राट फर्रुखसियर को गद्दी से हटाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसके पश्चात् उत्तरवर्ती शासकों में राजगद्दी को लेकर गृह युद्ध हुए।

मेवाड़—मेवाड़ के शासक अमरसिंह द्वितीय ने जयसिंह को आमेर व अजीत सिंह को जोधपुर प्राप्त कराने में मदद की । कालान्तर में यह राज्य भी आपसी गृहयुद्ध में उलझ गया।

इस प्रकार 18वीं सदी में भारत में राजनीतिक अव्यवस्था व्याप्त हो गई। मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया था। उसके स्थान को भरने की क्षमता मराठा शासकों में थी, किन्तु उन्होंने मात्र चौथ एवं सरदेशमुखी वसूल करने पर ही अपना ध्यान दिया। उन्होंने उत्तरी भारत के राजपूत राज्यों से अच्छे सम्बन्ध विकसित नहीं किए। परिणामस्वरूप पानीपत के तृतीय युद्ध में उन्हें अहमदशाह अब्दाली के विरूद्ध राजपूतों तथा अन्य भारतीयों की शक्तियों का सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। जिससे मराठों को इस युद्ध में पराजित होना पड़ा। राजपूत शासक भी अपने गृहयुद्धों के कारण अपनी शक्ति का विस्तार नहीं कर पाए। भारतीय शासकों की इस कमजोरी का लाभ अंग्रेजों ने उठाया और उन पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया।

18वीं सदी में समाज व संस्कृति

भारतीय समाज में हिन्दू व मुस्लिम निवास करते थे। इनमें समान रीति रिवाज प्रचलित थे। जातियाँ

व्यवसाय पर आधारित थी तथा समाज में दो वर्ग थे। अमीर वर्ग और जनसाधारण। भारतीय व्यवसाय उन्नत अवस्था में था। बंगाल एवं दक्षिण भारत के वस्त्र सम्पूर्ण दुनिया में प्रसिद्ध थे। भारतीय माल की माँग विदेशी बाजारों में भी बहुत अधिक थी, किन्तु 18 वीं सदी के उत्तरार्द्ध में अंग्रेजी नीतियों ने भारतीय व्यापार को प्रभावित किया।

मुगल साम्राज्य के कमजोर होने से कलाकारों ने क्षेत्रीय राज्यों की ओर रुख किया । परिणामस्वरूप देश के विभिन्न हिस्सों में कला का विस्तार तीव्र गति से हुआ। कांगडा व राजपूत चित्रकला शैलियों में नई विशेषताएँ आईं। राजस्थान में इसी काल में जाट शासकों ने डीग के महल बनवाए। सवाई जयसिंह ने जयपुर शहर बसाया एवं भारत में पाँच स्थानों पर वेधशालाएँ (जन्तर–मन्तर) बनवाई। सवाई प्रतापसिंह ने जयपुर में हवामहल का निर्माण करवाया। प्रताप सिंह के दरबार में ही राधा–गोविन्द संगीत सार जैसा ग्रन्थ लिखा गया। इसके दरबार में 'गन्धर्व बाईसी' जैसे विद्वान् रहते थे। इसी काल में पंजाब में हीर–राँझा लिखा गया। भारत की अन्य भाषाओं में भी कई ग्रन्थों का निर्माण हुआ।

शब्दावली

दस्तक – आज्ञापत्र

चौथ – मराठों द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला सुरक्षा कर

सरदेशमुखी – मराठा क्षेत्र के शासकों से लिया जाने वाला कर

अभ्यास प्रश्न

1. मराठों में सर्वप्रथम राष्ट्रीय भावना को किस शासक ने भरा था?
2. यशवंतराव होल्कर की सहायता राजस्थान के किस शासक ने की थी?
3. गन्धर्व बाईसी किसके दरबार में रहते थे?
4. मुगलों में उत्तराधिकार किस प्रकार प्राप्त होता था?
5. 18 वीं सदी में मराठों की दशा का वर्णन कीजिए।
6. सवाई जयसिंह की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए।
7. किन–किन मुगल सूबेदारों ने स्वतंत्र राज्यों की नींव डाली? किन्हीं तीन के नाम लिखिए।
8. हुरडा सम्मेलन कब आयोजित हुआ था एवं इसके उद्देश्य क्या थे?
9. मुगल साम्राज्य के पतन के किन्हीं चार कारणों का वर्णन कीजिए।
10. 18 वीं सदी में किन्हीं तीन राजपूत रियासतों की राजनैतिक स्थिति का वर्णन कीजिए।

गतिविधियाँ–

1. 18 वीं सदी के प्रमुख नायकों के चित्रों का संकलन कीजिए।
2. भारत के मानचित्र में 18 वीं सदी के प्रमुख राज्यों को दर्शाइए।
3. विद्यार्थियों को राजा, सामन्त, सेनापति आदि बनाकर किसी प्रेरणादायी नाटक का मंचन करें।

अध्याय 18

1857 का स्वतंत्रता संग्राम

1757 ई. में प्लासी के युद्ध में विजय प्राप्त करके अंग्रेजों ने बंगाल में अपने साम्राज्य की नींव डाली। धीरे–धीरे अंग्रेजों ने सम्पूर्ण भारत पर अपना नियन्त्रण स्थापित कर लिया। भारत पर अधिकार करने के लिए अंग्रेजों ने छल–कपट का प्रयोग किया। भारतीयों की आपसी फूट का फायदा भी उठाया। इस दौरान अंग्रेजों के अत्याचारों और विश्वासघात से पीड़ित होकर भारतीयों ने कई स्थानों पर उनके विरूद्ध संघर्ष किया। जैसे बंगाल में सन्यासियों ने विद्रोह किया, महाराष्ट्र में रामोसी जाति ने तथा पूरे देश में विभिन्न जनजातियों और अंग्रेज सेना में कार्यरत भारतीय सैनिकों ने भी समय–समय पर संघर्ष किया। किन्तु ये सारे प्रयास स्थानीय स्तर पर हुए और अलग–अलग समय पर हुए । अतः यह व्यापक रूप धारण नहीं कर पाए व असफल रहे। अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध सबसे बड़ी और देशव्यापी क्रांति 1857 ई. में हुई थी । इस क्रान्ति को जनता का भी समर्थन प्राप्त था। अतः इसे देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता हैं। 1857 ई. में हुई यह क्रांति किसी एक घटना या कारण का परिणाम नहीं थी बल्कि विगत सौ वर्षों में अंग्रेजों ने भारत के राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन में जो अनुचित हस्तक्षेप किए थे उनके विरूद्ध भारतीय जनमानस की प्रतिक्रिया थी। इस स्वतंत्रता संग्राम के होने के निम्नांकित कारण रहे :–

संग्राम के कारण

राजनीतिक कारण

क्लाइव ने अपनी कूटनीति से ईस्ट इण्डिया कंपनी को, जो एक व्यापारिक संस्था थी, राजनीतिक संस्था बना दिया। वेलेजली और हेस्टिंग्स ने अंग्रेजी राज्य में अनुचित ढंग से राज्य वृद्धि के प्रयास किए। कालांतर में डलहौजी ने साम्राज्य विस्तार के लिए एक नयी नीति बनाई। जिन देशी राजाओं के कोई अपनी संतान नहीं थी, उनके राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिलाना शुरु कर दिया। हिन्दुओं में गोद लेने की प्रथा रही

है। पुत्र नहीं होने की स्थिति में राजा लोग अपनी रिश्तेदारी या बिरादरी में से किसी लड़के को अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए गोद लेते थे। राजा के मरने के बाद वही लड़का राज्य का स्वामी होता था। डलहौजी ने इस प्रथा को अमान्य कर दिया। उसकी यह नीति 'गोद–निषेध' नीति कहलाई। इस नीति का प्रभाव अनेक राज्यों पर पड़ा, जिनमें सम्बलपुर, जेतपुर,सतारा, नागपुर, बिठूर और झांसी मुख्य थे।

सैद्धांतिक रूप से मुगल सम्राट अब भी भारत का बादशाह था, परन्तु उसका अपमान किया गया। सिक्कों पर उसके नाम के बजाय इंग्लैंड के राजा का नाम उत्कीर्ण करवाया गया। इसी प्रकार पूर्व में मराठा पेशवा से उसका साम्राज्य छीनकर उसे पेंशन दे दी गई। कालांतर में उसके पुत्र व नवीन पेशवा नानासाहब की पेंशन भी बंद कर दी गई। इससे भारतीय जनमानस में रोष व्याप्त हो गया।

अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति से भारत के शासक चिंतित हो गए थे। अंग्रेजों ने साम्राज्य विस्तार के दौरान भारतीय शासकों से संधियाँ की व उनसे वादा किया था कि अंग्रेज उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। किन्तु अंग्रेजों ने पॉलिटिकल एजेंटों के माध्यम से देशी शासकों के राज्यों में निरंतर हस्तक्षेप किए तथा बाद में प्रशासनिक अव्यवस्था के नाम पर कुछ क्षेत्रों को हड़प लिया, जैसे अवध का राज्य।

शासकों के अतिरिक्त सामंत वर्ग भी अंग्रेजों से नाराज था। यहाँ का सामंत वर्ग अपनी जनता से कर वसूल करता था तथा राजा को देता था। युद्ध के समय राजा को सैनिक शक्ति प्रदान करता था। अतः दरबार में सामन्तों का सम्मान था। किन्तु सहायक संधियों के बाद शासकों की सामंतों पर से निर्भरता खत्म हो चुकी थी व राजाओं ने सामन्तों के अधिकारों में कटौती कर दी। सामन्त इस का कारण अंग्रेजी शासन को मानते थे, जैसे मेवाड़ के सामन्त विशेषतया रावत केसरी सिंह (सलूम्बर) महाराणा के दुर्व्यवहार को अंग्रेजों की शह मानते थे। जोधपुर में ठाकुर अजीत सिंह (आलणियावास) पॉलिटिकल एजेण्ट से अत्यन्त नाखुश था। जयपुर में दीवान झूँथाराम ने अंग्रेजी समर्थन के बल पर जागीरदारों को उनके पैतृक अधिकारों से वंचित कर देने पर बाध्य किया। जोधपुर में आहुवा, आसोप, गुलर, आलणियावास के सामन्त शासक से नाराज थे और अपनी शक्तिहीनता का कारण अंग्रेजों को मानते थे। शासकों और सामंतों की निर्णय लेने की स्वतन्त्रता भी कंपनी शासन में खत्म हो गई थी।

सामाजिक व धार्मिक कारण

सामाजिक सुधार के नाम पर भारतीयों के जीवन में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। इसकी भारतीयों में तीव्र प्रतिक्रिया हुई। इसके अतिरिक्त अंग्रेज, भारतीय नागरिकों के साथ अपमानजनक व्यवहार करते थे। एक सामान्य अंग्रेज भी बड़े से बड़े भारतीय का अपमान कर देता था। भारतीय रीति रिवाजों का मजाक उड़ाया गया। भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता था। इससे भारतीय समाज में नाराजगी थी। धार्मिक क्षेत्र में सरकार ने ईसाई धर्म के प्रचार की छूट दे दी, जिससे ईसाई मिशनरियों ने समाज के कमजोर वर्ग को धर्म परिवर्तन करवाने का कार्य आरम्भ कर दिया। भारतीय देवी–देवताओं व पूजा विधियों की खिल्लियाँ उड़ाई जाने लगी। जेल में कैदियों को ईसाई धर्म स्वीकार करने के लिए बाध्य किया जाता था। ईसाई धर्म स्वीकार करने पर उनकी सजा में कमी कर दी जाती तथा अन्य कैदियों की तुलना में ज्यादा सुविधाएँ दी जाती थी। ईसाई बनने वालों को सरकारी नौकरी में ऊँचे पदों पर बिठाया जाता था। इस नीति ने भारतीय समाज के मन में अंग्रेजों के विरूद्ध घोर विद्रोह पैदा कर दिया।

आर्थिक कारण

कम्पनी के शासन के पूर्व भारत एक कृषि एवं उद्योग प्रधान देश था। इसकी आर्थिक सम्पन्नता के कारण इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था तथा यह विश्व के व्यापार का प्रमुख केन्द्र था। अंग्रेजों ने सत्ता प्राप्ति के बाद इसका बेरहमी से शोषण किया।

अंग्रेजों के आगमन से पूर्व बंगाल एक समृद्ध प्रांत था। किन्तु अंग्रेजों ने उसे इस कदर लूटा कि वहाँ भूखमरी व्याप्त हो गई। लाखों लोग अकाल में मारे गए। बंगाल के मैदानों में भारतीय किसानों व दस्तकारों की हड्डियों के ढ़ेर लग गए। अंग्रेजों ने किसानों से इतना अधिक भू–राजस्व वसूला कि किसान खेती छोड़ने को बाध्य हो गए व कई पुराने जमींदार लगान न दे पाने के कारण जमींदारी खो बैठे।

अंग्रेजों ने इंग्लैण्ड में बने माल को भारत में खपाने के लिए भारतीय वस्त्रों पर भारी कर लगाया और दस्तकारों पर अत्याचार किया, जिससे उन्होंने अपना पुश्तैनी कार्य त्याग दिया।

राजस्थान में भी अंग्रेजों ने शासकों से भारी मात्रा में खराज वसूल करना शुरू कर दिया व आर्थिक संसाधनों पर भी अंग्रेज नियन्त्रण करने लगे। अंग्रेजों ने अफीम व नमक के व्यापार पर अधिकार जमा लिया। उन्होंने बकाया खराज के नाम पर जयपुर व जोधपुर से उनके नमक उत्पादन के स्रोत छीन लिए। समस्त रियासतों से समझौता कर नमक पर चुंगी लागू कर दी, जिससे जनता में भारी रोष फैला, जिसकी अभिव्यक्ति तत्कालीन प्रचलित लोकगीत में देखी जा सकती है–

म्हारो राजा तो भोलो भालो, सांभर तो दे दीनी इंगरेज ने।
पण म्हारा टाबर तो भूखा, रोटी मांगे तीखे लूण री।।

ठीक इसी प्रकार हाड़ौती (दक्षिणी राजपूताना) में अफीम की पैदावार पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए बंगाली अफीम के मुकाबले यहाँ अफीम को नियंत्रित करने हेतु भारी कर लगाए, जिससे यहाँ के किसानों एवं व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ। इससे यहाँ भारी मात्रा में तस्करी बढ़ी व खाद्यान्न संकट पैदा हो गया। सम्पूर्ण राजपूताने में नमक से अंग्रेजों ने भारी मुनाफा कमाया। राजपूताने के अन्य सम्बन्धित उद्योग धंधे नष्ट हो गए।

सैनिक कारण

अंग्रेजों की सेना में अधिकांश अवध के सैनिक थे। अवध को अंग्रेजी राज्य में मिलाने के बाद इन सैनिकों के मनोबल को बड़ा धक्का लगा। उनके मन में विद्रोह के अंकुर प्रस्फुटित होने लगे। कई सैनिक अपनी परम्पराओं के अनुसार रहन–सहन व खान–पान रखना चाहते थे। वे बाल–दाढ़ी रखते व पगड़ी या साफा बांधते थे। अंग्रेजों ने इस पर पाबंदी लगा दी, जिसे सैनिकों ने अपना घोर अपमान समझा। भारतीय सैनिकों को मान्य परम्पराओं के विरुद्ध बाह्य देशों में भेजा जाने लगा। इससे अंग्रेजों के प्रति उनकी नाराजगी बढ़ गई। भारतीय सैनिकों को वेतन भी कम मिलता था। उन्हें वर्दी के पैसे भी स्वयं को देने पड़ते थे। डाक द्वारा उनका निःशुल्क पत्र व्यवहार भी बंद कर दिया गया। सैनिकों में असंतोष का सबसे जबरदस्त कारण कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का होना था, जिन्हें काम लेने से पहले दांतों से काटना पड़ता था। इन सभी कारणों से सेना में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह करने की भावना पैदा हो गई।

जन कवियों एवं साहित्यकारों की भूमिका

अंग्रेजों के हाथों अपनी सत्ता गंवाना सभी को खल रहा था। राजपूताना का जनमानस स्वाभिमानी एवं स्वतंत्रता प्रेमी था। यहाँ के साहित्यकार और कवि भी समाज एवं शासकों को स्वातंत्र्य प्रेम तथा बलिदान करने के लिये बढ़ चढ़कर प्रेरित करते रहे।

अंग्रेजों से संधियों के बाद राजपूताने में अंग्रेजों की उपस्थिति मात्र से साहित्यकार उद्वेलित एवं व्यथित थे। जोधपुर के बाँकीदास, बून्दी के सूरजमल मिसण, आढ़ा जवानजी, बारहठ दुर्गादत्त, आढ़ा जादूराम, आसिया बुधजी, गोपालदान दधिवाड़िया आदि न जाने कितने ही साहित्यकार थे, जिन्होंने अंग्रेजों की घोर निन्दा की। अपनी जनता एवं शासकों को उनके विरूद्ध संघर्ष के लिए प्रेरित किया। राजा से लेकर रंक तक ने अंग्रेजों के खिलाफ संग्राम के बीज बोने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।

जैसा कि कवि बांकीदास ने लिखा–

आयो इंगरेज मुलक रे ऊपर, आहंस लीधा खेंचि उरा।
धणियां मरे न दीधी धरती, धाणियां ऊभां गई धरा।

अर्थात् अंग्रेज भारत में आये और उन्होंने हमारी सांसो तक पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया अर्थात प्रत्येक क्षेत्र में अधिकार कर लिया। पहले स्वामी मर जाते थे परन्तु मातृभूमि को पराधीन नहीं होने देते थे, किन्तु खेद है कि अब स्वामियों के जीवित होते हुए भी मातृभूमि पराधीन हो गई है।

गतिविधि :–

राजस्थानी लोक कवियों द्वारा 1857 पर लिखी गई कुछ अन्य रचनाओं का संकलन कीजिए।

सूरजमल मिसण ने पीपल्या के ठाकुर फूलसिंह को वि.सं. 1914 को पत्र लिखते हुए राजाओं को लताड़ा– ''ये राजा लोग देश पात जमीं का ठाकर छे, जे सारा ही हिमालय का गलयाई नीसरया। सो चालीस से लैर साठ सत्तर बरस तांई पांछा पटक्या छै तो भी गुलामी करै छै। पर यो म्हारो वचन राज याद राखोगा। क जे अब के अंगरेज रह्यो तो इंको ही पूरौ कर सी। जमीं को ठाकुर कोई भी न रहसी। सब ईसाई हो जा सी। तीसो दूरन्देशी फायदो कोई कै भी नहीं...... ।''

अंग्रेजों की छावणियाँ लूटने वाले डूँगजी एवं जवाहर जी की प्रशंसा में लोक गीत रचे गए। बीकानेर के शासक की तारीफ कवियों ने की, क्योंकि उन्होंने जवाहर जी को अंग्रेजों को सौंपने से मना कर दिया। जोधपुर के शासक पर व्यंग्य इसलिये करते, क्योंकि उन्होंने डूँगजी को अंग्रेजों को दे दिया था।

उपरोक्त विवरणों से ज्ञात होता है कि राजपूताने के साहित्यकारों ने शासकों, सामन्तों एवं जनता को प्रेरित कर 1857 के संग्राम के लिए बारूद तैयार किया। इस संग्राम की लहर पूरे देश में फैल गई। जगह–जगह भारतीय सैनिकों, सामंतों व शासकों के साथ जनता ने भी बढ़–चढ़ कर हिस्सा लिया था। तो फिर राजपूताना पीछे क्यों रहने वाला था ?

क्रांति का विस्फोट और उसका प्रसार

क्रांति की योजना नानासाहब पेशवा और उनके सहयोगी अजीमुल्ला तथा रंगोजी बापू ने मुख्य रूप से तैयार की थी। मुगल बादशाह बहादुरशाह के नेतृत्व में 31 मई 1857 ई. के दिन समूचे भारत में एक साथ क्रांति शुरू करनी थी। इसके लिए लाल किले में गुप्त बैठकें हुईं। क्रांति के संदेशवाहकों ने विभिन्न रूपों में देश के विभिन्न भागों में क्रांति के प्रतीक चिह्न 'कमल का फूल' और 'चपाती' (रोटी) को घुमाया। 31 मई को सभी जगह एक साथ क्रांति का श्रीगणेश करना था। परन्तु चर्बी वाले कारतूसों से उत्पन्न आक्रोश ने सारी योजना छिन्न–भिन्न कर दी। क्रांति 31 मई से पूर्व ही अधूरी तैयारी में आरंभ हो गई। 29 मार्च को बैरकपुर की छावनी में सैनिकों को चर्बी चढ़े कारतूस वितरित किए गए। उन्होंने उसे दाँतों से काटने से मना कर दिया। अंग्रेज अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास किया। तब तक मंगल पाण्डे नामक एक सैनिक ने अपनी बंदूक तानकर वहाँ उपस्थित दोनों अधिकारियों को ढेर कर दिया। पाण्डे पकड़ा गया और उसे 8 अप्रेल को फाँसी दे दी गई। मेरठ में एक भारतीय पलटन को चर्बी वाले कारतूस दिए गए। सैनिकों ने उनका उपयोग करने से मना कर दिया। उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। इससे सैनिकों में असंतोष फैल गया। यह घटना 9 मई को घटित हुई थी। क्रांति के नेताओं ने क्रुद्ध सैनिकों को समझा बुझाकर 31 मई तक प्रतीक्षा करने को कहा मगर अगले दिन ही सैनिकों ने विद्रोह कर अपने गिरफ्तार साथियों को रिहा करवा दिया। कई अंग्रेज अधिकारी मार डाले गए। सैनिकों ने दिल्ली की ओर कूच किया। 11 मई को दिल्ली पर अधिकार जमाकर बहादुरशाह को सम्राट घोषित कर दिया।

रानी लक्ष्मीबाई

तांत्या टोपे

मंगल पाण्डे

इसी के साथ धीरे–धीरे क्रांति की ज्वाला भारत के अन्य हिस्सों में फैल गई। कानपुर में नानासाहब व तांत्या टोपे ने क्रांति का नेतृत्व किया। उन्होंने कानपुर पर अधिकार कर लिया। अवध में बेगम हजरत महल के नेतृत्व में अवध की जनता ने संघर्ष आरंभ कर दिया। इसी प्रकार झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बिहार में बाबू कुँवर सिंह, असम में दीवान मणिराम व कंदर्पेश्वर सिंह, उड़ीसा में सुरेन्द्र शाही व उज्ज्वल शाही ने क्रांति का नेतृत्व किया।

उस समय भारत का गवर्नर जनरल लार्ड कैनिंग था। उसने मद्रास, बंबई, बर्मा व लंका से सेनाओं को बुला लिया। पंजाब की सिख सेना व नेपाल की गोरखा सेना ने भी अंग्रेजों का साथ दिया। सेनापति जनरल नील ने बनारस और इलाहाबाद को क्रांतिकारियों से मुक्त करवाया। नाना साहब की सेना भी कानपुर में पराजित हो गई। अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर बहादुरशाह को कैद कर लिया। उसके दो बेटे गोलियों से भून दिए गए तथा बादशाह को कैद कर रंगून की जेल में भेज दिया। लेकिन तांत्या टोपे और लक्ष्मीबाई ने जमकर अंग्रेजों से लोहा लिया। कुछ विश्वासघातकों ने झांसी के किले के फाटक खोल दिए किन्तु रानी वहाँ से दुश्मनों की सेना को चीरती हुई बच निकली और कालपी पहुँची। वहाँ तात्या टोपे भी आ

पहुँचा। दोनों ने ग्वालियर पर आक्रमण किया। ग्वालियर को अंग्रेजी सेना ने घेर लिया। रानी वहाँ से बच निकली पर एक स्थान पर शत्रु सेना द्वारा घेर ली गई। अब बच निकलने का कोई उपाय न देखकर वह शत्रु सेना में प्रलय मचाती हुई अंत में वीरगति को प्राप्त हुई। तांत्या टोपे अब अकेला रह गया लेकिन वह शत्रुओं की निगाहों से बचता हुआ जगह–जगह अंग्रेजों की नींद हराम करता रहा। अंत में विश्वासघातकों के कारण वह भी पकड़ा गया और अंग्रेजों ने उसे फांसी दे दी। इस तरह मंगल पांडे, तात्या टोपे, लक्ष्मी बाई आदि भारत माँ के सपूत स्वतन्त्रता संग्राम की पहली लड़ाई में शहादत को प्राप्त हुए।

राजस्थान का 1857 के स्वतन्त्रता संग्राम में योगदान

भारतीय क्रांति का प्रभाव राजस्थान पर भी पड़ा। राजस्थान में उस समय नसीराबाद, ब्यावर, खेरवाड़ा, देवली, एरिनपुरा और नीमच में अंग्रेजों की सैनिक छावनियाँ थी तथा अजमेर में अंग्रेजों का ए.जी.जी. बैठता था जो राजस्थान के शासकों पर नियन्त्रण रखता था।

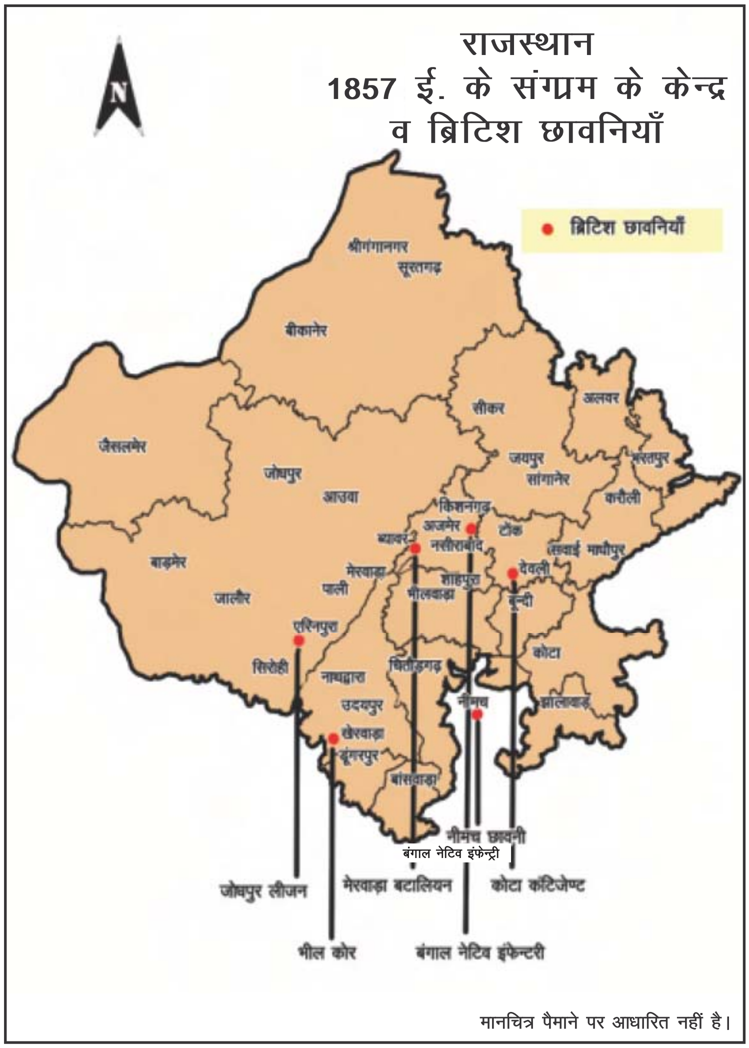

राजस्थान में क्रांति की शुरूआत नसीराबाद से हुई। 28 मई को नसीराबाद में तैनात पन्द्रहवीं नेटिव बंगाल इनफैंट्री के सैनिकों ने अपने अधिकारियों पर हमला कर दिया। सैनिक दिल्ली की ओर रवाना हो गए जहाँ वे क्रांतिकारियों का साथ देना चाहते थे।

नीमच में मोहम्मद अली बेग नामक सैनिक ने कर्नल अबॉर्ट को चुनौती दी व 3 जून को नीमच में भी क्रांति हो गई । अंग्रेजों ने भाग कर उदयपुर में शरण ली। कप्तान शॉवर्स मेवाड़ की सेना लेकर नीमच आया। तब तक क्रांतिकारी वहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके थे। इन क्रांतिकारी सैनिकों के शाहपुरा पहुंचने पर वहां के शासक ने स्वागत किया तथा उसने पीछा करने वाले अंग्रेजों के लिए अपने किले के दरवाजे नहीं खोले। वहां से नीमच के सैनिक भी दिल्ली की ओर रवाना हो गए।

21 अगस्त 1857 को एरिनपुरा छावनी में तैनात एक टुकड़ी ने आबू में अंग्रजों का विरोध कर दिया एवं वहाँ अंग्रेज अधिकारियों पर हमले किए। एरिनपुरा आकर सैनिकों ने छावनी को लूटा। ''चलो दिल्ली मारो फिरंगी'' का नारा लगाते हुए वे दिल्ली की ओर बढ़े।

एरिनपुरा के सैनिकों की भेंट 'खेरवा' नामक स्थान पर आउवा (पाली) के ठाकुर कुशालसिंह से हुई।

कुशालसिंह

कुशालसिंह जोधपुर महाराजा व अंग्रेजों से असंतुष्ट थे। उसने सैनिकों का नेतृत्व संभाल लिया। कुशालसिंह के आह्वान पर आसोप, आलनियावास व गुलर के सामन्त अपनी सेनाओं सहित आउवा आ पहुँचे। खेजड़ला (मारवाड़) तथा मेवाड़ के सलूम्बर, रूपनगर, लहसानी आदि के सामन्तों ने भी अपने सेनाएँ उनकी सहायता हेतु भेज दी। जोधपुर के महाराजा तख्तसिंह ने सैनिक विरोध के समाचार मिलते ही अपनी राजकीय सेना क्रान्तिकारी सैनिको के विरूद्ध आउवा भेजी। कुशालसिंह की सेना ने 8 सितम्बर 1857 को 'बिथोड़ा' नामक स्थान पर जोधपुर राज्य की सेना को बुरी तरह परास्त किया। इस पराजय की खबर सुनकर ए.जी.जी. जार्ज लोरेन्स स्वयं सेना लेकर आउवा पहुँचा, किन्तु 18 सितम्बर 1857 को वह भी पराजित हुआ। जोधपुर का पॉलीटिकल एजेन्ट मेकमोंसन क्रांतिकारियों द्वारा मारा गया। उसका सिर आउवा के किले के द्वार पर लटका दिया गया। लोरेन्स पुनः अजमेर लौट गया। इधर अक्टूबर 1857 में जोधपुर लिजियन के क्रांतिकारी सैनिक भी दिल्ली की ओर बढ़े।

जनवरी 1858 में होम्स के नेतृत्व में एक सेना ने आउवा पर आक्रमण कर दिया। ठाकुर कुशालसिंह ने सलूम्बर के सामन्त के यहाँ शरण ली। अंग्रेजों ने आउवा के किलेदार को रिश्वत देकर किले के द्वार खुलवा

आउवा के किले का द्वार जहां मेक मोंसन का सिर काटकर लटका दिया गया

दिए एवं किले पर अधिकार कर लिया। आउवा के निवासियों पर अमानवीय अत्याचार किए गए। 1860 में नीमच में कुशालसिंह ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उस पर मुकदमा चलाया गया, जिसमें बाद में उसे बरी कर दिया गया।

राजस्थान में क्रांति के प्रमुख केन्द्रों में आउवा के अतिरिक्त कोटा भी था।कोटा का महाराव रामसिंह अंग्रेजों का समर्थक था, किन्तु वह व्याप्त जन असंतोष के कारण सैनिकों पर कोई कार्यवाही न कर सका। मेजर बर्टन ने महाराव को सैनिकों पर कार्यवाही के लिए दबाव डाला। इस पर 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की सेना में नाराजगी भड़क उठी। नाराज सैनिकों ने रेजीडेन्सी पर आक्रमण कर मेजर बर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया। राज्य के समस्त प्रशासन पर सैनिकों का नियंत्रण हो गया।

कोटा महाराव की स्थिति अपने ही महल में कैदी के तुल्य हो गई। जयदयाल एवं मेहराब खाँ के नेतृत्व में क्रांतिकारियों का लगभग 6 माह तक कोटा के प्रशासन पर नियंत्रण रहा। मार्च 1858 में जनरल राबर्ट्स के नेतृत्व वाली सेना ने कोटा शहर को क्रांतिकारियों से मुक्त कराया। जयदयाल एवं मेहराब खाँ व अन्य को सरे आम फाँसी दी गई।

इसके अतिरिक्त धौलपुर राज्य की सेना व भरतपुर की जनता में भी विरोधी तेवर देखे गए, यद्यपि वहां के शासकों ने ब्रिटिश भक्ति दर्शाई।

राजपूताने में कुछ सामन्तों ने आउवा के ठाकुर कुशालसिंह के नेतृत्व को स्वीकार करके ब्रिटिश विरोध की नीति अपनाई। क्रांतिकारियों को प्रायः प्रत्येक स्थान पर स्थानीय कृषकों, जनसामान्य, हिन्दू–मुस्लिम दोनों समुदायों का पर्याप्त समर्थन मिला, किन्तु देशी रियासती शासकों ने अंग्रेजों का भरपूर समर्थन किया। वे अंग्रेजों के वफादार रहे। उन्होंने अंग्रेजों को शरण एवं सैनिक सहायता प्रदान की। बीकानेर का शासक तो स्वयं अपनी सेना के साथ अंग्रेजों की सहायतार्थ राज्य के बाहर भी गया। राजाओं के सहयोग के बारे में तत्कालीन गवर्नर जनरल लार्ड कैनिंग ने कहा ''इन्होंने तूफान में तरंग अवरोध का कार्य नहीं किया होता तो, हमारी कश्ती बह जाती।''

डूँगजी व जवाहर जी

1857 के स्वतंत्रता के संग्राम के पूर्व सीकर क्षेत्र में डूँगजी व जवाहर जी नामक काका–भतीजा प्रसिद्ध सेनानी रहे। इन्होंने अंग्रेजों की बीकानेर व जोधपुर की सेना से संघर्ष किया। अपने बलिदान के कारण ये लोग गीतों में अमर हो गए। राजपूताने का ही निवासी व्यापारी अमरचन्द बांठिया अपने त्याग व बलिदान के लिए दूसरे भामाशाह के रूप में प्रसिद्ध है। इसने अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति तांत्या टोपे को देने का प्रस्ताव रखा, ताकि अंग्रेजों के विरूद्ध संघर्ष चलाया जा सके।

सुगाली माता

राजस्थान व भारत में क्रान्ति के दौरान एक बात यह रही कि क्रांतिकारी सैनिक अपनी छावनियों में विद्रोह करने के बाद दिल्ली की ओर बढ़े। दिल्ली पहुँचने पर वे लक्ष्यविहीन हो गए। उनकी एकता भी खंडित हो गई। इसके विपरीत जैसे–जैसे नाराज सैनिक दिल्ली की ओर बढ़े अंग्रेजों ने उनकी अनुपस्थिति में वहाँ पर पुनः अपना नियंत्रण कायम कर लिया। फलतः क्रांतिकारियों को स्थायी सफलता नहीं मिल पाई। देशी रियासती शासकों की ब्रिटिश स्वामी भक्ति के कारण अंग्रेजों ने अत्यन्त कड़ाई से क्रांति को दबा लिया। जून 1858 तक अंग्रेजों का अधिकांश स्थानों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया।

> आउवा की कुलदेवी सुगाली माता पूरे मारवाड़ क्षेत्र में आराध्य देवी रही है। इस देवी प्रतिमा के दस सिर और चौवन हाथ है। यह देवी प्रतिमा 1857 के स्वंतत्रता संग्राम में सेनानियों की प्रेरणा स्रोत रही है। कहा जाता है कि स्वाधीनता सेनानी अपनी गतिविधियाँ इस देवी के दर्शन कर प्रारंभ करते थे।

1857 के क्रांति के परिणाम एवं इसके विश्वव्यापी प्रभाव

यद्यपि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम असफल रहा, पर इसके परिणाम दूरगामी रहे। रियासती शासकों ने क्रांति के समय स्वामिभक्ति निभाते हुए अंग्रेजों का तन–मन–धन से सहयोग किया था। इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें पुरस्कृत किया। गोद–निषेध का सिद्धान्त समाप्त कर राजाओं को गोद लेने की अनुमति दी गई। भारत कम्पनी के शासन के स्थान पर ब्रिटिश क्राउन के सीधे नियंत्रण में आ गया। रानी विक्टोरिया ने अपने घोषणा पत्र (1858 ई.) में आश्वासन दिया कि सभी देशी राजाओं का अस्तित्व बना रहेगा।

जागीदार वर्ग ने विद्रोह के दौरान अंग्रेज विरोधी भूमिका निभाई थी । अतः अंग्रेजों ने सामन्त वर्ग की शक्ति समाप्त करने की नीति अपनाई। सामन्तों से सैनिक सेवा के बदले अब नकद राशि ली जाने लगी। सामन्तों की सेनाएँ भंग की गई। उनके न्यायिक अधिकार छीन लिए। जागीर क्षेत्रों में सामन्तों की प्रतिष्ठा कम करने के प्रयास किए गए। उनके विशेषाधिकार भी छीन लिए गए। प्रशासन में सामन्तों की भूमिका समाप्त करने हेतु नौकरशाही में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त अनुभवी व स्वामिभक्त व्यक्तियों को नियुक्ति देना प्रारम्भ हुआ। इसके फलस्वरूप राजभक्त अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त मध्यम वर्ग का विकास हुआ।

अंग्रेजों ने अपने सैनिक व व्यापारिक हितों को ध्यान में रखते हुए रेलवे व सड़क व्यवस्था का विस्तार किया। शासकों के लिए भी अंग्रेजी शिक्षा का प्रबन्ध किया गया ताकि वे ब्रिटिश तौर–तरीकों को अपनाएँ तथा उनकी निष्ठा ब्रिटिश ताज व पाश्चात्य सभ्यता के प्रति बनी रहे।

इस क्रांति ने भारत में आगामी ब्रिटिश नीतियों को भी व्यापक रूप से प्रभावित किया। बाद के सभी गवर्नर जनरलों ने जो निर्णय लिए उन पर इस क्रांति का प्रभाव नजर आता है। लॉर्ड डफरिन ने अपने कार्यकाल में कांग्रेस की स्थापना को जो अनुमति प्रदान की उसके पीछे उद्देश्य यह था कि भारतीयों को अपनी बात कहने का कोई मंच मिल जाए ताकि पुनः1857 ई. जैसी क्रांति न हों। बाद के काल में स्वतंत्रता सेनानियों, विशेषकर क्रांतिकारियों ने 1857 की क्रांति से प्रेरणा ग्रहण की।

इस क्रांति के परिणाम जो भी रहे हो, किन्तु यह सत्य है कि इसने ब्रिटिश साम्राज्यवाद एवं औपनिवेशिक शासन की जड़ों को हिला दिया था। 1857 ई. की क्रांति ने सम्पूर्ण विश्व को प्रभावित किया था। यह क्रांति विश्व में पहली बार यूरोपीय साम्राज्यवाद के विरुद्ध विशालतम एवं महान् चुनौती थी। इससे बड़ा

संघर्ष किसी भी देश की क्रांतियों में नहीं हुआ था। इस घटना का वर्णन तत्कालीन समय के सभी वैश्विक समाचार पत्रों में मिलता है। हालांकि अंग्रेजों ने स्वतंत्रता संग्राम के स्थान पर इसे सैनिक विद्रोह कहकर इसके प्रभाव को सीमित करना चाहा, किन्तु सर्वप्रथम वीर सावरकर ने अपने अकाट्य तर्कों द्वारा साबित कर दिया कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था।

असफल होने पर भी इस क्रान्ति ने देशवासियों में स्वतत्रंता की भावना को जाग्रत किया। आने वाले समय में स्वतंत्रता आन्दोलनों को यह क्रान्ति प्रेरणा देती रही। भारतीयों की दृष्टि में यह क्रान्ति संघर्ष का अन्त नहीं बल्कि स्वतन्त्रता आन्दोलन का प्रथम अध्याय थी, जिसकी इतिश्री 1947 ई. में देश की स्वतन्त्रता के रूप में हुई ।

शब्दावली

अकाट्य	–	तथ्य जिसे काटा ना जा सके अथवा तथ्य पूर्ण बात
पॉलिटिकल एजेंट	–	देसी रियासतों में ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि
ए.जी.जी.	–	गवर्नर जनरल का प्रतिनिधि
खराज	–	एक प्रकार का कर या टेक्स

अभ्यास प्रश्न

प्रश्न एक व दो के सही उत्तर कोष्ठक में लिखें –

1. 1857 क्रांति का श्रीगणेश करने की तिथि क्या तय की गई थी ?
   (अ) 8 अप्रेल (ब) 29 मार्च (स) 31 मई (द) 9 मई ( )
2. कोटा में क्रांति का नेतृत्व किसने किया ?
   (अ) जयदयाल (ब) लक्ष्मीबाई (स) कुशालसिंह (द) कुँअर सिंह ( )
3. 1857 की क्रांति राजस्थान में कहाँ से शुरू हुई ?
4. कोटा में किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की गई ?
5. 1857 की क्रांति में गीत रचने वाले कवि कौन–कौन थे ?
6. 1857 की क्रांति में शहीद होने वाले प्रथम क्रांतिकारी कौन था ?
7. आउवा में हुई प्रमुख क्रांति की घटनाओं पर टिप्पणी लिखो ?
8. डूंगजी–जवाहर जी का संक्षिप्त परिचय दीजिये ।
9. 1857 की क्रांति के कारणों का वर्णन कीजिये ।
10. 1857 की क्रांति की मुख्य घटनाओं का वर्णन कीजिये ।
11. 1857 की क्रांति के परिणाम लिखिये ।

गतिविधि–

1. क्रांतिकारियों के चित्र संकलित कीजिये।
2. क्रान्ति से सम्बन्धित लोकगीतों का संकलन करें। अपने शिक्षक एवं अभिभावक का सहयोग प्राप्त करें ।

अध्याय 19

आधुनिक भारत में होने वाले वैचारिक परिवर्तन और समाज सुधार

भारतीय समाज को प्राचीनकाल से ही बहुत उन्नत संस्कृति विरासत में प्राप्त हुई है। यद्यपि इसको बनाए रखने के निरन्तर प्रयास होते रहे हैं, फिर भी कतिपय कारणों से समाज में रूढ़ियों ने स्थान बना लिया और उनमें दोष पैदा हो गये। किन्तु उनके समाधान के लिए भी समाज जाग्रत रहा व समय समय पर उसमें व्याप्त रुढ़ियों को दूर करने के प्रयास भी होते रहे। यथा लगभग 2500 वर्ष पहले गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी ने तात्कालिक समाज में व्याप्त कुरीतियों को मिटाने के लिए प्रयास किये तो बाद में भक्तिकालीन संतो ने मध्य काल में प्रचलित कर्म काण्डों के विरूद्ध समाज में अलख जगाई ।

गतिविधि–
गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिये।

उन्नीसवीं सदी में भारत में अंग्रेजों का साम्राज्य स्थापित हो चुका था तथा पाश्चात्य शिक्षा व दर्शन का प्रचार हो रहा था। उस समय के भारतीय समाज में सतीप्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, जाति प्रथा, कन्या वध जैसी कुरीतियाँ प्रचलित थी । अंग्रेजों ने इन कुरीतियों के बहाने सम्पूर्ण भारतीय सभ्यता व संस्कृति की आलोचना प्रारम्भ कर दी। अंग्रेजों ने भारतीय संस्कृति और रीति रिवाजों की अच्छाईयाँ देखने की जगह मात्र बुराइयों को उजागर करने पर जोर दिया । कुछ भारतीय पढ़े लिखे नवयुवक भी इनकी देखा देखी समाज में बुराइयाँ देखने लगे। जिससे भारतीय समाज मे चिंता व्याप्त हो गई।

ऐसे समय में भारतीय प्रबुद्ध वर्ग ने समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने का प्रयत्न किया। इन लोगों ने प्राचीन वैदिक साहित्य का अध्ययन करके समाज को यह बताया कि उनकी सभ्यता व संस्कृति श्रेष्ठ है तथा जिन कुरीतियों के कारण समाज व धर्म की आलोचना हो रही है, उन कुरीतियों का प्राचीन धर्म व साहित्य में कहीं कोई आधार व अस्तित्व नहीं है। ये कुरीतियाँ कालान्तर में कभी अज्ञानतावश व कभी परिस्थितिवश प्रचलित हो गई थी तथा इन्हें दूर किया जाना आवश्यक था।

इन समाज सुधारकों में से कुछ ने सरकार को प्रेरित किया कि वह कानूनों का निर्माण कर लोगों को इन कुरीतियों का पालन करने से रोके। वहीं कुछ अन्य समाज सुधारकों का मानना था कि लोगों को समझाकर ही इन कुरीतियों को दूर किया जा सकता है। इस तरह आधुनिक भारत में अनेक महापुरूषों ने समाज सुधार के प्रयास किये। इनमें से कुछ महापुरूषों एवं उनके योगदान का अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे।

प्रमुख समाज सुधारक

राजा राममोहन राय

राजा राम मोहन राय

बंगाल में उन्नीसवीं सदी में जो समाज सुधार की लहर उठी उसे 'पुनर्जागरण' का नाम दिया गया। उन्नीसवीं सदी के शुरूआती समय में बंगाल में एक बड़ी भीषण प्रथा का प्रचलन था। बंगाल के लोग इसे सती प्रथा कह कर प्रतिष्ठित करने लगे।

सती प्रथा की चर्चा प्राचीनकाल में भी यदा कदा होती थी। मध्यकाल में इसका प्रचलन कुछ ज्यादा बढ़ गया था। पर उन्नीसवीं सदी के बंगाल में तो इसने एक वीभत्स रूप ले लिया था। कुलीन परिवारों में जोर–जबरदस्ती से, सती के नाम पर, नई विधवा की आहुति दे दी जाती थी। यह बड़ी विकराल परिस्थिति थी, जिसका लोग 'प्रथा' की आड़ में पालन किया करते थे।

गतिविधि–

प्रथा किसे कहते हैं? अपने आसपास के समाज द्वारा पालन की जाने वाली कुछ प्रथाओं की सूची बनाओ। कुछ प्रथाएँ अच्छी भी होती हैं। ऐसी कुछ अच्छी प्रथाओं के नाम बताएँ । कुछ प्रथाएँ बुरी मानी जाती हैं। ऐसी प्रथाएँ कौन–कौन सी हैं ?

इस कुरीति के खिलाफ कलकत्ता के राजा राम मोहन राय ने एक मुहिम छेड़ी। राम मोहन राय का जन्म बंगाल के राधानगर में एक जमींदार ब्राह्मण परिवार में हुआ। इन्होने कई भाषाओं व वैदिक ग्रंथों का अध्ययन किया तथा वैदिक ग्रंथों का साधारण भाषा में अनुवाद किया।

राजाराम मोहन राय ने भारत के धर्म ग्रंथों का विश्लेषण करके यह बताया कि कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि स्त्री को अपने पति की मौत पर अपने आप को आग में झोंक देना चाहिए।

राम मोहन राय ने अपनी बातों के आधार पर अंग्रेजी शासन को भी सहमत होने पर बाध्य किया। सन् 1828 में उन्होंने अपने साथियों के साथ मिल कर 'ब्रह्म सभा' का गठन किया। अगले साल इसका नाम बदल कर 'ब्रह्म समाज' रखा गया। ब्रह्म समाज के दबाव में आकर अंत में सरकार ने 1829 ई. में एक कानून बनाया, जिसमें सतीप्रथा का समर्थन करने वाले को सज़ा देने का प्रावधान रखा गया। जो लोग स्त्री को सती करने में मदद करते थे अब उन्हें सख्त सजा दी जाने लगी। बड़ी तेजी से यह कुरीति समाज से खत्म होने लगी।

ईश्वर चन्द्र विद्यासागर

बंगाल के दूसरे महान् समाज सुधारक ईश्वर चन्द्र विद्यासागर थे। गरीब परिवार में जन्मे विद्यासागर ने अपनी योग्यता के बल पर उच्च शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने नारी शिक्षा के क्षेत्र में काफी कार्य किया। इन्होंने बालिकाओं की शिक्षा के लिए कई बालिका विद्यालय खुलवाए थे। साथ ही ये विधवा विवाह के प्रबल समर्थक थे। इनके प्रयासों से उस समय विधवा विवाह प्रारम्भ हुए व इन्होंने स्वयं ने अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अपने पुत्र का विवाह एक विधवा से करवाया। इनके प्रयासों से 1856 ई. में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम द्वारा विधवा विवाह को मान्यता मिली।

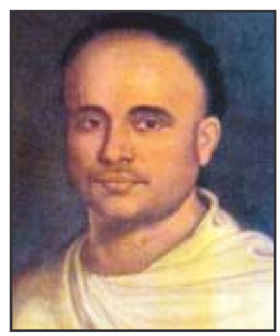

ईश्वर चन्द्र विद्यासागर

ज्योतिबा–फुले

बंगाल के अलावा भारत के अन्य प्रान्तों में भी समाज सुधार के प्रयास हुए। महाराष्ट्र के पुणे शहर में धर्म पर चर्चा करने के लिए 'प्रार्थना समाज' का गठन किया गया। पुणे में ही 'ज्योतिबा फुले' की अगुवाई में 'सत्यशोधक समाज' की स्थापना हुई। ज्योतिबा फुले ने जाति व्यवस्था के विरूद्ध निरन्तर संघर्ष किया तथा 'गुलामगिरी'नामक पुस्तक लिखी।

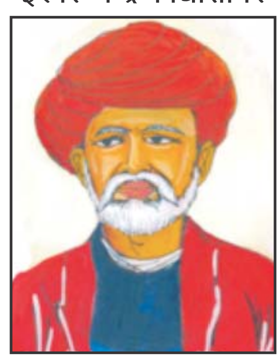

ज्योतिबा–फुले

ज्योतिबा फुले ने लड़कियों को शिक्षित करने के लिए स्कूल खोला। स्कूल में पढ़ाने के लिए कोई योग्य महिला नहीं मिली तो ज्योतिबा ने अपनी पत्नी सावित्री बाई को इसके योग्य बनाया और स्कूल चलाया। विधवा विवाह में भी उनका बहुत योगदान रहा।

तात्कालिक समय में स्त्री शिक्षा की मुश्किलें एवं प्रयास

"स्त्री शिक्षा के बारे में पूर्वाग्रह खत्म होने में बहुत समय लगा। मेरे पिता ने लड़कियों के लिए एक स्कूल शुरू किया था, लेकिन पढ़ाने वाली एक स्त्री थी और कक्षाएँ हमारे घर की चारदिवारी में लगती थी.......मेरी भावी पत्नी के परिवार में हालात बिल्कुल भिन्न थे। मेरी भावी पत्नी की माँ ने चोरी से उसे एक अध्यापिका के पास भेजा था। उसके दादा को जब इस का पता चला, तो उन्होंने धमकी दी कि अगर वह देहरी के बाहर कदम रखने का साहस भी करेगी तो वे उसके पैर काट देंगे........इस सामाजिक पृष्ठभूमि में यह बात आसानी से समझी जा सकती है कि जालंधर में कन्या महाविद्यालय नामक एक स्त्री शिक्षा की संस्था खुलने से क्या खलबली मची होगी।"

(पत्रकार दुर्गादास की पुस्तक "भारत कर्जन से नेहरू और उनके पश्चात्" (पृष्ठ–31) के प्रसंग से।) इस आधार पर विचार कीजिए कि ईश्वर चन्द्र विद्यासागर व ज्योतिबा फुले को स्त्री शिक्षा हेतु उस समय कितना संघर्ष करना पड़ा होगा।

सैयद अहमद खां

सैयद अहमद खां

सैयद अहमद खां का जन्म दिल्ली में 1817 ई. में हुआ था। अपने पिता की मृत्यु के बाद आर्थिक कठिनाइयों के कारण आजीविका हेतु इन्होंने ईस्ट इंडिया कम्पनी में नौकरी कर ली। मुस्लिम समाज के पिछड़ेपन को देखकर अहमद खां ने अपने समाज को आधुनिक तरीके से शिक्षित करने तथा आगे बढ़ाने की मुहिम चलाई। ये चाहते थे कि मुसलमान अपनी सदियों पुरानी रूढ़िवादिता और मानसिकता को त्याग कर नई शिक्षा प्रणाली के तहत आधुनिक शिक्षा प्राप्त करें। इसी उद्देश्य से पहले उन्होंने दिल्ली में एक स्कूल खोला। फिर 1875 में दिल्ली के पास, अलीगढ़ में 'मोहम्डन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज' की स्थापना की। यह कॉलेज बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। मुसलमानों को शिक्षा की मुख्यधारा में लाने का श्रेय सैयद अहमद खां को जाता है । सैयद अहमद खां ने प्रारम्भ में कौमी एकता पर बल देते हुए कहा था कि हिन्दु और मुसलमान भारत माँ की दो आँखें हैं। इन्होंने 'साइंटिफिक सोसायटी' की भी स्थापना की। इनका देहान्त 1898 ई. में अलीगढ़ में हुआ।

स्वामी दयानंद सरस्वती

स्वामी दयानन्द सरस्वती का जन्म गुजरात में हुआ, इनके बचपन का नाम मूलशंकर था । चौदह वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया व मथुरा में स्वामी वृजानंद से ज्ञान प्राप्त किया । स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों को सही तरह से समझने की बात उठायी। उनका और उनके अनुयायियों का मानना था कि यदि वेदों का सार सही तरह से समझ में आ जाए तो हिन्दुस्तान की समस्याओं का हल मिल जाएगा।

स्वामी दयानंद सरस्वती

दयानन्द सरस्वती कहा करते थे कि–

- सत्य को ग्रहण करने और असत्य को त्यागने के लिए तत्पर रहना चाहिए।
- सबसे प्रेमपूर्वक धर्मानुसार यथायोग्य व्यवहार करना चाहिए।
- अविद्या का नाश और विद्या का विकास करना चाहिए।

वे विदेशी दासता को अभिशाप मानते थे। उन्होंने ही सर्वप्रथम स्वधर्म, स्वदेश व स्वभाषा शब्दों का प्रयोग किया। उनके द्वारा स्थापित आर्य समाज ने इन विचारों को आगे बढ़ाने के लिए अनेक यत्न किये। आर्य समाज की महत्वपूर्ण उपलब्धियां स्त्रियों व दलितों को वेद अध्ययन का अधिकार दिलाना, बाल विवाह का विरोध करना तथा शिक्षा का प्रचार–प्रसार करना आदि था। इनके आर्य गुरुकुल एवं डी.ए.वी. स्कूल आज भी शिक्षा के प्रचार–प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। राष्ट्रीय आन्दोलन में भी आर्य समाज के सदस्यों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है।

स्वामी विवेकानन्द

उन्नीसवीं सदी के अंतिम दशक में बंगाल में विवेकानंद का नाम बहुत जाना जाने लगा। विवेकानंद का जन्म बंगाल के कलकत्ता में 12 जनवरी, 1863 ई. को हुआ। इनके बचपन का नाम नरेन्द्र दत्त था। इन्होंने अंग्रेजी कॉलेज से बी.ए. किया। ये पाश्चात्य बुद्धिवाद से प्रभावित थे, किन्तु इनको आध्यात्मिक शान्ति नहीं मिली। तत्पश्चात् इन्होंने रामकृष्ण परमहंस को गुरू बनाया और उनसे वेदान्त का ज्ञान प्राप्त किया। रामकृष्ण परमहंस ने इन्हें 'विविदिशानन्द' नाम दिया, बाद में राजस्थान के खेतड़ी के महाराजा के कहने पर इन्होंने 'विवेकानन्द' नाम अपना लिया। विवेकानन्द ने अमेरिका के शिकागो शहर में हो रहे सर्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया। यह सितम्बर 1893 ई. की बात है। विवेकानन्द ने दुनिया भर के धार्मिक विद्वानों की इस सभा को दो दिनों तक हिंदू धर्म के बारे में बताया। सभी लोग उनकी बातों से बहुत प्रभावित हुए। मूलरूप से विवेकानंद ने हिन्दू धर्म की व्यापकता एवं विशालता का सारी दुनिया को संदेश दिया। विवेकानन्द भारत की गरीबी और दरिद्रता से दुखी थे। उनका मानना था कि दीन–दुखियों की सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है। विवेकानन्द समाज से गरीबी व छुआछूत को समाप्त करना चाहते थे। इन्होंने कहा था धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास हैं, धर्म न तो पुस्तकों में हैं न धार्मिक सिद्धान्तों में। विवेकानन्द ने अपने संदेश के माध्यम से जनता में राष्ट्रीयता की भावना का निर्माण किया ।

स्वामी विवेकानन्द

रामकृष्ण मिशन का प्रतीक चिह्न

विवेकानन्द ने अपने गुरू के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन आज भी देश भर में समाज की सेवा कर रहा है।

गतिविधि–

रामकृष्ण मिशन के प्रतीक चिह्न का चित्र बनाकर रंग भरिये।

ऐनीबीसेंट

कुछ विदेशी संस्थाओं ने भी भारत की संस्कृति से प्रभावित होकर यहाँ समाज सेवा के कार्य किये हैं। इसमें थियोसोफिकल सोसायटी का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है । भारत में इस संस्था का विकास श्रीमती ऐनीबीसेंट ने किया। यह आयरिश मूल की महिला थी। उन्होंनें हिन्दु धर्म व संस्कृति का अध्ययन किया व इससे प्रभावित होकर अपने वस्त्र, भोजन व तौर–तरीके सब भारतीय अपना लिये। श्रीमती ऐनीबीसेंट ने हिन्दू तीर्थों की यात्रा की तथा बनारस में रहकर समाज सुधार के कार्य किये।

ऐनीबीसेंट

इन्होंने बनारस में एक सेन्ट्रल हिन्दू कॉलेज की स्थापना की जो कालान्तर में 'बनारस विश्वविद्यालय' में बदल गया। ऐनीबीसेंट ने भारत के स्वाधीनता संग्राम में भी महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।

(वेलेन्टाइन शिरोल का कथन, श्रीमती ऐनीबीसेंट के बारे में)

जब अतिश्रेष्ठ बौद्धिक शक्तियों तथा अद्भुत वाक् शक्ति से सुसज्जित यूरोपीय, भारत जाकर भारतीयों से यह कहें कि उच्चतम ज्ञान की कुंजी यूरोप वालों के पास नहीं बल्कि तुम्हारे पास है तथा तुम्हारे देवता, तुम्हारा दर्शन तथा तुम्हारी नैतिकता की छाया भी यूरोप वाले नहीं छू सकते, तब यदि भारतवासी हमारी (यूरोपीय) सभ्यता से मुँह मोड़ लें तो इसमें आश्चर्य की क्या बात हैं?

राजस्थान में समाज सुधार

राजस्थान में भी उस समय में वैचारिक परिवर्तनों की शुरूआत हुई। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने राजस्थान के करौली, अजमेर, चित्तौडगढ, उदयपुर, जोधपुर आदि स्थानों की यात्रा की तथा विवेकानन्द ने अलवर में प्रवास किया व खेतड़ी महाराजा से उनके अच्छे संबंध थे। इन महापुरूषों के विचारों का प्रभाव राजस्थान में भी पड़ा। स्वयं स्वामी दयानन्द सरस्वती ने 1883 ई. में उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना कराई। आर्य समाज से प्रभावित होकर यहाँ कई समाज सुधार के कार्य हुए।

गोविन्द गुरु

उन दिनों राजस्थान में भी कई इलाकों में सामाजिक परिवर्तन की बात उठ रही थी। बंजारा परिवार में बाँसियां गाँव (डूंगरपुर) में जन्मे गोविन्द गुरु ने जनजाति वर्ग के लोगों में समाज सुधार किया। वे इस वर्ग को संगठित करना चाहते थे। गोविन्द गुरु ने 1883 ई. में 'सम्प सभा' की स्थापना की। वे अंधविश्वासों को दूर कर उनमें आत्म विश्वास व आत्म निर्भरता को बढ़ावा देना चाहते थे। जनजातियों को शराब पीने से रोकना, चोरी, लूटपाट जैसे कार्यों से दूर रखना एवं विद्यालय खोलने जैसे कार्य उनकी प्राथमिकता में थे।

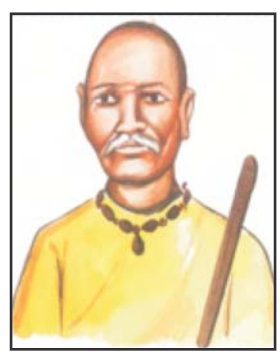

गोविन्द गुरू

आर्थिक सुधार कार्य के क्षेत्र में उन्होंने स्थानीय वस्तुओं का अधिक प्रयोग व बेगार न करना आदि बातों पर जोर दिया। इन कार्यों से अंग्रेजों और उनके समर्थकों ने गोविन्द गुरू का विरोध शुरू कर दिया। 1913 ई. में अंग्रेजी सेना ने मानगढ़ पहाड़ी पर चल रही सभा पर आक्रमण किया, जिसमें लगभग 1500 व्यक्ति मारे गये। गोविन्द गुरू को गिरफ्तार कर लिया गया।

राजस्थान के अन्य समाज सुधारक व समाज सुधार के प्रयास–

गोविन्द गुरू के अतिरिक्त लसोड़िया गाँव में खराड़ी परिवार में जन्मे सुर्जी भगत (सुरमल दास) ने भी जनजाति वर्ग के लोगों में समाज सुधार किया। गोविन्द गुरू और सुर्जी भगत समाज सुधार के साथ ही साथ आदिवासियों का विकास भी चाहते थे। इसी तरह से राजस्थान में और भी समाज सुधार के लिए यत्न हुए।

विभिन्न शासकों ने अपने राज्यों में प्रचलित कुरीतियों को समाप्त करने के लिए कानून बनाये। जैसे 1822 ई. में बून्दी ने सती प्रथा पर, कोटा ने 1834 ई. में कन्या वध पर, जोधपुर ने 1841 ई. में त्याग प्रथा पर, जयपुर ने 1847 ई. में मानव व्यापार पर, उदयपुर ने 1853 ई. में डाकन प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाई।

1889 में अजमेर में ''राजपूत हितकारिणी सभा'' बनी, जिसने बहु–विवाह और दहेज प्रथा को नियंत्रित करने की कोशिश की।

इसी प्रकार अजमेर के हरविलास शारदा के प्रयासों से बाल विवाह पर रोक हेतु 1929 ई. में सरकार ने एक्ट बनाया। चांदकरण शारदा व उनकी पत्नी सुखदा देवी ने दलितोद्धार के क्षेत्र में कार्य किए। ऐसे ही प्रयास अलवर में पण्डित हरिनारायण शर्मा ने किए इन्होंने अपने घर के मंदिर के दरवाजे हरिजनों के लिए खोल दिए व जातिगत भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया। इनके समाज सेवा के कार्यों से प्रभावित हो कर अलवर के महाराजा जयसिंह ने इन्हें अपना सलाहकार नियुक्त किया। राजस्थान के अन्य भागों में ठक्कर बापा, कुँवर मदनसिंह, मामा बालेश्वर दयाल आदि ने समाज सुधार के कार्य किए।

शब्दावली

कुरीतियाँ – समाज में व्याप्त बुराइयाँ
कुलीन परिवार – उच्च वर्गीय परिवार
अगुवाई – नेतृत्व
त्याग प्रथा – विवाह एवं शुभ अवसरों पर शासकों द्वारा चारणों को दी जाने वाली राशि

अभ्यास प्रश्न

प्रश्न एक व दो के सही उत्तर कोष्ठक में लिखे–

1. भारत में थियोसोफिकल सभा का विकास किसने किया ?

(अ) सुर्जी भगत (ब) स्वामी विवेकानंद
(स) सैयद अहमद खाँ (द) ऐनीबीसेन्ट ( )

2. 'सत्यशोधक समाज' की स्थापना किसने की ?

(अ) ज्योतिबा फुले (ब) स्वामी दयानंद

(स) राजा राममोहन राय (द) गोविन्द गुरु ( )

3. 'ब्रह्म समाज' की स्थापना किसने की ?

4. सर सैयद अहमद खाँ के योगदान के बारे में बताइए ।

5. मानगढ़ हत्याकांड की घटना का संक्षिप्त विवरण दीजिये ।

6. स्वामी विवेकानन्द के जीवन से युवाओं को क्या प्रेरणा लेनी चाहिए ?

7. ईश्वर चन्द्र विद्यासागर के योगदान को समझाइये ।

8. राजा राममोहन राय एवं स्वामी विवेकानन्द के समाज सुधार के प्रयासों का वर्णन कीजिये ।

9. आर्य समाज के योगदान का वर्णन कीजिये ।

गतिविधि–

1. भारत के प्रमुख समाज सुधारकों के चित्रों का संकलन कीजिये ।
2. भारत के प्रमुख समाज सुधारकों के कार्यों की जानकारी का संकलन कीजिए।
3. आज भी हमारे समाज में कई बुराइयाँ व्याप्त है । कक्षा में इसकी चर्चा करें एवं इसे दूर करने के लिये क्या करना चाहिये ? सुझाव प्राप्त करें ।

अध्याय 20

भारत की अर्थव्यवस्था पर अंग्रेजी शासन का प्रभाव

इस अध्याय में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि हिन्दुस्तान की अर्थव्यवस्था पर अंग्रेजों के आगमन का क्या प्रभाव पड़ा ? अपना देश जब अंग्रेजों का उपनिवेश बन गया तो सारे देश की आर्थिक हालत काफी खराब हो गई थी। पूर्व में हमारे व्यापारिक सम्बन्ध दुनिया के कई देशों के साथ थे किन्तु अंग्रेजों का उपनिवेश बनने के बाद देश के आर्थिक हालात खराब होने लगे।

भारत का बाहरी दुनिया के साथ व्यापारिक सम्बन्ध

कक्षा 6 में हमने पढा था कि हमारे व्यापारिक सम्बन्ध दक्षिणी, पश्चिमी व पूर्वी एशिया तथा रोम के साथ थे। हिन्दुस्तान से कपड़ा, अनाज, धातु का सामान आदि दुनिया को भेजा जाता था। बदले में बाहर से सोना चाँदी हिन्दुस्तान में आता था। ऐसा प्रतीत होता है कि विदेशों में बने हुए किसी भी सामान के लिये भारत में माँग नहीं थी। यदि ऐसा होता तो वहाँ बनी चीजों का भारत आयात भी करता। हालात ऐसे थे कि भारत में सोना केवल आता था, यहाँ से बाहर नहीं जाता था। सम्भवतया इसी कारण भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। व्यापार का यह सिलसिला कुछ फेर–बदल के साथ कई सदियों तक चलता रहा।

उपनिवेश क्या होता है ?

आधुनिक इतिहास में यह शब्द आम तौर पर एक देश का दूसरे देश पर सैन्य अधिकार की स्थिति को दर्शाने के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में जब कोई शक्तिशाली देश अन्य किसी देश पर आर्थिक एवं राजनैतिक दृष्टि से अधिकार कर लेता है तो वह देश जिस पर अधिकार कर लिया जाता है, उपनिवेश कहलाता है।

तात्कालिक भारत की आर्थिक स्थिति

पन्द्रहवीं–सोलहवीं सदी में स्पेन के लोगों ने अमेरिका की खोज के बाद अमेरिका में लूट–पाट का एक भयानक ताण्डव रचा। अमेरिका से काफी मात्रा में सोना–चाँदी लूटकर स्वयं के देश में लाया गया। इससे यूरोप में हिन्दुस्तान के सामान को खरीदने लायक सम्पन्नता आ गई।

पन्द्रहवीं सदी के मध्य तक आते–आते पुर्तगाल के एक नाविक ने जिसका नाम 'वास्कोडिगामा' था, समुद्री रास्ते से भारत आने का मार्ग ढूँढ निकाला। फिर तो यूरोप के व्यापारी ज्यादा से ज्यादा तादाद में हिन्दुस्तान आने लगे।

इस समय यूरोप के व्यापारी कम्पनियाँ बना कर दूर–दराज के इलाकों में व्यापार करने लगे थे। पुर्तगालियों ने अरब सागर के समुद्री रास्ते पर नाके स्थापित कर रखे थे। वहाँ से आने–जाने वाले प्रत्येक जहाज से वे चूंगी वसूल करते थे। जो चूंगी न देता उस पर हमला किया जाता। यह तब तक चलता रहा, जब तक अंग्रेज कम्पनी के जहाजों ने तोपों के दम पर समुद्र पर अपना सामरिक वर्चस्व कायम नहीं कर लिया।

अठारहवीं सदी के पूर्वार्द्ध तक अंग्रेज कम्पनी हिन्दुस्तान के साथ व्यापार करने वाली सबसे बड़ी यूरोपीय कम्पनी बन गई। सूरत बन्दरगाह से बीच–बीच में मुगल साम्राज्य के साथ कम्पनी की लड़ाई भी हुई। लड़ाई में कई बार मुगल सेनाओं ने कम्पनी को हराया तथा कम्पनी के अधिकारियों द्वारा माफी मांगने पर उन्हें छोड़ा भी गया।

गतिविधि–

1. यूरोप के देशों में भारतीय सामान खरीदने लायक सम्पन्नता आ गई। कैसे ?
2. यूरोप से समुद्री रास्ते से होकर भारत आने का मार्ग एक पुर्तगाली नाविक ने खोज निकाला। उस नाविक का नाम क्या था ?
3. नाके किसे कहते हैं ?

1717 ई. में मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने अंग्रेज कम्पनी को एक फरमान दिया। इसमें यह कहा गया कि कम्पनी अब मुगल सम्राट को सालाना 3000 रुपये देगी और इसके एवज में कम्पनी सारे देश में बगैर चूंगी दिए व्यापार कर सकती है। इस तरह कम्पनी को हिन्दुस्तान में अपना व्यापार बढाने का मौका मिल गया। आने वाले समय में अंग्रेज कम्पनी ने लगभग सारी यूरोपीय कम्पनियों को बन्दूक के दम पर देश से मार भगाया तथा यहां के सारे व्यापार पर वर्चस्व स्थापित कर लिया। इस तरह कम्पनी को बन्दूक के बल पर व्यापार करने का चस्का लग गया था। बन्दूक के दम पर उसने भारत के मुगल सम्राट एवं बंगाल के नवाब को भी दबा दिया। बंगाल में कम्पनी के व्यापारी अपना कारोबार जोर–जबरदस्ती से करने लगे।

भारत के उद्योगों पर कम्पनी का प्रभाव

प्लासी की लड़ाई (1757) में विजय के बाद कम्पनी के लिये यह सम्भव हो गया कि वह बंगाल में दहशत का राज फैला सके। अपनी नई प्राप्त शक्ति के बल पर यहाँ के कारीगरों को कच्चा माल बढे दामों पर देते थे और उनसे बना हुआ सामान एक चौथाई से भी कम दामों पर खरीदते। परिणाम यह रहा कि आने वाले बीस वर्षों में तो कारीगर अपना काम छोड़कर भाग गए या फिर उनकी कमाई इतनी कम हो गई कि वे अब भुखमरी के कगार पर पहुंच गए। कहाँ तो बंगाल से कोई 90 किस्म का कपड़ा बनकर यूरोप के बाजारों में जाता था और कहाँ अठारहवीं सदी के अन्त तक बंगाल का लगभग सारा का सारा कपड़ा उद्योग ही नष्ट हो गया। लोग यहाँ तक मानने लगे थे कि अंग्रेज कम्पनी ने ढाका में मलमल की साड़ी बनाने वाले कारीगरों के अंगूठे काट डाले। इन कारीगरों के सम्बन्ध में यह मशहूर था कि इनकी बनाई साड़ी इतनी महीन होती थी कि उसे अंगूठी में से निकाली जा सकती थी। किन्तु अंग्रेजों ने इनका भारी शोषण किया इसमें सन्देह नहीं कि इस समय कम्पनी के हाथों गरीब जुलाहों को कष्ट और उत्पीड़न मिला।

अंग्रेजों द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण

भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यह देश उस समय के यूरोप की तुलना में उन्नत और समृद्ध था। लेकिन अंग्रेजों के शासन के काल में अंग्रेजों ने इस देश का जिस तरह शोषण किया गया उससे यहाँ की समृद्ध अर्थव्यवस्था टूट गई और देश आर्थिक दृष्टि से पिछड़ गया। शोषण के लिए अंग्रेजों द्वारा भिन्न–भिन्न तरीके अपनाए गए, उनमें से कुछ तरीकों का उल्लेख यहाँ किया जा रहा है।

अंग्रेजों का दमन चक्र

1. **प्रत्यक्ष लूट–मार–** व्यापार के नाम पर अंग्रेज प्रत्यक्षरूप

से लूटमार करते थे। कम्पनी के एजेन्ट किसानों, व्यापारियों आदि को जबरदस्ती एक चौथाई कीमत देकर उनके माल और उत्पादन को हड़प लेते थे तथा किसानों आदि के साथ मारपीट कर वे अपनी एक रुपये की चीज को पाँच रुपये में बेचते थे। जो कम्पनी की अनुचित माँगों को नामंजूर करते, उन्हें कोड़ा मारा जाता अथवा कैद में रखा जाता। मीर कासिम ने कम्पनी गर्वनर को 1762 ई. में इस आशय का पत्र लिखकर विरोध भी किया था।

2. **मालगुजारी–** शोषण का दूसरा स्वरुप मालगुजारी था। कम्पनी द्वारा वसूल की जाने वाली मालगुजारी किसानों को लूटने का सीधा तरीका था। इसमें कम्पनी के अधिकारी मनमाने ढंग से किसानों से मालगुजारी वसूल करते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि किसानों ने खेती करनी बन्द कर दी। इससे किसानों के खेत उजड़ गए। एक अंग्रेज अधिकारी ने कहा था–''बीते दिनों में बंगाल के गाँव विभिन्न जातियों के लोगों से भरे पड़े थे और पूर्व में वाणिज्य, धनसम्पदा व उद्योग के भण्डार थे, लेकिन हमारे कुशासन ने 20 वर्षों में ही इन गाँवों के बहुत सारे हिस्सों को बंजर बना दिया है। खेतों में अब खेती नहीं की जाती। किसान लुट चुके हैं। औद्योगिक निर्माताओं का दमन किया जा चुका है।''

गतिविधि–

आओ चर्चा करें

1. मालगुजारी का क्या आशय है ?
2. मालगुजारी द्वारा शोषण किस प्रकार होता था ?

3. **एक तरफा मुक्त व्यापार नीति–** इंग्लैण्ड अपने कारखानों में बनी वस्तुओं को भारतीय बाजार में बेचना चाहता था। लेकिन यह भारतीय वस्तुओं की तुलना में घटिया होने के कारण सम्भव नहीं था। इसलिए भारतीय उद्योगों को जानबूझ कर नष्ट किया गया। इस काल में मुक्त व्यापार की एक तरफा नीति अपनाई गई, जिसके अन्तर्गत इंग्लैण्ड में भारत के बने सूती वस्त्रों के आयात पर भारी शुल्क लगाया गया, जबकि भारत द्वारा इंग्लैण्ड से आयात पर किसी तरह का कोई शुल्क नहीं था।

यह भी जानें

भारत के साथ व्यापार करने के लिए अंग्रेजों द्वारा उस समय बहुत बड़े जहाजों का इस्तेमाल किया जाता था। इन जहाजों को ईस्ट इण्डियन मैन कहा जाता था।

4. **सम्पत्ति का निकास–** कराधान के द्वारा एकत्रित राशि तथा मुनाफे के रुप में एकत्रित सम्पति को अंग्रेज अपने देश में ले जाते रहे एवं उसका इस्तेमाल अपने देश में करते रहे। इससे अपने देश की सम्पति का निकास इंग्लैण्ड के लिए होता रहा, जिससे भारत में अपनी ही सम्पति का लाभ अपने देशवासियों को

दादा भाई नौरोजी

दादा भाई नौरोजी, जिसने ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों की बहुत तीखी आलोचना की तथा सम्पति के निकास का सबसे पहले विरोध किया।

नहीं मिला। इसे सम्पति का निकास कहते हैं। इतिहासकारों का मत है कि यदि ऐसा न हुआ होता तो आज यूरोप और अमेरिका इतने विकसित नहीं होते। इसका तात्पर्य यह है कि भारत के विकसित अर्थतंत्र के पतन का मुख्य कारण भी यही है।

5. **कानून बनाकर–** सत्रहवीं शताब्दी के अन्त में बड़ी मात्रा में सस्ते और बढिया कपड़े का इंग्लैण्ड में आयात हुआ। ये कपड़े लोगों को इतने पसन्द आए कि कपड़ों के इंग्लैण्ड के उत्पादक गम्भीर रुप से डर गए। अतः सन् 1700 व 1712 में पार्लियामेण्ट में कुछ खास कपड़ों को छोड़कर बाकी के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगा दी गई।

गतिविधि–

आओ चर्चा करें

1. ईस्ट इण्डियन मैन किसे कहा जाता था ?
2. सम्पति के निकास का सबसे पहले विरोध करने वाले भारतीय व्यक्ति कौन थे ?
3. इंग्लैण्ड की पार्लियामेण्ट ने भारतीय कपड़ों के इस्तेमाल पर पाबन्दी क्यों लगाई ?

6. **औद्योगिकरण विरुद्ध नीति–** अंग्रेज पूंजीपति भारत में औद्योगिकरण के विरोधी थे। इसलिए उन्होंने वहाँ केवल वही उद्योग स्थापित किए, जिसकी स्थापना करना वहाँ पर भौगोलिक रुप से मजबूरी थी यथा जूट उद्योग। शेष सारे उद्योग अपने देश में स्थापित किए तथा कच्चा माल यहाँ से इंग्लैण्ड ले जाया गया और निर्मित माल हिन्दुस्तान की बाजारों में बेचा गया। इससे भारत के उद्योगपति उनकी प्रतियोगिता में ठहर नहीं सके तथा वे बरबाद हो गए।

इसी दृष्टि से बंगाल में जूट उद्योग की स्थापना की गई। बागान उद्योगों में चाय, कहवा व नील उद्योगों का विकास किया। जिन क्षेत्रों में खनिज सम्पति बड़ी मात्रा में थी, वहाँ पर भी उद्योगों की स्थापना नहीं की गई बल्कि वहाँ से खनिज वस्तुओं को स्वदेश ले जाया गया। यह कार्य सुविधा से हो,इसलिये देश के भीतरी हिस्सों एवं बन्दरगाहों को सड़क और रेलों द्वारा जोड़ा गया।

उन्नीसवीं सदी में यूरोप की औद्योगिक क्रान्ति का भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

उन्नीसवीं सदी में यूरोप में विशेषकर इंग्लैंड में औद्योगिक क्रान्ति का सूत्रपात हुआ। अब वहाँ मशीनों से सामान बनाया जाने लगा। मशीनी सामान की गुणवता हाथ से बनी वस्तु से श्रेष्ठ होती थी। साथ ही उसके दाम भी कम होते थे। ऐसी स्थिति में हाथ से बनी वस्तुओं की मांग बाजार में कम होने लगी। परिणाम यह हुआ कि हाथ से काम करने वाले कारीगर, हस्तशिल्पी आदि बेरोजगार हो गए। इस तरह बंगाल

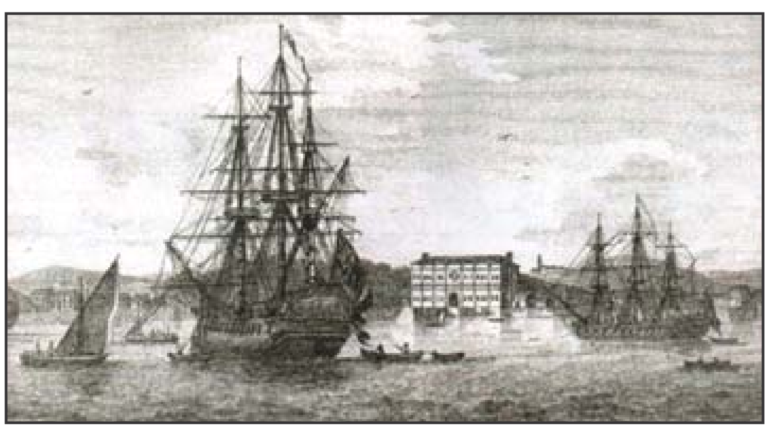

बॉम्बे हार्बर अठारहवीं सदी के आखिर का चित्र

एवं भारत के अन्य क्षेत्रों के अनेक हस्तशिल्प भी खत्म हो गए। इस प्रक्रिया को इतिहासकारों ने विऔद्योगीकरण कहा अर्थात् भारतीय परम्परागत उद्योगों के नष्ट होने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई।

बम्बई और कलकता 1780 के दशक से व्यापारिक बन्दरगाहों के रुप में विकसित होने लगे थे। यह पुरानी व्यापारिक व्यवस्था के पतन और औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के विकास का समय था।

मछलीपट्टनम का एक दृश्य, 1672

मछलीपट्टनम सत्रहवीं शताब्दी में एक महत्वपूर्ण बन्दरगाह के रुप में विकसित हुआ। अठारहवीं सदी के आखिर में जब व्यापार बम्बई, मद्रास और कलकता के नए ब्रिटिश बन्दरगाहों पर केन्द्रित होने लगा तो उसका महत्व घटता गया।

गतिविधि–

कक्षा में चर्चा करें–

(1) अंग्रेजों ने भारत में केवल वही उद्योग स्थापित किए, जिनकी स्थापना करना उनकी मजबूरी थी। शेष सारे उद्योग उन्होंने इंग्लैण्ड में स्थापित किए।

शब्दावली

उत्पाद – उत्पादित वस्तुएँ

औद्योगिक क्रान्ति – हाथों के बजाए मशीनों से उत्पादन करना।

नाके – चूँगी वसूल करने वाले स्थान

अभ्यास प्रश्न

1. प्रश्न संख्या एक व दो के सही उत्तर कोष्ठक में लिखिए–

(1) अंग्रेजों द्वारा किसानों को लूटने का सीधा तरीका था –

(अ) प्रत्यक्ष लूटमार द्वारा (ब) माल गुजारी द्वारा

(स) कानून बनाकर (द) मुक्त व्यापार नीति द्वारा ( )

(2) सम्पति के निकास का सबसे पहले विरोध किया था–

(अ) मोतीलाल नेहरु ने (ब) महात्मा गॉधी ने

(स) दादा भाई नौरोजी ने (द) सरदार पटेल ने ( )

2. भाग 'अ' को भाग 'ब' से सुमेलित कीजिए :–

	भाग 'अ'	भाग 'ब'
1.	प्लासी की लड़ाई सन् में हुई	
2.	मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने अंग्रेज कम्पनी को बिना चूँगी दिए सम्पूर्ण भारत में व्यापार करने का फरमान दिया	1717 ई.
3.	मीर कासिम ने कम्पनी गर्वनर को भारतीय किसानों पर अत्याचार न करने के लिए पत्र लिखा	1762 ई.
4.	इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने कुछ खास कपड़ों को छोड़कर बाकी के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगा दी।	1700 ई.
		1757 ई.

3. निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए :–

1. विऔद्योगीकरण क्या होता है ?
2. एक तरफा मुक्त व्यापार नीति क्या है ? इससे भारत के विदेशी व्यापार को किस प्रकार हानि हुई ?
3. उन्नीसवीं सदी में यूरोप का औद्योगिक क्रान्ति का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा ?
4. मच्छलीपट्टनम् बन्दरगाह का महत्व कम होने के कारण बताइए।

गतिविधि–

1. विश्व का नक्शा लेकर उसमें उन स्थानों को चिह्नित करें जहाँ से भारत का अन्य देशों के साथ विदेशी व्यापार होता था ?
2. ऐसी वस्तुओं की सूची बनाइए जिनकी प्राचीन काल में विदेशों में माँग थी ।
3. एक निबंध लिखें जिसमें भारत की प्राचीन काल एवं औपनिवेशिक काल की अर्थव्यवस्था का तुलनात्मक विवरण हों ।

अध्याय 21

ब्रिटिश कालीन भारतीय शासन व्यवस्था

अंग्रेजी राज्य की स्थापना के साथ–साथ भारत प्रशासनिक दृष्टि से दो भागों में विभाजित हो गया था–पहला ब्रिटिश भारत और दूसरा रियासती भारत।

ब्रिटिश कालीन भारत केन्द्रशासित प्रदेशों एवं 11 प्रान्तों में बँटा हुआ था। सभी प्रान्तों के अलग–अलग गर्वनर थे जो कि भारत के गर्वनर जनरल के प्रति उत्तरदायी थे।

सन् 1857 ई. की क्रान्ति के पश्चात् ईस्ट इंडिया कम्पनी का शासन समाप्त हो गया और उसके स्थान पर भारत में प्रशासन का सीधा नियन्त्रण इंग्लैण्ड के ताज एवं संसद के नियन्त्रण में आ गया। अब कैनिंग को गर्वनर जनरल के साथ–साथ भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त किया गया। भारत में एक व्यवस्थित शासन प्रणाली स्थापित हो सके इसके लिए भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित हुआ जिसके द्वारा एक नवीन व्यवस्था प्रारंभ हो गई। ब्रिटिश सरकार द्वारा सेना के पुनर्गठन के लिए स्थापित पील कमीशन की रिपोर्ट पर सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपियनों का अनुपात बढ़ा दिया गया साथ ही 'फूट डालो राज करो' की नीति का अनुसरण करते हुए सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित कर दिया गया। सरकार की नीतियों के कारण पुलिस, अदालत और पदाधिकारी केवल भूस्वामियों एवं साहुकारों का पक्ष लेते थे। अंग्रेज सरकार द्वारा पारित कुछ अधिनियम इस प्रकार से हैं :–

1861 का भारत परिषद् अधिनियम

ब्रिटिश संसद ने एक इंडियन कौंसिल्स एक्ट 1861 पारित किया। इस एक्ट को पारित करने का उद्देश्य शासन में नरम दल को संतुष्ट करने का एक प्रयास था । इसके कुछ नियम इस प्रकार से हैं –

इस अधिनियम द्वारा गर्वनर की कार्यकारिणी परिषद् के साधारण सदस्यों की संख्या 4 से बढाकर 5 कर दी गई । गर्वनर जनरल को कार्यपालिका को सुचारु रूप से चलाने के लिए नियम तथा आदेश बनाने के अधिकार दिए गए। विधान परिषद् को अब सम्पूर्ण ब्रिटिश भारत के लिए कानून और नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई। किसी भी बिल को कानून बनाने के लिए गर्वनर जनरल की स्वीकृति लेनी आवश्यक थी। विधान परिषद् द्वारा पारित कोई विधेयक सपरिषद् भारत सचिव से विचार विमर्श करने पर इंग्लैण्ड का ताज इसे रद्‌द कर सकता था। गर्वनर जनरल को विशेषाधिकार दिया गया। गर्वनर को किसी प्रान्तीय सरकार द्वारा बनाए गए कानून को संशोधित या रद्‌द करने का अधिकार दिया गया।

1892 का भारत परिषद् अधिनियम

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद संवैधानिक सुधारों की माँग की गई जिसके फलस्वरूप ब्रिटिश संसद ने 1892 का भारत परिषद् अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान चुनाव पद्धति की शुरूआत करनी थी। निर्वाचन की पद्धति पूर्णतया अप्रत्यक्ष थी तथा निर्वाचित सदस्यों को मनोनीत सदस्य का दर्जा दिया जाता था। इस अधिनियम द्वारा केन्द्रीय तथा प्रान्तीय विधान परिषदों की सदस्य संख्या में वृद्धि की गई।

1909 का भारत परिषद् अधिनियम

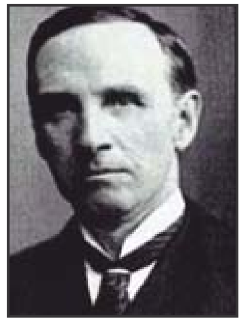
मार्ले

मिन्टो

यह भारत के संवैधानिक विकास की दिशा में अगला कदम था। इसके जन्मदाता भारत सचिव मार्ले तथा गर्वनर जनरल लार्ड मिन्टो थे। इस अधिनियम को मार्ले–मिन्टो सुधार के नाम से जाना जाता है। जिसके तहत् भारतीय परिषद् अधिनियम 1909, मार्ले–मिन्टो सुधार के नाम से पारित किया गया। इस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई। इसी कारण मार्ले और मिन्टो को साम्प्रदायिक निर्वाचन पद्धति का जन्मदाता कहा जाता है। भारत में शासन करने हेतु अंग्रेजों ने 'फूट डालो राज करो' की नीति अपनाई।

1919 का भारत सरकार अधिनियम

इस अधिनियम द्वारा प्रान्तों में लागू की गई शासन व्यवस्था को द्वैध या दोहरा शासन कहते हैं। अब प्रान्तों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो गई।

इस अधिनियम को लागू कर ब्रिटिश सरकार यह चाहती थी कि भारत के एक प्रभावशाली वर्ग को अपना समर्थक बना लिया जाए। भारत सचिव को भारत सरकार से जो वेतन मिलता था, इस अधिनियम द्वारा अब वह अंग्रेजी कोष से मिलना तय किया गया। विषयों को निम्नांकित रूप से केन्द्र तथा प्रान्तों में बाँट दिया गया।

केन्द्रीय सूची के मुख्य विषय :– विदेशी मामले, रक्षा, डाक, तार, सार्वजनिक ऋण आदि।

प्रान्तीय सूची के मुख्य विषय :– स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, चिकित्सा, भूमिकर, अकाल सहायता, कृषि व्यवस्था आदि। इस अधिनियम को माण्टेग्यू चैम्स फोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है।

1935 का भारत शासन अधिनियम

इस अधिनियम द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। प्रान्तों में लागू द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया साथ ही केन्द्र में द्वैध शासन को लागू कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इस अधिनियम के तहत् बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया। केन्द्रीय सरकार की कार्यकारिणी पर गर्वनर जनरल का नियन्त्रण था। केन्द्रीय विधान मण्डल में दो सदन थे–

1. **राज्य सभा–** इसे उच्च सदन कहा गया, यह एक स्थाई संस्था थी। राज्य सभा में कुल 260 सदस्यों का प्रावधान था। इनमें से 104 सदस्य देशी रियासतों से तथा शेष 156 प्रतिनिधि ब्रिटिश प्रान्तों के थे। जिनमें से 1/3 सदस्य प्रति तीन वर्ष बाद अवकाश ग्रहण कर लेते थे और उनकी जगह नए सदस्य चुन लिए जाते थे।
2. **संघीय सभा–** इसे निम्न सदन कहा गया, इस सभा का कार्यकाल पाँच वर्ष का होता था। इसे समय पूर्व ही भंग किया जा सकता था। इसकी सदस्य संख्या 375 निर्धारित की गई । इनमें 125 स्थान देशी रियासतों को दिए गए थे शेष 250 स्थानों में से 246 स्थान साम्प्रदायिक व अन्य वर्गों और

चार स्थान अप्रान्तीय थे जो व्यापार उद्योग तथा श्रम को दिए गए थे। इस अधिनियम में विषयों को तीन श्रेणियों में बांटा गया– संघ सूची, प्रान्तीय सूची तथा समवर्ती सूची।

संघ सूची में 59 विषय, प्रान्तीय सूची में 54 विषय और समवर्ती सूची में 36 विषय रखे गए। उदाहरण स्वरूप जैसे –

1. **संघ सूची**– इसमें सेना, विदेश विभाग, डाक, तार, रेल, संघ लोकसेवा, संचार, बीमा आदि।
2. **प्रान्तीय सूची**– शिक्षा, भू–राजस्व, स्थानीय स्वशासन, कानून और व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, नहरें, जंगल, खानें, व्यापार, उद्योग धन्धे, न्याय, सड़क, प्रान्तीय लोक सेवाएँ, आदि।
3. **समवर्ती सूची**– दीवानी तथा फौजदारी, विधि, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण, ट्रस्ट, कारखाने तथा श्रम कल्याण आदि।

शिक्षा एवं सामाजिक व्यवस्था में बदलाव

अंग्रेजी शिक्षा लागू करने का उद्देश्य प्रारम्भ में कम्पनी को कम वेतन पर भारतीय कर्मचारियों की व्यवस्था करना, इसाई धर्म का प्रचार करना तथा प्रशासनिक कार्यों की मदद के लिए भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना था। परन्तु इसका प्रभाव यह भी हुआ कि अंग्रेजी पढकर लोग पश्चिमी सभ्यता एवं संस्कृति और राजनीति को समझने लगे तथा उनको ग्रहण करने लगे। अंग्रेजों द्वारा भारतीय धर्मों और रीति–रिवाजों की आलोचना किए जाने पर शिक्षित वर्ग ने तर्कपूर्ण विरोध किया।

1854 के चार्ल्स वुड के डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का 'मैग्नाकार्टा' कहा गया। इसके अन्तर्गत उच्चशिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रखा गया एवं देशी भाषाओं को भी प्रोत्साहित किया गया। भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार सर जॉन सर्जेन्ट की ओर से जो योजना पेश की उसके तहत देश में प्रारम्भिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित करनें एवं 6 से 11 वर्ष तक के बालक–बालिकाओं के लिए व्यापक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था के प्रावधान थे।

ब्रिटिशकालीन शासन का भारतीय समाचार पत्रों पर प्रभाव

समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करने के लिए सरकार ने कई कानून बनाए, उनमें से एक '1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट' लागू किया। इस एक्ट द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार मिला था कि वह किसी भारतीय भाषा के समाचार पत्र से बॉण्ड पेपर पर हस्ताक्षर करवा ले कि वह कोई भी ऐसी सामग्री नहीं छापेगा जो सरकार विरोधी हो। यह इतना अधिक खतरनाक था कि, इसने देशी भाषा के समाचार पत्रों की स्वाधीनता पर प्रतिबंध लगा दिया।

इल्बर्ट बिल संबंधी विवाद

लार्ड रिपन के काल में प्रस्तुत इस विधेयक में कहा गया कि सभी न्यायाधीशों को, चाहे वे भारतीय हो या अंग्रेज उन्हें समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। इसके अनुसार भारतीय न्यायाधीश भी अंग्रेजों को दण्डित कर सकते थे। अंग्रेजों ने इसका पुरजोर विरोध किया।

राजस्थान की रियासतों में ब्रिटिश काल में आने वाले कुछ प्रमुख प्रशासनिक परिवर्तन

देश की आजादी के पूर्व राजस्थान में केन्द्र शासित प्रदेश अजमेर के अतिरिक्त 19 देशी रियासतें थी। इन रियासतों में रहने वाले **'अंग्रेज रेजिडेंट'** की निगरानी में ही इनका शासन चलता था। धीरे–धीरे

अनेक रियासतों ने अंग्रेजी न्यायिक व्यवस्था के कुछ अंश अपनाने शुरू कर दिए। 1839 में जब जयपुर की राजमाता को 'अभिभावक' पद से हटा दिया गया तब ब्रिटिश एजेंट की देखरेख में एक शासन परिषद् का गठन किया गया। इसी अवसर पर राज्य में दीवानी व फौजदारी अदालतों की स्थापना की गई। ब्रिटिश एजेंट थर्सबी ने न्याय विभाग को शासन विभाग से पृथक कर दिया। जयपुर राज्य में यह व्यवस्था 1852 ई. तक चलती रही। कालांतर में 4 सदस्यों की अपील–अदालतों की स्थापना की गई। इसके दो न्यायाधीश अपील सुनते थे और दो न्यायाधीश फौजदारी मुकदमों की सुनवाई करते थे। कुछ समय पश्चात् यह परिषद् दो भागों में विभक्त हो गई। पहली इजलास व दूसरी महकमा खास। महकमा खास ही राज्य का सर्वोच्च न्यायालय होता था।

1858 ई. के उपरान्त ब्रिटिश सरकार के अधीनस्थ राजा, महाराजा, महाराणा एवं महारावल नाममात्र के शासक रह गए। ये शासक वास्तव में कम्पनी सरकार के सेवक बनकर रह गए। शासक पड़ोसी राजा के साथ भी स्वतन्त्र रूप से व्यवहार नहीं कर सकते थे। उन्हें विदेशी यात्रा पर ब्रिटिश सरकार जाने के लिए बाध्य कर सकती थी। जिस प्रकार अलवर नरेश को इंग्लैण्ड जाने को बाध्य किया गया। यहाँ तक कि नरेशों को वैवाहिक सम्बन्धों में भी ब्रिटिश सरकार की अनुमति लेनी पड़ती थी। नाबालिग कुमार के राजा बनने पर ब्रिटिश सरकार द्वारा पॉलिटिकल एजेंट की अध्यक्षता में 'अभिभावक परिषद्'का गठन किया गया। इसके माध्यम से रियासत का शासन प्रबन्ध अंग्रेज सरकार के नियन्त्रण मे आ गया। उदयपुर में ऐसा करने का अवसर ब्रिटिश सरकार को 1861 ई. में मिला। जयपुर राज्य के उपरान्त उदयपुर, जोधपुर, कोटा व बीकानेर राज्यों में अंग्रेजी कानून लागू किए गए। बीकानेर रियासत में 'शक्ति पृथक्करण सिद्धान्त' के आधार पर न्याय व्यवस्था लागू की गई। यहीं पर 1922 ई. में उच्च न्यायालय के अनुरूप मुख्य न्यायालय स्थापित किया गया।

1930 ई. तक राजस्थान की सभी रियासतों में ब्रिटिश न्याय व्यवस्था के अनुरूप न्याय व्यवस्था लागू की गई। यह घोषणा की गई कि न्याय के समक्ष सभी व्यक्ति समान समझे जाएँगे । जाति, धर्म, वंश, पद और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के आधार पर न्याय करते समय भेदभाव नहीं किया जायेगा। न्याय व्यवस्था के सभी कार्य अब लिखित रूप से किए जाने लगे।

ग्राम पंचायतों की व्यवस्था में अंग्रेजों ने कोई परिवर्तन नहीं किए। परन्तु ग्राम पंचायतों से उपर की इकाई परगनों को जिलों में बदल दिया गया और जिलाधीशों द्वारा वे शासित होने लगे। अब जिलाधीश अपने जिले का पूर्ण रूप से मालिक हो गया। उसके अधीन नाज़ीम, तहसीलदार, न्यायिक तहसीलदार, गिरदावर, पटवारी, आदि कार्य करने लगे। इनका सम्बन्ध मूलतः लगान वसूली व किसानों की भूमि सम्बन्धी समस्याओं का निपटारा करना होता था। न्याय का कार्य जिला मजिस्ट्रेट एवं शान्ति व्यवस्था का कार्य पुलिस अधिकारी करने लगे। राजस्थान में अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ अजमेर क्षेत्र से हुआ। अजमेर में राजकुमारों को शिक्षित करने के लिए मेयो कॉलेज की स्थापना की गई।

शक्ति पृथक्करण सिद्धान्त : सरकार की शक्तियों को अलग–अलग संस्थाओं में बाँट देना, ताकि कोई एक संस्था हावी होकर विधि विरूद्ध काम नहीं करने लगे।

शब्दावली

परगना	–	ग्राम पंचायत के उपर की प्रशासनिक इकाई
समवर्ती सूची	–	ऐसे विषयों की सूची जिन पर केन्द्र व राज्य दोनों कानून बना सकते हैं।
शक्ति पृथक्करण	–	शक्तियों का विभाजन करना

अभ्यास प्रश्न

प्रश्न एक का सही उत्तर कोष्ठक में लिखें–

1 भारत के प्रथम वायसराय थे :–

(अ) लॉर्ड कैनिंग (ब) लॉर्ड डलहौजी

(स) सर जॉन लॉरेन्स (द) लॉर्ड मेयो ( )

2 संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई ?

3 कृषि का वाणिज्यीकरण किसे कहा जाता है ?

4 लॉर्ड मिन्टो को साम्प्रदायिक निर्वाचन पद्धति का जन्मदाता क्यों कहा जाता है ?

5 द्वैध शासन से आपका क्या तात्पर्य है ?

6 शिक्षा एवं समाज सुधार के जरिए अंग्रेजों द्वारा समाज को अपने पक्ष में ढालने का उद्देश्य क्या था?

7 वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पर टिप्पणी लिखिए।

8 पील कमीशन की रिपोर्ट पर सेना विभाग में क्या परिर्वतन किए गए?

9 ब्रिटिश सरकार द्वारा राजस्थान की रियासतों में 'अभिभावक परिषद्' का गठन क्यों किया गया?

गतिविधि–

ब्रिटिशकालीन भारतीय शासन के समय ऐसे कौनसे परिवर्तन किये गए, जो आज भी चल रहे हैं। पता कीजिए।

अध्याय 22

राष्ट्रीय आंदोलन

भारत हमेशा आजादी का हिमायती रहा है। यही कारण है कि भारत ने दुनिया में अपनी संस्कृति का तो विस्तार किया किन्तु राजनीतिक उपनिवेश स्थापित नहीं किए। कतिपय विदेशी लोग यहाँ की धन सम्पत्ति को लूटने के लिए हिन्दुस्तान आए तो कुछ लोग व्यापारी बनकर व्यापार करने आए। धीरे –धीरे उन्होनें यहाँ पर राज्य स्थापित करने की कोशिश की। किन्तु जैसे ही यहाँ के लोगों को लगा कि हमें गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है तो तुरन्त उनके खिलाफ संघर्ष प्रारम्भ हो गया। यह संघर्ष अनवरत चलता रहा। इस तरह इस देश में विदेशियों के खिलाफ राष्ट्रीय आन्दोलन की प्रक्रिया सतत् रूप से चल रही थी। भारत का स्वतन्त्रता आन्दोलन ऐसी ही एक प्रक्रिया थी, जिसमें हिन्दुस्तान के लोगों को यह आभास हुआ कि अंग्रेजी शासन और भारतवासियों के बीच एक मूलभूत विरोधाभास है, जिसके फलस्वरूप हिन्दुस्तान और उसके निवासियों को केवल नुकसान ही होता था। उस विरोधाभास का निराकरण तभी संभव था, जब अंग्रेज हिन्दुस्तान छोड़ कर चले जाएँ और यहाँ का शासन यहीं के लोगों के हाथों में हो। भारत में अंग्रेज जब से आए, तभी से हिन्दुस्तान के लोगों ने उनका अलग–अलग तरीके से विरोध किया।

यह जरूर था कि कभी लोग अंग्रेजों का विरोध करते तो कभी उनके साथ मिलकर काम करते। अधिकांश लोगों का तो जिन्दगी में कभी भी अंग्रेजों या उनकी सरकार से कोई सीधा वास्ता तक नहीं पड़ा। परन्तु यह भी सच है कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अंग्रेजी शासन से प्रभावित हो रहा था और वह चाहता था कि यह देश अंग्रेजों की दासता से मुक्त हो।

गतिविधि :–

हिन्दुस्तान की स्वतंत्रता के बाद दुनिया के किन देशों से अंग्रेजों का राज्य समाप्त हो गया ? एक सूची बनाइए। अपने अध्यापक की मदद लीजिये ।

किस दिन या किस वर्ष में स्वतंत्रता आन्दोलन शुरू हुआ है ? इस तरह के सवाल का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि इस तरह के आन्दोलन कई प्रकार की सरकार विरोधी गतिविधियों की समग्रता का नतीजा होते हैं।

कई इतिहासकारों ने यह माना कि आधुनिक तरीके से दल बना कर जो राजनीतिक आंदोलन उन्नीसवीं सदी में चला, वही स्वतंत्रता आन्दोलन है। परन्तु सही अर्थों में 1857 ई. की लड़ाई से ही स्वतन्त्रता की लड़ाई की शुरूआत हो गई थी। इसलिए कई इतिहासकारों ने उसे 'स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम' कहा है । वहीं पर उसके बाद के जो राजनीतिक आंदोलन आया उसे 'स्वतंत्रता आन्दोलन' कहा गया।

उन्नीसवीं सदी के उतरार्द्ध में राष्ट्रीय आन्दोलन

उन्नीसवीं सदी में हिन्दुस्तानियों ने बहुत सारे संघ बना रखे थे। कोई संघ बंगाल के जमींदारों का था तो कोई अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों का और कोई दक्षिण के या पश्चिम के व्यापारियों का। ये सभी संघ सरकार को चिट्ठी–पत्री लिख कर शिकायत करते। माँग होती थी कि 'कर' कम कर दिया जाए, सरकारी नौकरी में

हिन्दुस्तानियों को भी बड़े पदों पर चुने जाने का मौका मिले, स्कूल खोले जाएँ, कानून व्यवस्था में हिन्दुस्तानियों को बराबर का दर्जा दिया जाए, विधान परिषदों में हिन्दुस्तानियों के लिए ज्यादा सीटें हों और उनके मतानुसार ही कार्यकारिणी काम करें आदि।

दिसम्बर 1885 ई. के आखिरी हफ्तें में एक अंग्रेज एलन आक्टेवियन ह्यूम के पहल करने पर इस तरह के संघो का एक सम्मेलन बुलाया गया।

1885 ई. की पहली कांग्रेस बैठक बम्बई के गोवालिया तालाब इलाके के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई।

अंग्रेज विरोधी अंसतोष को वैधानिक रूप देने के लिए ए.ओ.ह्यूम ने नई संस्था का नाम 'इण्डियन नेशनल कांग्रेस' रखा गया। इस तरह 28 दिसम्बर 1885 ई. को बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ। इसके पहले अध्यक्ष बंगाल के व्योमेश चन्द्र बनर्जी को बनाया गया तथा इसके जनरल सेक्रेटरी अंग्रेज अधिकारी ए.ओ.ह्यूम बने।

अंग्रेजों का उपेक्षापूर्ण रवैया

आने वाले वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रस्तावों को लेकर एक बात साफ हो गई कि अंग्रेज सरकार इन पर कोई ध्यान नहीं देती थी। ध्यान देना तो दूर लोगों को यह लगा कि सरकार वास्तव में उन्हें तंग करने के कई नए तरीके ढूँढ़ रही थी। यह शक तब और मजबूत हुआ जब 1890 के दशक में मध्य भारत में अकाल फैला। अकाल के बावजूद सरकार ने बड़ी सख्ती से किसानों से लगान वसूल किया। एक तरफ किसानों की दुर्दशा हो रही थी, दूसरी तरफ सरकार गेहूँ निर्यात कर रही थी। यह विचार कि सरकार हिन्दुस्तानियों की कोई चिंता नहीं करती थी और भी अधिक प्रबल तब हुआ जब मध्य और पश्चिमी भारत में प्लेग का प्रकोप फैला। सरकार की अकर्मण्यता से असंतोष बढ़ने लगा। रही–सही कसर हैजा ने पूरी कर दी।

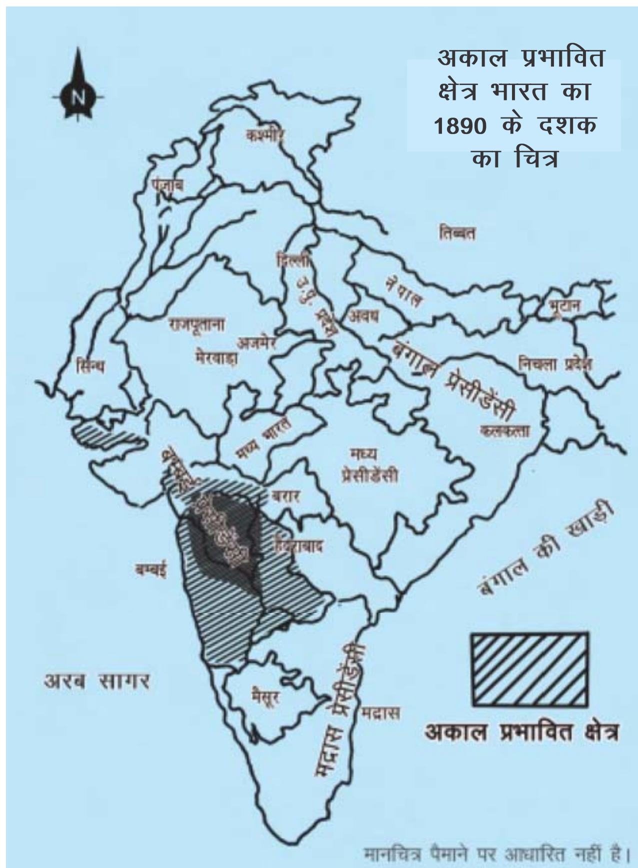

19वीं व 20वीं सदी में राष्ट्रीय आन्दोलन की घटनाएँ

कई हिन्दुस्तानियों ने सरकार द्वारा की जा रही जोर जबरदस्ती के खिलाफ आवाज उठाई। महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने अपने अखबारों में इसके खिलाफ लेख लिखे जिनके नाम 'मराठा' और 'केसरी' थे।

ये अखबार उनके अन्याय के विरूद्ध लोहा लेने का प्रमाण रहे हैं। राजनीतिक आन्दोलन का तिलक ने एक मार्ग दिखाया, इसलिये उन्हें उग्रवाद का जनक कहा जाता है। उनका स्पष्ट मत था– "भारत में अंग्रेजी नौकरशाही से अनुनय–विनय करके हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं ।" शिवाजी और गणपति उत्सवों के माध्यम से तिलक ने देश में नई जागृति पैदा की। उन्होंने जनता में स्वराज्य का मंत्र फूंका, किन्तु इससे वे ब्रिटिश सरकार की आँखों की किरकिरी बन गये। चापेकर बन्धुओं द्वारा प्लेग कमिश्नर की हत्या की गई । इस हत्या पर अपने समाचार पत्र में की गई टिप्पणी को लेकर सरकार ने तिलक के विरूद्ध हिंसा व राजद्रोह का आरोप लगाकर उनको 18 मास की कठोर करावास की सजा दे दी। उनकी गिरफ्तारी पर जनता की रोषपूर्ण प्रतिक्रिया ने उन्हें 'लोकमान्य' बना दिया । जेल से छूटने पर उन्होंने जनशक्ति को स्वराज्य के लिये तैयार करने का कार्य किया तथा 'होमरूल' आन्दोलन का संचालन किया। तिलक के प्रयासों से 1916 का 'लखनऊ समझौता' सम्पन्न हो सका। 1920 में उनका देहांत हो गया ।

साथ ही साथ बीसवीं सदी के शुरू में सरकार ने नगर निकायों और विश्वविद्यालयों पर से हिन्दुस्तानियों का नियंत्रण कम करने के लिए कानून भी बना डाले। कांग्रेस ने सरकार के इन कार्यकलापों के खिलाफ कई प्रस्ताव पारित किए परंतु इनका सरकार पर कोई असर नहीं हुआ।

बीसवीं सदी के प्रारम्भ में राष्ट्रीय आन्दोलन

अति तो तब हुई जब प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के नाम पर बंगाल का विभाजन (1905 ई. बंग–भंग) भी कर दिया गया। बंग विभाजन को लेकर सारे देश में रोष की लहर दौड़ गई । यहीं से देश में स्वदेशी आन्दोलन का शुभारम्भ माना जाता है। देश भर में सरकार की हरकतों के खिलाफ लोगों ने गुस्से भरे ज्ञापन सरकार को भेजे। 1907 ई. में कांग्रेस के सूरत सम्मेलन में लोगों के बीच इस विषय पर गर्मा–गर्म बहस हो गई।

पढ़ें और बतायें–

बंगाल विभाजन (1905 ई.) का सूरत अधिवेशन (1907 ई.) पर क्या असर दिखाई दिया ?

अब कांग्रेस में दो धड़े हो गए। एक पक्ष का कहना था कि लिखा पढ़ी के अलावा भी कुछ करना चाहिए, जैसे कि हड़ताल और अंग्रेजों का आर्थिक बहिष्कार आदि। ये लोग 'गरम दल' के लोग कहलाए। गरम दल में प्रमुख थे– पंजाब से लाला लाजपत राय, बंगाल से विपिनचन्द्र पाल और महाराष्ट्र से बाल गंगाधर तिलक। इन्हें लाल, बाल, पाल के नाम से भी जाना जाता हैं।

जब हड़तालों से भी कुछ नतीजा नहीं निकला तो बंगाल के कुछ नौजवानों ने तय किया कि जन मानस में अंग्रेजों के भय को कम करने के लिए उन पर कठोर प्रहार करना पड़ेगा। इन्होंने छोटे–छोटे गुट बनाकर हथियारों का इस्तेमाल सीखा। कुछ ने अंग्रेज अफसरों पर घातक हमले किए। सरकारी खजाने को लूटने की कोशिश की गई।

अतः बाध्य होकर के दिसम्बर 1911 ई. में दिल्ली में शाही दरबार का आयोजन करके उसमें बंगाल विभाजन को निरस्त करने की सरकार द्वारा घोषणा की गई। साथ ही यह भी कहा गया कि देश की राजधानी कलकत्ता से हटा कर दिल्ली में होगी।

प्रथम विश्व युद्ध से 1947 ई. तक राष्ट्रीय आन्दोलन के विभिन्न चरण

सन् 1914 ई. में यूरोप में प्रथम महायुद्ध शुरू हो गया। भारी मात्रा में हिन्दुस्तान के धन और सिपाहियों को इस युद्ध में झोंक दिया गया। हिन्दुस्तान की सभी रियासतों ने भी अंग्रेजों की मदद के लिए सैनिक एवं युद्ध सामग्री उपलब्ध कराई । अतः युद्ध समाप्त होने पर भारत में अधिकार प्राप्त होने की नई आशा का संचार होने लगा, किन्तु अंग्रेज सरकार ने 1919 ई. में एक कानून लागू किया।

इस कानून के अधीन सरकार का विरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति को लंबे समय के लिए जेल भेजा जा सकता था। इस कानून को 'रोलेट एक्ट' का नाम दिया गया। रोलेट कानून के खिलाफ लोग अपना विरोध जाहिर कर रहे थे। एक विरोध सभा अमृतसर–पंजाब के जलियाँवाला बाग में भी हो रही थी। 13 अप्रेल 1919 ई. को होने वाली इस सभा को अमृतसर में नियुक्त अंग्रेज जनरल डायर ने सभा को विसर्जित होने का आदेश दिया। सभा विसर्जित हो, इसके पहले ही सेना ने सभा पर गोलीबारी शुरू कर दी। हजारों बेकसूर लोग मारे गए। अंग्रेज जनरल को इंग्लैंड में उसकी इस हरकत के लिए सम्मानित भी किया गया। बाद में जनरल डायर को क्रान्तिकारी उधम सिंह ने लंदन जाकर मारा था।

जलियाँवाला बाग हत्याकाण्ड

सरकार को यह लगने लगा कि जनता के असंतोष को कम करना आवश्यक है । अतः 1919 ई. का अधिनियम पारित किया, जिसके अन्तर्गत प्रान्तों में द्वैध शासन स्थापित किया । इस अधिनियम से जनता की नाराजगी कम होने के स्थान पर बढ़ गई। इन सभी अनुभवों से अब हिन्दुस्तान के लोगों को अहसास होने लगा था कि उनके और अंग्रेजों के बीच कोई तारतम्य बनने की गुंजाइश नहीं है। तब जाकर मोहन दास करमचंद गाँधी की सलाह पर कांग्रेस ने तय किया कि सारा देश ही सरकार से असहयोग करेगा। यदि लोग सरकार से असहयोग करेंगे तो सरकार कैसे चलेगी ? यदि लोग अंग्रेजी वस्तुओं का इस्तेमाल न करें तो अंग्रेजों की अर्थव्यवस्था ही डगमगा जाएगी।

औपनिवेशिक शासन का विरोध करने वाले प्रमुख नेता

1920 ई. में असहयोग आन्दोलन शुरू किया गया। गाँधीजी इसके नेता बने। गाँधीजी ने एक शर्त रखी कि आन्दोलन पूर्णरूपेण शान्तिपूर्ण रहेगा। अधिकांश समय तो लोग शान्तिपूर्ण तरीके से ही सरकार का विरोध करते, पर कभी–कभी असहयोग आन्दोलन हिंसक रूप भी ले लेता था। कई शहरों में सरकार के विरोध में दंगे हुए। गाँधीजी और अन्य नेता लोगों को समझाते कि

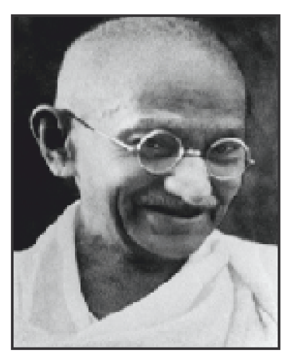
महात्मा गाँधी

आन्दोलन बगैर हिंसा के होना चाहिए। आन्दोलन ज्यादा से ज्यादा विस्तृत होने लगा। पर जब 1922 ई. में गोरखपुर जिले के चौरा–चौरी इलाके में एक पुलिस चौकी पर हमला करके आन्दोलनकारियों ने कई पुलिस वाले मार डाले तो गाँधीजी ने आन्दोलन खत्म करने की घोषणा कर दी।

साइमन कमीशन छः सदस्यों के साथ 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा। इस कमीशन का एक भी भारतीय सदस्य नहीं था । अतः उसके विरूद्ध जनता में रोष उत्पन्न हुआ। परिणाम स्वरूप इस कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। विरोध को दबाने के लिये पुलिस ने दमन नीति अपनाई । इसलिये जब लाहोर में विरोध का नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे, तब पुलिस पदाधिकारी साण्डर्स ने उन पर लाठियाँ बरसाई, जिससे लाला लाजपत राय के सिर पर गंभीर चोटें आई। कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। लोगों ने लालाजी की मौत के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। भगतसिंह व उसके साथियों को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई। भगतसिंह अपने साथियों के साथ वैसे भी सरकार द्वारा हिन्दुस्तानियों पर की जा रही ज्यादतियों का विरोध करते थे। भगतसिंह एवं उनके साथियों ने अंग्रेज पुलिस अधिकारी साण्डर्स की गोली मार कर हत्या कर दी। कुछ समय बाद इन लोगों ने योजना बनाकर केन्द्रीय विधान सभा के अन्दर एक बम विस्फोट किया।

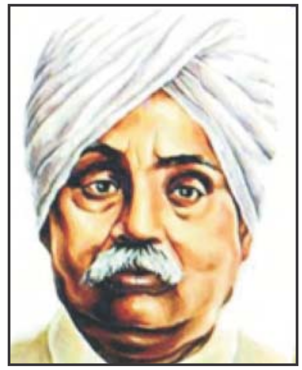
लाला राजपत राय

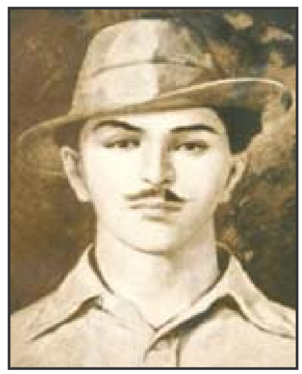
भगतसिंह

भगतसिंह और साथियों ने कहा कि यह बम सरकार के बहरे कानों को जगाने के लिए फोड़ा गया है, किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं। भगत सिंह और उसके साथियों को गिरफ्तार कर उन्हें फाँसी की सजा दी गई । 23 मार्च, 1931 ई. के दिन भारतीय स्वतंत्रता के इस महान् सेनानी को उनके दो अन्य साथियों सुखदेव एवं राजगुरू के साथ 24 वर्ष की आयु में फाँसी दे दी गई। 27 फरवरी, 1931 ई. को चन्द्रशेखर आजाद भी अंग्रेजो से लड़ते हुए शहीद हो चुके थे।

1930 ई. में ही देशभर में आन्दोलन हुआ तब उसका नेतृत्व गाँधीजी ने किया। उन्होंने कहा कि अवज्ञा तो हो पर सविनय अवज्ञा हो। इसमें कहीं हिंसा और द्वेष ना हो। अतः इस आन्दोलन को 'सविनय अवज्ञा आन्दोलन' नाम दिया। सरकार ने असहयोग आन्दोलन से भी ज्यादा दमन इस आन्दोलन में भाग ले रहे लोगों पर किया। पर लोग अहिंसक तरीके से सरकार के नियमों की अवहेलना करते रहे।

बगैर सरकार की इजाजत के हिन्दुस्तानी नमक भी नहीं बना सकते थे। अतः गाँधीजी के नेतृत्व में लोगों ने नमक बनाने की ठानी। नमक बनाने के लिए विशाल संख्या में लोग गुजरात से दाण्डी नामक स्थान पर पहुँचे । पुलिस ने लोगों पर लाठियों से वार किया। लोग लाठी खाकर गिरते रहे परंतु न तो उन्होंने पुलिस पर वार किया, न पीछे हटे। बस 'भारत माता की जय' बोलते हुए आगे बढ़ते रहे।

अब तक बाकी दुनिया के लोगों में भी जिज्ञासा जाग चुकी थी कि आखिर हिन्दुस्तान में हो क्या रहा है ? दुनिया के कई फिल्मकार व पत्रकार भारत आए। उन सबने दुनिया को बताया कि हिन्दुस्तान में किस

तरह से सरकार लोगों पर ज्यादती कर रही है। अब दुनिया भर के लोगों को आभास हुआ कि वास्तव में हिन्दुस्तानियों की लड़ाई तो इस बात की है कि अंग्रेज भारत छोड़ दे।

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 ई. में देश ने 'अंग्रेजों भारत छोड़ो' का नारा दिया। सरकार ने सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। वे लोग जो अब तक विरोध में शामिल नहीं होते थे वे भी मैदान में आ गए। यह सब अगस्त 1942 में हुआ। अतः इसे अगस्त क्रान्ति या भारत छोड़ो आन्दोलन कहते हैं। यह राष्ट्रीय स्वाधीनता का जन आन्दोलन था। इसका प्रभाव सम्पूर्ण भारत में देखा गया। युवाओं ने इस आन्दोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया।

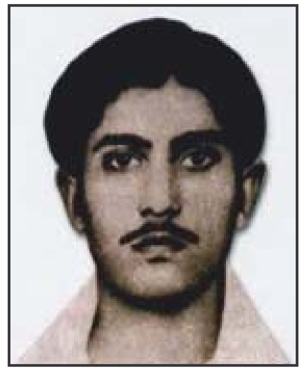
हेमू कालाणी

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के युवा शहीद हेमू कालाणी का जन्म 23 मार्च 1923 ई. को सिंध के सख्खर में हुआ था। महात्मा गाँधी के आन्दोलन से प्रभावित हेमू ने प्रभात फेरियों में जाना शुरू कर दिया। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने के लिए लोगों को प्रेरित किया। 1942 ई. में हेमू को गुप्त जानकारी मिली कि अंग्रेजी सेना की हथियारों से भरी रेलगाड़ी रोहडी शहर (सिंध) से होकर गुजरेगी। हेमू ने रेल पटरी को अस्त व्यस्त करने की योजना बनाई। दुर्भाग्य से वहाँ तैनात सुरक्षाकर्मियों की नजर उस पर पड़ गई। हेमू को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने उन्हें फाँसी की सजा सुनाई। फाँसी से पहले हेमू को उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने फिर से पवित्र भूमि भारतवर्ष में जन्म लेने की इच्छा जाहिर की।

'इन्कलाब जिन्दाबाद' और 'भारत माता की जय' के उद्घोष के साथ यह युवा स्वतन्त्रता सेनानी 21 जनवरी 1943 ई. को सख्खर में हँसते –हँसते फाँसी के फँदे पर झूल गया।

वीर सावरकर

महाराष्ट्र के नासिक जिले के भगूर गाँव में 28 मई 1883 ई. को विनायक दामोदर सावरकर का जन्म हुआ। पिता दामोदर पंत सावरकर एक राष्ट्रभक्त थे तथा माता राधा बाई धर्मनिष्ठ महिला थी। मैट्रिक की पढ़ाई के लिए विनायक पूना गए और तिलक के संपर्क में आए। विनायक इन्हें अपना गुरू मानते थे। कानून की पढ़ाई के लिए विनायक बंबई आए। उस समय इंग्लैण्ड में रह रहे प्रसिद्ध क्रान्तिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने विनायक के लिए लंदन में उच्च अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की और वे पढ़ाई के लिए लंदन रवाना हो गए।

लन्दन में विनायक ने श्यामजी कृष्ण वर्मा के 'इण्डिया हाउस' को अपनी गतिविधियों का केन्द्र बनाया। यहीं उन्होंने '1857 का स्वातन्त्र्य समर' नामक क्रान्तिकारी पुस्तक लिखी जो बाद में अंग्रेजों ने प्रतिबन्धित कर दी। उनकी क्रान्तिकारी गतिविधियों के कारण पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और कुछ दिन ब्रिटिश जेल में रखने के बाद मारिया नामक जलयान से उन्हें बम्बई भेज दिया।

रास्ते में विनायक सुरक्षाकर्मियों को चकमा देकर जहाज से निकल गए और तैर कर फ्रांस की सीमा

तक पहुँच गए पर पकडे गए और फ्रान्स की सरकार ने उन्हें अंग्रेजों को सौंप दिया। भारत में सावरकर पर मुकदमा चलाया गया। देशभक्ति प्रेरित योजनाओं, गतिविधियों तथा उसकी दुर्दम्यता से भयभीत अंग्रेज सरकार ने विनायक सावरकर को एक नहीं बल्कि दो आजन्म कारावास की सजा देकर, अंडमान निकोबार भेज दिया। 11 वर्ष तक अण्डमान की सेलूलर जेल में काले पानी की कठोर यातनापूर्ण सजा काटी । लौटने पर विनायक को रत्नागिरि (महाराष्ट्र) में नजरबन्द कर दिया गया। जहाँ से 1937 ई. में उन्हें मुक्ति मिली।

विनायक ने भारत विभाजन का प्रबल विरोध किया। 26 फरवरी 1966 ई. को इस स्वातन्त्र्य वीर ने अन्तिम सांस ली।

23 जनवरी 1897 ई. को सुभाषचन्द्र बोस का जन्म हुआ था। बड़े होकर आई.सी.एस.की परीक्षा पास की, पर नौकरी नहीं की। बाद में भारत की आजादी के लिए सक्रिय रूप से आन्दोलनों में भाग लिया और दो बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 1943 ई. में आजाद हिन्द फौज की कमान संभाली और आजादी के लिये प्रत्यक्ष लड़ाई लड़ी। 1944 ई. के सुभाषचन्द्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिन्द फौज के अभियान एवं 1946 ई. में नौ सैनिकों के विद्रोह से अंग्रेजी सरकार को पता चल गया कि अब हिन्दुस्तान के सैनिक भी इस सरकार के साथ नहीं रहना चाहते। कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 ई. को एक विमान दुर्घटना में रहस्यमय तरीके से सुभाष चन्द्र बोस की मृत्यु हो गई जो आज भी विवादित है। दो वर्ष बाद 14 अगस्त 1947 ई. को अंग्रेजों ने देश का विभाजन कर 15 अगस्त 1947 ई. को देश को स्वतंत्र कर दिया।

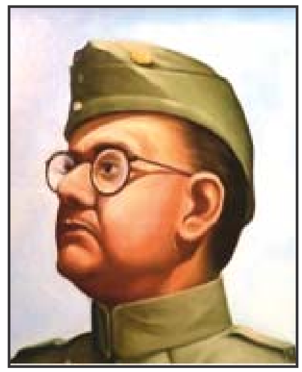

सुभाषचंद्र बोस

राष्ट्रीय आन्दोलन और राजस्थान

राजस्थान में किसान वर्ग ठिकानेदारों और जागीदारों के अत्याचारों से तंग आ चुका था। इसका पहला आभास तब हुआ जब बिजौलिया में जागीरदारों के खिलाफ किसान आन्दोलन शुरू हुआ। बिजौलिया में किसानों को 84 किस्म के कर देने पड़ते थे। 1913 ई. में साधु सीताराम दास के नेतृत्व में किसानों ने इस तरह की अत्याचारी कर व्यवस्था का विरोध किया। 1916 ई. में विजयसिंह पथिक और माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में किसानों ने बेगार करने से मना किया और कर भी नहीं दिए। आने वाले समय में अन्य रियासतों और ठिकानों के किसानों ने भी बिजौलिया किसान आन्दोलन से सीख लेकर बेगार और कर बंद कर दिए।

विजयसिंह पथिक

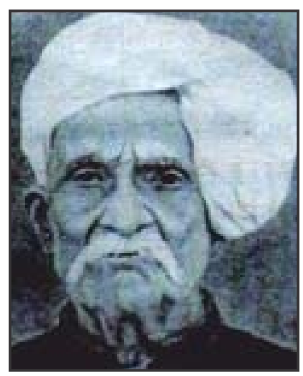

साधु सीताराम दास

पहले तो हर रियासत का किसान आंदोलन अलग–अलग चलता रहा। फिर वे हिन्दुस्तान के स्वतंत्रता आन्दोलन से जुड़ने लगे। लगभग सभी रियासतों में प्रजा मण्डल का गठन हुआ।

प्रजा मण्डल किसानों की समस्याओं के अलावा रियासतों में मौजूद बदहाली के खिलाफ भी आवाज उठा रही थी। हर रियासत में माँग उठी कि रियासत में उत्तरदायी शासन स्थापित हो। कहीं–कहीं प्रजा

मण्डल के ही नेताओं को स्थानीय मंत्रिमंडल में शामिल भी कर लिया गया। जब देश में 1942 ई. में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो प्रजा मण्डल ने माँग रखी कि रियासतें भी अंग्रेजों से नाता तोड़ें।

इस पर कई नेताओं को जेल में डाल दिया गया। नेताओं के बंदीकरण से लगभग हर रियासत में लोग भड़क उठे और लोगों ने आंदोलन किया। डूँगरपुर में आदिवासियों की समस्याएँ भी प्रजा मण्डल ने उठाई। प्रतापगढ़ में अमृतलाल के नेतृत्व में हरिजन सेवा समिति का गठन किया गया।

गतिविधि–

अपने क्षेत्र में प्रजामंडल में शामिल लोगों के नाम पता करो और जानो कि यहाँ प्रजामंडल किस तरह से काम कर रहा था।

राजस्थान के क्रान्तिकारी नेता

अर्जुन लाल सेठी–अर्जुनलाल सेठी का जन्म 1880 ई. में जयपुर में हुआ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बी.ए. उत्तीर्ण किया। जब सेठी को जयपुर के प्रधानमंत्री का पद प्रस्तावित किया गया तो उन्होंने कहा– "श्रीमान् ! अर्जुनलाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को कौन निकालेगा ?"

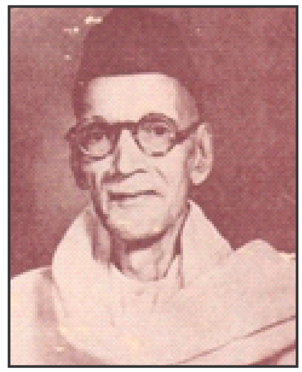
अर्जुन लाल सेठी

वे देश सेवा का व्रत ले चुके थे । सेठी जी ने केसरीसिंह बारहठ,गोपाल सिंह खरवा आदि के सहयोग से राजस्थान में एक क्रांतिकारी संस्था का निर्माण किया। अल्प समय में ही जयपुर में स्थापित वर्द्धमान विद्यालय देशभर के क्रांतिकारियों के प्रशिक्षण का मुख्य केन्द्र बन गया । निमाज हत्याकाण्ड तथा दिल्ली षड्यंत्र में हाथ होने के सन्देह में आप पकड़े गये और बन्दीगृह में डाल दिये गये । सेठी जी के विरूद्ध कोई ठोस प्रमाण न मिलने के उपरान्त भी जयपुर में उन्हें नज़र बन्द रखा गया तथा पाँच वर्ष पश्चात् वेलूर जेल में भेज दिया गया। वहाँ जेल अधिकारियों के दुर्व्यवहार के कारण कई दिनों तक अनशन किया।

1920 ई. में रिहा होने पर सेठी कांग्रेस में शामिल हो गए पर नीति संबंधी मतभेदों के चलते कांग्रेस से अलग हो गए और जीवनयापन के लिए उन्होंने अजमेर की दरगाह में मुसलमान बच्चों को अरबी–फारसी पढ़ाना शुरू कर दिया। 22 सितम्बर, 1941 ई. को अजमेर में सेठी का देहांत हो गया।

राव गोपाल सिंह खरवा–अजमेर–मेरवाड़ा में खरवा ठिकाने के राव गोपाल सिंह राजस्थान के क्रान्तिकारी आंदोलन के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित रहे। वे आरंभ से ही आर्य समाज से प्रभावित थे।

राव गोपाल सिंह खरवा

प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान रास बिहारी बोस व सचिन्द्रनाथ सान्याल ने उत्तरी भारत में सशस्त्र क्रांति की एक योजना तैयार की। राव गोपाल सिंह इस योजना से जुड़ गए, लेकिन क्रान्तिकारियों के एक सहयोगी ने योजना की सूचना पुलिस को दे दी। फलतः योजना विफल हो गई। जून, 1915 ई. में ब्रिटिश सरकार ने राव गोपाल सिंह को आदेश दिया कि वह 24 घंटे में खरवा छोड़कर

टाडगढ़ चला जाए। टाडगढ़ में राव पुलिस निगरानी में रहे। 10 जुलाई 1915 ई. को वह टाडगढ़ से भाग निकले और सलेमाबाद में पकड़े गये और उन्हें दिल्ली के तिहाड़ जेल में भेज दिया गया। यहाँ से वे 1920ई. में रिहा हो गये । बाद में वे रचनात्मक कार्यो में लग गये । मार्च 1956ई. में उनका स्वर्गवास हो गया ।

केसरी सिंह बारहठ—केसरीसिंह का जन्म 1872 ई. में शाहपुरा (भीलवाड़ा) के समीप गाँव देवपुरा में हुआ। बाद में वे उदयपुर के महाराणा के पास चले आए। इस दौरान श्यामजी कृष्ण वर्मा, रास बिहारी बोस व अन्य क्रांतिकारियों से उनका सम्पर्क हुआ। 1903 ई. में होने वाले दिल्ली दरबार में मेवाड़ के महाराणा फतहसिंह के सम्मिलित होने के समाचार मिले तो क्रांतिकारियों को महाराणा का यह कदम अनुचित लगा । महाराणा फतहसिंह जब दिल्ली दरबार में भाग लेने के लिए जाने लगे तो केसरीसिंह ने महाराणा को 13 सोरठें 'चेतावणी रा चुंगट्या' भेजे। इन्हें पढ़कर महाराणा दिल्ली पहुँचकर भी दरबार में शामिल नहीं हुए।

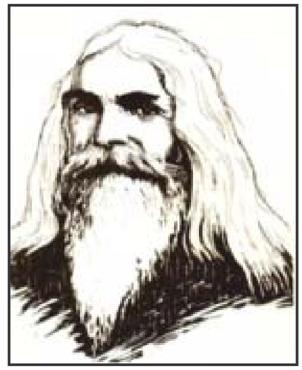
केसरीसिंह बारहठ

सरकारी गोपनीय रिपोर्ट के अनुसार उन पर राजद्रोह, बगावत, ब्रिटिश फौज के भारतीय सैनिकों को शासन के विरूद्ध भड़काने व षड्यंत्र में शामिल होने के साथ—साथ प्यारेराम नामक साधु की हत्या का आरोप भी लगाया गया।

उन्हें 20 वर्षों की सजा देकर हजारीबाग सेन्ट्रल जेल भेज दिया गया, जहाँ से 1920 ई. में रिहा किया गया। केसरी सिंह का शेष जीवन कोटा में बीता। 1941 ई. में इस स्वातंत्र्य वीर का निधन हो गया।

प्रताप सिंह बारहठ—केसरी सिंह बारहठ के पुत्र प्रताप सिंह बारहठ का जन्म 24 मई, 1893 ई. को उदयपुर में हुआ। प्रतापसिंह बारहठ ने उस परिवार में जन्म लिया, जिसमें देशभक्ति की भावना कूट—कूट कर भरी थी। केसरीसिंह ने प्रताप को अर्जुनलाल सेठी के वर्द्धमान स्कूल में पढ़ने भेजा। शीघ्र ही प्रतापसिंह भी क्रान्तिकारी गतिविधियों में संलग्न हो गये। हैदराबाद (सिंध) से बीकानेर लौटते हुए जोधपुर के पास 'आशानाड़ा' स्टेशन पर स्टेशन मास्टर ने धोखा देकर प्रतापसिंह को पकड़वा दिया। प्रतापसिंह को बरेली जेल में रखा गया।

प्रताप सिंह बारहठ

अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स क्लीवलैंड प्रताप पर रास बिहारी बोस व अन्य क्रान्तिकारियों की जानकारी देने के लिए दबाव डालता रहा, पर प्रताप टस से मस न हुआ। इस पर क्लीवलैंड ने कहा, "तुम्हारी माँ तुम्हारे बिना दुःखी है, वह आँसू बहाती रहती है।" तो प्रताप सिंह ने कहा— "तुम कहते हो कि मेरी माँ मेरे लिए रात—दिन रोती है और बहुत दुःखी है, किन्तु मैं अन्य सैंकड़ों माताओं के रोने का कारण नहीं बन सकता।" इस पर उसे तरह—तरह की घोर यातनाएँ दी जाने लगी, जिसके कारण 27 मई 1918 ई. को जेल में उनका देहांत हो गया।

जोरावर सिंह बारहठ—यह प्रसिद्ध क्रान्तिकारी केसरीसिंह बारहठ के छोटे भाई थे। 1912 ई. को क्रान्तिकारी जोरावर सिंह बारहठ ने दिल्ली में वायसराय लार्ड हार्डिंग्ज के जुलूस में वायसराय पर बम फेंका। वायसराय बच गया, परन्तु महावत मारा गया। जोरावर सिंह भूमिगत हो गए। बाद में उनका अधिकांश समय

मालवा और वागड़ क्षेत्र में साधु वेश में अमरदास वैरागी के रूप में व्यतीत किया। जोरावर सिंह पर आरा मर्डर केस के मुकद्दमें में वारंट जारी था। परन्तु जोरावर सिंह आजीवन अंग्रेजों के पकड़ में नहीं आए।

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के क्रान्तिकारी

सुखदेव

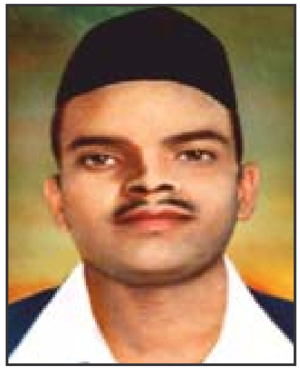
राजगुरू

रामप्रसाद बिस्मिल

चन्द्रशेखर आजाद

चापेकर बन्धु

आओ करके देखे–

भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन में इन क्रान्तिकारियों के योगदान के बारे में जानकारी संकलित कीजिए।

शब्दावली

वैधानिक – कानून सम्मत

विसर्जित – बिखरना

सविनय अवज्ञा – विनम्रता पूर्वक बात मानने से इन्कार करना

अभ्यास प्रश्न

प्रश्न एक व दो के सही उत्तर कोष्ठक में लिखें–

1. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई ?

   (अ) 1885 (ब) 1919

   (स) 1942 (द) 1905 ( )

2. प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ ?

   (अ) 1897 (ब) 1857

   (स) 1947 (द) 1950 ( )

3. 'चेतावणी रा चुंगट्या' किसकी रचना हैं ?
4. राजस्थान के क्रान्तिकारियों के नाम लिखिए ।
5. रोलट एक्ट क्या था ?
6. लाल, बाल, पाल के नाम से कौन प्रसिद्ध हुए ? नाम लिखे ।
7. जलियाँवाला बाग हत्याकाण्ड का वर्णन कीजिए ।
8. सविनय अवज्ञा आन्दोलन का वर्णन कीजिए ।
9. भारत छोड़ो आन्दोलन का वर्णन कीजिए ।
10. भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन की मुख्य घटनाओं का वर्णन कीजिए ।

गतिविधि–

1. **संकलन करें –**

   (1) स्वतंत्रता संग्राम पर साहित्यकारों द्वारा लिखे गये लोकगीत एवं कविताएँ ।

   (2) स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र ।

2. राष्ट्रीय आन्दोलन की प्रमुख घटनाओं की तिथि वर्षवार तालिका बनाएँ ।

अध्याय 23

आजादी के बाद का भारत

15 अगस्त 1947 ई. को भारत अंग्रेजी शासन से मुक्त हुआ। उस समय आजाद भारत के सामने कई चुनौतियाँ थी। भारतीय जनता ने काफी लम्बे संघर्ष के बाद आजादी पाई थी, इसलिए लोगों को भारतीय शासन से काफी उम्मीदें भी थी। देश के विभाजन के कारण लगभग 70–80 लाख शरणार्थी भारत आए थे। इनके रहने, खाने–पीने व रोजी–रोटी का इंतजाम भी नई सरकार को करना था।

आजादी से पूर्व भारत में 562 देशी रियासतें थी। इनके शासकों को भारत में विलय के लिए तैयार करके भारत का एकीकरण पूरा करना एक बड़ी चुनौती थी। भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं का निर्धारण कर उनसे अच्छे संबंध भी बनाने थे।

अंग्रेजों ने भारत को आर्थिक दृष्टि से बहुत कमजोर कर दिया था। अतः भारत को पुनः मजबूत देश बनाना था। भारत में भाषागत, जातिगत एवं क्षेत्रीय विविधताएँ रही हैं। इनमें उपस्थित राष्ट्रीय एकता के तत्वों को पहचानकर सभी के मन में अपने राष्ट्र के प्रति गौरव का भाव भरना था। इस तरह उस समय देश के सामने कई चुनौतियाँ थी, उनमें से कुछ का अध्ययन हम इस पाठ में करेंगे।

संविधान सभा का गठन एवं भारत के नवीन संविधान की रचना–

1947 से पूर्व भारत में अंग्रेजों का राज्य था तथा उस समय भारत में शासन चलाने के लिए आवश्यक नियम ब्रिटिश संसद बनाती थी। अंग्रेज (ब्रिटिश) सरकार कानूनों का निर्माण करते समय मात्र ब्रिटिश हितों को ध्यान में रखती थी। उसमें भारतीयों की कोई भागीदारी नहीं थी। यदा–कदा भारतीयों को प्रसन्न करने के लिए भारतीय जनता की कुछ मांगे स्वीकार कर ली जाती। अतः भारतीय जनता लम्बे समय से संविधान निर्माण में अपनी भागीदारी की मांग कर रही थी।

संविधान सभा का गठन

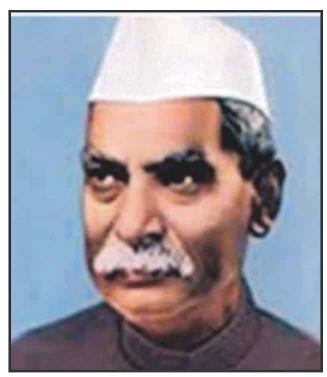

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद

द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् भारत में अंग्रेजों का विरोध काफी बढ़ गया था। बंबई–नौसेना विद्रोह एवं आजाद हिन्द फौज के संघर्ष आदि से अंग्रेजी शासकों को लगने लगा कि अब उन्हें भारत को स्वतन्त्र करना पड़ेगा। तब उन्होंने एक मंत्रिमण्डलीय समिति भेजी, जिसमें भारतीयों द्वारा संविधान निर्माण की मांग स्वीकार की गई एवं इस आधार पर 1946 ई. में भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। इस संविधान सभा में ब्रिटिश गर्वनर द्वारा शासित प्रांतों एवं देशी रियासतों के प्रतिनिधि सम्मिलित किए गए। इसका ढाँचा लोकतंत्रात्मक था। प्रान्तों से प्रतिनिधि सीमित मताधिकार के आधार पर निर्वाचित किए गए तथा रियासतों के प्रतिनिधि शासकों द्वारा मनोनीत किए गए। दस लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि निर्वाचित किया गया। इस संविधान सभा में कुल 389 सदस्य रखे गए, जिनमें से 292 सदस्य ब्रिटिश शासित प्रांतों से, चार सदस्य चीफ कमिश्नर शासित प्रांतों से व शेष 93 सदस्य देशी रियासतों से चुने जाने थे।

कुछ शासकों ने प्रारम्भ में इस संविधान सभा में अपने राज्यों से प्रतिनिधि भेजने में आना–कानी की,

किन्तु बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह ने सर्व प्रथम अपने प्रतिनिधि संविधान सभा में भेजे एवं अन्य शासकों को भी इसके लिए प्रेरित किया। इस संविधान सभा का अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को बनाया गया। अंग्रेजों ने जाने से पूर्व भारत को दो हिस्सों क्रमशः भारत एवं पाकिस्तान में बाँट दिया। परिणाम स्वरूप संविधान सभा दो भागों में बँट गई। पाकिस्तान की संविधान सभा के अलग होने एवं हैदराबाद के प्रतिनिधियों के शामिल नहीं होने से भारतीय संविधान सभा में 299 सदस्य ही रह गए।

इसके अतिरिक्त संविधान सभा के सदस्य उच्च शिक्षित एवं विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि थे। लगभग तीन वर्षों तक काफी चर्चा की तथा विभिन्न विकल्पों पर विचार किया और इस प्रकार एक संविधान का निर्माण किया, जिसमें भारतीय समाज के सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा गया। शासन प्रणाली में लोकतंत्रात्मक संसदीय प्रणाली को अपनाया गया ताकि शासन में आम लोगों की भागीदारी हो सकें व योग्य व्यक्ति राष्ट्र को नेतृत्व दे सकें। इस प्रकार इस संविधान सभा ने भारतीयों के लिए एक नवीन संविधान का निर्माण किया तथा आज भी भारत विश्व का एक प्रमुख लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। इस संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद थे, जो बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने।

गतिविधि–

ऐसा भी करें–संविधान सभा में शामिल कुछ प्रमुख सदस्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए एवं उनके चित्रों को एकत्र कीजिए।

संविधान सभा के बारे में कुछ तथ्य :

- पहली बार संविधान सभा 9 दिसम्बर 1946 ई. को बैठी, जिस सभागार में पहली बैठक हुई, उसे वर्तमान में लोकसभा का सेन्ट्रल हॉल कहते हैं।
- संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे।
- 3 जून 1947 ई.की योजना के अनुसार पाकिस्तान जाने वाले सदस्यों ने स्वयं को हिन्दुस्तान की संविधान सभा से अलग कर लिया। इसके बाद संविधान सभा में कुल 299 लोग रह गए।
- संविधान सभा ने अपना काम 17 समितियों में बाँट लिया था। संविधान की प्रारुप समिति के अध्यक्ष डॉ. भीमराव अंबेडकर थे।
- 26 नवम्बर, 1949 ई. को संविधान को अधिनियमित, आत्मार्पित एवं अंगीकृत किया गया।
- 26 जनवरी, 1950 ई. को संविधान को लागू किया गया।

संविधान सभा में राजस्थान से आने वाले सदस्य :

- पंडित मुकुट बिहारीलाल
- श्री माणिक्यलाल वर्मा
- श्री जयनारायण व्यास
- श्री बलवंत सिंह मेहता
- श्री रामचन्द्र उपाध्याय
- लेफ्टिनेंट कर्नल दलेल सिंह
- श्री गोकुल लाल असावा
- कँवर जसवंतसिंह
- श्री राज बहादुर
- सर वी. टी. कृष्णामाचारी
- श्री हीरालाल शास्त्री
- श्री सी. एस. वेंकटाचारी
- सरदार के. एम. पन्निकर
- सर टी विजयराघवाचार्या

देशी रियासतों का भारत में विलय

अंग्रेजों द्वारा शासित भारतीय साम्राज्य में दो प्रकार के राज्य थे। प्रथम वे प्रान्त जो ब्रिटिश गवर्नर द्वारा शासित थे। द्वितीय वे देशी रियासतें थी, जिन पर राजाओं का शासन था तथा वे अंग्रेजी आधिपत्य में शासन करते थे। ये रियासतें भारत के समस्त भागों में स्थित थी। इनमें से कुछ का क्षेत्रफल काफी अधिक था तो कुछ बहुत छोटी थी। ये रियासतें संधियों तथा समझोतों द्वारा भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थी।

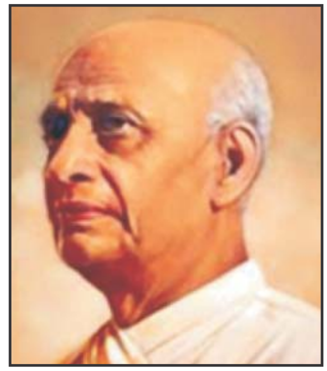

सरदार वल्लभ भाई पटेल

अंग्रेजों ने भारत को मुक्त करते समय विभाजित कर दिया और समस्त प्रांतों को भारत व पाकिस्तान नामक दो अधिराज्यों में बाँट दिया । अंग्रेजों ने देशी रियासतों के साथ पूर्व में की गई संन्धियाँ रद्द कर दी तथा उन पर से अपनी सर्वोच्चता त्याग दी तथा उन्हें यह अधिकार दिया कि वे भारत अथवा पाकिस्तान में से किसी भी देश में शामिल हों अथवा चाहें तो स्वतंत्र रहे। इससे स्थिति संकटपूर्ण हो गई, क्योंकि कुछ रियासतों के शासक स्वतंत्र रहना चाह रहे थे तो कुछ पाकिस्तान के नेताओं के बहकावे में आकर पाकिस्तान में मिलने की सोच रहे थे। जबकि ये रियासतें भारतीय भू भाग के मध्य में स्थित थी तथा यहाँ की प्रजा भी भारत में मिलना चाहती थी। इन शासकों के ऐसे कदमों से भारत की एकता को खतरा उपस्थित हो सकता था, इसलिए इस समस्या के निराकरण के लिए भारत की अन्तरिम सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता मे रियासती विभाग की स्थापना की। सरदार पटेल ने देशी रियासतों के शासकों को भारत में विलय के लिए प्रेरित किया और उन्हें भौगोलिक,आर्थिक तथा जनता की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करने का सुझाव दिया। इस समय में बडौदा व बीकानेर के शासकों ने भारतीय संघ में सम्मिलित होने की सर्वप्रथम सहमति प्रदान की। भोपाल के नवाब ने जिन्ना के प्रोत्साहन पर राजस्थान के कुछ राजाओं को अपनी ओर मिलाकर पाकिस्तान में मिलने की योजना बनाई। किन्तु उनके राज्य एवं पाकिस्तान के मध्य मेवाड़ की रियासत स्थित थी।

भारत आजादी से पहले

अतः उन्होंने अपने प्रतिनिधि को मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह से सम्पर्क करने को कहा। किन्तु मेवाड़ महाराणा ने कहा कि मेवाड़ भारत में रहेगा या बाहर इसका निर्णय मेरे पुरखे कर गए हैं। यदि देशद्रोह करना होता तो मेरे पास हैदराबाद से भी बड़ी रियासत होती।इस प्रकार मेवाड़ के महाराणा ने देशभक्ति का परिचय

देते हुए भारत में विलय होने का निश्चय किया एवं देशी रियासतों को पाकिस्तान में मिलाने की जिन्ना की योजना को असफल कर दिया ।

गतिविधि–

ऐसा भी करें–भारत के प्राचीन मानचित्र में विभिन्न रियासतों जैसे हैदराबाद, भोपाल, मेवाड़ आदि को पहचानिए।

15 अगस्त 1947 ई. से पूर्व मात्र जूनागढ़, हैदराबाद व कश्मीर को छोड़कर लगभग सभी रियासतों ने भारतीय संघ में सम्मिलित होने पर सहमति दे दी। बाद में जूनागढ की प्रजा ने अपने नवाब के विरुद्व विद्रोह कर अपना विलय भारत में कर दिया।

हैदराबाद का निज़ाम जनभावनाओं की अनदेखी कर भारत से अलग रहना चाहता था, किन्तु सरदार पटेल ने सेनिक कार्यवाही कर उसे भारत में मिला लिया। पाकिस्तान ने कश्मीर को हड़पने के लिए उस पर आक्रमण किया किन्तु वहाँ के महाराजा हरिसिंह व राजनीतिक दलों ने भारत में विलय पर सहमति दे दी।

अतः उसका भी भारत में विलय हो गया। इस प्रकार सरदार पटेल के अथक प्रयासों से देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय हुआ तथा शेष भारत खण्डित होने से बच गया। सरदार पटेल ने जिस प्रकार का दृढ निश्चय इस सम्पूर्ण घटनाक्रम के दौरान दिखाया उसके कारण उन्हें 'लौह पुरूष' कहा गया।

विस्थापितों को फिर से बसाना

आजादी के समय भारत–पाक विभाजन के परिणामस्वरूप लगभग 70–80 लाख लोग पाकिस्तान से विस्थापित होकर भारत आए थे। ये विस्थापित अपना घर–बार संपत्ति सब कुछ पाकिस्तान में छोड़कर कई त्रासदियाँ झेलते हुए भारत पहुँचे थे। इनमें से कईयों ने तो अपने परिजनों को भी खो दिया था। अतः इन्हें मानसिक व आर्थिक संबल की आवश्यकता थी। इनका पुनर्वास ज़रूरी था, ताकि ये फिर से अपना घर–बार बसा सकें। काम धंधे मे लग जाएँ, बच्चों की पढ़ाई करा सकें और देश को आगे बढ़ाने में भी योगदान दे सकें।

स्वतन्त्र भारत की पहली सबसे बड़ी चुनौती इन लोगों को फिर से बसाने में थी। पश्चिम भारत में ज्यादातर सिंधी आये थे। उत्तर भारत में सिख और पूर्वी भारत में बंगाली। पहले छः महीने तो विस्थापितों को स्कूल–कालेजों में रखा गया, फिर अजमेर, कच्छ,गांधीधाम व आदिपुर, कल्याण, दिल्ली, करनाल, दण्डकारण्य आदि स्थानों पर विस्थापितों के लिए कैम्प स्थापित किये गए। चूंकि कई लोग दिन में काम पर जाते थे तो उनके लिए स्कूल–कॉलेज शाम को भी चलाने की व्यवस्था की गई। नए तकनीकी शिक्षा संस्थान बनाए गए, ताकि विस्थापित लोग ऐसे हुनर सीख सकें जिनकी उनके नए निवास–स्थान पर ज़रूरत थी।

आने वाले सालों में विस्थापितों ने देश और समाज को आगे बढ़ाने में बहुत योगदान दिया। लोगों ने नए माहौल में रहने के लिए नए हुनर सीखे। कुछ ही समय में उन्होंने नए शहर आबाद कर लिए। उल्हासनगर (महाराष्ट्र), गांधीधाम (गुजरात), आदिपुर(गुजरात) जैसे शहरों में सिंधी विस्थापितों ने अपने व्यापार और उद्योग चलाने शुरू कर दिए।

पीलीभीत (उत्तरप्रदेश), शिवपुरी (मध्यप्रदेश), श्रीगंगानगर (राजस्थान) जैसे इलाकों में पंजाबी विस्थापितों ने खाली पड़ी हुई जमीन को खेती योग्य बनाया। थोड़े ही समय में ये इलाके फसलों से लहलहा उठे।

बँटवारे की त्रासदी

हमें शरणर्थियों का एक लम्बा कारवाँ मिला जो शेखुपुरा से हो कर भारत आ रहा था। हमने इन लोगों से बातें की और इनमें से कई उत्तर अत्यन्त मर्मस्पर्शी थे। एक वृद्ध किसान ने कहा – "इस देश में कई शासक बदले। वे आये और चले गये। लेकिन यह पहला अवसर है जब शासक के साथ रिआया (जनता) को भी बदलने पर विवश किया जा रहा है"। एक वृद्ध स्त्री ने कहा– "बँटवारे हर परिवार में होते हैं, लेकिन सब कुछ शान्ति से होता है। यहाँ लूट–मार व रक्तपात क्यों ?"................दुर्घटना के परिणामों का पूरा ज्ञान मुझे उस समय हुआ जब मैं दिल्ली से कुछ दूर कुरूक्षेत्र के एक कैम्प में गया जहाँ दो लाख सत्तर हजार शरणार्थी तम्बुओं और झोंपड़ियों में बसाये गये थे और मैंने विस्थापितों का 15 मील लम्बा कारवाँ मॉन्टगोमरी जिले से भारत की तरफ आते हुए देखा।

(पत्रकार श्री दुर्गादास की पुस्तक 'भारत कर्जन से नेहरू और उनके पश्चात्' से उद्धरित)

दिल्ली, करनाल (हरियाणा), पानीपत (हरियाणा), कानपुर (उत्तरप्रदेश) जैसे शहरों में छोटे–बड़े उद्योगों की स्थापना भी विस्थापितों ने ही की। घरों की कमी को दूर करने के लिए कई शहरों के साथ नए 'मॉडल टाउन' बनाए गए।

विस्थापितों की त्रासदी

विस्थापितों में से अनेक महान् राजनीतिक नेता बने, अनेक ने व्यापार और उद्योगों में नाम कमाया। अनुसंधान, पत्रकारिता, फ़िल्में, गायन आदि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था, जहाँ 1947 में आए विस्थापितों ने यह न साबित कर दिया कि कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों न हो, स्वतन्त्र भारत में लोग काफी कुछ करने की क्षमता रखते हैं और उन्होंने ऐसा किया भी।

गतिविधि–

कुछ ऐसे लोगों के बारे में पता करने की कोशिश कीजिए जो पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए और उनसे यह जानने की कोशिश कीजिए कि यहाँ आने में उन्हें किस तरह के अनुभव हुए ? किस तरह उन्होंने अपनी ज़िन्दगी की नई शुरुआत की ?

पड़ोसी राष्ट्रों से संबंध

भारत व पाकिस्तान जब अलग हुए तो इनमें सीमा निर्धारण करने के लिए एक अंग्रेज अधिकारी रेडक्लिफ की अध्यक्षता में एक आयोग गठित हुआ। जिसने इन दोनो राष्ट्रों के मध्य सीमा का निर्धारण

किया। इस सीमारेखा को आज 'रेडक्लिफ' रेखा के नाम से जाना जाता है। देशी रियासतों को भारत व पाकिस्तान में से किसी भी राष्ट्र में मिलने की स्वतंत्रता थी। सरदार वल्लभभाई पटेल के कुशल निर्देशन में व रियासती सचिवालय के प्रयासों से अधिकांश रियासतों के शासकों ने भारत में विलय पर अपनी सहमति दे दी।कश्मीर के शासक महाराजा हरिसिंह ने भी भारत में विलय पर सहमति प्रदान कर दी किन्तु पाकिस्तान ने उस पर जबरन अधिकार करना चाहा एवं कबायलियों की आड़ में उस पर आक्रमण किया। भारतीय सेना ने हालांकि पाक सेना व कबायलियों को कश्मीर से खदेड़ दिया किन्तु आज कश्मीर के बड़े क्षेत्र पर पाक ने अनधिकृत कब्जा किया हुआ हैं। 1948 ई. के बाद भी 1965 ई.,1971 ई. व 1999 ई. में पाक के साथ हुए युद्ध में यद्यपि पाकिस्तान पराजित हुआ है किन्तु आज भी इस क्षेत्र में तनाव बना रहता है।

क्या आप जानते हैं कि 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के लगभग 90,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और पूर्वी पाकिस्तान के स्थान पर एक नए देश 'बांग्लादेश' का निर्माण हुआ।

उत्तर दिशा में चीन से हमारा कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों को लेकर विवाद चल रहा है। चीन ने भी भारत के बड़े भाग पर अनधिकृत कब्जा किया हुआ है।

अन्य पड़ोसी राष्ट्रों जैसे– नेपाल, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका, मालदीव से हमारे संबंध सौहार्दपूर्ण रहे हैं। भारत इन राष्ट्रों के साथ बड़े भाई की भूमिका निभाता है। नेपाल व भूटान के साथ हमारी सीमाएँ खुली हुई है तथा इन राष्ट्रों के निवासियों को भारत में कई स्थानों पर कार्य करते हुए देखा जा सकता है। विगत कुछ वर्षों से दक्षिण–पूर्व एशिया के राज्यों में जिनमें कभी भारतीय सभ्यता व संस्कृति का प्रचार–प्रसार था, उससे भी भारत ने अपने संबंध मधुर बनाए हैं।

पाकिस्तान सेना प्रमुख नियाजी का भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण 1971 में

आर्थिक विकास

औपनिवेशिक काल के दौरान अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश हितों के अनुकूल ढाला। भारत के प्राचीन कुटीर उद्योगों को नष्ट कर दिया एवं भारत को कृषिगत कच्चे माल का उत्पादक राष्ट्र बना दिया ताकि इंग्लैण्ड के उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त हो सके। आजादी के बाद कुछ उपजाऊ क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए। भारत के आर्थिक पुनर्निर्माण हेतु एवं भारत को सक्षम बनाने तथा इसे गरीबी से मुक्त कराने हेतु एक सुव्यवस्थित योजना की आवश्यकता थी। अतः 1950 ई. में भारत में 'योजना आयोग' नामक संस्था का गठन किया गया और उसी के तहत पाँच–पाँच वर्ष के कार्यों के लक्ष्य निर्धारित कर योजनाएँ बनाई गई, जिन्हें पंचवर्षीय योजनाएँ कहा गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों पर बल दिया गया । भारी उद्योगों व विशाल बांधों के निर्माण पर कार्य किया गया। बाद की पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि व सामुदायिक विकास जैसे लक्ष्यों को महत्त्व दिया गया। अभी वर्तमान में 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से प्रारम्भ हुई है।

राज्य सरकारों द्वारा योजना आयोग में उनको प्रतिनिधित्व नहीं दिये जाने की प्रायः शिकायत की जाती थी। अतः सभी राज्यों को प्रतिनिधित्व देने एवं उन्हें आर्थिक विकास की गति में भागीदार बनाने की दृष्टि से 2015 में योजना आयोग के स्थान पर एक नवीन संस्था 'नीति आयोग' का गठन किया गया है। इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं तथा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री व केन्द्रशासित प्रदेशों के उप–राज्यपाल इसके सदस्य होते हैं। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अरविन्द पनगड़िया इसके प्रथम उपाध्यक्ष बनाए गए हैं।

नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष अरविन्द पनगड़िया का संबंध राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से है।

राज्यों का पुनर्गठन

स्वतन्त्र भारत में यह मांग उठी कि राज्यों की सीमाएँ भी फिर से तय की जाएँ, ताकि लोगों को राज्य प्रशासन के साथ व्यवहार करने में आसानी हो। स्वतंत्रता के पहले कई राज्यों का आकार बहुत बड़ा था। जैसे– एक राज्य था बंबई। इस राज्य में वर्तमान का महाराष्ट्र और गुजरात आते थे। मद्रास राज्य में वर्तमान तमिलनाडु, आन्ध्रप्रदेश और कर्नाटक के कुछ हिस्से आते थे। 'सेंट्रल प्रोविन्सेज़ एंड बरार' नाम के राज्य में मध्यवर्ती हिन्दुस्तान के अनेक इलाके शामिल थे। इनमें कई राज्य तो क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया के अनेक देशों से भी ज्यादा बड़े थे। इसके अलावा 500 से ऊपर रियासतें थी, जिनको किसी न किसी प्रशासनिक इकाई में शामिल करना था। राज्यों की सीमाएँ तय करने के लिए एक 'राज्य पुनर्गठन आयोग' का गठन किया गया। इसने कई विकल्पों को ध्यान में रखते हुए यह सलाह दी कि राज्यों को भाषा के आधार पर बनाना चाहिए। अतः मद्रास को मैसूर, आन्ध्र प्रदेश और मद्रास राज्यों में विभाजित किया गया। बाद में मद्रास को नया नाम दिया गया– 'तमिलनाडु'। मैसूर का नाम बदल कर रखा गया–कर्नाटक। बंबई राज्य को गुजरात और महाराष्ट्र में बाँटा गया। मध्यवर्ती भारत में मध्य प्रदेश बनाया गया। राजस्थान, जिसके बनने की प्रक्रिया कई साल पहले ही प्रारम्भ हो चुकी थी, उसको भी एक स्थाई रूप दिया गया।

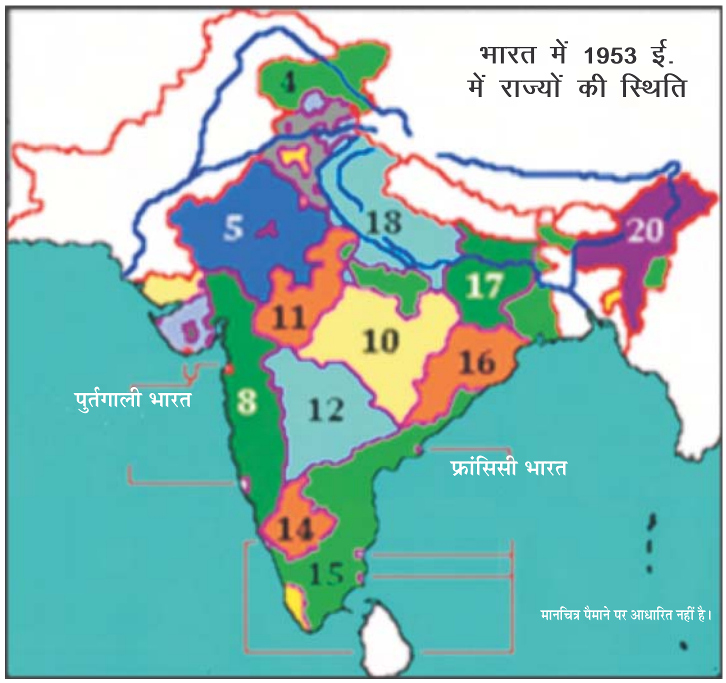

जैसा पहले कहा गया कि हिन्दुस्तान में राज्यों की सीमाएँ लोगों की सुविधा को ध्यान में रखकर बनायी गयी थी। अतः जब–जब ज़रूरत पड़ी, एवं लोगों ने यह दर्शाया कि उन्हें एक अलग राज्य की आवश्यकता है, तब–तब राज्यों का पुनर्गठन किया गया। इस तरह 1966 ई. में पंजाब और हरियाणा राज्य बने। नवम्बर 2000 ई. में उत्तरप्रदेश से अलग कर के उत्तराँचल बना। उत्तराँचल को ही बाद में उत्तराखंड

का नाम दिया गया। साथ ही साथ मध्य प्रदेश को विभाजित कर के छत्तीसगढ़ बना और बिहार से झारखंड को अलग किया गया। हाल ही में आंध्र प्रदेश को विभाजित कर तेलंगाना बनाया गया। आज भी रह–रह कर नए राज्य बनाने की मांग होती रहती है। इस तरह की मांग बुंदेलखंड प्रदेश, विदर्भ प्रदेश के लिए भी उठी है, परन्तु अभी इन राज्यों का गठन नहीं हुआ है।

गतिविधि–

सन् 1953 ई. के भारत के मानचित्र की तुलना वर्तमान भारत के मानचित्र से कीजिए और राज्यों की स्थिति में आए बदलावों को लिखिए ।

राजस्थान का एकीकरण

आज जिस प्रदेश को राजस्थान के नाम से जाना जाता है वह स्वतन्त्रता के पहले राजपूताना के नाम से जाना जाता था। राजपूताना यानी राजपूतों की भूमि। राजपूताना में अनेक रियासतें थी। जिन पर यहाँ के शासक, अंग्रेज सरकार की देखरेख में शासन चलाते थे। अजमेर–मेरवाड़ा का इलाका सीधे अंग्रेजों के अधीन था। स्वतंत्रता के बाद इन सब इलाकों को इकट्ठा करके वर्तमान राजस्थान राज्य बना।

हालांकि देशी रियासतों ने भारत में विलय पर सहमति दे दी। परन्तु उनमें कई रियासतें जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से इतनी छोटी थी कि उनका अलग राज्य के रूप में रहना प्रशासनिक दृष्टि से सम्भव नहीं था। इससे उनका विकास भी नहीं हो पाता। इसलिए रियासती विभाग ने तय किया कि जिन रियासतों की जनसंख्या 10 लाख से कम है या आय एक करोड रूपए से कम है उन्हें पास की बड़ी रियासतों में मिला दिया जाए। इसलिए प्रारम्भ में राजस्थान के राजाओं ने स्वयं प्रयास करके अपने संघ बनाने के प्रयास किये। जैसे मेवाड़ महाराणा ने राजस्थान के राजाओं को एकत्रित कर 'राजस्थान यूनियन' बनाने का प्रस्ताव रखा। डूँगरपुर महारावल ने वागड़ के राज्यों को मिलाकर 'वागड़ संघ' बनाने का प्रस्ताव दिया। कोटा महाराव ने 'हाडौती संघ' बनाने का प्रयास किया, किन्तु शासकों द्वारा किए गए ये प्रयास सफल नहीं हुए ।

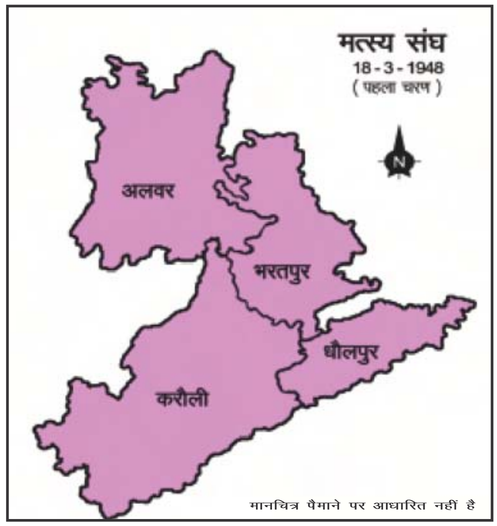

बहरहाल, सबसे पहले मेवात के इलाके से अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली ने मार्च 1948 में इकट्ठा रहने का फैसला किया। इस संगठन को के.एम.मुंशी की सलाह पर इसके प्राचीन नाम के आधार पर 'मत्स्य संघ' नाम दिया गया। अलवर को मत्स्य संघ की राजधानी बनाया गया।

कुछ ही दिन बाद दक्षिण–पूर्वी और दक्षिण की नौ रियासतों ने मिल कर 'संयुक्त राजस्थान' नाम के संघ का गठन किया। इसमें बाँसवाड़ा, कोटा, बूँदी, टोंक, झालावाड़, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़ और डूँगरपुर नामक रियासतें व दो चीफशीप कुशलगढ़ व लावा शामिल थे। कोटा को 'संयुक्त राजस्थान' की राजधानी बनाया गया।

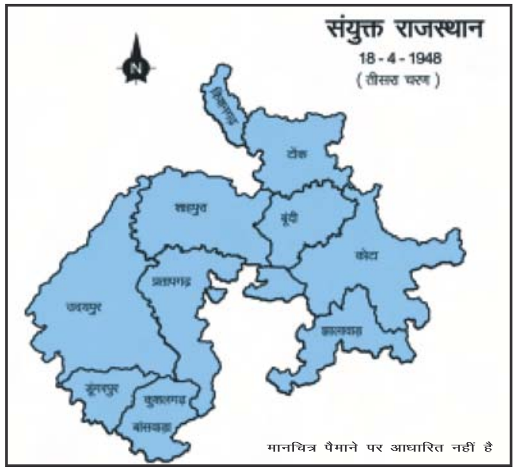

तीन हफ्ते बाद मेवाड़ यानि उदयपुर रियासत भी इस संघ में शामिल हो गया 'संयुक्त राजस्थान' नाम के इस संघ की राजधानी उदयपुर को बनाया गया। राजप्रमुख मेवाड़ के महाराणा भूपालसिंह बने तथा माणिक्यलाल वर्मा को 'प्रधानमंत्री' बनाया ।

अगले साल, यानी 30 मार्च, 1949 ई.में बची हुई चार रियासतें भी इस संघ में शामिल हो गयी। अतः अब संयुक्त राजस्थान संघ में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर भी शामिल हो चुके थे। संघ का नाम बदलकर ''वृहत राजस्थान'' रख दिया गया। वृहत राजस्थान की राजधानी बना जयपुर और इसके महाराजप्रमुख बने मेवाड़ के महाराणा भूपालसिंह, राजप्रमुख बने जयपुर के मानसिंह तथा पंडित हीरालाल शास्त्री को 'प्रधानमंत्री' बनाया गया। भारतीय संविधान के लागू होने के बाद सारे देश में राज्यों के 'प्रधानमंत्री' को 'मुख्यमंत्री' कहा जाने लगा।

15 मई 1949 ई. को मत्स्य संघ भी वृहत राजस्थान में शामिल हो गया।

अब तक केवल सिरोही ही एक ऐसी रियासत थी, जिसका राजस्थान में विलय नहीं हुआ था। अतः 26 जनवरी 1950 ई. को, जब भारत का पहला गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था, इस समय देलवाड़ा एवं आबू क्षेत्र के अलावा बाकी सिरोही रियासत भी राजस्थान का हिस्सा बन गयी।

भारत सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन कमीशन के कहने पर 1956 ई. में अजमेर–मेरवाड़ा के इलाके को भी राजस्थान मे मिला दिया गया। साथ ही साथ मध्यप्रदेश के सुनेल टप्पा और सिरोही की देलवाड़ा एवं आबू

तहसील को भी राजस्थान का हिस्सा बना दिया गया तथा राजस्थान का सिरोज मध्यप्रदेश में मिला दिया गया।

इस तरह वर्तमान राजस्थान का 01 नवंबर, 1956 ई. को एकीकरण हुआ। किन्तु राजस्थान दिवस वृहत राजस्थान के आधार पर 30 मार्च को ही मनाया जाता है। वर्तमान राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है और इसकी आबादी 2011 की जनगणना के आधार पर 6 करोड़ से भी ज्यादा है।

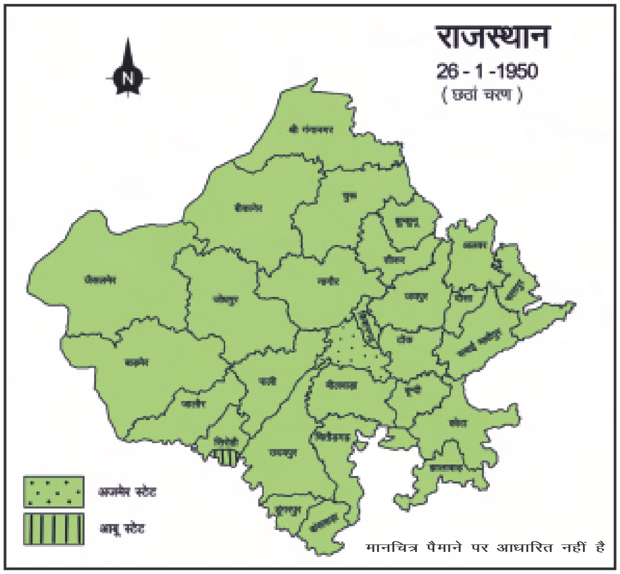

राजस्थान के एकीकरण के चरण एक नजर में

एकीकरण के चरण	राज्य का नाम	गठन की तारीख	विलीन रियासतें	प्र.म./मु. मं.	राजप्रमुख	उद्घाटनकर्ता
प्रथम	मत्स्य संघ	17.03.1948	अलवर,भरतपुर, धौलपुर,करौली	शोभाराम कुमावत	उदयभान सिंह धौलपुर	एन.वी. गाड़गिल
द्वितीय	संयुक्त राजस्थान	25.03.1948	बाँसवाड़ा,कोटा,बूँदी,टोंक, झालावाड़, प्रतापगढ़,शाहपुरा,किशनगढ,डूँगरपुर	गोकुल लाल असावा	भीमसिंह कोटा	एन.वी. गाड़गिल
तृतीय	संयुक्त राजस्थान	18.04.1948	संयुक्त राजस्थान, उदयपुर	माणिक्य लाल वर्मा	भूपालसिंह मेवाड़	जवाहर लाल नेहरु
चतुर्थ	वृहत राजस्थान	30.03.1949	संयुक्त राजस्थान,जयपुर, जोधपुर जैसलमेर, बीकानेर	हीरालाल शास्त्री	मानसिंह जयपुर	सरदार वल्लभ भाई पटेल
पंचम्	वृहत राजस्थान	15.05.1949	वृहत राजस्थान , मत्स्य संघ	–	–	–
षष्ठम्	वृहत राजस्थान	26.01.1950	वृहत राजस्थान (पांचवा चरण), देलवाड़ा एवं आबू क्षेत्र के अलावा सिरोही	–	–	–
सप्तम्	राजस्थान	01.11.1956	राजस्थान, देलवाड़ा आबू क्षेत्र, अजमेर–मेरवाड़ा		–	–

क्या आप को मालूम है कि :–

1. राजपूताना में जोधपुर रियासत सबसे बड़ी थी।
2. राजपूताना में कुल 19 रियासतें, 3 चीफशीप व एक केन्द्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा शामिल थे।
3. संविधान लागू होने से पूर्व राज्यों के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था।

गतिविधि–

राजस्थान के एकीकरण में योगदान देने वाले कुछ प्रमुख व्यक्तियों नाम यहाँ दिये जा रहे है:–

1. सरदार वल्लभ भाई पटेल 2. श्री वी. पी. मेनन 3. श्री जयनारायण व्यास
4. पंडित हीरालाल शास्त्री 5. श्री माणिक्यलाल वर्मा 6. श्री गोकुल भाई भट्ट

खोज कर के बताएँ कि:–

1. ऊपर जिन लोगों के नाम दिए गए हैं, उनका राजस्थान के इतिहास में और क्या योगदान रहा है?
2. ऊपर दिए गए नामों के अलावा और किन लोगों ने राजस्थान के एकीकरण में योगदान दिया है? नाम ढूँढ़कर लाएं और बताएं।

शब्दावली

विस्थापित – जिसे अपने स्थान से हटा दिया गया हो अथवा विवश होकर हटना पड़ा हो।

स्वशासन – स्वयं का शासन

पुनर्वास – पुनः बसाना

अभ्यास प्रश्न

प्रश्न एक व दो के सही उत्तर कोष्ठक में लिखें–

1. निम्नलिखित में से भारत का पड़ोसी देश नहीं है।

   (अ) पाकिस्तान (ब) इंग्लैण्ड (स) चीन (द) नेपाल ( )

2. निम्नलिखित में से भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे ।

   (अ) डॉ. राधाकृष्ण (ब) भीम राव अम्बेडकर

   (स) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद (द) वल्लभ भाई पटेल ( )

3. राज्यों की सीमाएँ तय करने के लिये कौनसा आयोग बनाया गया ?
4. वर्तमान में भारत के नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है ?
5. संयुक्त राजस्थान में कौन–कौन सी रियासतें शामिल थी ?
6. सिन्धी विस्थापितों ने समाज के लिये क्या योगदान किया है ?
7. भारत के अपने पड़ोसी राष्ट्रों से संबंधों पर टिप्पणी लिखिए ?
8. भारत के एकीकरण में सरदार पटेल का योगदान बताइए ?
9. स्वतंत्रता के बाद भारत के सम्मुख प्रमुख चुनौतियाँ क्या थी ?
10. स्वतंत्रता के बाद राज्यों के पुनर्गठन की घटनाओं का वर्णन कीजिए ?
11. राजस्थान के एकीकरण के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए ?
12. देशी रियासतों के भारत विलय में क्या कठिनाइयाँ थी बताइए ?

गतिविधि–

1. अपने आस पास अगर कोई विस्थापित परिवार है, तो उनके विभाजन के बाद के अनुभवों को पूछ कर लिखिए।
2. राजस्थान राज्य के वर्तमान मंत्रिमण्डल के सदस्यों की सूची बनाइए।
3. राजनीति, कला, साहित्य या अन्य किसी भी क्षेत्र में ख्याति प्राप्त उन व्यक्तियों के नाम की सूची बनाइए जिनका संबंध पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए परिवारों से हो।
4 वर्तमान राजस्थान राज्य का मानचित्र लेकर उसमें वर्तमान जिलों के स्थानों को चिन्हित कीजिए।

अध्याय 24

हमारे गौरव

भारत का इतिहास अत्यधिक गौरवशाली रहा है। इस गौरव को प्राप्त करने के लिए यहाँ के वैज्ञानिकों, साहित्यकारों, कलाकारों आदि की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इनमें से कतिपय प्रेरक महापुरुषों के कार्य की यहाँ जानकारी दी जा रही है।

चन्दबरदाई

चन्दबरदाई

चन्द बरदाई का जन्म सन् 1148 को लाहोर में हुआ। इनके पिता का नाम राव वैण था। राव वैण अजमेर के चौहानों के पुरोहित थे। इसी से चन्द को अपने पिता के साथ राजकुल के सम्पर्क में आने का अवसर मिला। बाल्यकाल से ही ये प्रतिभाशाली सिद्ध हुए और शीघ्र ही इन्होंने भाषा, साहित्य, व्याकरण, छन्द, पुराण, ज्योतिष आदि का ज्ञान प्राप्त कर लिया। दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान के न केवल राज्य–कवि घोषित हुए बल्कि उनके सलाहकार व मित्र भी बन गए। चन्दबरदाई केवल कवि ही नहीं थे, अस्त्र–शस्त्र की विधिवत् शिक्षा भी इन्होने प्राप्त की थी और युद्ध के समय वे सदैव सेना के साथ रहकर अपने रण–कौशल का भी परिचय देते थे। 'पृथ्वीराज रासो' चन्दबरदाई की प्रसिद्ध रचना है। 'पृथ्वीराज रासो' हिन्दी का प्रथम महाकाव्य कहलाता है। इस ग्रन्थ से चन्दबरदाई की विद्वता, वीरता, सहृदयता और मित्र भक्ति का परिचय प्रचुर मात्रा में मिलता है।

गतिविधि– पढें व बताएं :

1. चन्दबरदाई के पिता का नाम क्या था?
2. चन्दबरदाई का जन्म कहाँ हुआ?
3. चन्दबरदाई में कवि के अतिरिक्त कौन–कौन से गुण थे?
4. चन्दबरदाई की प्रसिद्ध रचना कौन–सी है?

महान् गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त

महान् गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त

ब्रह्मगुप्त का जन्म 598 ई. में हुआ था। इनका जन्म स्थान भीनमाल (जालोर) राजस्थान में माना जाता है। ब्रह्मगुप्त गुप्तकाल के प्रमुख खगोल शास्त्री थे। उन्होने तीस वर्ष की आयु में 628 ई. में 'ब्रह्मस्फुट सिद्धान्त' नामक ग्रन्थ की रचना की। यह ग्रन्थ भारतीय खगोल शास्त्र का प्रामाणिक ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ के अलावा इन्होनें 'खण्डखाद्यकम्' नामक ग्रन्थ की रचना भी की है। इसमें विशेषकर अन्तर्वेशन (interopolation) तथा समतल त्रिकोणमिति एवं गोलीय त्रिकोणमिति दोनों में sine (ज्या) और cosine (कोटिज्या) के नियम उपलब्ध है। ब्रह्मगुप्त के इन ग्रन्थों के अरबी और फारसी भाषा में अनुवाद के

माध्यम से भारत का यह गणित एवं खगोल विज्ञान का ज्ञान अरब तथा बाद में पश्चिम के देशों को प्राप्त हुआ। ब्रह्मगुप्त ने अपने ग्रन्थों में वर्गमूल व घनमूल लिखने की सरल विधियाँ दी है। शून्य के गुणधर्म की व्याख्या भी इन ग्रन्थो में की गई है। ब्रह्मगुप्त का ज्यामिति के क्षेत्र में विशेष योगदान रहा है।

गतिविधि–

आओ जानकारी प्राप्त करें–

1. ब्रह्मगुप्त ने तीस वर्ष की आयु में 'ब्रह्मस्फुट सिद्धान्त' नामक ग्रन्थ की रचना की।
2. यह ग्रन्थ भारतीय खगोल शास्त्र का प्रामाणिक ग्रन्थ है।
3. इसके अलावा ब्रह्मगुप्त ने 'खण्डखाद्यकम्' नामक ग्रन्थ की भी रचना की।
4. ब्रह्मगुप्त के इन ग्रन्थों का अनुवाद अरबी व फारसी भाषा में हुआ।

भारत का यह गणित एवं खगोल विज्ञान का ज्ञान अरब एवं बाद में पश्चिम देशों को प्राप्त हुआ।

विश्व के प्रथम शल्य चिकित्सक–महर्षि सुश्रुत

सामान्यतः यह भ्रम है कि शल्य क्रिया का प्रारम्भ यूरोप में हुआ। पर हमारे देश में यह प्राचीन काल से ही अत्यन्त विकसित अवस्था में थी। शल्य क्रिया के क्षेत्र में सबसे प्रमुख नाम महर्षि सुश्रुत का है। ये एक कुशल एवं प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक थे। सुश्रुत ही वे प्रथम चिकित्सक थे जिन्होने शल्य क्रिया को एक व्यवस्थित रूप प्रदान किया। उन्होने इसे परिष्कृत ही नहीं किया बल्कि इसके द्वारा अनेक मनुष्यों को शल्य क्रिया द्वारा स्वास्थ्य लाभ पहुँचाया। सुश्रुत महान् ऋषि विश्वामित्र के वंशज थे। सुश्रुत द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रन्थ 'सुश्रुत संहिता' है। शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में 'सुश्रुत संहिता' को आज भी प्रामाणिक ग्रन्थ माना जाता है। प्लास्टिक सर्जरी को आजकल चिकित्सा विज्ञान की महत्त्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है। यद्यपि अमेरिका के विद्वान् इसका श्रेय लेते हैं, किन्तु सुश्रुत ने

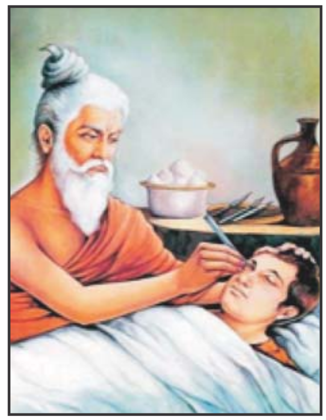

महर्षि सुश्रुत

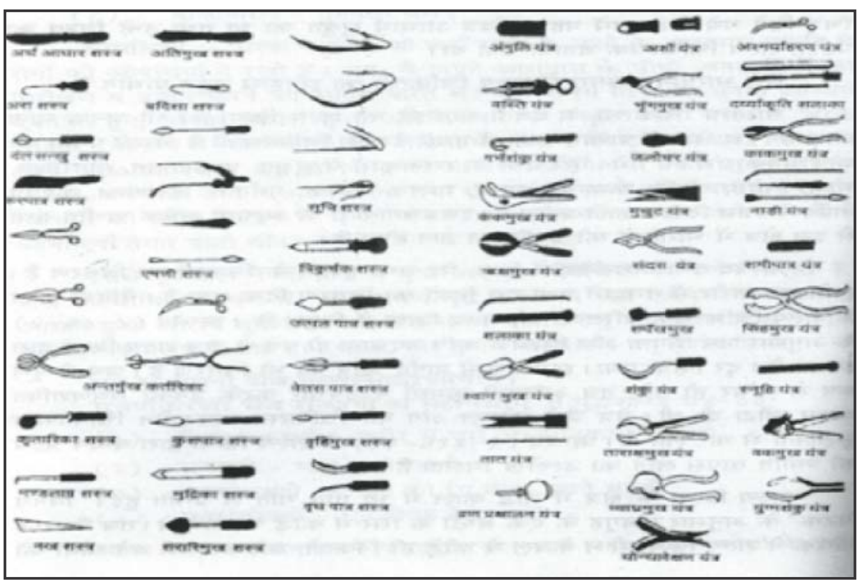

सुश्रुत द्वारा वर्णित शल्य चिकित्सा के कुछ उपकरण तथा यंत्र

अपने इस ग्रन्थ में प्लास्टिक सर्जरी का उल्लेख सैकड़ों साल पहले ही कर दिया था। सुश्रुत की इस पद्धति का अनुसरण यूरोप ने किया। आज यह विश्वभर में प्रचलित हो गई है। यह भारत की विश्व को बड़ी देन है।

शल्य चिकित्सा के लिए सुश्रुत ने सौ से अधिक औजारों तथा यन्त्रों का आविष्कार किया। इनमें से अधिकांश यन्त्रों का प्रयोग आज भी किया जाता है।

गतिविधि–

आओ उत्तर खोजें–

1. शल्य क्रिया के क्षेत्र में सबसे प्रमुख नाम किसका है?
2. शल्य क्रिया के क्षेत्र में प्राचीन भारतीय ग्रन्थ का नाम बताइये?
3. सुश्रुत संहिता ग्रन्थ किसके द्वारा लिखा गया है?
4. सुश्रुत ने ऐसी कौनसी वस्तुओं का आविष्कार किया जिनका प्रयोग आज भी हो रहा है?

महान् गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन्

महान् गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन् का जन्म 22 दिसम्बर सन् 1887 को तमिलनाडू के इरोड नगर में हुआ। इनका पैतृक स्थान तंजोर जिले में कुम्बकोणम् हैं। इनके पिता का नाम श्रीनिवास आयंगर था। इनकी माता का नाम कोमलताम्मल था। रामानुजन की माँ धार्मिक प्रवृत्ति की थी। प्रारम्भ से ही रामानुजन् जिज्ञासुवृत्ति एवं कुशाग्र बुद्धि के थे। इनकी गणित में विशेष रूचि थी। हाई स्कूल तक वे अपनी कक्षा में सदैव प्रथम आते थे। हाई स्कूल की परीक्षा सन् 1904 ई. में उत्तीर्ण की और अच्छा स्थान प्राप्त करने पर उन्हे छात्रवृत्ति मिली।16 जनवरी 1913 ई. को रामानुजन् ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध गणितज्ञ प्रोफेसर जी.एच. हार्डी को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होने लगभग 120 प्रमेय भी भेजे। रामानुजन् की प्रतिभा को देखकर प्रो. हार्डी ने उन्हे इंगलैंड बुला लिया। उनके बुलावे पर 14 अप्रेल 1914 ई. को रामानुजन् लन्दन पहुंचे। इंगलैंड में उन्होने प्रो. हार्डी के साथ अनुसंधान कार्य किया। केवल एक वर्ष में (1915 ई. में) रामानुजन् और प्रो. हार्डी ने सम्मिलित रूप से 9 शोध प्रकाशित किए । रामानुजन् को उनके शोध–पत्र के आधार पर बिना परीक्षा दिए मार्च 1916 ई. में स्नातक उपाधि प्रदान कर दी। 27 मार्च 1919 ई. को वे इंगलैंड से भारत पहुँचे तथा 26 अप्रेल 1920 ई. को 33 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया। वे इतने मितव्ययी थे कि गणितीय समस्याओं का हल करने के लिए स्लेट का प्रयोग करते थे और अंतिम परिणाम अपनी नोट बुक में लिखते थे। श्री रामानुजन् भारतीय सभ्यता व संस्कृति के सच्चे पुजारी थे। इंगलैंड जाते समय उन्होने अपने पिताजी को वचन दिया था कि मै इंगलैंड में भी हिन्दुस्तानी रहूँगा और ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा, जिससे भारतीयता को चोट पहुँचे। विदेश में शोध कार्य करते हुए भी अपना निजी कार्य यथा भोजन बनाना आदि स्वयं अपने हाथ से करते थे। इतना होते हुए भी वे अभावों में ही

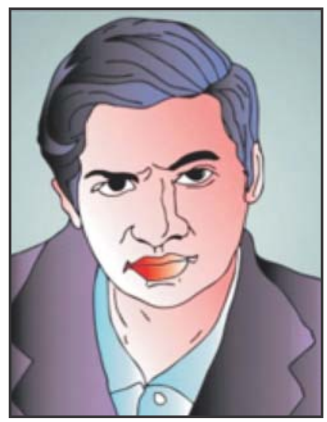

श्रीनिवास रामानुजन्

बताइएं कब–क्या हुआ ?

22 दिसम्बर 1887 ई.
16 जनवरी 1913 ई.
14 अप्रेल 1914. ई.
27 मार्च 1919 ई.
20 अप्रेल 1920 ई.

रहे किन्तु अभावों की परवाह न करते हुए भी अध्ययन, अनुसंधान व लेखन का कार्य जीवन के अंतिम क्षण तक करते रहे।

> **गतिविधि–**
>
> भारत के अन्य वैज्ञानिक कौन–कौन रहे है? अपने गुरूजी से जानकारी प्राप्त करें और सूची बनाएँ।

महाकवि माघ

महाकवि माघ

संस्कृत के महाकवि माघ का जन्म श्रीमालनगर (भीनमाल, राजस्थान) में हुआ था। माघ का समय सातवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध एवं आठवीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में माना जाता है। महाकवि माघ बड़े उदार, सहृदय एवं दानी व्यक्ति थे। उनका विवाह एक कुलीन घर की कन्या माल्हण देवी के साथ हुआ था। माघ ने 'शिशुपालवधम्' नामक काव्य की रचना की। माघ के कुछ समालोचक मानते है कि यदि भगवान् कृष्ण की आराधना करनी हो तो माघ–काव्य का अध्ययन करें। संभवतः श्री कृष्ण की आराधना करने के लिये ही माघ ने 'शिशुपालवधम्' की रचना की थी। इनके पिता का नाम दत्तक था। माघ दानवीर थे। अत्यन्त दानशीलता के कारण जीवन के अंतिम दिनों में वे दरिद्र भी हो गए थे। उनकी पत्नी भी उनके समान दानशील थी। कहते हैं, विपिन्न अवस्था में एक ब्राह्मण अपनी पुत्री के विवाह के लिए याचक बनकर आया। रात्रि का प्रथम प्रहर बीत रहा था माघ अपनी सोई पत्नी के कक्ष में गए, उनके हाथ का एक कंगन उतार कर लाए और ब्राह्मण को दे दिया। इतने में उनकी पत्नी जग गई और दूसरे हाथ का भी कंगन लाकर याचक को दे दिया और कहा कि तुम्हारी पुत्री को दोनों हाथों में कंगन पहनने चाहिए। यह दृश्य देखकर – महाकवि माघ की आँखों से अश्रुधारा बहने लगी।

एक दन्त कथा

माघ जब रचना करते थे तब अपना ही रचित श्लोक अथवा पद उन्हें दूसरे दिन उपयुक्त नहीं लगता था, तो वे उसे काट देते थे। जिससे कोई भी रचना पूर्ण नहीं होती थी। एक रात उनकी पत्नी के स्वप्न में विद्या की देवी सरस्वती प्रकट हुई। माघ की पत्नी ने देखा कि विद्या की देवी के शरीर पर घाव लगे हैं और उससे रक्त बह रहा है। माघ–पत्नी माल्हण ने जब पूछा कि माँ ! आपकी यह दशा किसने की ? तो माँ ने कहा – 'माघ प्रतिदिन पूर्व रचित पद्यों को दूसरे दिन काटता जायेगा तो ये घाव सदा रिसते ही रहेंगे।' माघ की पत्नी ने उपाय पूछा तो माँ ने कहा कि इसे जमीकन्द की सब्जियाँ खिलाओ। माघ पत्नी ने एक दिन माघ को जमीकन्द की सब्जी परोस दी। माघ ने उसे खा लिया। बाद में वे अपनी एक मात्र कृति 'शिशुपालवधम्' को पूर्ण कर सके।

यद्यपि इस दन्त कथा का कोई प्रामाणिक आधार तो नहीं है, किन्तु यह अनुमान लगाया जा सकता है कि काव्य–लेखन में उनकी पत्नी का भी अप्रत्यक्ष रूप से योगदान रहा है।

माध ने साहित्य, व्याकरण शास्त्र, नीतिशास्त्र, पुराण, आर्युवेद, न्याय, ज्योतिष, प्राकृतिक–सौन्दर्य, ग्राम्य–जीवन, पशु–पक्षी जीवन, सौन्दर्य, काव्य, पदलालित्य एवं राजनीति शास्त्र के सिद्धान्तों का समावेश एक ही ग्रन्थ 'शिशुपालवध' में कर दिया, जिससे अन्य ग्रन्थ रचने की आवश्यकता ही नहीं रही।

गतिविधि–

पढें, जानें एवं बताएँ–

1. माघ के माता–पिता का नाम क्या था?
2. माघ द्वारा लिखी गई काव्य रचना कौन सी है ?

सूत्रधार मण्डन

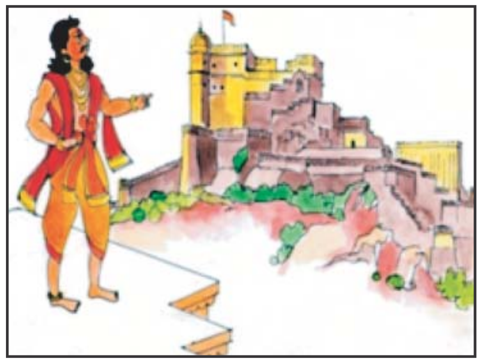

सूत्रधार मण्डन

सूत्रधार मण्डन ने अपने ग्रन्थों से भारतीय स्थापत्य शास्त्र परम्परा को अक्षुण्ण बनाए रखने में बड़ा योगदान दिया है। मण्डन उस काल में हुए जबकि मन्दिर, मूर्ति और चित्रकला आदि संकट में थे। ऐसे में मण्डन ने अपने ग्रन्थों से स्थापत्य शास्त्रियों के लिए नियम देकर महल, घर, निवास, जलाशय, मन्दिर, प्रतिमा आदि के निर्माण में सहयोग किया। भारतीय वास्तुशास्त्र में मण्डन का योगदान सर्वाधिक माना जाता है। कुम्भलगढ जैसा अभेद्य दुर्ग मण्डन के मार्गदर्शन और योजना के अनुसार ही बना है। उसकी कुम्भलगढ में वट वृक्ष के नीचे प्रतिमा–गृह बनाने की योजना थी, जो पूरी नहीं हुई। किन्तु वे प्रतिमाएँ अभी उदयपुर के राजकीय संग्रहालय में सुरक्षित है।

भारतीय वास्तुशास्त्र के सैद्धान्तिक और व्याहारिक पक्षों के ख्यातनाम् जानकारों में सूत्रधार मण्डन का नाम महत्त्वपूर्ण है। वास्तुशास्त्र में कला पक्ष, गणित व ज्योतिष के क्षेत्र में उसके मत विगत साढे पाँच सौ सालों से हमारे यहाँ माने जाते रहे हैं।

देवप्रासाद, वापी, जलाशय, प्रतिमा सम्बन्धी स्थापत्य कार्य का उसे काफी अनुभव था। मण्डन मेवाड़ के महाराणा कुम्भा का प्रिय वास्तुशिल्पी रहा है।

मण्डन गुजरात के सोमपुरा शिल्पज्ञ कुल से सम्बन्धित था। उसके परिजन सम्भवतः सोमनाथ, जिसे पुराणों में सोमपुर कहा गया है, से सम्बन्धित थे। मण्डन के पिता का नाम क्षेत्रार्क (खेता) था। मण्डन के लिखे गए ग्रन्थों में देवतामूर्ति प्रकरण, प्रासादमण्डनम्, वास्तुराजवल्लभं वास्तुशास्त्रम्, वास्तुमण्डनम्, वास्तुसार, वास्तुमंजरी प्रमुख है।

महर्षि पाराशर

अन्नं हि धान्यासंजातं धान्यं कृष्या बिना न च।
तस्मात सर्व परित्यज्य कृषि यत्नेन कारयेत।।

अर्थात् अन्न धान्य (फसल) से उत्पन्न होता है और धान्य बिना कृषि के नहीं होता। इस कारण सब कुछ छोड़कर प्रयत्नपूर्वक कृषि कार्य करना चाहिए।

प्रमुख रचनाकार महर्षि पाराशर का जन्म स्थल वर्तमान पुष्कर (अजमेर) था। इन्होंने 'कृषि पाराशर' नामक ग्रन्थ की रचना की। इस ग्रन्थ में गौ–धन पूजा का प्राचीन सन्दर्भ, दीपावली के बाद पड़वा को करने का वर्णन है।

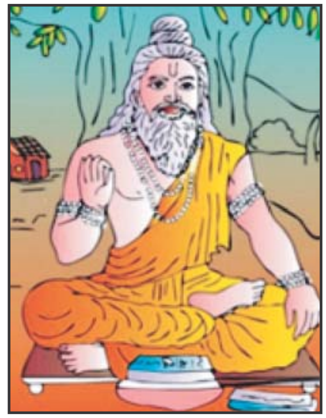

महर्षि पाराशर

महर्षि पाराशर ने कृषि को कितना ऊँचा स्थान दिया है, उक्त श्लोक से ही स्पष्ट हो रहा है। वस्तुतः मनुष्य का जीवन अन्न में ही है और उसका उत्पादन कृषि के अतिरिक्त किसी अन्य साधन द्वारा सम्भव नहीं है। भारत चिरकाल से कृषि प्रधान देश रहा है। इस कारण भारतीय ऋषियों ने कृषि विषयक कई बातें कही और लिखी है। विभिन्न शास्त्रों में पाराशर ऋषि को 'कृषिशास्त्र' के प्रवर्तक के रुप में स्मरण किया गया है।

'कृषि पाराशर' ग्रन्थ में पाराशर ऋषि ने वर्षा सम्बन्धी भविष्यवाणी की है, जिनका आज भी कृषक प्रयोग करते हैं। इस ग्रन्थ का दसवीं सदी में पुनर्लेखन किया गया। यह ग्रन्थ कृषि पचांग का कार्य करता है। कृषि कार्य कब शुरु करना चाहिए ? कौनसी फसल कब खेत में उगाई जाए ? खेती के काम में आने वाले पशुओं के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए ?अतिवृष्टि–अनावृष्टि की जानकारी, गौशाला तथा उसके रख–रखाव की जानकारी के साथ ही पशु–पक्षियों के व्यवहार, हवा की दिशा आदि से मौसम के पूर्वानुमान के बारे में इस ग्रन्थ में बताया गया है।

कृषि पाराशर के विषय

यह भी जानें

1. कौनसी फसल कब उगाई जाए ?
2. खेती के काम आने वाले पशुओं के साथ कैसा व्यवहार किया जाए ?
3. गौशाला व उसके रख–रखाव कैसे किया जाय ?
4. मौसम का पूर्वानुमान कैसे लगाया जाए ?
5. कृषि कार्य कब प्रारम्भ करना चाहिए ?

चक्रपाणि मिश्र

महाराणा प्रताप के दरबारी पण्डित चक्रपाणि मिश्र ने चार ग्रन्थों की रचना की। यह थे– विश्ववल्लभ, मूहूर्तमाला, व्यवहारादर्श और राज्याभिषेक पद्धति। 'विश्ववल्लभ' की रचना में पण्डित चक्रपाणि मिश्र ने जिस स्रोत–सामग्री का सहारा लिया है, उसमें वराहमिहिर कृत 'वृहत्संहिता' मुख्य है। चक्रपाणि मिश्र वराहमिहिर से बड़ा प्रभावित था।

चक्रपाणि मिश्र

अपनी द्वितीय रचना 'राज्याभिषेक पद्धति' में उसने वराहमिहिर की सामग्री का उपयोग किया है। चक्रपाणि मिश्र ने

भूमिगत जलज्ञान बताने वाले 'हरवा' का उल्लेख किया है। गाँवों में आज भी 'हरवों' की बड़ी पूछ है। 'हरवा' विभिन्न संकेतों के आधार पर पानी की उपलब्धता की दिशा और गहराई बताता है।

चक्रपाणि, उग्र मिश्र का पुत्र था। चित्तौड़ की तलहटी में बसा गाँव पीपली इस परिवार को मिला हुआ था। चक्रपाणि ने विष्णु धर्मोत्तर पुराण से लेकर वराहमिहिर की वृहत्संहिता में एकत्रित सामग्री का उपयोग करते हुए 'विश्ववल्लभ' की रचना की। इस कृति में रोगोपचार विधियों में पेड़ की सिंचाई, पौध स्नान (फव्वारा), धूपन, छिड़काव–बुरकाव और मंत्र–पाठ मुख्य है। इनका उपयोग आज भीकिया जा रहा है। चक्रपाणि ने जल संसाधनों के विकास पर पर्याप्त बल देने को कहा है। चक्रपाणि को विभिन्न पेड़ों की प्रकृति, उनके औषधिय गुण–धर्मों की जानकारी थी। वह अच्छा वनस्पतिशास्त्री तो था ही, वास्तुविज्ञान के अन्तर्गत उसे जलाशय तथा जलस्रोतों के निर्माण का विशद् ज्ञान भी था।

महाराणा प्रताप के दरबारी पण्डित चक्रपाणि मिश्र ने 'राज्याभिषेक पद्धति' में राजवल्लभ के श्लोकों को उद्धत किया और 'विश्ववल्लभ–वृक्षायुर्वेद' में जलाशय वर्णन के सन्दर्भ में राजवल्लभ के श्लोकों को विस्तार दिया। शिल्पशास्त्रीय ग्रन्थों के सृजनकर्ताओं में चक्रपाणि मिश्र का स्थान ऋषि तुल्य है।

शारंगधर

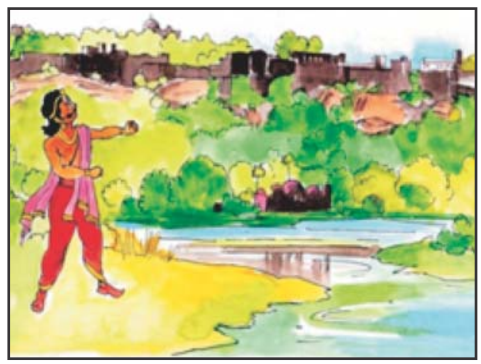
शारंगधर

शारंगधर हम्मीर (रणथम्भौर का शासक) के गुरू राघव देव का पौत्र व दामोदर का पुत्र था इसने हम्मीर रासो तथा शारंगधर संहिता ग्रन्थों की रचना की थी। शारंगधर का योगदान उसके द्वारा तैयार संगीत पद्धति से है। इसको उसके नाम पर ही सारंगधर पद्धति कहा जाता है। इसमें संगीत के लुप्त ग्रन्थ 'गान्धर्वशास्त्र' का संक्षिप्त पाठ सुरक्षित है, जो मध्यकालीन भारतीय संगीत कला को जानने के लिए मुख्य आधार है। इसी पद्धति में 'वृक्षायुर्वेद ग्रन्थ' का संक्षिप्त रुप है। जिनके आधार पर अनेक राजाओं और प्रजाजनों ने वाटिकाओं का विकास कर पर्यावरण की सुरक्षा में अपना योगदान किया।

शारंगधर की पद्धति योग जैसे विषय को भी समाहित किए है। अष्टांग योग का वैज्ञानिक स्वरुप इस ग्रन्थ में स्वास्थ्य और निरापद जीवन के साथ जोड़ा गया है। वैज्ञानिक तरीके से ज्ञान के उपयोग को प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण शारंगधर का योगदान उसकी अनेक सूक्तियों के लिए है। इसीलिए अनेक विदेशी विद्वानों ने शारंगधर के योगदान की प्रशंसा की है।

गतिविधि–पढें व बताएँ:

1. सूत्रधार मण्डन का योगदान सबसे अधिक किस क्षेत्र में माना जाता है ?
2. वास्तुशास्त्र का मुख्य विषय क्या होता है ?
3. महर्षि पराशर ने किस ग्रन्थ की रचना की ?
4. चक्रपाणि मिश्र ने कौन–कौन से ग्रन्थों की रचना की ?
5. 'वृक्षायुर्वेद' ग्रन्थ की रचना किसने की ?

शब्दावली

परिष्कृत – उन्नत
वापी – बावड़ी
शिल्पज्ञ – शिल्प कला का ज्ञाता

अभ्यास प्रश्न

प्रश्न एक का सही उत्तर कोष्ठक में लिखें–

1. 'वृक्षायुर्वेद' ग्रन्थ की रचना की थी –
(अ) सूत्रधार मण्डन ने (ब) चक्रपाणि मिश्र ने
(स) महर्षि सुश्रुत ने (द) शारंगधर ने ( )

2. निम्नलिखित को सुम्मेलित किजिए:–

	लेखक	**नाम पुस्तक**
(1)	चन्दबरदाई	शिशुपालवधम्
(2)	ब्रहमगुप्त	वास्तुमंजरी
(3)	महर्षि सुश्रुत	कृषि पराशर
(4)	महाकवि माघ	विश्ववल्लभ
(5)	सूत्रधार मण्डन	ब्रहमस्फुट सिद्धान्त
(6)	महर्षि पराशर	सुश्रुत संहिता
(7)	चक्रपाणि मिश्र	पृथ्वीराज रासो

3. रिक्त स्थानों की पूर्ति करें:–
(1) .... का जन्म भीनमाल में माना जाता है।
(2) भारत का यह गणित तथा खगोल विज्ञान का ज्ञान अरब तथा बाद में .... को प्राप्त हुआ।
(3) .... ही वे प्रथम चिकित्सक माने जाते हैं, जिन्होंने शल्य चिकित्सा को एक व्यवस्थित स्वरुप प्रदान किया।
(4) .... को उनके शोधपत्रों के आधार पर बिना परीक्षा दिये स्नातक की उपाधि प्रदान की गई।
(5) .... अत्यन्त दानशीलता के कारण दरिद्र हो गए।
(6) महाराणा प्रताप के दरबारी पण्डित श्री .... थे।
(7) महर्षि .... का जन्म स्थल पुष्कर था।

4. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :–

1. पृथ्वीराज चौहान के राज कवि का नाम बताइये ?
2. चिकित्सा के क्षेत्र में प्लास्टिक सर्जरी का प्रयोग सबसे पहले किसने किया ?
3. ब्रह्मगुप्त का गणित व खगोल के क्षेत्र में क्या योगदान रहा ?
4. प्रसिद्ध गणितज्ञ रामानुजन के बारे में आप क्या जानते हैं ?
5. सूत्रधार मण्डन ने कौन–कौन से शास्त्रों की रचना की ?
6. कृषि के क्षेत्र में महर्षि पराशर का क्या योगदान रहा है ?

आओ करके देखें :–

1. एक पन्ने पर महापुरुषों के चित्र बनायें अथवा चित्रों की कटिंग चिपकायें एवं चित्र के सामने उनके योगदान का वर्णन करें।
2. महर्षि सुश्रुत द्वारा वर्णित उपकरण के चित्र यहाँ दिये गये हैं। अन्य उपकरणों के चित्र खोजकर उनके चित्र अपनी नोट बुक में बनायें।
3. कला, साहित्य, संगीत, विज्ञान, ज्योतिष आदि के क्षेत्र में योगदान देने वाले अन्य महापुरूषों की जानकारी अपने शिक्षकों से प्राप्त करें। इसमें पुस्तकालय का भी उपयोग किया जाना चाहिए।